

**CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS
WITH AUDIT REPORT
FOR THE YEAR 2015-2016**



**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
HEAD OFFICE
BHAVISHYA NIDHI BHAWAN 14, BHIKAIJI CAMA PLACE
NEW DELHI-110 066**

INDEX

S.NO.	CONTENTS	PAGE
1.	Income & Expenditure Account	1
2.	Income & Expenditure Appropriate Account	3
3.	Balance Sheet - EPF	5
4.	Contribution Account - EPS	23
5.	Administration Account - EPS	25
6.	Balance Sheet - EPS	27
7.	Contribution Account - EDLI	33
8.	Administration Account - EDLI	35
9.	Balance Sheet - EDLI	37
10.	Disclosure Statement.....	42
11.	Consolidated Annual Accounts (Common Format).....	46
12.	Disclosure for the Annual Accounts (Common Format)	79
13.	Audit Certificate.....	80
14.	Audit Report.....	82
15.	Management Letter	98

**INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME, 1952**

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Previous year		S. No.	Expenditure	Amount
1	2	3	4	
Rs.	P.			Rs. P.
8,19,25,00,100.14		1.	Salaries of Officers and Staff	8,63,06,27,574.74
1,90,65,58,152.84		2.	Allowances & Honorarium	1,97,21,25,777.60
19,56,79,434.06		3.	T.A. & L.T.C.	15,86,20,797.72
		4.	(a) Pension/Family Pension/Death-cum-Retirement Gratuity	2,93,31,44,411.60
2,62,75,97,601.39			(b) Amount transferred to Pension-cum-Gratuity Fund	2,04,74,58,761.48
	0.00			
18,83,912.58		5.	S.P.F., D.L.I. Benefits	21,19,477.14
		6.	(a) Other Charges (Recurring/Non-recurring)	4,71,45,90,168.36
4,35,69,20,543.92			(b) Maintenance of office Buildings/ staff quarters	14,98,05,789.21
14,68,00,131.86				
5,57,14,148.27		7.	(a) Grants	55,13,777.18
	0.00		(b) Refund of G.I. Savings Fund	0.00
17,48,36,54,025.06			Total Expenditure incurred on E.P.F. Scheme	20,61,40,06,535.03
		8.	<u>Expenditure incurred on Administration of:</u>	
	0.00		(a) Employees' Pension Scheme	0.00
17,66,02,565.91			(b) E.D.L.I. Scheme	20,82,22,288.24
	0.00		(c) A.E.C.D. Scheme	0.00
31,39,94,33,142.19		9.	Excess of Income over Expenditure	28,26,28,09,461.92
49,05,96,89,733.16			TOTAL	49,08,50,38,285.19

**ORGANISATION
FOR THE YEAR, 2015-2016
FUND SCHEME, 1952)**

Previous year		S. No.	Income	Sch. No.	Amount
5		6	7	8	9
Rs.	P.				Rs. P.
		1.	Receipt by way of Administrative Charges, Inspection Charges and Penal Damages	(I)	36,49,21,03,820.88
36,81,50,54,342.28		2.	Interest earned on Investment of surplus Administrative Fund		12,07,71,66,859.29
		3.	Receipt from Pension Fund and other Accounts	(II)	35,21,00,000.00
26,91,79,718.87		4.	Miscellaneous Receipts		16,36,67,605.02
22,76,29,046.46		5.	Excess of Expenditure over Income		0.00
0.00					
49,05,96,89,733.16			TOTAL		49,08,50,38,285.19

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND
INCOME AND EXPENDITURE APPROPRIATE**

Previous year		S. No.	Expenditure	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
	0.00	1.	Excess Expenditure over income		0.00
	0.00	2.	Provision for Building Construction Fund		0.00
		3.	Provision for Maintenance (Repair, Renewal and Replacement) Fund		0.00
31,39,94,33,142.19		4.	Balance carried down to Balance Sheet	28,26,28,09,461.92	
31,39,94,33,142.19			TOTAL	28,26,28,09,461.92	

**ORGANISATION
ACCOUNT (2015-2016)**

Previous year	S. No.	Income	Amount
Rs. P.			Rs. P.
31,39,94,33,142.19	1.	Excess of Income over expenditure	28,26,28,09,461.92
0.00	2.	Balance carried down to Balance Sheet	0.00
31,39,94,33,142.19		TOTAL	28,26,28,09,461.92

<u>Previous Year :</u>	<u>Foot Note :</u>	<u>Current Year :</u>
	(i) The accounts have been compiled on actual basis.	
	(ii) Interest earned on investment of surplus Administration Fund of previous years included in the current year	
Rs. 0.00 Lakh		Rs. 0.00 Lakh
	(iii) Expenditure incurred for Administration of Employees' Pension Scheme due from Govt.	
Rs. 0.00 Lakh		Rs. 0.00 Lakh
	(iv) Expenditure incurred for Administration of A.E.C.D.	
Rs. 0.00 Lakh		Rs. 0.00 Lakh
	(v) <u>Estimated amount in arrear due from the employers but not received :</u>	
	(a) Administrative charges	
	(b) Inspection charges	
	(c) Penal damages on Adm. Account	
Rs.21,900.23 Lakh		Rs. 25,749.45 Lakh

Sd/-
(MEENAKSHI GUPTA)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND
BALANCE SHEET AS AT
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Previous year		S. No.	Liabilities	Sch. No.	Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.
30,82,66,43,88,832.18		1.	Employees' Provident Fund A/c	III	36,02,89,49,34,871.10	
3,55,31,39,44,807.18		2.	Inoperative Account	IV	4,08,65,13,81,748.73	
2,68,43,96,578.40		3.	Special Reserve Fund A/c	V	2,92,06,22,776.30	
		4.	<u>Interest Account :</u>			
			(a) Balance in the Account to be credited to members Account upto 31.03.2016	VI	97,37,46,04,148.56	
28,43,26,37,214.46			(b) Amount received during the year and to be credited to members Account next year	VI	3,53,97,79,09,030.60	
3,09,26,82,78,566.61		5.	<u>Staff Provident Fund Account :</u>			
8,85,35,27,535.80		a)	Staff Provident Fund A/c	VII	9,58,03,52,720.80	
94,44,50,172.52		b)	Staff Provident Fund Interest A/c	VIII	1,15,45,06,253.09	
22,69,67,74,430.83		6.	Pension-cum-gratuity A/c (Staff)	IX	26,74,61,46,604.08	
2,70,07,98,358.13		7.	Investment Fluctuation Account	X	2,70,07,98,358.13	
1,13,21,208.46		8.	Security Deposits		1,30,36,316.46	
38,13,57,05,17,704.57			TOTAL		45,06,01,42,92,827.85	

ORGANISATION
31ST MARCH, 2016
FUND SCHEME, 1952)

Previous year	S. No.	Assets	Sch. No.	Amount
Rs. P.				Rs. P.
	1.	<u>Investment Account :</u>		
37,87,29,92,76,240.33	a)	Employees' Provident Fund	XV	44,81,43,79,37,671.00
11,44,90,63,887.17	b)	Staff Provident Fund A/c	XVI	12,75,25,70,282.52
22,64,40,94,413.57	c)	Pension-cum-Gratuity Fund	XVII	26,74,15,42,312.02
1,56,36,97,50,648.72	d)	Administration Fund	XVIII	1,84,69,81,41,426.98
	2.	<u>Land and Building :</u>		
4,48,53,40,582.21	a)	Assets acquired		4,50,01,47,757.18
5,63,44,12,615.50	b)	Advances paid		7,53,56,16,688.53
17,02,59,308.07	3.	Recoverable Advances (Staff)	XIX	15,07,91,879.24
	4.	Special Reserve Fund (Recoverable)	XXIII	68,87,57,635.21
68,79,04,827.21	5.	Security Deposits (Advance to parties)		2,99,11,892.20
2,90,84,035.20	6.	Remittances in transit	XX	26,53,88,909.86
27,74,14,988.94	7.	Cash in hand		51,369.79
48,469.79	8.	Cash in Bank (Both SBI & RBI)	XXI	-13,59,03,22,083.94
-4,24,49,37,885.78	9.	Sundry Debits	XXII	1,85,21,42,664.55
1,78,84,22,334.27				
39,86,59,01,34,465.20		TOTAL		47,07,06,26,78,405.14

**EMPLOYEES' PROVIDENT FUND
BALANCE SHEET AS AT
(EMPLOYEES' PROVIDENT**

Previous year		S. No.	Liabilities	Sch. No.	Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.
38,13,57,05,17,704.57			Total B/F		45,06,01,42,92,827.85	
8,87,25,41,897.04		9.	Building Construction Fund	XI	8,87,25,41,897.04	
		10.	Building Maintenance (repair, renewal & replacement) Fund	XII		0.00
1,61,35,24,25,199.64		11.	Revenue Surplus	XIII	1,89,56,72,84,761.19	
18,30,371.02		12.	Group Insurance Scheme (New)		21,35,805.02	
2,79,28,19,292.93		13.	Sundry Credits	XIV	2,60,64,23,114.03	
39,86,59,01,34,465.20			TOTAL		47,07,06,26,78,405.14	

**ORGANISATION
31ST MARCH, 2016
FUND SCHEME, 1952)**

Previous year	S. No.	Assets	Sch. No.	Amount
Rs. P.				Rs. P.
39,86,59,01,34,465.20		Total B/F		47,07,06,26,78,405.14
39,86,59,01,34,465.20		TOTAL		47,07,06,26,78,405.14

Previous Year

Foot Note

Current Year

	(i) The accounts have been compiled on actual basis.	
	(ii) Estimated amount due from the employers but not received :	
Rs.1,39,514.37 Lakh	(a) E.P.F. contribution	Rs. 1,68,245.35 Lakh
	(b) Penal damages on contribution, Adm. charges and Inspection charges	
Rs. 1,40,442.90 Lakh	(iii) The investment of E.P.F., S.P.F. & Pension-cum-Gratuity Fund are shown in the Balance Sheet at cost price after amortisation.	Rs. 1,52,543.66 Lakh
	(iv) Out of the Building construction Fund of Rs. 8,87,25,41,897.04 the cost of Land and Building acquired as on 31.03.2016 including the advances paid is Rs. 12,03,57,64,445.71	
	(v) All the fixed Assets except Land & Building are treated as Revenue Expenditure & no depreciation is provided on Land & Building as per Manual provisions.	

Sd/-
(MEENAKSHI GUPTA)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. I

Details of Income :

35,78,72,06,841.75	1. Administration Charges	35,02,30,29,789.24
60,62,13,428.50	2. Inspection Charges	1,07,68,55,844.70
22,52,90,337.62	3. Penal Damages	21,81,66,869.15
19,63,43,734.41	4. 7Q Interest	17,40,51,317.79
36,81,50,54,342.28	Total	36,49,21,03,820.88

SCHEDULE No. II

Receipts from Pension fund and other Accounts :

0.00	1. From Pension Fund for Adm. of Employees' Pension Scheme, A.E (C.D.) Scheme	0.00
26,91,79,718.87	2. From other Accounts	35,21,00,000.00
26,91,79,718.87	Total	35,21,00,000.00

Details of receipt from other Accounts :

26,91,79,718.87	1. From Administration A/c of E.D.L.I. Scheme	35,21,00,000.00
0.00	2. From other Accounts	0.00
26,91,79,718.87	Total	35,21,00,000.00

Less :

0.00	1. Amount transferred to other Accounts	0.00
	2. Transfer from Account No.2 to Account No.4 and vice versa as per Regional Offices Accounts and Central Office Accounts	0.00
0.00		0.00
0.00	Total	0.00
26,91,79,718.87	Net Total	35,21,00,000.00

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. III

Employees' Provident Fund Account :

26,76,46,23,95,215.51	Balance as per last Balance Sheet	30,82,66,43,88,832.18
Add :		
6,00,81,01,33,481.55	1. Contribution (including refund of withdrawal and transferred securities) received	7,00,72,14,47,437.71
1,21,13,22,672.96	2. Contributions received by way of transferred securities (H.Q. Office contra.)	1,64,02,22,278.74
2,46,76,94,38,312.93	3. Interest credited to members Account	2,32,97,46,70,468.25
48,64,21,09,403.80	4. Other Receipts	63,76,43,20,762.63
0.00	5. T.D.S. deducted on Contribution	1,71,09,77,331.00
35,73,89,53,99,086.75	Total	40,83,47,60,27,110.51
Less :		
2,36,04,88,49,105.33	1. Payment made during the year to outgoing members on final settlement	2,36,92,22,54,452.85
21,82,66,800.00	2. Premia paid on members life insurance policy	16,69,75,111.00
51,18,78,71,904.00	3. Loan paid during the year to the members	63,22,29,35,560.00
1,45,73,86,43,794.24	4. Inoperative Account	1,11,60,63,49,709.55
58,03,73,78,651.00	5. Miscellaneous payment amount of securities transferred back to exempted establishments	67,09,06,15,287.01
0.00	6. T.D.S. on Contribution deposited (I.T.)	1,57,19,62,119.00
4,91,23,10,10,254.57	Total	4,80,58,10,92,239.41
30,82,66,43,88,832.18	Balance as on 31st March	36,02,89,49,34,871.10

SCHEDULE No. IV

Inoperative Account :

2,74,48,54,03,529.94	Balance as per last Balance Sheet	3,55,31,39,44,807.18
Add :		
1,45,73,86,43,794.24	1. Amount transferred during the year	1,11,60,63,49,709.55
4,20,22,40,47,324.18	Total	4,66,92,02,94,516.73
64,91,01,02,517.00	Less : Amount paid during the year	58,26,89,12,768.00
3,55,31,39,44,807.18	Balance as on 31st March	4,08,65,13,81,748.73

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. V

Special Reserve Fund :

2,46,84,12,598.07	Balance as per last Balance Sheet	2,68,43,96,578.40
Add :		
0.00	1. Amount recovered from Employers	0.00
21,59,86,102.33	2. Interest on S.R.F. Account	23,62,26,898.90
2,68,43,98,700.40	Total	2,92,06,23,477.30
Less :		
2,122.00	1. Amount paid from Special Reserve Fund	701.00
0.00	2. Amount transferred to Death Relief Fund	0.00
2,122.00	Total	701.00
2,68,43,96,578.40	Balance as on 31st March .	2,92,06,22,776.30

SCHEDULE No. VI

Interest Account :

2,79,40,60,43,304.21	Balance as per last Balance Sheet	3,37,70,09,15,781.07
Less :		
2,46,76,94,38,312.93	1. Interest credited to members account	2,32,97,46,70,468.25
2,912.00	2. Intt. paid on deposits refunded to exmptd.estt.	0.00
3,79,75,83,546.82	3. Interest paid to vendors	6,90,92,44,998.34
21,59,86,102.33	4. Interest accrued on S.R.F. A/c adjusted	23,62,26,898.90
0.00	5. Interest accrued of Fluctuation A/c adjusted	0.00
19,03,95,215.67	6. Overdraft interest charged by Bank	20,61,69,267.02
2,50,97,34,06,089.75	Total	2,40,32,63,11,632.51
28,43,26,37,214.46	Balance in the Accounts to be credited to the subscribers account upto 31.03.2016	97,37,46,04,148.56
Add :		
3,03,80,18,38,524.59	1. Interest realised on investment of securities	3,48,39,38,93,604.51
0.00	2. Interest on S.B. Accounts (Central)	0.00
38,58,089.87	3. Interest on S.B. Accounts (Regional)	20,47,932.45
0.00	4. Interest on securities received from estts.	19,80,435.00
1,175.00	5. Interest realised from members on loans	66,885.00
5,46,25,80,777.15	6. Penal damages and 7Q Interest on belated contributions received during the year	5,57,99,20,173.64
0.00	7. Amount of loss on sale of securities credited	0.00
3,09,26,82,78,566.61	Total	3,53,97,79,09,030.60
3,37,70,09,15,781.07	Balance as on 31st March	4,51,35,25,13,179.16

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. VII

A. Staff Provident Fund Account :

8,18,52,53,157.93	Balance as per last Balance Sheet	8,81,47,18,935.93
Add :		
2,60,46,36,956.00	1. Contribution (including refund of withdrawal)	2,62,48,71,432.00
74,46,80,967.00	2. Interest credited to member's account	79,20,61,485.00
0.00	3. Other receipts	0.00
11,53,45,71,080.93	Total	12,23,16,51,852.93
Less :		
1,71,74,14,359.00	1. Payment made during the year to outgoing members on final settlement	1,72,34,90,626.00
0.00	2. Premia paid on members life insurance policy	0.00
38,62,27,717.00	3. Loan paid during the year to members	36,15,44,303.00
61,62,10,069.00	4. Other Payments (Transfer to other Regions)	62,39,84,634.00
2,71,98,52,145.00	Total	2,70,90,19,563.00
8,81,47,18,935.93	Balance as on 31st March	9,52,26,32,289.93
B. S.P.F. A/c transferred from other Regions :		
4,26,05,964.87	Balance as on 1st April, 2015	3,88,08,599.87
61,62,10,069.00	Add : Amount transferred out to the Regions	62,39,84,634.00
65,88,16,033.87	Total	66,27,93,233.87
62,00,07,434.00	Less : Amount received from other Regions	60,50,72,803.00
3,88,08,599.87	Balance as on 31st March	5,77,20,430.87
8,85,35,27,535.80	Total (A+B)	9,58,03,52,720.80

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. VIII

Staff Provident Fund Interest Account :

77,79,82,216.18	Balance as per last Balance Sheet	94,44,50,172.52
Add :		
92,10,83,088.86	1. Interest realised on investment of securities	1,01,12,29,891.46
35,481.00	2. Interest on S.B. Account	37,949.00
1,69,91,00,786.04	Total	1,95,57,18,012.98
Less :		
74,46,80,967.00	1. Interest credited to members account	79,20,61,485.00
99,69,646.52	2. Interest paid to vendors	91,50,274.89
75,46,50,613.52	Total	80,12,11,759.89
94,44,50,172.52	Balance as on 31st March	1,15,45,06,253.09

SCHEDULE No. IX

Pension-cum-Gratuity Account :

20,84,78,64,971.53	Balance as per last Balance Sheet	22,69,67,74,430.83
Add :		
22,735.00	1. Amount transferred from Account No. 4	2,06,81,40,163.11
0.00	2. Interest realised on S.B. Account	0.00
1,86,25,73,386.75	3. Interest realised on Securities during the year	2,01,33,54,918.09
2,62,75,97,601.39	4. Amount paid by the Regions from A/c No.2	2,93,31,44,411.60
25,33,80,58,694.67	Total	29,71,14,13,923.63
Less :		
2,62,75,97,601.39	1. Payment made by the Regions	2,93,31,44,411.60
1,36,86,662.45	2. Interest paid to vendors during the year	3,21,22,907.95
2,64,12,84,263.84	Total	2,96,52,67,319.55
22,69,67,74,430.83	Balance as on 31st March	26,74,61,46,604.08

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. X

Investment Fluctuation Account :

2,70,07,98,358.13	A	Gain on redemption of securities accounted upto 2014-2015	2,70,07,98,358.13
0.00	B	Gain on redemption of securities accounted	0.00
0.00	C	Interest on Fluctuation Account	0.00
<u>2,70,07,98,358.13</u>		Total	<u>2,70,07,98,358.13</u>
0.00	Less :	Amount amortised during the year	0.00
<u>2,70,07,98,358.13</u>		Balance as on 31st March	<u>2,70,07,98,358.13</u>

SCHEDULE No. XI

Building Construction Fund :

8,87,25,41,897.04		Balance as per last Balance Sheet	8,87,25,41,897.04
	Add :		
0.00	1.	Provision made during the year	0.00
0.00	2.	Interest credited to the Fund	0.00
<u>8,87,25,41,897.04</u>		Balance as on 31st March	<u>8,87,25,41,897.04</u>

NOTE :

The cost of Land & Building acquired including advances paid as on 31.3.16 is Rs. 12,03,57,64,445.71

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. XII

Building Maintenance (repair, renewal, replacement) Fund :

0.00	Balance as per last Balance Sheet	0.00
Add :		
0.00	1. Amount appropriated from Revenue surplus	0.00
0.00	2. Interest credited to the Fund	0.00
<u>0.00</u>	Balance as on 31st March	<u>0.00</u>

SCHEDULE No. XIII

Revenue Surplus :

1,29,95,01,46,126.32	Balance as per last Balance Sheet	1,61,35,24,25,199.64
Less :		
89,83,798.44	1. Amount adjusted by the Regional Offices	5,73,82,196.00
	2. Excess of Expenditure over Income during the year as transferred from Income and Expenditure Appropriation Account	
0.00		0.00
<u>89,83,798.44</u>	Total	<u>5,73,82,196.00</u>
Add :		
1,18,29,729.57	1. Amount adjusted by the Regional Offices	94,32,295.63
	2. Excess of Income over Expenditure during the year as transferred from Income and Expenditure Appropriation Account	
31,39,94,33,142.19		28,26,28,09,461.92
<u>31,41,12,62,871.76</u>	Total	<u>28,27,22,41,757.55</u>
<u>1,61,35,24,25,199.64</u>	Balance as on 31st March	<u>1,89,56,72,84,761.19</u>

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. XIV

Sundry Credits :

A. Regional :

71,60,71,085.30	a	(i) Suspense Account (Unclassified) (EPF)	58,02,65,204.03
49,03,23,096.45		(ii) Suspense Account (Admn. Fund)	58,93,43,134.24
0.00	b	Erroneous Receipt	0.00
5,93,74,974.22	c	Irregular payments	5,97,82,573.22
4,23,49,598.49	d	Over Payments	5,18,58,289.17
0.00	e	A.E.C.D. (D.A.) Account	0.00
0.00	f	Amount repayable to E.D.L.I. Account	0.00
3,13,08,123.50	g	New Pension Scheme	2,62,16,607.50

B. Central :

0.00	a	Excess credits in E.P.F. Investment Account	0.00
0.00	b	Excess credits in S.P.F. Investment Account	0.00
0.00	c	Excess credits in Pen-cum-grat fund inv. A/c	0.00
0.00	d	Amount not accounted for by the Regions though received in A/c No.5 from A/c No.1	0.00
12,13,13,339.00	e	Amount credited to Account No. 1 but not debited to A/c No. 5	12,13,13,339.00
1,29,90,64,761.09	f	Excess credits to Account No. 5	1,14,45,90,753.99
3,21,84,534.88	g	Excess credits to Account No. 8	3,22,23,432.88
8,29,780.00	h	Excess credits to Account No. 9	8,29,780.00
0.00	i	Adv. From Govt. towards Disabilities Scheme	0.00
2,79,28,19,292.93		Total	2,60,64,23,114.03

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. XV

Investment A/c of Employees' Provident Fund :

A. Securities purchased centrally (cost price) :

32,19,85,47,41,396.74	Balance as per last Balance Sheet	37,64,98,93,72,025.71
Add :		
7,08,92,24,07,703.00	1. Amount invested centrally (Cost Price)	8,80,55,45,74,805.42
0.00	2. Gain on purchase of securities during the year	0.00
39,28,77,71,49,099.74	Total	46,45,54,39,46,831.13
Less :		
0.00	1. Loss on sale of securities during the year	0.00
1,63,78,77,77,074.03	2. Value of securities redeemed during the year	1,88,05,61,35,653.49
1,63,78,77,77,074.03	Total	1,88,05,61,35,653.49
37,64,98,93,72,025.71	Balance (A) as on 31st March	44,57,48,78,11,177.64

B. Securities transferred by Regions :

21,09,85,81,541.66	Balance as per last Balance Sheet (A. Value)	22,30,99,04,214.62
Add :		
1,21,13,22,672.96	1. Securities received (Accepted Value)	1,64,02,22,278.74
0.00	2. Other Adjustments	0.00
22,30,99,04,214.62	Total	23,95,01,26,493.36
0.00	Less : 1. Securities returned back to establishments	0.00
0.00	2. Other Adjustments	0.00
22,30,99,04,214.62	Balance (B) as on 31st March	23,95,01,26,493.36
37,87,29,92,76,240.33	Total (A) + (B)	44,81,43,79,37,671.00

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. XVI

Investment Account of Staff Provident Fund :

10,29,13,51,091.75	Balance as per last Balance Sheet	11,44,90,63,887.17
1,48,77,83,395.42	Add : Amount invested centrally (Purchase Price)	1,98,33,62,888.26
11,77,91,34,487.17	Total	13,43,24,26,775.43
33,00,70,600.00	Less : Value of Securities redeemed during the year	67,98,56,492.91
11,44,90,63,887.17	Balance as on 31st March	12,75,25,70,282.52

SCHEDULE No. XVII

Investment Account of Pension-cum-Gratuity

Fund (Staff) :

20,81,79,00,629.27	Balance as per last Balance Sheet	22,64,40,94,413.57
2,22,37,03,584.30	Add : Amount invested centrally (Purchase Price)	5,07,81,69,783.45
23,04,16,04,213.57	Total	27,72,22,64,197.02
39,75,09,800.00	Less : Value of securities redeemed during the year	98,07,21,885.00
22,64,40,94,413.57	Balance as on 31st March	26,74,15,42,312.02

SCHEDULE No. XVIII

Investment Account of Administration Fund :

1,27,70,19,24,023.17	Balance as per last Balance Sheet	1,56,36,97,50,648.72
28,66,78,26,625.55	Add : Investments made	28,32,83,90,778.26
1,56,36,97,50,648.72	Total	1,84,69,81,41,426.98
0.00	Less : Securities redeemed during the year	0.00
1,56,36,97,50,648.72	Balance as on 31st March	1,84,69,81,41,426.98

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. XIX

Recoverable Advances (Staff) as on 31-03-2016 :

2,49,25,209.50	a	Conveyance advance	2,07,10,213.34
5,51,60,318.26	b	House Building advance	3,90,49,687.59
2,76,003.10	c	Fan advance	91,503.10
5,284.75	d	Warm Clothing advance	39,034.75
2,30,68,753.30	e	Festival advance	2,52,70,735.30
12,78,434.00	f	Natural Calamity advance	17,60,046.00
1,91,74,057.34	g	Advance of Pay/DA/TA	2,17,56,443.34
1,216.75	h	Food grain advance	1,216.75
2,84,765.00	i	Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores	16,54,864.00
4,49,72,633.85	j	Computer Advance	3,62,54,323.85
0.00	k	Unorganised Workers Social Security Scheme	0.00
11,12,632.22	l	Miscellaneous Payments	42,03,811.22
17,02,59,308.07		Total	15,07,91,879.24

SCHEDULE No. XX

Amount in Transit :

5,18,03,111.28	a	E.P.F. Account No. 4	5,18,03,114.18
21,33,43,378.41	b	E.P.F. Account No. 5	20,06,61,170.43
1,22,68,499.25	c	S.P.F. Account No. 8	1,29,24,625.25
0.00	d	Pension-cum-Gratuity Account No. 9	0.00
0.00	e	Head Office A/c No.4a	0.00
0.00	f	E.P.F. Investment Account	0.00
0.00	g	S.P.F. Investment Account	0.00
0.00	h	Pension-cum-Gratuity Fund Investment A/c	0.00
27,74,14,988.94		Total	26,53,88,909.86

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE NO. XXI

Cash Book Balance as on 31-03-2016 :

(A) State Bank of India :		
-6,87,28,05,588.45	a E.P.F. Account No. 1	-9,97,19,24,319.62
1,56,42,08,382.36	b E.P.F. Account No. 2	-18,82,69,892.77
34,04,68,699.93	c E.P.F. Account No. 4	-18,91,80,650.96
-48,60,75,913.72	d E.P.F. Account No. 5	-3,66,52,32,333.42
33,23,161.00	e E.P.F. Account No. 8	59,60,267.29
1.00	f E.P.F. Account No. 9	6,150.77
4,13,01,350.93	g Head Office	-3,17,87,254.44
98,61,767.62	h PDUNASS	-29,15,593.00
25,33,00,558.37	i EPF Appellate Tribunal	31,73,34,187.37
-5,14,64,17,580.96	Total (A)	-13,72,60,09,438.78
(B) Reserve Bank of India :		
80,98,88,066.96	a E.P.F. Investment Account	12,82,82,901.66
3,86,14,717.47	b S.P.F. Investment Account	25,09,417.40
5,29,76,910.75	c Pension-cum-Gratuity Investment A/c	48,95,035.78
90,14,79,695.18	Total (B)	13,56,87,354.84
-4,24,49,37,885.78	Total (A) + (B)	-13,59,03,22,083.94

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE NO. XXII

Sundry Debits :

A. Suspense Account (Unclassified) :

86,30,92,577.41	(i) Suspense Account (Unclassified) (EPF)	97,37,81,960.09
18,59,03,427.54	(ii) Suspense Account (Admn. Fund)	24,11,32,494.56
5,93,74,974.22	B. Irregular Payments	5,97,82,573.22
4,23,49,598.49	C. Over Payments	5,18,58,289.17

D. Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 :

40,80,96,451.70	a Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No.5 from A/c No.1 and vice-versa	40,80,96,451.70
6,01,52,001.55	b Extra debit made to Account No.5 by bank	6,01,47,137.55
14,88,36,169.39	c Amount debited to A/c No.5 but not credited to A/c No.1 & vice-versa	3,67,26,624.29
2,04,38,794.97	d Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No.8 from A/c No.2 and vice-versa	2,04,38,794.97
1,78,339.00	e Erroneous debit made to Account No.8	1,78,339.00
0.00	f Erroneous debit made to Account No.9	0.00
1,78,84,22,334.27	Total	1,85,21,42,664.55

SCHEDULE NO. XXIII

Special Reserve Fund (Recoverable) :

68,51,45,596.21	Balance as per last Balance Sheet	68,79,04,827.21
27,60,536.00	Add : Amount paid to Members during the year	8,88,847.00
68,79,06,132.21	Total	68,87,93,674.21
1,305.00	Less : Amount received from Employers	36,039.00
68,79,04,827.21	Balance as on 31st March	68,87,57,635.21

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995**

**EMPLOYEES' PENSION
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Contribution)**

Previous year		S. No.	Receipts	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
20,83,72,05,57,596.23		1.	Opening Balance as on 01-04-2015	23,91,77,43,31,756.78	
2,19,51,70,26,881.26		2.	(i) Contribution of Employers	2,90,26,87,51,118.48	
0.00			(ii) Contribution of Govt. 2015-2016		0.00
			(iii) Arrears of contribution of Govt. up to the year 2014-2015*	32,80,20,00,000.00	
22,99,80,00,000.00		3.	Interest on the balance in the Public Account	72,66,86,00,000.00	
64,19,58,00,000.00		4.	Interest on Saving Bank Account	28,83,199.73	
27,86,110.20		5.	Interest received on Securities	1,46,35,68,39,242.50	
1,26,77,43,90,023.43		6.	Penal Damages	2,22,82,99,923.22	
2,12,13,29,505.58		7.	<u>Other receipts :</u>		
85,24,40,220.40			(a) Regional Contribution A/c No. 10	77,51,49,382.79	
0.00			(b) Central Contribution A/c No. 11		0.00
25,20,18,23,30,337.10			TOTAL	29,36,87,68,54,623.50	

*Including a sum of Rs. 2,50,00,00,000.00 received from MoLE against reimbursement of minimum pension of Rs. 1,000.00 on 03.08.2015

**SCHEME - 1995
FOR THE YEAR 2015-2016
Account)**

Previous year	S. No.	Payments	Amount	
			Rs.	P.
	1.	<u>Amount paid to outgoing members/beneficiaries :</u>		
		(a) Amount of Employee's share with interest		0.00
53,75,29,99,206.68		(b) Withdrawal/Retirement benefits	52,80,49,06,855.73	
13,12,51,060.00		(c) Life Assurance benefits	1,63,70,362.00	
72,12,53,79,177.07		(d) Pension	82,63,03,76,053.74	
	2.	Amount paid as commission for disbursement of pension	62,09,48,238.25	
	3.	Amount paid towards Pension Fund Admn. Expenses		0.00
	4.	Amount of securities transferred on grant of exemption		0.00
	5.	Amount paid as accrued interest on purchase of Securities	3,33,88,45,057.65	
	6.	<u>Other payments :</u>		
		(a) Regional Contribution A/c No. 10	3,15,58,140.40	
		(b) Central Contribution A/c No. 11	18,91,48,035.19	
23,91,77,43,31,756.78	7.	Closing Balance as on 31-03-2016	27,97,24,47,01,880.54	
25,20,18,23,30,337.10		TOTAL	29,36,87,68,54,623.50	

Sd/-
(MEENAKSHI GUPTA)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' PENSION
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Administration)**

Previous year		S. No.	Receipts	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
		1.	Amount received from Government towards cost of administration 2015-16		
0.00				0.00	
		2.	Amount received from Pension Fund towards Admn. Expenses		
0.00				0.00	
		3.	Amount received from EPF Admn. Account C/F		
0.00				0.00	
0.00			TOTAL	0.00	

**SCHEME - 1995
FOR THE YEAR 2015-2016
Account)**

Previous year		S. No.	Payments	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
		1.	Balance amount incurred from EPF Administration Account B/F as on 01.04.2015		0.00
0.00					
		2.	Payment on Administration :		
			(i) Revenue Expenditure :		
0.00			(a) Salaries	0.00	
0.00			(b) Allowance & Honorarium	0.00	
0.00			(c) Travelling Allowance	0.00	
0.00			(d) Pension Gratuity (Staff)	0.00	
0.00			(e) S.P.F. D.L.I. Benefits	0.00	
0.00			(f) Other Charges	0.00	
0.00			(g) Grants	0.00	
0.00			(h) Charges on maintenance and repairs of Office Building	0.00	
0.00			TOTAL	0.00	0.00
			(ii) Capital Expenditure :		
0.00			Construction (Office Building etc.)		0.00
0.00			TOTAL		0.00

Sd/-

(MEENAKSHI GUPTA)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(V.P. JOY)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' PENSION
BALANCE SHEET AS AT**

Balance as at 31st March Previous year		S. No.	Liabilities	Sch. No.	Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.
23,91,77,43,31,756.78		1.	Employees' Pension Fund Contribution Account		27,97,24,47,01,880.54	
		2.	<u>Employees' Pension Fund Admn. A/c:</u> Amount incurred from EPF Administration Account			0.00
0.00						
0.00		3.	Investment Fluctuation Account			0.00
93,65,65,749.53		4.	Sundry Credits	I	95,51,59,001.70	
23,92,71,08,97,506.31			TOTAL		27,98,19,98,60,882.24	

SCHEME-1995
31ST MARCH, 2016

Balance as at 31st March Previous year		S. No.	Assets	Sch. No.	Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.
		1.	Employees' Pension Fund Contribution investment A/c. kept in Deposit with Public A/c.	II	9,03,36,05,20,241.86	
8,00,38,99,20,241.86						
15,96,94,30,04,649.47		2.	Investment in securities	III	19,00,25,35,11,466.56	
		3.	<u>Employees' Pension fund Admn. A/c.</u>			
	0.00	(A)	Amount recoverable from Central Govt.			0.00
	0.00	(B)	Amount recoverable from Pension Fund			0.00
-6,41,52,68,187.58		4.	Cash Book Balance Contribution A/c.	IV	-7,16,00,05,207.33	
21,52,59,146.68		5.	Remittance in Transit		21,52,00,427.68	
1,57,79,81,655.88		6.	Sundry Debits	V	1,53,06,33,953.47	
23,92,71,08,97,506.31		TOTAL			27,98,19,98,60,882.24	

<u>Previous Year</u>	<u>Foot Note</u>	<u>Current Year</u>
Rs. 79,763.70 Lakh	1. Pension Contribution due from employers of exempted and unexempted establishments as on 31.03.2016	Rs. 93,026.55 Lakh
Rs. 3,228.93 Lakh	2. Pension Contribution due from Government as on 31.03.2016	Rs. 4,651.93 Lakh
Rs. 0.00 Lakh	3. Pension Administrative Cost due from Pension Fund as on 31.03.2016	Rs. 0.00 Lakh
Rs. 69,873.44 Lakh	4. Penal damages due on EPS contribution as on 31-03-2016	Rs. 80,654.06 Lakh
	5. The investment in securities are shown in Balance Sheet at cost price after amortisation.	
	6. The accounts have been compiled on actual basis.	

Sd/-
(MEENAKSHI GUPTA)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. I

Sundry Credits :

32,04,35,070.69	1. Account No. 10
61,61,30,678.84	2. Account No. 11
0.00	3. Excess credits in EPS Investment A/c
<u>93,65,65,749.53</u>	Balance as on 31st March :

33,90,28,322.86
61,61,30,678.84
0.00
<u>95,51,59,001.70</u>

SCHEDULE No. II

Amount kept in deposit with Public A/c :

7,13,19,61,20,241.86	Balance as per last Balance Sheet
0.00	Add :
22,99,80,00,000.00	(i) Amount deposited in Public Account
0.00	(ii) Arrears of Govt. share upto 2014-15
64,19,58,00,000.00	(iii) Govt. share of contribution for 2015-16
<u>8,00,38,99,20,241.86</u>	(iv) Interest on Public Account
	Balance as on 31st March :

8,00,38,99,20,241.86
0.00
30,30,20,00,000.00
0.00
72,66,86,00,000.00
<u>9,03,36,05,20,241.86</u>

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. III

Investment in Securities :

A. Securities purchased centrally (C.P.) :

13,73,08,38,81,679.53	Balance as per last Balance Sheet	15,96,94,30,04,649.47
Add :		
3,03,60,13,88,301.97	1. Amount invested centrally (Cost Price)	4,28,30,56,76,757.53
0.00	2. Gain on purchase of securities	0.00
3,03,60,13,88,301.97	Total	4,28,30,56,76,757.53
Less :		
0.00	1. Loss on sale of securities	0.00
79,74,22,65,332.03	2. Securities redeemed during the year	1,24,99,51,69,940.44
79,74,22,65,332.03	Total	1,24,99,51,69,940.44
15,96,94,30,04,649.47	Balance (A) as on 31st March :	19,00,25,35,11,466.56

B. Securities transferred by Regions :

0.00	Balance as per last Balance Sheet (Accepted Value)	0.00
Add :		
0.00	1. Securities received (Accepted Value)	0.00
0.00	2. Other adjustment	0.00
0.00	Total	0.00
Less :		
0.00	Securities returned to establishments (Accepted Value)	0.00
0.00	Balance (B) as on 31st March :	0.00
15,96,94,30,04,649.47	Total (A+B)	19,00,25,35,11,466.56

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. IV

Cash Book Balance :

-2,16,53,78,619.36	1. Account No. 10	-2,57,07,62,100.58
-4,45,64,67,178.19	2. Account No. 11	-4,66,82,03,000.79
20,65,77,609.97	3. Balance with SBI Mumbai	7,89,59,894.04
<u>-6,41,52,68,187.58</u>	Balance as on 31st March :	<u>-7,16,00,05,207.33</u>

SCHEDULE No. V

Sundry Debits :

1,24,43,08,063.42	1. Account No. 10	1,19,65,96,392.01
6,95,34,895.98	2. Account No. 11	6,95,28,578.98
20,17,63,057.60	3. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c.10 to 11 & vice-versa	20,17,63,057.60
6,23,75,638.88	4. Amount debited to A/c No.11 but not credited to A/c No.10 & vice-versa	6,27,45,924.88
<u>1,57,79,81,655.88</u>	Balance as on 31st March :	<u>1,53,06,33,953.47</u>

**RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
AND
BALANCE SHEET OF
EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
INSURANCE SCHEME, 1976**

**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Contribution)**

Previous year		S. No.	Receipt	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
1,37,39,25,50,794.98		1.	Opening Balance as on 01-04-2015	1,57,32,27,29,237.63	
9,36,11,57,287.49		2.	(i) Contribution of Employers	12,31,91,97,467.22	
0.00			(ii) Contribution of Government	0.00	
0.00			(iii) Arrears of Contribution of Govt.	0.00	
5,88,45,00,000.00		3.	Interest on investment in Public Account	6,38,47,00,000.00	
6,41,69,40,409.14		4.	Interest on investment in securities	7,71,20,21,342.57	
1,01,02,512.85		5.	Interest on S.B. Accounts	1,72,886.70	
13,83,05,966.56		6.	Penal Damages	14,04,76,069.60	
		7.	<u>Other receipts in :</u>		
1,35,54,905.00			Account No. 21	1,94,96,985.70	
0.00			Account No. 25	0.00	
1,59,21,71,11,876.02			TOTAL	1,83,89,87,93,989.42	

**INSURANCE SCHEME - 1976
FOR THE YEAR 2015-2016
Account)**

Previous year		S. No.	Payment	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
1,77,85,01,845.59		1.	Assurance Benefits	2,53,34,27,270.76	
	0.00	2.	Amount refunded to employers on grant of exemption		0.00
10,17,00,096.57		3.	Amount paid as accrued interest on purchase of securities	16,94,96,192.45	
1,41,72,532.13		4.	<u>Other payments in :</u>		
8,164.10			Account No. 21	29,87,822.14	
1,57,32,27,29,237.63			Account No. 25	8,193.91	
		5.	Closing Balance as on 31-03-2016	1,81,19,28,74,510.16	
1,59,21,71,11,876.02		TOTAL		1,83,89,87,93,989.42	

Sd/-
(MEENAKSHI GUPTA)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT
(Administration)**

Previous year		S. No.	Receipts	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
19,53,04,69,593.19		1.	Opening Balance as on 01-04-2015	21,38,08,30,275.16	
		2.	Administrative Charges received from the employers during the year	1,06,93,95,202.53	
30,03,41,245.22					
86,47,570.27		3.	Inspection Charges received	1,77,92,684.85	
		4.	Penal Damages	85,86,612.54	
90,86,525.25					
		5.	Amount received from Govt. towards cost of Administration of the fund for the year 2014-15		0.00
	0.00				
		6.	a) Interest received in investment from Administration A/c.	1,58,23,82,799.00	
1,71,07,87,356.10					
			b) Interest on S.B. A/c.	2,34,062.05	
3,23,349.01					
			c) Interest on Advances		0.00
	0.00				
		7.	<u>Other receipts :</u>		
			Account No. 22		41.93
24,721.00					
			Account No. 24		0.00
	0.00				
21,55,96,80,360.04			TOTAL	24,05,92,21,678.06	

**INSURANCE SCHEME - 1976
FOR THE YEAR 2015-2016
Account)**

Previous year		S. No.	Payments	Amount	
Rs.	P.			Rs.	P.
		1.	<u>Payment on Administration :</u>		
		(a)	<u>Revenue Expenditure :</u>		
				Rs.	P.
8,27,52,526.26		1.	Salaries	8,71,78,056.31	
1,92,58,163.16		2.	Allowance & Honoraria	1,99,20,462.40	
19,76,559.94		3.	T.A. & L.T.C.	16,02,230.28	
2,65,41,389.91		4.	(a) Pension/Gratuity (Staff)	2,96,27,721.33	
0.00		4.	(b) Amount transferred to Pension- cum-Gratuity Fund	2,06,81,401.63	
19,029.42		5.	Staff Provident Fund DLI Benefits	21,408.86	
4,40,09,298.44		6.	Other charges (Recurring and non-recurring)	4,76,22,122.92	
5,62,769.17		7.	Grants	55,694.72	
14,82,829.61		8.	Maintenance and repairs of office buildings etc.	15,13,189.79	
17,66,02,565.91			TOTAL	20,82,22,288.24	20,82,22,288.24
		(b)	<u>Capital Expenditure :</u>		
			Construction of office building/ staff quarters etc.		7,02,961.00
21,53,206.57					
		2.	<u>Other payments :</u>		
94,312.40			Account No. 22		1,14,926.00
0.00			Account No. 24		3,693.21
21,38,08,30,275.16		3.	Closing Balance as on 31-03-2016		23,85,01,77,809.61
21,55,96,80,360.04			TOTAL		24,05,92,21,678.06

Sd/-
(MEENAKSHI GUPTA)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

**EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED
BALANCE SHEET AS AT**

Balance as at 31st March Previous year		S. No.	Liabilities	Sch. No.	Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.
1,57,32,27,29,237.63		1.	Employees' Deposit Linked Insurance Fund A/c.		1,81,19,28,74,510.16	
21,38,08,30,275.16		2.	Employees' Deposit Linked Insurance Fund Adm. A/c.		23,85,01,77,809.61	
19,78,21,947.49		3.	Sundry Credits	I	19,77,70,108.04	
1,78,90,13,81,460.28			TOTAL		2,05,24,08,22,427.81	

INSURANCE SCHEME - 1976
31ST MARCH, 2016

Balance as at 31st March Previous year		S. No.	Assets	Sch. No.	Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.
		1.	<u>Investment Account :</u>			
		a)	<u>Employees' Deposit Linked Insurance Fund Account :</u>			
81,99,73,09,875.47		(i)	Investment in securities	II	99,65,08,70,653.10	
75,11,39,14,794.14		(ii)	Deposit in Public Account	III	81,49,86,14,794.14	
		b)	<u>Employees' Deposit Linked Insurance Adm. Fund Account :</u>			
21,42,70,38,309.19		(i)	Amount invested in Term Deposits	IV	23,75,15,71,108.19	
-6,77,55,772.48		(ii)	Amount due from EPF Adm. A/c.	V	7,54,18,978.28	
17,09,26,569.70		2.	Cash Balance	VI	95,70,689.36	
11,61,26,724.87		3.	Remittance in transit	VII	11,34,60,824.18	
14,38,20,959.39		4.	Sundry Debits	VIII	14,13,15,380.56	
1,78,90,13,81,460.28			TOTAL		2,05,24,08,22,427.81	

Previous Year

Rs. 5,421.26 Lakh

Rs. 274.56 Lakh

Rs. 5,841.70 Lakh

Foot Note

1. EDLI contribution due from employers as on 31.03.2016
2. EDLI Adm. and Inspection Charges due from employers as on 31-03-2016
3. Penal damages due on EDLI Contb., Adm. & Inspection Charges as on 31-03-2016
4. The investment in securities are shown in Balance Sheet at cost price after amortisation.
5. The accounts have been compiled on actual basis.

Current Year

Rs. 8,745.33 Lakh

Rs. 384.98 Lakh

Rs. 6,846.11 Lakh

Sd/-

(MEENAKSHI GUPTA)

FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-

(V.P. JOY)

CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. I

Sundry Credits :

3,57,06,833.63	1.	Excess credit in A/c No. 21	3,81,50,852.83
9,66,58,322.21	2.	Excess credit in A/c No. 25	9,60,91,369.21
13,44,061.55	3.	Excess credit in R.B.I. A/c	13,44,061.55
1,36,37,909.02	4.	Excess credit in A/c No. 22	1,38,07,951.06
5,04,74,821.08	5.	Excess credit in A/c No. 24	4,83,75,873.39
0.00	6.	Excess credits in EDLI Investment A/c	0.00
19,78,21,947.49		Balance as on 31st March	19,77,70,108.04

SCHEDULE No. II

A. Investment in Securities :

67,76,40,88,502.88	Balance as per last Balance Sheet	81,99,73,09,875.47
Add :		
17,47,16,35,372.59	Amount invested centrally (Cost Price)	23,67,34,40,742.63
85,23,57,23,875.47	Total	1,05,67,07,50,618.10
Less :		
3,23,84,14,000.00	Securities redeemed during the year	6,01,98,79,965.00
81,99,73,09,875.47	Balance	99,65,08,70,653.10

B. Securities transferred by Regions :

0.00	Balance as per last Balance Sheet (Accepted Value)	0.00
Add :		
0.00	1. Securities received (Accepted Value)	0.00
0.00	2. Other adjustments	0.00
0.00	Total	0.00
Less :		
0.00	Securities returned to Establishments (Accepted Value)	0.00
0.00	Balance B	0.00
81,99,73,09,875.47	Balance as on 31st March (A+B)	99,65,08,70,653.10

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. III

Amount deposited in Public A/c :

69,22,94,14,794.14		Balance as per last Balance Sheet	75,11,39,14,794.14
0.00	1.	Deposits made during the year	0.00
0.00	2.	Govt. share of contribution	0.00
0.00	3.	Govt. share arrears	0.00
5,88,45,00,000.00	4.	Interest on balance in Public Account	6,38,47,00,000.00
<u>75,11,39,14,794.14</u>		Balance as on 31st March	<u>81,49,86,14,794.14</u>

SCHEDULE No. IV

Amount Invested :

19,66,42,50,953.09		Balance as per last Balance Sheet	21,42,70,38,309.19
	Add :		
5,20,00,000.00	1.	Amount deposited during the year	74,21,50,000.00
1,71,07,87,356.10	2.	Interest on SDA during the year	1,58,23,82,799.00
<u>21,42,70,38,309.19</u>		Total	<u>23,75,15,71,108.19</u>
	Less :		
0.00		Amount redeemed during the year	0.00
<u>21,42,70,38,309.19</u>		Balance as on 31st March	<u>23,75,15,71,108.19</u>

2014-2015
Rs. P.

2015-2016
Rs. P.

SCHEDULE No. V

Amount due from E.P.F. Administration A/c :

A. Transaction in A/c No.24 :

-15,81,79,718.87	Balance as per last Balance Sheet	-6,77,55,772.48
Add :		
26,91,79,718.87	During the year	35,21,00,000.00
Less :		
0.00	Amount received back	0.00
11,10,00,000.00	Balance as on 31st March	28,43,44,227.52

B. Transaction in regard to A/c No.22 :

-17,87,55,772.48	Amount transferred to E.P.F. Account No.2 (Administration Expenses Share)	-20,89,25,249.24
-6,77,55,772.48	Balance as on 31st March (A+B)	7,54,18,978.28

SCHEDULE No. VI

Cash Book Balance :

-14,49,65,558.40	1. Account No. 21	-10,72,41,124.12
1,53,83,956.58	2. Account No. 25	1,24,16,707.43
-12,23,933.76	3. Account No. 22	-10,92,350.15
27,74,472.41	4. Account No. 24	30,48,488.00
29,89,57,632.87	5. Balance with SBI	10,24,38,968.20
17,09,26,569.70	Balance as on 31st March	95,70,689.36

SCHEDULE No. VII

Remittance in Transit :

9,95,95,527.65	1. From A/c No. 21 to 25	9,74,96,579.96
5,32,224.15	2. From Bank to A/c No. 25	5,32,224.15
1,59,98,973.07	3. From A/c No. 22 to 24	1,54,32,020.07
11,61,26,724.87	Balance as on 31st March	11,34,60,824.18

SCHEDULE No. VIII

Sundry Debits :

7,54,90,668.91	1. Account No. 21	7,31,12,708.24
1,65,96,388.50	2. Account No. 25	1,65,96,337.50
1,03,60,966.48	3. Account No. 22	1,02,33,399.32
1,18,32,348.32	4. Account No. 24	1,18,32,348.32
	5. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c.22 to 24 & vice-versa	1,66,08,121.04
1,66,08,121.04		
	6. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c.21 to 25 & vice-versa	1,29,32,466.14
1,29,32,466.14		
14,38,20,959.39	Balance as on 31st March	14,13,15,380.56

DISCLOSURE STATEMENT

I. ADOPTION OF COMMON FORMAT OF ACCOUNTS:

The Ministry of Finance in 2001 had prescribed a Common Format of Accounts to be mandatorily followed by all Central Autonomous Bodies for preparation of its accounts. This Format of Accounts was intended to bring about transparency and uniformity in the accounts of Central Autonomous Bodies. However, EPFO has not yet switched over to Common Format of Accounts. Moreover, the accounts are to be prepared on accrual basis whereas the accounts are currently being prepared on cash basis due to which a large number of transactions of EPFO have remained out of the ambit of accounts e.g. non-depiction of fixed assets (except land & building). The non-adoption of Common Format of Accounts have repeatedly been highlighted in the CAG of India's report on Consolidated Annual Accounts.

A draft Format of Accounts has now been prepared on the basis of the Common Format of Accounts prescribed by Ministry of Finance, Government of India. A few changes have been carried out in accordance with the activities being carried out by the EPFO. Similarly, draft accounting policies to be followed by EPFO to switch over to accrual system of accounting from the current cash based accounting system has also been prepared. The format and the policies have since been approved by Finance, Investment and Audit Committee (FIAC) and the Central Board of Trustees. The format of accounts shall, thereafter, be notified by the Ministry of Labour & Employment in consultation with the CAG of India.

II. INTEREST ACCOUNT:

EPFO has developed new software to credit interest annually of its subscribers. The Annual Accounts for the year 2014-15 was updated on 1st of April, 2015. As on 31st March, 2016 only 2,46,228 accounts were pending to be updated on account of technical glitches in the system.

III. SUNDRY CREDITS:

National Pension System was implemented from the financial year 2013-14 in the EPFO. The amount towards NPS deducted from the pay in respect of officials appointed on or after 01.01.2004 was 32.52 crore as on 31st March, 2013 which was reduced to Rs. 15.29 crore as on 31st March 2014, Rs.3.13 crore as on 31st March, 2015 and further reduced to Rs.2.62 crore as on 31st March, 2016. This amount is likely to be liquidated in the current financial year.

IV. ANNUAL VALUATION:

As per paragraph 32 of Employees' Pension Scheme, 1995, the annual valuation of Employees' Pension Fund has been done by a Valuer as on 31st March, 2015. The report has been sent for consideration of the Central Government.

V. REFUND OF TDS:

A sum of TDS of Rs. 8.37 crore had been erroneously deducted and deposited in the Income Tax Department during 1997-1998 to 2005-2006. The issue has been taken up with the Chairman, Central Board of Direct Taxes.

VI. LAND & BUILDING:

On adoption of Common Format of Accounts, the expenditure incurred on Land & Building will also be treated in accordance with the relevant Accounting Standard.

VII. NO. OF INOPERATIVE ACCOUNTS:

As on 31st March, 2016, a sum of Rs. 40,865.14 crores have been classified as "Inoperative Accounts". The number of such accounts is 9,29,89,648

VIII. REALISABILITY OF ENTIRE INVESTED AMOUNT :

EPFO has yet to realise the entire principal amount of investment and interest thereon in respect of the following establishments shown in the Table. The action taken by EPFO is also been reflected in the table below:

S. No.	Name of establishment	Default Period	Principal & Interest (Rs in Lakhs)	Action taken by EPFO
1.	Uttar Pradesh Financial Corporation	Since 2004	4155.75	UPFC has failed to comply with the order of Hon'ble High Court of U.P. (Lucknow Bench) for payment of the defaulted amount. A contempt petition is being filed in the High Court.
2.	M/s. The Pradeshia Investment Corporation UP Ltd (UP PICUP)	Since 2003	307.72	To recover the interest, a Writ Petition has been filed before Hon'ble High Court of Uttar Pradesh at Allahabad.
3.	M/s Richard & Cruddas (RCL)	Since 2002	338.79	A writ petition is being filed in the High Court to recover the interest.
4.	M/s Bangalare Mahanagar Pallika	Since 2004	130.64	SBI has been asked to pay the interest due to delayed receipt of the maturity amount from the issuer.
5.	M/s. PSIDC	Since 2004	6.69	A claim has been filed to recover the defaulted amount from PSIDC
6.	HMT Machine Tools Ltd BIFR case	Since 1996	185.83	HMT has filed an application before BIFR for stay on recovery proceedings filed in City Civil Court, Bangalore.
Total			5125.42	

IX. DIFFERENCE BETWEEN THE FIGURES OF INVESTMENT:

The difference in the holding as shown in the Balance Sheet and in the holding held in the investment section is due to the fact that while the holdings are reflected at the cost price after amortisation in the Balance Sheet, they are kept at the face value in the Investment Section. The differential between the cost price after amortisation and the face value would, therefore, depend upon the extent of premium paid/discount availed and to the extent the same has already been amortized. As securities are regularly purchased, the calculation of amortization is a dynamic and ongoing process and is handled through dedicated software for computing the same.

X. STAFF PENSION-CUM-GRATUITY FUND:

As per provision contained in Section 5-D of the EPF & MP Act, 1952 read with Employees Provident Funds (Staff & Conditions of service) Regulations, 1962, the officers and employees of Central Board of Trustees, EPF are eligible for pension-cum-gratuity benefits as applicable to the employees of the Central Government drawing corresponding scales of pay. CCS(Pension) Rules, 1972 are applicable mutatis mutandis to the employees of EPFO.

Staff Pension-cum-Gratuity Fund was created w.e.f. 1st April, 1965 to enable the CBT, EPF to adequately discharge its pension and gratuity payments liabilities towards its employees. The fund is fed from the surplus of administrative charges levied on establishments. The CBT, EPF in its 174th meeting held on 23.02.2006 had approved the proposal to increase the contribution to 21% of total emoluments from 12.4% of total emoluments being transferred prior to 23.02.2006 by way of monthly transfer. The CBT, EPF in the said meeting had, iter alia, recommended that Pension-cum-Gratuity Fund may be valued by the actuary on bi-annual basis.

The actuary has submitted its report in November 2015 and the total Projected Benefit Obligation (PBO) is tabulated below:

(Rs. In crores)		
(i)	Pension	9809.39
(ii)	Gratuity	750.27
(iii)	Total liabilities (i) + (ii)	10559.66
(iv)	Available balance as on 31.03.2015	2269.68
(v)	Deficit (iii) – (iv)	8289.98

The report of the actuary was accepted by the CBT, EPF and, thereafter, the surplus amount of administrative charges is being transferred in the Staff Pension-cum Gratuity Fund to meet out the requirement of the Fund. An amount of Rs.204.75 crore has been transferred in the Staff Pension-cum Gratuity Fund.

XI. IRREGULAR PAYMENTS, OVERPAYMENTS AND MINUS BALANCES:

As on 31.03.2016, a sum of Rs. 5.98 crore and Rs. 5.19 crore were the closing balance under the heads "Irregular Payment" and "Overpayments" respectively. During 2015-16 an amount of Rs.0.05 crore has been recovered in respect of Irregular Payments and Rs.1.39 crore has been recovered in cases of Overpayments. After detection of over payments or irregular payments, the loss is made good by officials responsible for the same. These payments are properly accounted for and monitored by a duly constituted Over Payment Review Committee headed by Regional P.F. Commissioners. The field offices have also filed civil suits/criminal proceedings against the employees of the organisation as well as outsiders involved in such cases. Moreover, the Internal Audit Parties have been suitably directed to take up the issue relating to overpayments & irregular payments during the audit of the field offices."

As on February 2014, 11,13,903 subscribers accounts were indicating minus balances of Rs. 1,013.29 crore which after recovery reduced to 3,65,814 accounts and Rs. 330.87 crore as on June 2014 pertaining to the field offices. As on 31.03.2016, the minus balance further reduced to Rs.193.46 crore in 2,39,739 accounts.

The work of reconciliation of negative balances has been taken up by EPFO. A comprehensive effort for investigating the reasons for minus balances was initiated on an all India level. It was found that negative balance more often than not were because of accounting errors/software errors. However, in a few cases negative balance is due to overpayment. Overpayment Committee has been entrusted with the work of identifying the reasons for such minus balances. In case of any of the minus balances due to negligence on the part of any of the officials, the committee recommends recovery of the actual amount from the concerned official.

Sd/-
(Meenakshi Gupta)
Financial Advisor &
Chief Accounts Officer

Sd/-
(V.P. Joy)
Central P.F. Commissioner

**Consolidated Annual Accounts
(Common Format)
for the year 2015-2016**

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016

		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year	Previous Year
CAPITAL FUND AND LIABILITIES			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND -MEMBERS A/C			
Members Operative A/c	1	36,02,75,59,19,659.11	30,82,66,43,88,832.18
Members Inoperative A/c	2	4,08,65,13,81,748.73	3,55,31,39,44,807.18
RESERVES AND SURPLUS			
Special Reserve Fund	3	2,92,06,22,776.30	2,68,43,96,578.40
Interest A/c - EPF Contribution Fund	4	2,09,42,62,87,218.58	3,37,70,09,15,781.07
Investment Fluctuation Account		2,70,07,98,358.13	2,70,07,98,358.13
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	5	3,57,43,96,82,024.45	9,59,70,55,260.27
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		45,83,89,46,91,785.30	37,90,66,14,99,617.23
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND	6	28,94,64,23,01,542.46	23,91,77,43,31,756.78
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	7	8,19,41,24,103.07	7,55,84,11,547.08
SUB -TOTAL - PENSION FUND		29,02,83,64,25,645.53	23,99,33,27,43,303.86
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND	8	1,83,82,22,47,814.35	1,57,32,27,29,237.63
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS			
Sundry Credits	9	27,21,36,928.70	30,79,84,296.78
SUB -TOTAL - EDLI CONTRIBUTION FUND		1,84,09,43,84,743.05	1,57,63,07,13,534.41
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF - ADMINISTRATION FUND	10	1,89,39,35,35,485.33	1,61,35,24,25,199.64
RESERVES AND SURPLUS			
Staff Provident Fund- Interest A/c	11	1,47,83,55,239.14	94,44,50,172.62
EARMARKED/ ENDOWMENT FUNDS			
Building Construction Fund	12	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Staff Provident Fund A/c	13	9,58,03,52,720.80	8,85,35,27,535.80
Staff Pension-cum-Gratuity A/c	14	27,44,51,67,053.81	22,69,67,74,430.83
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	15	1,24,50,96,766.52	63,69,82,445.87
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		2,38,01,50,49,162.64	2,03,35,67,01,681.70
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND	16	23,84,85,15,191.52	21,38,08,30,275.16
CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS	17	6,32,76,174.60	13,30,92,436.34
SUB -TOTAL - EDLI ADMINISTRATION FUND		23,91,17,91,366.12	21,51,39,22,711.50
GRAND TOTAL		79,32,75,23,42,702.64	65,72,49,55,80,848.70

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31-03-2016			
		Amount-Rs.	
ASSETS	Schedule	Current Year	Previous Year
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	18	44,81,43,79,37,671.00	37,87,29,92,76,240.33
CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.	19	1,02,45,67,54,114.30	3,36,22,23,376.90
SUB -TOTAL - EPF CONTRIBUTION FUND		45,83,89,46,91,785.30	37,90,66,14,99,617.23
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	20	28,03,61,40,31,708.42	23,97,33,29,24,891.33
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	21	99,22,23,93,937.11	1,99,98,18,412.53
SUB -TOTAL - PENSION FUND		29,02,83,64,25,645.53	23,99,33,27,43,303.86
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND - INVESTMENTS	22	1,81,14,94,85,447.24	1,57,11,12,24,669.61
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	23	2,94,48,99,295.81	51,94,88,864.80
SUB -TOTAL -EDLI CONTRIBUTION FUND		1,84,09,43,84,743.05	1,57,63,07,13,534.41
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
FIXED ASSETS	24	4,28,98,06,421.01	4,48,53,40,582.21
CAPITAL WORK IN PROGRESS - ADVANCES PAID FOR LAND & BUILDING		7,53,56,16,888.53	5,63,44,12,615.50
EPF ADMINISTRATION FUND - INVESTMENTS	25	1,84,69,81,41,428.98	1,56,36,97,50,648.72
STAFF PROVIDENT FUND - INVESTMENTS	26	12,75,25,70,282.52	11,44,90,63,887.17
PENSION CUM GRATUITY FUND - INVESTMENTS	27	28,74,15,42,312.02	22,64,40,94,413.57
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	28	1,99,73,72,031.58	2,77,40,39,534.53
SUB -TOTAL - EPF ADMINISTRATION FUND		2,38,01,50,49,162.64	2,03,35,67,01,681.70
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND - INVESTMENTS	29	23,75,15,71,108.19	21,42,70,38,309.19
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES ETC.	30	16,02,20,257.93	8,68,84,402.31
SUB -TOTAL -EDLI ADMINISTRATION FUND		23,91,17,91,366.12	21,51,39,22,711.50
GRAND TOTAL		79,32,75,23,42,702.64	65,72,49,55,80,848.70

Sd/-
(MEENAKSHI GUPTA)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

SCHEDULES		
Liabilities		
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>		
	Current Year	Previous Year
SCHEDULE No. 1		
EPF CONTRIBUTION FUND - MEMBERS OPERATIVE A/C		
Opening Balance	30,82,66,43,88,832.18	26,76,46,23,95,215.51
Add :		
1. Contribution (including refund of withdrawal / loans and transferred securities) received	7,00,72,14,47,437.71	6,00,81,01,33,481.55
2. Contributions received by way of transferred securities (H.Q. Office contra.)	1,64,02,22,278.74	1,21,13,22,672.96
3. Interest credited to members Account	2,32,97,46,70,468.25	2,46,76,94,38,312.93
4. Transferred from Inoperative A/c during the year	0.00	0.00
5. Other Receipts	63,76,43,20,762.64	48,64,21,09,403.80
Total	40,81,76,50,49,779.52	35,73,89,53,99,086.75
Less :		
1. Payment made during the year to outgoing members on final settlement	2,36,92,22,54,452.85	2,36,04,88,49,105.33
2. Premia paid on members life insurance policy	16,69,75,111.00	21,82,66,800.00
3. Withdrawals / Loan paid during the year to the members	63,22,29,35,560.00	51,18,78,71,904.00
4. Transferred to Inoperative A/c during the year	1,11,60,63,49,709.55	1,45,73,86,43,794.24
5. Miscellaneous payment amount of securities transferred back to exempted establishments	67,09,06,15,287.01	58,03,73,78,651.00
Total	4,79,00,91,30,120.41	4,91,23,10,10,254.57
Balance as on 31st March	36,02,75,59,19,659.11	30,82,66,43,88,832.18
SCHEDULE No. -2		
EPF CONTRIBUTION FUND - MEMBERS INOPERATIVE A/C		
Opening Balance	3,55,31,39,44,807.18	2,74,48,54,03,529.94
Add :		
1. Amount transferred from Operative A/c during the year	1,11,60,63,49,709.55	1,45,73,86,43,794.24
2. Interest credited to members Account	0.00	0.00
Total	4,66,92,02,94,516.73	4,20,22,40,47,324.18
Less :		
1. Amount transferred to Operative Members A/c during the year	0.00	0.00
2. Payment made during the year to members on settlement	58,26,89,12,768.00	64,91,01,02,517.00
Total	58,26,89,12,768.00	64,91,01,02,517.00
Balance as on 31st March	4,08,65,13,81,748.73	3,55,31,39,44,807.18
SCHEDULE No. -3		
Special Reserve Fund :		
Balance as per last Balance Sheet	2,68,43,96,578.40	2,46,84,12,598.07
Add :		
1. Amount recovered from Employers	0.00	0.00
2. Interest on S.R.F. Account	23,62,26,898.90	21,59,86,102.33
Total	2,92,06,23,477.30	2,68,43,98,700.40
Less :		
1. Amount paid from Special Reserve Fund	701.00	2,122.00
2. Amount transferred to Death Relief Fund	0.00	0.00
Total	701.00	2,122.00
Balance as on 31st March	2,92,06,22,776.30	2,68,43,96,578.40
SCHEDULE No. 4		
Interest A/c - EPF Contribution Fund		
Opening Balance	3,37,70,09,15,781.07	2,79,40,60,43,304.21
Add :		
1. Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPF Contribution Fund	-1,28,27,46,28,562.49	58,29,48,72,476.86
Balance as on 31st March	2,09,42,62,87,218.58	3,37,70,09,15,781.07

SCHEDULE No. 5 (Current Liabilities and Provision)			
I - CURRENT LIABILITIES			
1	TDS Payable-deducted on claim settlements	13,90,15,212.00	-
2	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	58,02,65,204.03	71,60,71,085.30
b	Irregular payments	5,97,82,573.22	5,93,74,974.22
c	Over Payments	5,18,58,289.17	4,23,49,598.49
	B. Central :		
a	Amount credited to Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional) but not debited to A/c No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	12,13,13,339.00	12,13,13,339.00
b	Excess credits to Account No. 5 (EPF Contribution A/c - Central)	1,14,45,90,753.99	1,29,90,64,761.09
c	Excess credits in EPF investment A/c	0.00	0.00
3	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	9,97,19,24,319.62	6,87,28,05,588.45
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	3,66,52,32,333.42	48,60,75,913.72
4	Others	0.00	0.00
	Total	15,73,39,82,024.45	9,59,70,55,260.27
II - PROVISIONS			
a	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2015-16	3,41,70,57,00,000.00	0.00
b	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	0.00	0.00
	Total	3,41,70,57,00,000.00	0.00
	Balance as on 31st March	3,57,43,96,82,024.45	9,59,70,55,260.27
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
SCHEDULE No. 6			
EPS Contribution Fund			
	Opening Balance	23,91,77,43,31,756.78	20,83,72,05,57,596.23
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EPS Contribution Fund	5,02,86,79,69,785.68	3,08,05,37,74,160.55
	Balance as on 31st March	28,94,64,23,01,542.46	23,91,77,43,31,756.78
SCHEDULE No. 7 -CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
	Sundry Credits :		
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	33,90,28,322.86	32,04,35,070.69
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	61,61,30,678.84	61,61,30,678.84
3.	Excess credits in EPS Investment A/c	0.00	0.00
	Cash Book Balance		
4.	State Bank of India (Over Draft)		
	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	2,57,07,62,100.58	2,16,53,78,619.36
	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	4,66,82,03,000.79	4,45,64,67,178.19
5.	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March :	8,19,41,24,103.07	7,55,84,11,547.08
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
SCHEDULE No. 8			
EDLI Contribution Fund			
	Opening Balance	1,57,32,27,29,237.63	1,37,39,25,50,794.98
Add :	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Contribution Fund	26,49,95,18,576.72	19,93,01,78,442.65
	Balance as on 31st March	1,83,82,22,47,814.35	1,57,32,27,29,237.63
SCHEDULE No. 9- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
	Sundry Credits :		
1.	Excess credit in A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	3,81,50,852.83	3,57,06,833.63
2.	Excess credit in A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	9,60,91,369.21	9,66,58,322.21
3.	Excess credit in R.B.I. A/c	13,44,061.55	13,44,061.55
4	Excess credits in EDLI Investment A/c	0.00	0.00
5	Amount payable to EDLI Adm. A/c	2,93,09,520.99	2,93,09,520.99
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India (Over Draft)		
	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	10,72,41,124.12	14,49,65,558.40
	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
	Balance with SBI	0.00	0.00
7	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	27,21,36,928.70	30,79,84,296.78

<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</i>		
SCHEDULE No. 10		
EPF - ADMINISTRATION FUND		
Opening Balance	1,61,35,24,25,199.64	1,29,95,01,46,126.32
Add :		
1. Amount adjusted by the Regional Offices	94,32,295.63	1,18,29,729.57
2. Excess of Income over Expenditure during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	28,08,90,60,187.02	31,39,94,33,142.19
3. Others	0.00	0.00
Total	1,89,45,09,17,682.29	1,61,36,14,08,998.08
Less :		
1. Amount adjusted by the Regional Offices	5,73,82,196.96	89,83,798.44
2. Excess of Expenditure over Income during the year transferred from Income & Expenditure A/c of EPF Administration Fund	0.00	0.00
3. Others	0.00	0.00
Total	5,73,82,196.96	89,83,798.44
Balance as on 31st March	1,89,39,35,35,485.33	1,61,35,24,25,199.64
		0.00
SCHEDULE No. 11		
Staff Provident Fund Interest Account:		
Opening Balance	94,44,50,172.52	77,79,82,216.18
Add :		
1. Interest realised on investment of securities	1,01,12,29,891.46	92,10,83,088.86
2. Interest accrued but not due on Investments	32,38,48,986.05	0.00
3. Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4. Interest on S.B. Account	37,949.00	35,481.00
Total	2,27,95,66,999.03	1,69,91,00,786.04
Less :		
1. Interest credited to members account	79,20,61,485.00	74,46,80,967.00
2. Accrued Interest paid to vendors on purchase of investment	91,50,274.89	99,69,646.52
Total	80,12,11,759.89	75,46,50,613.52
Balance as on 31st March	1,47,83,55,239.14	94,44,50,172.52
SCHEDULE No. 12		
Building Construction Fund :		
Opening Balance	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
Add :		
1. Provision made during the year	0.00	0.00
2. Interest credited to the Fund	0.00	0.00
Balance as on 31st March	8,87,25,41,897.04	8,87,25,41,897.04
SCHEDULE No. 13		
A. Staff Provident Fund :		
Opening Balance	8,81,47,18,935.93	8,18,52,53,157.93
Add :		
1. Contribution (including refund of withdrawal)	2,62,48,71,432.00	2,60,46,36,956.00
2. Interest credited to member's account	79,20,61,485.00	74,46,80,967.00
3. Other receipts	0.00	0.00
Total	12,23,16,51,852.93	11,53,45,71,080.93
Less :		
1. Payment made during the year to outgoing members on final settlement	1,72,34,90,626.00	1,71,74,14,359.00
2. Premia paid on members life insurance policy	0.00	0.00
3. Loan paid during the year to members	36,15,44,303.00	38,62,27,717.00
4. Other Payments (Transfer to other Regions)	62,39,84,634.00	61,62,10,069.00
Total	2,70,90,19,563.00	2,71,98,52,145.00
Balance as on 31st March	9,52,26,32,289.93	8,81,47,18,935.93
B. S.P.F. A/c transferred from other Regions :		
Opening Balance	3,88,08,599.87	4,26,05,964.87
Add : Amount transferred out to the Regions	62,39,84,634.00	61,62,10,069.00
Total	66,27,93,233.87	65,88,16,033.87
Less : Amount received from other Regions	60,50,72,803.00	62,00,07,434.00
Balance as on 31st March	5,77,20,430.87	3,88,08,599.87
Total (A+B)	9,58,03,52,720.80	8,85,35,27,535.80

SCHEDULE No. 14			
Staff Pension-cum-Gratuity Fund			
	Opening Balance	22,69,67,74,430.83	20,84,78,64,971.53
Add :			
1.	Amount transferred from Account No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	2,06,81,40,163.11	22,735.00
2.	Interest realised on S.B. Account	0.00	0.00
3.	Interest realised on Securities during the year	2,01,33,54,918.09	1,86,25,73,386.75
4.	Interest accrued but not due on Investments	69,90,20,449.73	0.00
5.	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
6.	Amount paid by the Regions from A/c No.2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	2,93,31,44,411.60	2,62,75,97,601.39
	Total	30,41,04,34,373.36	25,33,80,58,694.67
Less :			
1.	Payment made by the Regions	2,93,31,44,411.60	2,62,75,97,601.39
2.	Accrued Interest paid to vendors on purchase of investments during the year	3,21,22,907.95	1,36,86,662.45
	Total	2,96,52,67,319.55	2,64,12,84,263.84
	Balance as on 31st March	27,44,51,67,053.81	22,69,67,74,430.83
SCHEDULE No. 15 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
I - CURRENT LIABILITIES			
1	New Pension Scheme Contribution Payable	2,62,16,607.50	3,13,08,123.50
2	Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable	2,62,16,607.50	0.00
3	Security Deposit Refundable	1,30,36,316.46	1,13,21,208.46
4	Group Insurance Scheme (New)	21,35,805.02	18,30,371.02
5	Sundry Credits :		
	A. Regional :		
a	Suspense Account (Admn. Fund)	58,93,43,134.24	49,03,23,096.45
	B. Central :		
a	Excess credits to Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	3,22,23,432.88	3,21,84,534.88
b	Excess credits to Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	8,29,780.00	8,29,780.00
c	Advance from Govt. towards Disabilities Scheme	0.00	0.00
d	Amount payable to EPF Contribution A/c	6,91,85,331.56	6,91,85,331.56
6	Cash Book Balance		
	State Bank of India : (Over Draft)		0.00
	EPF A/c No. 2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	18,82,69,892.77	0.00
	EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	18,91,80,650.96	0.00
	Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	0.00	0.00
	Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	0.00	0.00
	Head Office	3,17,87,254.44	0.00
	PDUNASS	29,15,593.00	0.00
	EPF Appellate Tribunal	0.00	0.00
7	Proportionate (1%) of Total Administration Cost Excess received from A/c No- 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	7,37,56,360.19	0.00
8	Others	0.00	0.00
	Total	1,24,50,96,766.52	63,69,82,445.87
II - PROVISIONS			
a	Provision for amount transferable to A/c 9 (Staff Pension Cum Gratuity Fund)	0.00	0.00
b	Provision for Rent, Rates & Taxes payable	0.00	0.00
c	Other Expenses Payable	0.00	0.00
	Total	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	1,24,50,96,766.52	63,69,82,445.87
EDLI Scheme, 1976 - Administration Fund			
SCHEDULE No. 16			
EDLI Administration Fund			
	Opening Balance	21,38,08,30,275.16	19,53,04,69,593.19
Add :			
1.	Excess of Income over Expenditure carried forward from Income & Expenditure A/c of EDLI Administration Fund	2,46,76,84,916.36	1,85,03,60,681.97
	Balance as on 31st March	23,84,85,15,191.52	21,38,08,30,275.16

SCHEDULE No. 17- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
a	Sundry Credits :		
1	Excess credit in A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c Regional)	1,38,07,951.06	1,36,37,909.02
2	Excess credit in A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges - Central)	4,83,75,873.39	5,04,74,821.08
b	Proportionate (1%) of Total Administration Cost transferrable to A/c No.-4 (EPF Administrative Charges A/c -Central)	0	6,77,55,772.48
c	Cash Book Balance : (Over Draft)		
	A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	1092350.15	1223933.76
	A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	0	0
d	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st March	6,32,76,174.60	13,30,92,436.34
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
SCHEDULE No. 18			
	Employees' Provident Fund -Investments	44,81,43,79,37,671.00	37,87,29,92,76,240.33
SCHEDULE No. 19 (Current Assets, Loans & Advances)			
I - CURRENT ASSETS			
1	Amount in Transit :		
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	20,06,61,170.43	21,33,43,378.41
2	Cash Book Balance		
	State Bank of India :		
	Account No. 1 (EPF Contribution A/c - Regional)	0.00	0.00
	Account No. 5 (EPF Contribution A/c -Central)	0.00	0.00
	Reserve Bank of India :		
	E.P.F. Investment Account	12,82,82,901.66	80,98,88,066.96
3	Interest on EPF Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	97,25,61,13,952.89	0.00
	Interest due but not received on Investments	38,86,92,392.56	0.00
	Interest accrued on FDRs	2,13,46,67,693.97	0.00
4	Sundry Debits :		
a	Suspense Account (Unclassified) :		
	Suspense Account (Unclassified) (EPF)	97,37,81,960.09	86,30,92,577.41
b	Irregular Payments	5,97,82,573.22	5,93,74,974.22
c	Over Payments	5,18,58,289.17	4,23,49,598.49
d	Erroneous Debit to Account Nos. 5, 8 & 9 :		
i	Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No.5 from A/c No.1 and vice-versa	40,80,96,451.70	40,80,96,451.70
ii	Extra debit made to Account No.5 by bank	6,01,47,137.55	6,01,52,001.55
iii	Amount debited to A/c No.5 but not credited to A/c No.1 & vice-versa	3,67,26,624.29	14,88,36,169.39
5	Amount receivable from EPF Admn. A/c	6,91,85,331.56	6,91,85,331.56
6	Others	0.00	0.00
	Total	1,01,76,79,96,479.09	2,67,43,18,549.69
II - LOAN & ADVANCES			
	Special Reserve Fund (Recoverable) :		
	Balance as per last Balance Sheet	68,79,04,827.21	68,51,45,596.21
Add :	Amount paid to Members during the year	8,88,847.00	27,60,536.00
Less :	Amount received from Employers	36,039.00	1,305.00
	Total	68,87,57,635.21	68,79,04,827.21
	Balance as on 31st March	1,02,45,67,54,114.30	3,36,22,23,376.90
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
SCHEDULE No. 20			
	Employees' Pension Fund -Investments	28,03,61,40,31,708.42	23,97,33,29,24,891.33

SCHEDULE No. 21 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES		
a	Cash Book Balance :	
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	0.00
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	0.00
3.	Balance with SBI Mumbai	7,89,59,894.04
		20,65,77,609.97
b	Sundry Debits :	
1.	Account No. 10 (EPS Contribution A/c - Regional)	1,19,65,96,392.01
2.	Account No. 11 (EPS Contribution A/c -Central)	6,95,28,578.98
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c.10 to 11 & vice-versa	20,17,63,057.60
4.	Amount debited to A/c No.11 but not credited to A/c No.10 & vice-versa	6,27,45,924.88
		21,52,00,427.68
c	Remittance in Transit	21,52,00,427.68
d	Interest on EPS Fund Investment receivable	
	Interest accrued but not due on Investments	47,94,87,54,469.26
	Interest due but not received on Investments	0.00
	Interest accrued on FDRs	2,92,95,45,192.66
	Interest receivable on Public Account	0.00
e	Pension contribution receivable from Central Govt.	46,51,93,00,000.00
f	Others	0.00
	Balance as on 31st March	99,22,23,93,937.11
		1,99,98,18,412.53
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>		
SCHEDULE No. 22		
EDLI CONTRIBUTION FUND -INVESTMENTS		
	1,81,14,94,85,447.24	1,57,11,12,24,669.61
SCHEDULE No. 23 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES		
a	Cash Book Balance :	
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	0.00
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	1,24,16,707.43
3.	Balance with SBI	10,24,38,968.20
		29,89,57,632.87
b	Remittance in Transit :	
1.	From A/c No. 21 to 25	9,74,96,579.96
2.	From Bank to A/c No. 25	5,32,224.15
c	Sundry Debits :	
1.	A/c No. 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)	7,31,12,708.24
2.	A/c No. 25 (EDLI Contribution A/c -Central)	1,65,96,337.50
3.	Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c.21 to 25 & vice-versa	1,29,32,466.14
d	Interest on EDLI Fund Investment receivable	
	Interest accrued but not due on Investments	2,60,82,50,540.88
	Interest due but not received on Investments	0.00
	Interest accrued on FDRs	2,11,22,763.31
	Interest receivable on Public Account	0.00
f	Others	0.00
	Balance as on 31st March	2,94,48,99,295.81
		51,94,88,864.80
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952 - Administration Fund</i>		
SCHEDULE No. 24		
FIXED ASSETS		
	4,28,98,06,421.01	4,48,53,40,582.21
SCHEDULE No. 25		
EPF ADMINISTRATION FUND -INVESTMENTS		
	Special Deposit Account	1,82,59,81,41,426.98
	FDRs	2,10,00,00,000.00
	Balance as on 31st March	1,84,69,81,41,426.98
		1,56,36,97,50,648.72
SCHEDULE No. 26		
EPF STAFF PROVIDENT FUND -INVESTMENTS		
	12,75,25,70,282.52	11,44,90,63,887.17
SCHEDULE No. 27		
EPF STAFF PENSION CUM GRATUITY FUND -INVESTMENTS		
	26,74,15,42,312.02	22,64,40,94,413.57

SCHEDULE No. 28 -CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES			
1	Inventories	0.00	0.00
2	Amount in Transit :		
a	EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	5,18,03,114.18	5,18,03,111.28
b	Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	1,29,24,625.25	1,22,68,499.25
	Total	6,47,27,739.43	6,40,71,610.53
3	Cash Book Balance		
(A)	State Bank of India :		
a	EPF A/c No. 2 (EPF Administrative Charges A/c - Regional)	0.00	1,56,42,08,382.36
b	EPF A/c No. 4 (EPF Administrative Charges A/c - Central)	0.00	34,04,68,699.93
c	Account No. 8 (Staff Provident Fund A/c)	59,60,267.29	33,23,161.00
d	Account No. 9 (Staff Pension Cum Gratuity A/c)	6,150.77	1.00
e	Head Office	0.00	4,13,01,350.93
f	PDUNASS	0.00	98,61,767.62
g	EPF Appellate Tribunal	31,73,34,187.37	25,33,00,558.37
	Total	32,33,00,605.43	2,21,24,63,921.21
(B)	Reserve Bank of India :		
a	S.P.F. Investment Account	25,09,417.40	3,86,14,717.47
b	Pension-cum-Gratuity Investment A/c	48,95,035.78	5,29,76,910.75
	Total	74,04,453.18	9,15,91,628.22
(C)	Imprest Account	51,369.79	48,469.79
4	Sundry Debits :		
	Suspense Account (Unclassified) :		
a.	Suspense Account (Admn. Fund)	24,11,32,494.56	18,59,03,427.54
5	Erroneous Debit to Account Nos. 8 & 9 :		
a	Excess accounted for by R.Os as transfer to A/c No.8 from A/c No.2 and vice-versa	2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
b	Erroneous debit made to A/c No.8 (Staff Provident Fund A/c)	1,78,339.00	1,78,339.00
c	Erroneous debit made to A/c No.9 (Staff Pension cum Gratuity)	0.00	0.00
	Total	2,06,17,133.97	2,06,17,133.97
6	Recoverable Advances (Staff)		
a	Conveyance advance	2,07,10,213.34	2,49,25,209.50
b	House Building advance	3,90,49,687.59	5,51,60,318.26
c	Fan advance	91,503.10	2,76,003.10
d	Warm Clothing advance	39,034.75	5,284.75
e	Festival advance	2,52,70,735.30	2,30,68,753.30
f	Natural Calamity advance	17,60,046.00	12,78,434.00
g	Advance of Pay	39,14,542.00	36,26,930.00
h	Advance of DA/TA	1,78,41,901.34	1,55,47,127.34
i	Food grain advance	1,216.75	1,216.75
j	Advance to Staff Co-operative Canteen/Stores	16,54,864.00	2,84,765.00
k	Computer Advance	3,62,54,323.85	4,49,72,633.85
l	Unorganised Workers Social Security Scheme	0.00	0.00
m	Miscellaneous Payments	42,03,811.22	11,12,632.22
	TOTAL	15,07,91,879.24	17,02,59,308.07
7	Prepaid Expenditure	0.00	0.00
8	Interest on EPF Administration Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Special Deposit A/c	0.00	0.00
	Interest due but not received on Special Deposit A/c	0.00	0.00
	Interest accrued on FDRs	13,65,65,028.00	
9	Interest on Staff Provident Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	32,38,48,986.05	0.00
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
10	Interest on Pension cum Gratuity Fund Investment receivable		
	Interest accrued but not due on Investments	69,90,20,449.73	0.00
	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
11	Proportionate (1%) of Total Administration Cost receivable from A/c No- 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)	0.00	0.00
12	Security Deposits (Advance to parties)	2,99,11,892.20	2,90,84,035.20
13	Others	0.00	0.00
	Balance as on 31st-March	1,99,73,72,031.58	2,77,40,39,534.53

<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 - Administration Func</i>		
SCHEDULE No. 29		
EDLI ADMINISTRATION FUND - INVESTMENTS		
Special Deposit Accounts	23,75,15,71,108.19	21,42,70,38,309.19
SCHEDULE No. 30 - CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES		
A Cash Book Balance :		
1. A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)	0.00	0.00
2. A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	30,48,488.00	27,74,472.41
B Remittance in Transit :		
1. From A/c No. 22 to 24		
C Sundry Debits :	1,54,32,020.07	1,59,98,973.07
1. A/c No. 22 (EDLI Administrative Charges A/c - Regional)		
2. A/c No. 24 (EDLI Administrative Charges A/c - Central)	1,02,33,399.32	1,03,60,966.48
3. Excess accounted for by R.Os as transfer from A/c 22 to 24 & vice-versa	1,18,32,348.32	1,18,32,348.32
	1,66,08,121.04	1,66,08,121.04
D Interest on EDLI Administration Fund Investment receivable		
Interest accrued but not due on Investments		
Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
E Amount receivable from EDLI Contribution A/c	0.00	0.00
Excess Transfer of Proportionate (1% share) of Total Administration Cost A/c No.-4 (EPF Administrative Charges A/c -Central)	2,93,09,520.99	2,93,09,520.99
F Others	7,37,56,360.19	0.00
G		
Balance as on 31st March	0.00	0.00
	16,02,20,257.93	8,68,84,402.31

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION			
CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2016			
		Amount-Rs.	
	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF- Contributions Fund			
Interest Income during the year	31	4,48,17,74,82,896.38	3,03,80,56,97,789.46
Other Income during the year	32	5,57,99,20,173.84	5,46,25,80,777.15
TOTAL INCOME- EPF CONTRIBUTION FUND (A)		4,53,75,73,83,070.02	3,09,26,82,78,566.61
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
EPS CONTRIBUTION FUND			
Income from Pension Contribution	33	3,69,59,00,51,118.48	2,42,51,50,26,881.26
Interest Income during the year	34	2,69,90,68,22,104.15	1,90,97,29,76,133.83
Other Income	35	3,00,34,49,306.01	2,97,37,69,725.98
TOTAL INCOME - PENSION FUND (B)		6,42,50,01,22,528.64	4,36,46,17,72,740.87
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI CONTRIBUTION FUND			
Income from Contribution from employers		12,31,91,97,467.22	9,36,11,57,287.49
Interest Income during the year	36	16,72,82,87,533.46	12,31,15,42,921.99
Other Income	37	15,99,73,055.30	15,18,60,871.58
TOTAL INCOME -EDLI CONTRIBUTION FUND (C)		29,20,54,38,055.98	21,82,45,61,081.04
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
EPF - Administration Fund			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	38	36,49,21,03,820.88	36,81,50,54,342.28
Interest Income during the year	39	12,26,57,99,636.00	11,83,11,39,831.96
Receipt from A/c No.- 24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central) -Proportionate share (1%) of Total Administrative Expenses of EPFO for the current year (receivable) & arrears for earlier years received		27,83,43,639.81	26,91,79,718.87
Other Income - Miscellaneous Receipts		11,15,99,854.31	14,43,15,840.05
TOTAL INCOME - EPF ADMINISTRATION FUND (D)		49,14,78,46,953.00	49,05,96,89,733.16
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Income from Contribution, Penal Damages & 7Q Interest during the year	40	1,09,57,74,499.92	31,80,75,340.74
Interest Income during the year	41	1,58,26,16,881.05	1,71,11,10,705.11
Other Income -Receipts from A/c No.-22 (EDLI Administrative Charges A/c -Regional)		41.93	24,721.00
Other Income -Receipts from A/c No.-24 (EDLI Administrative Charges A/c -Central)		-	-
TOTAL INCOME -EDLI ADMINISTRATION FUND (E)		2,67,83,91,402.90	2,02,92,10,766.85

			Amount-Rs.
EXPENDITURE	Schedule	Current Year	Previous Year
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
<i>EPF- Contributions Fund</i>			
Interest payment to the Members	42	5,74,68,03,70,468.25	2,46,76,84,38,312.93
Interest paid to vendors on purchase of securities		6,90,92,44,898.34	3,79,75,83,548.82
Interest accrued on SRF		23,82,26,898.90	21,59,86,102.33
Interest on overdraft paid to Banks		20,81,69,267.02	19,03,95,215.67
Miscellaneous-Interest paid on deposits refunded to exempted trusts		-	2,912.00
TOTAL EXPENDITURE - EPF CONTRIBUTION FUND (A-1)		5,82,03,20,11,632.51	2,50,97,34,06,089.75
I- Excess of Income (A) over Expenditure (A-1) carried to Balance Sheet		(1,28,27,46,28,562.49)	58,29,48,72,476.86
<i>Employees' Pension Scheme, 1995</i>			
<i>EPS CONTRIBUTION FUND</i>			
Amount paid to outgoing members / beneficiaries	43	1,35,45,16,53,271.47	1,26,00,96,29,443.75
Commission to Banks for disbursement of pension		62,09,48,238.25	49,06,56,702.53
Accrued Interest paid on purchase of Investments (Securities)		3,33,88,45,057.85	1,67,43,37,888.07
Other payments			
- A/c No.- 10 (EPS Contribution A/c No.- Regional)		3,15,58,140.40	4,46,81,936.11
- A/c No.- 11 (EPS Contribution A/c No.- Central)		18,91,48,035.19	18,86,92,629.86
TOTAL EXPENDITURE - PENSION FUND (B-1)		1,39,63,21,52,742.96	1,28,40,79,98,580.32
II- Excess of Income (B) over Expenditure (B-1) carried to Balance Sheet		5,02,86,79,69,785.68	3,08,05,37,74,160.55
<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
<i>EDLI CONTRIBUTION FUND</i>			
Assurance Benefits paid		2,53,34,27,270.78	1,77,85,01,845.58
Accrued Interest paid on purchase of Investments (Securities)		16,94,96,192.45	10,17,00,098.57
Other payments			
- A/c No.- 21 (EDLI Contribution A/c - Regional)		29,87,822.14	1,41,72,532.13
- A/c No.- 25 (EDLI Contribution A/c - Central)		8,193.91	8,164.10
TOTAL EXPENDITURE-EDLI CONTRIBUTION FUND (C-1)		2,70,59,19,479.28	1,89,43,82,638.39
III- Excess of Income (C) over Expenditure (C-1) carried to Balance Sheet		26,49,95,18,576.72	19,93,01,78,442.65
<i>Employees' Provident Fund Scheme, 1952</i>			
<i>EPF - Administration Fund - (100% Expenditure of EPFO)</i>			
<i>A- Establishment Expenses</i>			
Salaries of Officers and Staff & Bonus		8,71,78,05,831.05	8,27,52,52,826.40
Allowances and Honorarium		1,99,20,48,240.00	1,82,58,16,318.00
Grants - Welfare Funds etc		55,89,471.90	5,82,76,917.44
Contribution to Staff Pension cum Gratuity Fund		5,03,09,12,298.04	2,65,41,38,991.30
S.P.F., D.L.I. Benefits		21,40,886.00	19,02,942.00
TA & LTC		16,02,23,028.00	19,76,55,994.00
TOTAL A		15,90,86,97,552.99	13,11,10,43,787.14
<i>B- Other Administrative Expenses</i>			
Electricity Expenses		24,53,83,153.00	22,49,52,675.00
Postage		9,25,38,816.00	9,14,83,042.00
Printing & Stationery		12,94,48,676.50	13,48,50,682.50
Rent, Rates & Taxes		28,26,02,764.00	18,44,65,834.00
Vehicle Running & Maintenance Expenses		2,03,21,353.77	1,75,71,850.00
Telephone, Internet & Communication Charges		4,72,01,248.64	4,27,35,783.00
Insurance Expenses		-	-
Water Charges		1,36,28,936.00	1,56,51,735.00
Staff Paid from contingencies		37,30,08,516.14	33,66,80,989.00
Advertisement & Publicity		7,08,76,072.80	3,05,47,839.00
AMC - Computers, Servers, Electrical Equipment & other Office Equipments		71,42,83,859.80	36,24,01,686.88
Travelling Expenses		3,75,12,559.00	2,75,45,810.00
Other Charges (Recurring/Non-recurring)		2,73,54,28,350.63	2,93,20,32,558.00
Maintenance of Office Buildings/staff quarters		15,13,18,979.00	14,82,82,981.47
Net Depreciation on Fixed Assets		21,03,41,302.41	-
Provision for Building Construction Fund		-	-
Provision for Board's Share towards N.P.S. Payable		2,62,16,607.50	-
Total B		5,15,00,89,212.99	4,54,92,12,803.83
TOTAL EXPENDITURE- EPF ADMINISTRATION FUND (D-1)		21,05,87,86,765.98	17,66,02,56,590.97
IV- Excess of Income (D) over Expenditure (D-1) carried to Balance Sheet		28,08,90,60,187.02	31,39,94,33,142.19

<i>Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976</i>			
EDLI ADMINISTRATION FUND			
Proportional share (1%) in the total administrative expenditure of EPFO		21,05,87,867.33	17,87,55,772.48
Other payment:			
Account No. 22		1,14,928.00	94,312.40
Account No. 24		3,693.21	-
TOTAL EXPENDITURE -EDLI ADMINISTRATION FUND (E-1)		21,07,06,486.54	17,88,50,084.88
V- Excess of Income (E) over Expenditure (E-1) carried to Balance Sheet		2,46,76,84,916.36	1,85,03,60,681.97
TOTAL EARNING OF THE EPFO (I + II + III + IV + V)			

Sd/-
(MEENAKSHI GUPTA)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Consolidated Income & Expenditure Account			
		Current Year	Previous Year
<u>EPF Contributions Fund</u>			
SCHEDULE No. 31			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	3,48,39,38,93,604.51	3,03,80,18,38,524.59
2	Interest accrued but not due on Investments	97,25,61,13,952.89	0.00
3	Interest due but not received on Investments	38,86,92,392.56	0.00
4	Interest accrued on FDRs	2,13,46,67,693.97	0.00
5	Interest on Regional Savings Bank Account	20,47,932.45	38,58,089.87
6	Interest on Securities received from estts.	19,80,435.00	0.00
7	Interest from subscribers / members on loans	66,885.00	1,175.00
8	Excess Provision of Interest payable for earlier year - written back	0.00	0.00
Total		4,48,17,74,62,896.38	3,03,80,56,97,789.46
SCHEDULE No. 32			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	2,68,25,97,111.12	2,69,76,49,450.77
2	7 Q Interest collected during the year	2,89,73,23,062.52	2,76,49,31,326.38
3	Other receipts	0.00	0.00
Total		5,57,99,20,173.64	5,46,25,80,777.15
<u>EPS CONTRIBUTION FUND</u>			
SCHEDULE No. 33			
Income from Pension Contribution			
1	Pension contribution received from employers	2,90,26,87,51,118.48	2,19,51,70,26,881.26
2	Pension contribution received from Central Govt.	32,80,20,00,000.00	22,99,80,00,000.00
3	Pension contribution receivable from Central Govt.	46,51,93,00,000.00	0.00
Total		3,69,59,00,51,118.48	2,42,51,50,26,881.26
SCHEDULE No. 34			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	1,46,35,68,39,242.50	1,26,77,43,90,023.43
2	Interest accrued but not due on Investments	47,94,87,54,469.26	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest accrued on FDRs	2,92,95,45,192.66	
5	Interest received on Public Account	72,66,86,00,000.00	64,19,58,00,000.00
6	Interest receivable on Public Account	0.00	0.00
7	Interest on Regional Savings Bank Account	28,83,199.73	27,86,110.20
Total		2,69,90,66,22,104.15	1,90,97,29,76,133.63
SCHEDULE No. 35			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	1,27,48,45,391.50	1,14,15,92,025.92
2	7 Q Interest collected during the year	95,34,54,531.72	97,97,37,479.66
3	Other receipts - Regional Contribution A/c No.-10	77,51,49,382.79	85,24,40,220.40
4	Other receipts - Regional Contribution A/c No.-11	0.00	0.00
Total		3,00,34,49,306.01	2,97,37,69,725.98
<u>EDLI CONTRIBUTION FUND</u>			
SCHEDULE No. 36			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	7,71,20,21,342.57	6,41,69,40,409.14
2	Interest accrued but not due on Investments	2,60,82,50,540.88	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest accrued on FDRs	2,11,22,763.31	
5	Interest received on Public Account	6,38,47,00,000.00	5,88,45,00,000.00
6	Interest receivable on Public Account	0.00	0.00
7	Interest on Regional Savings Bank Account	1,72,886.70	1,01,02,512.85
Total		16,72,62,67,533.46	12,31,15,42,921.99

SCHEDULE No. 37			
Other Income during the year			
1	Penal Damages collected during the year	7,91,32,781.19	7,76,76,802.50
2	7 Q Interest collected during the year	6,13,43,288.41	6,06,29,164.06
3	Other receipts in A/c No.- 21	1,94,96,985.70	1,35,54,905.00
4	Other receipts in A/c No.- 25	0.00	0.00
Total		15,99,73,055.30	15,18,60,871.56
EPF - Administration Fund			
SCHEDULE No. 38			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EPF Administration Charges received during the year	35,02,30,29,789.24	35,78,72,06,841.75
2	EPF Inspection Charges received during the year	1,07,68,55,844.70	60,62,13,428.50
3	Penal Damages collected during the year	21,81,66,869.15	22,52,90,337.62
4	7 Q Interest collected during the year	17,40,51,317.79	19,63,43,734.41
Total		36,49,21,03,820.88	36,81,50,54,342.28
SCHEDULE No. 39			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	12,07,71,66,859.29	11,74,78,26,625.55
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest accrued on FDRs	13,65,65,028.00	
5	Interest on Regional Savings Bank Account	5,20,67,750.71	8,33,13,206.41
Total		12,26,57,99,638.00	11,83,11,39,831.96
Less:	Interest credited to Building Construction Fund	0.00	0.00
Total		12,26,57,99,638.00	11,83,11,39,831.96
EDLI ADMINISTRATION FUND			
SCHEDULE No. 40			
Income from Administration Charges, Penal Damages & 7Q Interest during the year			
1	EDLI Administration Charges received during the year	1,06,93,95,202.53	30,03,41,245.22
2	EDLI Inspection Charges received during the year	1,77,92,684.85	86,47,570.27
3	Penal Damages collected during the year	45,57,350.00	46,30,743.50
4	7 Q Interest collected during the year	40,29,262.54	44,55,781.75
Total		1,09,57,74,499.92	31,80,75,340.74
SCHEDULE No. 41			
Interest Income during the year			
1	Interest received on investment during the year	1,58,23,82,799.00	1,71,07,87,356.10
2	Interest accrued but not due on Investments	0.00	0.00
3	Interest due but not received on Investments	0.00	0.00
4	Interest on Savings Bank Account	2,34,062.05	3,23,349.01
Total		1,58,26,16,861.05	1,71,11,10,705.11
EPF Contributions Fund			
SCHEDULE No. 42			
Interest payment to the Members			
1	Interest credited to Members PF A/c during the year (Including In operative A/c's)	2,32,97,46,70,468.25	2,46,76,94,38,312.93
2	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the FY 2015-16	3,41,70,57,00,000.00	0.00
3	Provision for Interest payable on Members PF A/c for the earlier years	0.00	0.00
Total		5,74,68,03,70,468.25	2,46,76,94,38,312.93

<i>EPS Contributions Fund</i>			
SCHEDULE No. 43			
Amount paid to outgoing memebrs / beneficiaries			
1	Withdrawal / retirement benefits	52,80,49,06,855.73	53,75,29,99,206.68
2	Life Assurance Benefits	1,63,70,362.00	13,12,51,060.00
3	Pension	82,63,03,76,053.74	72,12,53,79,177.07
Total		1,35,45,16,53,271.47	1,26,00,96,29,443.75

Schedule No.24

Fixed Assets

S No.	Fixed Asset	Gross Block				Depreciation			Net Block	
		Cost/Valuation at the beginning of the year	Additions of fixed assets during the year	Deletions of fixed assets during the year	Cost/Valuation at the end of the year (A)	Accumulated depreciation at the beginning of the year	Depreciation for the current year	Depreciation on fixed assets deleted during the year	As at the Current Year-end [A-B]	As at the Previous year-end
1	Land									
a	Freehold Land	62,16,73,005.53	2,58,04,535.00	-	64,74,77,540.53	-	-	-	64,74,77,540.53	62,16,73,005.53
b	Leasehold Land	33,73,10,720.50	-	-	33,73,10,720.50	2,37,30,868.00	1,68,767.00	-	31,34,11,085.50	33,73,10,720.50
2	Building									
a	Building-Office	1,59,52,00,267.47	3,17,04,247.00	-	1,62,69,04,514.47	22,93,01,574.37	1,19,59,282.73	-	1,38,56,43,657.37	1,59,52,00,267.47
b	Lease hold Building-Office	85,03,81,187.92	-	-	85,03,81,187.92	10,37,41,996.80	17,00,455.00	-	74,49,38,736.12	85,03,81,187.92
c	Building -Residential	71,17,05,698.90	1,27,87,284.00	-	72,44,92,982.90	15,35,24,366.70	38,44,656.62	-	56,71,23,959.58	71,17,05,698.90
d	Lease hold Building-Residential	22,24,66,700.00	-	-	22,24,66,700.00	4,73,22,119.00	19,93,154.00	-	17,31,51,427.00	22,24,66,700.00
3	Plant Machinery & Equipment	457.00	36,54,560.00	-	36,55,017.00	-	2,50,424.38	-	34,04,592.62	457.00
4	Vehicle & Motor Car	96.00	47,18,060.00	-	47,18,156.00	2,290.12	5,43,614.26	-	41,72,251.62	96.00
5	Furniture & Fixtures	6,49,93,532.00	1,83,65,094.00	-	8,33,58,626.00	7,02,684.65	13,75,572.95	-	8,12,80,368.41	6,49,93,532.00
6	Office Equipments	7,04,388.00	74,05,249.00	-	81,09,637.00	3,01,273.39	10,78,453.19	-	67,29,910.42	7,04,388.00
7	Computers/Peripherals	32,24,657.00	38,27,00,241.00	-	38,59,24,898.00	3,65,956.00	5,19,85,536.07	-	33,35,73,405.93	32,24,657.00
8	Electrical Installations	14,45,678.00	61,93,761.00	-	76,39,439.00	6,38,000.61	10,62,586.40	-	59,38,851.99	14,45,678.00
9	Library Books	37,412.00	4,36,471.00	-	4,73,883.00	-	998.00	-	4,72,885.00	37,412.00
10	Tubewells & Water Supply	159.00	2,38,962.00	-	2,39,121.00	-	43,501.90	-	1,95,619.10	159.00
11	Other Fixed Assets	1,97,80,379.00	27,14,214.00	-	2,24,94,593.00	-	2,02,463.17	-	2,22,92,129.83	1,97,80,379.00
Total		4,42,89,24,338.32	49,67,22,676.00	-	4,92,56,47,016.32	55,96,31,129.64	7,62,09,465.67	-	4,28,98,06,421.01	4,42,89,24,338.32

Add:- 9,11,14,077.10 Land & Building OB adjustment - Difference being treated as Depreciation

Add:- 5,54,88,924.79 Land & Building -OB adjustment by RO Bandra -already adjusted and affected in BS as previous year adjustment

Less:- 9,01,86,758.00 OB of Assets other than Land & Building - to be adjusted against depreciation (current year revenue)

Previous year OB 4,48,53,40,582.21

Net Depreciation to be charged to current year's revenues

Depreciation for the year

63,58,40,595.31

Add:- Land & Building OB Difference - other assets wrongly capitalised as Land & Building in earlier years -now corrected by adjusting with Depreciation

9,11,14,077.10

Less:- Value of Assets (other than Land & Building) capitalised during the year - which has been treated as revenue expenditure in legacy

42,64,26,612.00

Less:- OB considered for Assets (other than Land & Building) - to be adjusted against depreciation

9,01,86,758.00

Net Depreciation for the year charged to Income & Expenditure A/c

21,03,41,302.41

Amount in Rs.

SCHEDULE No. 18									
Employees' Provident Fund - Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized value					Amortized Value	Face Value
1	Central Govt. Securities - CTG	9,77,75,36,42,640.00	9,60,08,87,79,996.93	1,29,61,30,59,452.61	23,35,10,000.00	2,28,65,000.00	9,25,28,040.67		11,06,82,26,97,640.00
2	Public Sector Undertaking - PSU	11,15,95,95,24,454.76	11,15,85,30,95,487.80	2,42,98,31,32,088.38	-	1,10,86,94,07,265.49	-		12,27,83,27,48,599.50
3	Private Securities	2,55,87,11,56,200.00	2,55,73,51,35,154.56	78,80,14,50,000.00	-	29,28,15,00,800.00	-		3,26,89,66,55,400.00
4	State development Loans - SDL	7,79,73,36,30,856.00	7,81,70,12,05,066.70	3,59,97,92,06,634.49	7,54,10,000.00	18,87,78,81,656.00	-		11,18,99,49,88,700.00
5	State Govt. Securities - STG	1,36,81,35,04,478.64	1,38,25,88,63,651.46	2,60,61,17,031.00	17,90,60,108.00	9,90,92,03,333.00	-		1,29,64,13,61,253.30
6	Special Deposit Scheme - SDS	5,28,45,36,13,822.83	5,28,45,36,13,822.83	-	76,14,68,956.41	-	-		5,29,21,50,83,779.24
7	Public Account	-	-	-	-	-	-		43,11,88,60,040.63
8	ETF	-	-	-	-	-	-		-
9	LMF	-	-	-	-	-	-		-
10	FDR	4,05,00,00,000.00	4,05,00,00,000.00	4,45,00,00,000.00	-	-	-		8,50,00,00,000.00
11	Amount Under-Reconciliation	-	3,35,65,63,060.05	-	-	-	-		-
Total		37,98,63,50,72,252.23	37,87,29,92,76,240.33	8,80,64,71,02,846.09	1,24,94,50,064.41	1,88,05,61,35,653.49	9,25,28,040.67	44,81,43,79,37,671.00	44,91,02,23,95,412.67

SCHEDULE No. 20									
Employees' Pension Fund - Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized value					Amortized Value	Face Value
1	Central Govt. Securities - CTG	5,37,95,97,23,700.00	5,32,10,73,25,385.90	63,63,26,35,219.79	-	58,45,53,76,800.00	94,60,75,257.70		6,01,24,73,23,700.00
2	Public Sector Undertaking - PSU	5,01,67,29,74,837.22	5,01,69,09,80,381.62	1,20,98,24,56,774.56	-	35,93,85,39,108.44	-		5,41,47,68,83,049.30
3	Private Securities	1,29,35,48,22,000.00	1,29,34,15,20,680.55	35,63,00,00,000.00	-	11,09,88,21,000.00	-		1,52,51,68,22,000.00
4	State development Loans - SDL	3,36,68,38,05,200.00	3,37,53,10,08,723.82	1,77,94,07,89,107.86	-	10,30,80,00,000.00	-		5,02,48,42,58,500.00
5	State Govt. Securities - STG	65,25,20,00,000.00	65,55,46,28,700.76	74,50,83,039.00	-	-	-		55,68,10,00,000.00
6	Special Deposit Scheme - SDS	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64	1,02,97,06,00,000.00	-	-	-		14,00,52,28,022.64
7	Public Account	8,00,38,99,20,241.86	8,00,38,99,20,241.86	21,12,78,48,737.74	-	-	-		9,03,36,05,20,241.86
8	ETF	-	-	-	-	-	-		21,12,78,48,737.74
9	LMF	-	-	-	-	-	-		-
10	FDR	11,53,00,00,000.00	11,53,00,00,000.00	9,19,44,33,032.00	-	-	-		11,53,00,00,000.00
11	Amount Under-Reconciliation	-	5,16,23,12,754.16	-	-	-	-		-
Total		23,96,84,84,74,001.72	23,97,33,29,24,891.33	5,32,22,38,45,910.95	-	1,24,99,51,69,940.44	94,60,75,257.70	28,03,61,40,31,708.42	28,03,42,98,84,251.54

SCHEDULE No. 22									
Employees' Deposit Linked Insurance Scheme - Investments									
S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount invested during the year	Securities received (Accepted Value) on cancellation of exemption	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized value					Amortized Value	Face Value
1	Central Govt. Securities - CTG	25,01,02,42,000.00	24,66,80,44,931.74	3,51,03,34,232.50	-	4,67,21,50,000.00	2,77,25,978.62		28,51,30,32,000.00
2	Public Sector Undertaking - PSU	27,75,58,24,000.00	27,74,77,30,487.90	7,00,01,11,819.45	-	18,60,00,000.00	-		30,01,93,94,000.00
3	Private Securities	6,40,19,51,000.00	6,39,88,13,423.07	2,03,00,00,000.00	-	23,58,15,000.00	-		8,24,59,51,000.00
4	State development Loans - SDL	19,69,49,61,800.00	19,76,91,07,956.97	8,84,57,23,162.31	-	28,10,00,000.00	-		28,24,15,52,800.00
5	State Govt. Securities - STG	3,22,80,00,000.00	3,25,88,30,140.05	43,70,26,270.00	-	-	-		3,37,70,00,000.00
6	Special Deposit Scheme - SDS	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05	-	-	-	-		2,49,76,309.05
7	Public Account	75,11,39,14,794.14	75,11,39,14,794.14	6,38,47,00,000.00	-	-	-		81,49,86,14,794.14
8	ETF	-	-	-	-	-	-		1,16,98,93,187.99
9	LMF	-	-	-	-	-	-		6,31,64,084.00
10	FDR	11,00,00,000.00	11,00,00,000.00	70,80,79,049.00	-	-	-		11,00,00,000.00
11	Amount Under-Reconciliation	1,57,33,98,69,903.19	1,57,11,12,24,669.61	30,08,58,67,721.25	-	-	-		1,81,26,35,78,175.18
Total		1,57,33,98,69,903.19	1,57,11,12,24,669.61	30,08,58,67,721.25	-	6,01,98,79,965.00	2,77,25,978.62	1,81,14,94,35,447.24	1,81,26,35,78,175.18

SCHEDULE No. 26
EPF Staff Provident Fund -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized value				Amortized Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	3,64,93,61,100.00	3,60,98,07,022.12	29,04,89,368.33	100.00	1,30,28,702.57		3,93,95,51,000.00
2	Public Sector Undertaking -PSU	3,39,03,92,000.00	3,39,64,73,893.78	67,24,09,298.47	50,15,97,000.00	-		3,54,57,45,000.00
3	Private Securities	70,40,64,000.00	70,36,36,853.42	16,00,00,000.00	3,30,00,000.00	-		83,10,64,000.00
4	State development Loans -SDL	2,54,77,70,000.00	2,56,09,93,451.55	68,74,07,310.95	7,24,50,000.00	-		3,16,09,20,000.00
5	State Govt Securities -STG	23,60,00,000.00	23,84,99,099.92	3,55,71,935.00	2,50,00,000.00	-		24,60,00,000.00
6	Special Deposit Scheme -SDS	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	-	-	-		83,33,20,534.92
7	Public Account							
8	ETF			9,75,95,542.08	-	-		9,75,95,542.08
9	LMF			5,29,18,136.00	4,78,09,392.91	-		51,08,743.09
10	Amount Under-Reconciliation		10,63,33,031.46	-	-	-		-
	Total	11,36,09,07,634.92	11,44,90,63,887.17	1,99,63,91,590.83	67,98,56,492.91	1,30,28,702.57	12,75,25,70,282.52	12,65,93,14,820.09

66

SCHEDULE No. 27
EPF Staff Pension cum Gratuity Fund -Investments

S No.	Nature of Investment	Opening Balance		Amount Invested during the year	Value of securities redeemed during the year	Cost of Amortisation	Current Value	
		Face Value	Amortized value				Amortized Value	Face Value
1	Central Govt Securities -CTG	6,73,88,61,200.00	6,66,95,48,039.74	77,03,62,259.99	-	1,60,93,521.58		7,52,98,61,200.00
2	Public Sector Undertaking -PSU	6,93,34,57,000.00	6,93,37,38,688.86	1,53,18,81,240.84	83,15,87,000.00	-		7,61,53,90,000.00
3	Private Securities	2,36,78,10,000.00	2,36,65,56,119.13	36,00,00,000.00	30,00,000.00	-		2,72,48,10,000.00
4	State development Loans -SDL	5,08,06,40,000.00	5,09,48,63,727.73	2,00,82,08,061.50	1,37,00,000.00	-		7,07,13,30,000.00
5	State Govt Securities -STG	45,80,00,000.00	46,32,24,887.44	12,70,42,525.00	9,00,00,000.00	-		49,30,00,000.00
6	Special Deposit Scheme -SDS	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	-	-	-		91,79,27,326.87
7	Public Account							
8	ETF			25,43,34,232.70	-	-		25,43,34,232.70
9	LMF			4,24,34,885.00	4,24,34,885.00	-		-
10	Amount Under-Reconciliation		19,82,25,623.80	-	-	-		-
	Total	22,49,66,95,526.87	22,64,40,94,413.57	5,09,42,63,305.03	98,07,21,885.00	1,60,93,521.58	26,74,15,42,312.02	26,60,66,52,759.57

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995 - Contribution Account													
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2015-2016													
Previous year		S. No.	Receipts		Amount		Previous year		S. No.	Payments		Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.	Rs.	P.				Rs.	P.
20,83,72,05,57,596.23		1.	Opening Balance as on 01-04-2015		23,91,77,43,31,756.78				1.	Amount paid to outgoing members/beneficiaries :			
2,19,51,70,26,881.26		2.	(i) Contribution of Employers		2,90,26,87,51,118.48					(a) Amount of Employee's share with interest			0.00
0.00			(ii) Contribution of Govt. 2015-2016		0.00		0.00						
			(iii) Arrears of contribution of Govt. up to the year 2015-2016				53,75,29,99,206.68			(b) Withdrawal/Retirement benefits			52,80,49,06,855.73
22,99,80,00,000.00					32,80,20,00,000.00		13,12,51,060.00			(c) Life Assurance benefits			1,63,70,362.00
		3.	Interest on the balance in the Public Account				72,12,53,79,177.07			(d) Pension			82,63,03,76,053.74
64,19,58,00,000.00					72,66,86,00,000.00				2.	Amount paid as commission for disbursement of pension			62,09,48,238.25
27,86,110.20		4.	Interest on Saving Bank Account		28,83,199.73		49,06,56,702.53						
1,26,77,43,90,023.43		5.	Interest received on Securities		1,47,29,16,59,970.42				3.	Amount paid towards Pension Fund Admn. Expenses			0.00
2,12,13,29,505.58		6.	Penal Damages		2,22,82,99,923.22		0.00						
		7.	Other receipts :						4.	Amount of securities transferred on grant of exemption			0.00
85,24,40,220.40			(a) Regional Contribution A/c No. 10		77,51,49,382.79		0.00		5.	Amount paid as accrued interest on purchase of Securities			3,33,88,45,057.65
0.00			(b) Central Contribution A/c No. 11		0.00		1,67,43,37,868.07		6.	Other payments :			
										(a) Regional Contribution A/c No. 10			3,15,58,140.40
							4,46,81,936.11			(b) Central Contribution A/c No. 11			18,91,48,035.19
							18,86,92,629.86			Closing Balance as on 31-03-2016			27,98,17,95,22,608.46
							23,91,77,43,31,756.78		7.				
			TOTAL							TOTAL			29,37,81,16,75,351.42
25,20,18,23,30,337.10					29,37,81,16,75,351.42		25,20,18,23,30,337.10						

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976												
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR 2015-2016												
(Contribution Account)												
Previous year		S. No.	Receipt		Amount		Previous year		S. No.	Payment	Amount	
Rs.	P.				Rs.	P.	Rs.	P.			Rs.	P.
1,37,39,25,50,794.98		1.	Opening Balance as on 01-04-2015		1,57,32,27,29,237.63		1,77,85,01,845.59		1.	Assurance Benefits	2,53,34,27,270.76	
9,36,11,57,287.49		2.	Contribution of Employers		12,31,91,97,467.22				2.	Amount refunded to employers on		
5,88,45,00,000.00		3.	Interest on investment in Public Account		6,38,47,00,000.00		0.00			grant of exemption		0.00
6,41,69,40,409.14		4.	Interest on investment in securities		7,73,86,53,852.17				3.	Amount paid as accrued interest		
1,01,02,512.85		5.	Interest on S.B. Accounts		1,72,886.70		10,17,00,096.57			on purchase of securities	16,94,96,192.45	
13,83,05,966.56		6.	Penal Damages		14,04,76,069.60				4.	Other payments in :		
		7.	Other receipts in :				1,41,72,532.13			Account No. 21	29,87,822.14	
1,35,54,905.00			Account No. 21		1,94,96,985.70		8,164.10			Account No. 25	8,193.91	
0.00			Account No. 25		0.00		1,57,32,27,29,237.63		5.	Closing Balance as on 31-03-2016	1,81,21,95,07,019.76	
1,59,21,71,11,876.02			TOTAL		1,83,92,54,26,499.02		1,59,21,71,11,876.02			TOTAL	1,83,92,54,26,499.02	

Sd/-
(MEENAKSHI GUPTA)
FINANCIAL ADVISOR & CHIEF ACCOUNTS OFFICER

Sd/-
(V.P. JOY)
CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Employees' Provident Fund Organisation

Schedule forming part of the Accounts for the period 2015-16

Schedule 44: Significant Accounting Policies:

1. Accounting Convention

The financial statements are prepared on accrual basis unless otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory Accounting Standards and relevant presentational requirements of Common Format of Accounting recommended by Government of India.

2. Inventory Valuation

All items in the store, stock and spares are valued at cost.

3. Investments

3.1 In the operational context of the provident fund the decision to invest in equity and related instrument, while has the objective to maximise the profit on investment the objective of accounting policy should be to ensure that-

- i) The declared rate of interest is smooth over a long period of time despite making investment in equity and related instrument to the extent possible.
- ii) The capital invested in equity is protected to the extent possible.
- iii) To avoid generation shift in distribution of profit from investment in equity and related investment as far as possible.

3.2 In view of above, the following accounting policy for equity & related investments are proposed as under:

A. Calculation of Profit/loss:

- 1. Valuation of the Asset investment in equity will be as per mark to the market basis (MTM).
- 2. The opening stock of the first year will be nil (zero).
- 3. The purchases shall be calculated on the basis of the cost of purchase + brokerage and other direct cost paid for the purchase.
- 4. The closing stock of the investment relating to equity and related instruments will be valued at market price (mark to market basis).
- 5. The closing stock of the previous year shall become the opening stock of the subsequent year.
- 6. The dividend will be considered as receipt on accrual basis. In other words, the dividends declared by 31st March on any of the equity held as investment shall be treated as income of the year.

7. The profit or loss every year in equity and related investments will be difference of the closing stock + dividend received + sale price (sale if there is any) as reduced by the value of opening stock + purchase during the year.

B. Creation of Equity Income Stabilisation Reserve:

1. It is expected that over period of next 7-10 years, the compound annual growth rate of equity will be 12% though this target may be achieved in long term. There may be year to year volatility in the same.
2. In order to declare a smooth rate of return, certain portion of profit from the investment in equity shall be declared as distributable profit for the year under para 60 of EPF Scheme. Remaining portion of profit shall be transferred in reserve, which may be called Equity Income stabilisation reserve (EISR).
3. The profit from investment in equity shall be bench marked to the average G-sec rate. For calculation of average G-sec rate, average closing price of current series of 10 year G-sec. for last day of each month of pervious year will be considered. If there are more than one current series in the previous year, the relevant series will be considered for the months in which it was current. In month of April every year EPFO will calculate and make available the working of the average g-sec rate on it's website.
4. The profit from equity and related investment will be considered for distribution in the following manner.

Percentage (profit on cost of investment)	Distributable profit in percentage	
Above average G sec rate Upto 15%	200 bp above Average G.Sec. rate	A.
From 16% to 20%	A + 40% of the profit in excess of 15%	B
From 21% to 30%	B+ 50% of profit in excess of 21%	C
Above 30%	C+ 60% of profit in excess of 31%	

5. The excess of the profit from the investment in equity and related instrument over and above distributable profit as calculated in the paragraph 4 above shall be transferred to ESIR.
6. The excess of profit from fixed income assets as against the amount of interest payable to individual beneficiary calculated on the basis of declared rate of interest for that year shall also be credited to this EISR.
7. The Equity Income stabilisation reserve will hold maximum upto 10% of the value of AUM.
8. If the interest stabilisation reserve become more than 10% of AUM, there will be no further credit to this account and any amount which otherwise would have been creditable to the reserve will be available for distribution of the profit.

C. Use of Funds in EISR:

1. The EISR can be used for smoothen out the rate of interest declared by EPFO from year to year.
2. In case the profit from investment in share and related instrument is between the "Average G. Sec. Rate" and 200 basis point above average G. Sec. Rate, no drawl from interest stabilisation reserve will be made to distribute or declared the interest for the year.
3. If the profit from the share and related instruments for a particular year is below the average of G. Sec. Rate, the Board may at his discretion decide to draw from the reserve to declare the rate of interest for the year.
4. If during any year, there is income from equity below the average G. Sec. rate and there is no balance in EISR, the actual income calculated alone shall be distributed.
5. If during any year, there is loss on investment in equity and there is no balance in EISR, the loss out of investment in equity shall be added to income out of investment in other asset and the resultant income shall be distributed as interest for that particular year.

4. Fixed Assets:

- 4.1 Till 2015-16, Land & buildings were shown together, however in new format Land is separately shown for 2015-16 onward. Land is classified as lease hold land and free hold land.
- 4.2 Expenditure on all items which is used for providing services for more than one year will be considered as Asset and Depreciation on that asset will be treated as expenditure for the year.
- 4.3 All assets costing less than Rs. 5,000 are fully provided in the year of capitalization.
- 4.4 Fixed assets are stated at historical cost.
- 4.5 All fixed assets except Land, Building acquired before 01.04.2015 (Date of switching from cash basis to accrual basis of accounting) are valued at nominal price at Re. 1 per item.

Explanation:

At present only land, building are considered as Fixed Assets but in new system all the items falling under definition of Fixed Assets are treated as Fixed Asset and depreciation will be charged accordingly. Prior to 01.04.2015 all the assets purchased and booked as expenditure in the respective years will be valued at Re. 1 per asset and accounting for as opening assets. This is done as per guidelines of Indian Government Financial Reporting Standard (IGFRS) issued by Government Accounting Standard Advisory Board (GASAB) constituted by C&AG of India with the support of Government of India which is working on migration to accrual basis accounting in Union and States.

5. Depreciation

- 5.1 On Fixed Assets Depreciation is provided on Straight Line Method at the rates Specified on Companies Act, 2013 (as amended)
- 5.2 Full rate of Depreciation is provided on fixed assets, which have been used for more than 180 days and at half rate is provide if used upto 180 days during the Year of capitalization.
- 5.3 On leasehold buildings such as buildings acquired from government agencies or lump sum payment for specified number of the year of lease, depreciation is provided on Straight Line method with reference to lease period.
- 5.4 The lump sum lease amount paid on lease hold land is amortised proportionately every year over the lease period of the holding.

(Ref. Accounting Standard-10)

Explanation: Depreciation Rate chart as per Part "C" of Schedule II of the Companies Act, 2013 as Annexed need to be followed for calculating depreciation.

6. Building & Construction Fund

- 6.1 Provisions for building Construction Fund for construction of office building, staff quarters etc.
- 6.2 Provision for construction fund needs to be made. Such a decision has been taken by the Central Board of Trustees, EPF.
- 6.3 An amount of Rs. 887.25 cores are provided upto year 2015-16, thereafter no provision was made, the same amount is continuing.
- 6.4 The expenditure on construction works are being met from the capital budget provided on year to year basis.

7. Government Grants/Subsidies

Government Grants/contribution due for the employees' pension scheme is accounted on accrual basis

8. Employees Dues:

- 8.1 The salary paid for the month of March in April shall be treated as expenditure of April. There will not be any salary payment in March of the financial year. Twelve months' salary payment will be ensured in each year.
- 8.2 The provision for interest on advances to employees is accounted on cash basis after recovery of principal amount to full extent.

9. Lease

- 9.1 Lease rentals are expensed with reference to lease terms.
- 9.2 Rent to hired buildings, payable by the end of the year shall be accounted on accrual basis and provision to that extent shall be made.

10. Interest Income

- 10.1 Interest income on investment pertaining to the year will be treated as income of that year.
- 10.2 As actual amount is not received it will be shown proportionately, as receivable in the account head "Interest accrued but not due".
- 10.3 Interest accrued and due but not received on investments are accounted on accrual basis from 2015-16 onwards.

11. Retirement Benefits

- 11.1 EPFO maintains separate funds for Pension-cum-Gratuity. The liabilities of the EPFO on the account of such items are accounted on actuarial basis at the year end. The addition or deletion to funds on account of actuarial valuation is accounted as expenditure or income, as the case may be, of EPFO in the year of addition or deletion. According to the provisions of Accounting Standard-15, the employees' benefits should be accounted as per the Actuarial Valuation and as per provisions. The cost of retirement benefits should be accounted for during the period for which the services are rendered.
- 11.2 Leave encashment shall be treated as revenue expenditure of that year.

12. Revenue Recognition

In case of any recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis. Other disclosures with regard to assessment under Section 7A, damages levied under Section 14 B and interest levied under 7Q of the EPF & MP Act, 1952 are disclosed in notes to accounts.

13. Addition/deletion of any head

In case any exigency due to policy decision or statutory requirement, if new head of Account is required to be added/deleted the same shall be done with authorization from competent authority which shall be FA & CAO, EPFO.

Schedule 45: Contingent Liabilities and Notes on Accounts:

1. **Contingent Liabilities**

S.No.	Contingent Liability	Current year (Rs.)	Previous year (Rs.)
1.1	Claims against the entity not acknowledge as debts.		
(a)	Service Tax	19,95,67,16,649.00	10,78,70,91,720.00
(b)	Tax Deduction at Source (TDS)	13,90,15,212.00	0.00

2. **Capital Commitments**

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for Rs. 30,751.97 Lakh. Previous Year Rs. _____.

3. **Notes:**

- Unrealisable category (court Stay, winding up and BIFR cess) amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q shall be shown as scheme wise.

(Rs. In Lakh)

S.No	Name of the scheme	Current year - Total cumulative amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q under Unrealisable category (in Rs. in lakh)		Previous year - Total cumulative amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q under Unrealisable category (in Rs in lakh)	
		Arrear	Penal Damages/ Interest	Arrear	Penal Damages/ Interest
1.	Employees Provident Fund	168245.35	152543.66	139514.37	130647.06
2.	EPF Admn. fund	14774.24	10975.21	12104.39	9795.84
3.	Employees' Pension Scheme	93026.55	80654.06	79763.70	69873.44
4.	Employees Deposit Link Insurance Scheme(EDLI)	8745.33	6638.06	5421.26	5653.63
5.	EDLI Admn. Fund	384.98	208.05	274.56	188.07
Total		285176.45	251019.04	237081.28	216158.04

(Source MIS)

Contingent Liabilities and Notes on Accounts continued...

2. Realisable category amount assessed under 7A, damages under 14-B & interest assessed under 7Q, and recovery through demand/recovery notice issued to employers, the revenue is recorded on cash basis.
3. Due to uncertainty of recovery and unable to quantify the exact amount of recovery before completion of proceedings, the recognition of revenue should be postponed as per provisions of Accounting Standard-9 with respect to revenue recognition. Further, on receipt of actual contributions amount are to be credited in EPF member's account and not on due basis.
4. Employees' Pension Fund actuarial valuation was last made as at 31.03.2015 and broad findings reported are as under:
 - i. Salary ceiling for the EPS is not raised for quite some, the benefit gets eroded due to the inflation, but considering the effect the increase in the wage ceiling which can have on the financial health of the scheme, some alternative method to take care of inflation should be considered. Any enhancement in salary ceiling for EPS may be done after looking at the effect on the fund. In our opinion if enhancement in the salary ceiling is made then a revision in the scheme will be required so as to give service credit at different level of salary ceiling.
 - ii. There is no protection for inflation on the pension in payment the same also needs consideration, but this will put burden on the scheme finances. There is a provision in case of valuation surplus which may be considered in future.
 - iii. An exercise as to collection of the full data for all the type of beneficiary may be undertaken so as to have proper evaluation of the scheme. In the current year an effort was made to collect the data and we have got 100% of the Pensioners and Beneficiary Pensioner's data and 58% in respect of the active member's data which is substantially large as compared to the earlier data provision. The data in respect of other category of members and balance data for active members should be collected.
 - iv. An endeavor may be made to have statistical cell in the EPFO so as to generate scheme specific mortality, attrition, and salary escalation etc.
 - v. Having proper asset liability matching and investment of the money considering the cash flow will help in proper investment and earning of the fund. Investment department may work closely with the benefit department to achieve the goal of higher earnings. This can be possible, when the data required for cash flow projection is available.
 - vi. Pension is a long term liability and the discount rate and earning rate are driven by the economic factors. It is unlikely that economic factors will remain static for such a long term. Considering a static discount and earning rate would give a scenario of the liability based on the current economic scenario. As the scheme is an ongoing one and benefit and contributions are defined, any variation in the actuarial parameters may be re-adjusted in annual valuations so as to have a perspective of the scheme year on year.
 - vii. Sensitivity analysis is recommended once the data is available to do such analysis, current data availability and purpose of valuation does not call for the analysis as of now.

- viii. The surplus of Rs. 5026.86 crore can accommodate a onetime relief of 5% on the pension in payment, we understand that the subsidy given by the government for minimum pension of Rs. 1000 shall continue, As the data is as on March 15 and the relief is going to be prospective, after considering cost of one-time relief there will still be a surplus of app Rs.100 crore, this surplus, we feel is required as the total liability of the fund is large.
- ix. Any future relief shall be given based on future surplus if any
- x. Valuation Results:

Net Liability bifurcation	Amount in crore Rs.
(a) Present Value of all the benefits	5,25,315.42
(b) Present Value of contribution	2,91,810.45
Net Present value of all benefits (C)=(a)-(b)	2,33,504.98
Corpus as on 31-03-2015 (d)	2,38,531.84
Net Liability { (c)-(d)}	(-) 5,026.86

In this regard, it is intimated that in the valuation results, actuary has shown the net result of net liability of Rs. 5,026.86 crore in minus, because it is liability of EPFO, but the figure is in "surplus".

5. Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) Fund actuarial valuation was last made for the year/as on 01-09-2014 and broad findings reported are as under

EDLI Scheme with the current benefits has no immediate problem of solvency, Fundamentals of the schemes are strong and it can sustain the benefits over a current cohort.

- The main reason behind the sustainability of the scheme is the availability of current corpus Rs.13,711 crores.
- Annual valuation of the scheme is recommended
- It is also suggested that any alteration in the scheme in future should be done only after formal valuation.
- Mortality experience of the scheme will be change over a period of time, and it may be advisable to create an experience mortality table for the scheme.

6. Inoperative Accounts: Accumulations in respect of any member who has either ceased to be employed or died, but no application for withdrawal under paragraphs 69 or 70 or transfer, as the case may be has been preferred within a period of thirty six months from the date it becomes payable (Provident fund becomes payable after 60 days from the

date of leaving, if the reason for leaving is resignation. However 60 days waiting period is not applicable if the employee has resigned to go abroad or in case of female employee getting married). Provident Fund is payable immediately if the reason for leaving is retirement, voluntary retirement, termination, permanent disability and death, or if any amount remitted to a person is received back undelivered, and it is not claimed again within in a period of thirty six months from the date if becomes payable shall be transferred to an account called in-operative account Number of inoperative accounts for the year 2015-16 is 9,29,89,648.

Disclosure for the Annual Accounts (Common Format) for the year 2015-16

1. The disclosure regarding following difference in the position of Assets & liabilities in the balance sheet is made :

EPF & EPF admin. Account		
	EPF Account	EPF Admin
Assets	(-) 6.91 crore	(+) 6.91 crore
Liabilities	(+) 6.91 crore	(-) 6.91 crore
EDLI & EDLI Admn. Accounts		
	EDLI Account	EDLI Admin. Account
Assets	(-) 2.93 crore	(+) 2.93 crore
Liabilities	(+) 2.93 crore	(-) 2.93 crore

The similar difference is observed in previous year balance sheet and the difference might be continuing since long but as the figures has been bifurcated in common format, the same has become evident now. The same has been shown as payable and receivable in respective accounts to adjust the difference.

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Employees' Provident Fund Organisation for the year ended 31st March, 2016

SEPARATE AUDIT REPORT – OBSERVATIONS	COMMENTS OF THE ORGANISATION
We have audited the attached Balance Sheet of Employees' Provident Fund Organization (EPFO) as at 31 March 2016, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 5A (6) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952. These financial statements include the accounts of Head office, 40 Regional Offices (ROs), NATRSS and EPF Appellate Tribunal of the Employees' Provident Fund Organization. Out of these accounts of Head Office and 12 Regional Offices were audited and comments have been suitably included in this report. These financial statements are the responsibility of the EPFO's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.	1. No Comments, being factual.
2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.	2. No Comments, being factual.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.	3. No Comments, being factual.
4. Based on our audit, we report that: i We have obtained all the information and explanations, except mentioned in comment no A.1.2(ii), A.1.2(iii), B.2.1(ii), B.2.1(iii) of the annexure I of the audit report. ii The consolidated Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report have been drawn up by EPFO in the format prescribed by the Government of India, Ministry of Finance, subject to observations given in the succeeding paras. However, Regional Offices / Sub Regional Offices have not drawn up their accounts in prescribed common format. iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records except stated in comment C-I and E-1 of the annexure I of the audit report have been maintained by the EPFO as required under Section 5A (5) of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in so far as it appears from our examination of such books. Subject to our observations in the subsequent paragraphs and Annexure I and II of the Audit	4. The Annual Accounts have been prepared in the format as prescribed under Para 55 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 read with Section 5A (5) of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. The Annual Accounts for the year 2015-16 have also been prepared in Common Format of Accounts as prescribed by Central Government for autonomous bodies. Ministry of Labour & Employment has in principle approved the Common Format. But the CAG has raised some certain observations on the "Draft Common Format of Accounts". The "Draft Common Format of Accounts" will be modified accordingly and to be submitted to the C&AG for their approval. Once the format is approved by CAG, the Annual Accounts will be prepared accordingly.

Report, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

iv we are unable to form an opinion on the following:

- Interest liability on EPF Contribution Fund as EPFO had not updated 2.46 lakh EPF subscriber accounts as on 31 March 2016 and liability on these accounts was not ascertained by EPFO. (Refer Comment no. A.1.1)
- Difference of Rs. 70.37 crore between liabilities of earmarked fund for Staff Pension cum Gratuity Account and corresponding investment. (Refer Comment no. A.1.2 (i))
- Investment of Staff Provident Fund Account Rs.1275.26 crore has been shown in the Balance Sheet. EPFO has not provided any supporting documents in support of this investment to audit. (Refer Comment no. A.1.2 (ii))
- Rs. 887.25 crore shown as liability of earmarked fund for Building Construction Fund as on 31 March 2016. Investment made against this fund could not be verified as EPFO has not provided the details/documents in support of such investment. (Refer Comment no. A.1.2 (iii))
- The amount of depreciation of Rs. 21.03 crore was not calculated as per the provision of Accounting Standard 6 on depreciation and various ROs have not charged depreciation on Fixed Assets in their accounts and the details relating to leased assets such as period of lease and effective date of lease were not provided to audit. (Refer Comment no. B.2.1)
- Rs.887.52 crore has been shown as amount under reconciliation in the various schedules of investment and as hence EPFO is unable to classify this amount into respective securities and could not classify the amortised value of total investment shown in the Balance Sheet into the types of investment. (Refer Comment no. C.1 (b))

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us subject to our observations highlighted above and in Annexure I & II to the audit report and significant matter stated above, the said financial statement read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts gives a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India.

a. in so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Employees' Provident Fund Organization as at 31 March 2016; and

b. in so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India

Sd/-
Director General of Audit
Central Expenditure

Place: New Delhi
Date: 15-06-2017

Annexure I of Audit Report

We report that:

SEPARATE AUDIT REPORT - OBSERVATIONS		COMMENTS OF THE ORGANISATION
A	Balance Sheet	
A.1	Liabilities	
A.1.1	Interest Account-EPF Contribution Fund (Schedule 4) Rs. 20942.63 crore	A.1.1 EPFO has developed new software to credit interest annually to its subscribers. The Annual Accounts for the year 2014-15 was updated on 1 st of April, 2015. As on 31 st March, 2016 only 2,46,228 accounts were pending to be updated on account of technical glitches in the system.
	As on 31 st March 2016, 2.46 lakh EPF subscriber accounts were pending for updation. The interest thereon have not been calculated and liability on these accounts was not ascertained by EPFO. In view of above, audit is unable to form any opinion on the correctness of the interest liability.	
A.1.2	Earmarked / Endowment Funds	
	Building Construction Fund (Schedule-12)	Rs.887.25 crore
	Staff Provident Fund (Schedule - 13)	Rs.958.03 crore
	Staff Pension cum Gratuity Account (Schedule 14)	Rs.2744.52 crore
	(i) EPFO had Rs.2744.52 crore as liability of earmarked fund for Staff Pension cum Gratuity Account. However, the corresponding investment as on Balance Sheet Date has been shown as Rs. 2674.15 crore (Schedule 27) which leaves a difference of Rs. 70.37 crore. This needs to be reconciled.	(i) The work relating to actuarial valuation of Staff Pension-cum-Gratuity Fund was entrusted to M/s K.A. Pandit Consultants & Actuaries in July, 2014. The actuary had submitted its report in November, 2015 which was placed before the Central Board of Trustees, EPF in its 209 th meeting held on 24.11.2015. The Board accepted the report to transfer the surplus fund to Staff Pension-cum-Gratuity Fund Account No 9. Accordingly a sum of Rs. 206.81 crore were transferred to the Pension & Gratuity Fund in 2015-16 and further in 2016 17 it has been budgeted to transfer Rs.1500 crore in the said fund. Ministry of Labour & Employment has also been requested to transfer the entire deficit from Special Deposits & Accounts to the EPF Staff Pension-cum-Gratuity Fund Account. Further, valuation shall be done on a biennial basis as per the decision of the Board.
	(ii) EPFO had Earmarked Fund of Rs. 958.03 crore under Staff Provident Fund Account and against this fund investment of Rs.1275.26 crore has been shown in the Balance Sheet. EPFO did not provide any supporting documents in support of this investment.	(ii) The liabilities is less than the assets since the interest earned on the investment is more than the interest credited to members account as interest to staff members at the statutory rates.
	(iii) EPFO had Rs. 887.25 crore as liability of earmarked fund for Building Construction Fund as on 31.03.2016. Investment made against this fund could not be verified as EPFO did not provide the details/documents in support of such investment.	(iii) The Building Construction Fund is a pro forma account and amount shown in this account is only the provision made for Building Construction from the revenue surplus and the amount of Building Construction Fund is not being kept separately.

Thus, Audit is unable to form any opinion on correctness of this fund. (iv) No actuarial valuation was conducted for the year 2015-16. However, during the current financial year an amount of Rs.206.81 crore was transferred to Staff Pension cum Gratuity Fund on the basis of actuarial valuation in the year 2014-15 and Rs. 1500 crore was budgeted to be transferred during the year-2016 17. This fact regarding the non-conducting the actuarial valuation in 2015-16 and the shortfall in the provision with respect to the actuarial valuation report of 2014-15 should have been disclosed in Notes on Accounts.	(iv) The actuarial valuation is being conducted in an interval of some time (years). However, we may disclose in the notes on accounts the latest actuarial valuation conducted and its report received.
A.1.3 Current Liabilities & Provisions (Schedule 15) - Rs.124.51 crore i) The above do not include liabilities for the cost of computer software purchased by EPFO Hqrs. during 2015-16 (29/2/2016) but not paid for amounting to Rs. 13.89 crore resulting in understatement of Current Liabilities & Provisions and overstatement of EPF-Administration Fund by Rs.13.89 crore. (ii) The above do not include liabilities for expenses due but not paid amounting to Rs. 63.58 lakh in respect of SRO, Laxmi Nagar. This resulted in understatement of Current Liabilities & Provisions and Expenditure by Rs. 63.58 lakh. EPFO should follow the accrual accounting in their all units.	A.1.3 (i) & (ii) The field offices are preparing their Annual Accounts in existing legacy formats of accounts. Only Consolidated Annual Accounts for the year 2015-16 have been prepared in Common Format on the basis of annual accounts received from the respective field offices as per requirement of Common Format.
A.2. Assets A.2.1 EPF Contribution Fund-Investment (Schedule 18) - Rs. 448143.79 crore EPF - FDR Investment (Schedule 18) -Rs. 850 crore (i) EPFO had shown investment of EPF in FDR amounting to Rs. 850 crore as on 31.03.2016 in balance sheet whereas as per details furnished investment of EPF in FDR was Rs. 1160 crore as on 31.03.2016. The difference of Rs.310 crore needs to be reconciled. (ii) As per the details given in Schedule 18 the closing value of amortised value of investment as on 31/3/2016 works out to Rs. 448104.72 crore whereas in the schedule as well as the Balance Sheet it has been shown as Rs.448143.79 crore resulting in a difference of Rs. 39.07 crore. This needs to be reconciled.	A.2 A.2.1 (i) The difference is being reconciled. (ii) The figures as reflected in the Opening Balance column of the Schedule 18 are the scheme account-wise, category-wise investment figures as derived from the amortization report for 2014 15. The impact of amortization cost is to be revised as per the revised Amortization Report for 2015 16 and for previous periods in the amount of the investment figures reflected in Balance Sheet data that are under reconciliation.
A.2.2 Current Assets, Loan & Advances (Schedule 19) -Rs. 10245.67 crore EPF - Interest Accrued on FDR-Rs. 213.47 crore EPFO has shown interest accrued of Rs. 213.47 crore on FDRs of EPF as on 31.02.2016 whereas as per details furnished to audit accrued interest on FDRs of EPF was Rs. 351.62 crore. The difference of Rs. 138.15 crore needs to be reconciled.	A.2.2 The difference is being reconciled.

A.2.3 Employees Pension Fund-Investment (Schedule 20) - Rs. 280361.40 crore EPS - FDR Investment (Schedule 20) - Rs. 1153 crore (i) EPFO had shown investment of EPS in FDR amounting to Rs. 1153 crore as on 31.03.2016 in the Balance Sheet whereas as per details furnished investment of EPS in FDR was Rs. 843 crore as on 31.03.2016. The difference of Rs.310 crore needs to be reconciled (ii) As per the details given in Schedule 20 the closing value of amortised value of investment as on 31/3/2016 works out to Rs. 280361.54 crore whereas in the schedule as well as the Balance Sheet it has been shown as Rs. 280361.40 crore resulting in a difference of Rs. 0.14 crore. This needs to be clarified.	A.2.3 (i) The difference is being reconciled. (ii) The figures as reflected in the Opening Balance column of the Schedule 20 are the scheme account-wise, category-wise investment figures as derived from the amortization report for 2014-15. The impact of amortization cost is to be revised as per the revised Amortization Report for 2015-16 and for previous periods in the amount of the investment figures reflected in Balance Sheet data that are under reconciliation.
A.2.4 EPS - Current Assets, Loan and Advances (Schedule 21) - Rs. 9922.24 crore The above does not include: (i) Grants-in-aid of Rs. 259.80 crore sanctioned by Government of India, Ministry of Labour and Employment on 31.03.2016 towards reimbursement of excess amount disbursed by EPFO to keep minimum pension of Rs. 1000/- p.m to pensioners which was credited in EPFO accounts on 02.04.2016. This has resulted in understatement of Current Assets by Rs. 259.80 crore. (ii) An amount of Rs. 816.32 crore payable by Central Government for amount disbursed by EPFO for providing minimum pension of Rs. 1000/- p.m to pensioner under EPS-1995 as on 31.03.2016. This has resulted in understatement of Current Assets by Rs. 816.32 crore. (iii) Rs. 36.58 crore being the interest receivable on balance in Public Account as on 31.03.2016, resulted in understatement of Current Assets and EPS Contribution Fund by Rs. 36.58 crore. (iv) TDS of Rs. 8.37 crore on Investment deducted and deposited in Income Tax Department during 1997-98 to 2005-06 by concerned parties and not recovered till date. This was not taken in the accounts. This needs to be corrected. (v) EPS - Interest Accrued on FDR- Rs. 292.95 crore EPFO has shown interest accrued of Rs. 292.95 crore on FDRs of EPS as on 31.03.2016 whereas as per details furnished it was Rs. 154.81 crore. The difference of Rs. 138.14 crore needs to be reconciled.	A.2.4 i) The said amount of Rs.259.80 was credited on 02.04.2016 in EPFO's accounts. The amount could not be shown in the financial year 2015-16 as the same was credited in EPFO's account in the financial year 2016-2017. ii) A sum of Rs.816.32 crore and Rs.4,651.93 crore was receivable from Central Government as on 31.3.2016 under the grants-in-aid for minimum pension of Rs.1,000/- p.m. and EPS-1995 (Public Account) respectively. iii) A sum of Rs.36.58 crore was less interest received from Central Government under the Employees' Pension Scheme, 1995 (Public Account) which will be adjusted in financial year 2016-17. The accounts have been prepared in the legacy formats of accounts. (iv) The matter has been taken up with Chairman, CBDT. (v) The difference is being reconciled.

A.2.5 Fixed Assets (Schedule 24) Rs. 428.98 crore EPFO has not follow the accrual accounting in their field units which resulted non capitalization of various capital expenditure. The details are as under: (i) The above do not include Capital Expenditure of Rs. 7823.05 lakh (EPFO Hqrs.: Rs. 7595.15 lakh inclusive of Rs. 6881.12 lakh on computerization), RO Gurugram: Rs. 12.32 lakh, RO Faridabad Rs. 15.53 lakh, RO Meerut: Rs. 56.74 lakh, SRO Agra Rs. 6.71 lakh, SRO Noida Rs. 36.94 lakh, RO Ahmedabad: Rs. 15.80 lakh), RO (South) Delhi Rs. 83.86 lakh) which has been booked in the accounts as revenue expenditure. This has resulted in understatement of Fixed Assets & EPF - Administration Fund by Rs. 7823.05 lakh. (ii) RO Surat & RO Dehradun had shown only Land & Building as Fixed Assets in the accounts. The other Fixed Assets such as Furniture & Fixtures, Office Equipment and Computers were charged to Income & Expenditure Account resulting in understatement of Fixed Assets and EPF-Administration Fund. Amount could not be quantified. (iii) The above do not include two staff cars of RO Faridabad and one staff car of RO Gurugram. Amount could not be quantified. (iv) The above do not include purchase of computer hard ware of Rs. 9,16,747 and computer software of Rs. 48,738 which has been shown in the accounts as revenue expenditure under computerisation by RO Gurugram. This resulted into overstatement of Expenditure and understatement of Fixed Assets by Rs 9.65 lakh. (v) Purchase of computers amounting to Rs. 4.10 lakh has been shown in the accounts as revenue expenditure under computerization (Rs. 16.04 lakh) by RO Faridabad. This resulted into overstatement of Expenditure and understatement of Fixed Assets by Rs 4.10 lakh. EPFO should follow the accrual accounting in their all units.	A.2.5 (i),(ii),(iii), (iv) & (v) The field offices are preparing Annual Accounts in existing formats of accounts. Only Consolidated Annual Accounts for the year 2015-16 have been prepared in Common Format on the basis of annual accounts received from the respective field offices as per requirement of Common Format. In addition to above, the Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.
A.2.6 EPF Administration Fund Investment (Schedule 25) Rs. 18469.81 crore As intimated by the Pay & accounts office of Ministry of Labour & Employment the investment of EPF Account No. 4 (Central Administration Fund) under Special Deposit as on 31.3.2016 was Rs. 18267.44 crore however the same has been depicted in the Balance Sheet of EPF Account No. 4 (Central Administration Fund) as Rs. 18259.81 crore. Thus there is a variation of Rs.7.63 crore in the closing balance as on 31.3.2016. As the difference is relates to year 1989 to 1998 as no record is available with RBI. A note on this should be included in the Notes on Accounts till the decision on variation of Rs. 7.63 crore was taken.	A.2.6 The matter has been taken up with RBI, where the SDA is maintained. RBI has expressed their inability to provide the statement of Account for the period of difference w.e.f. 1989 to 24.07.1998 as no record is available with RBI.

A.2.7 Current Assets, Loans and Advances (Schedule 28) -Rs. 199.74 crore (i) Interest on EPF Administration Fund – Rs. 13.66 crore EPFO has shown interest accrued of Rs. 13.66 crore on FDRs of EPF Administration Fund as on 31.03.2016 whereas as per details furnished it was Rs. 12.27 crore. The difference of Rs.1.39 crore needs to be reconciled. (ii) The above do not include an amount of Rs 3.63 crore receivable from CBEC and CBDT (CBEC: Rs. 1.74 crore and CBDT: Rs. 1.89 crore) for the period from July 2011 to March 2016 towards monthly electricity, water charges and maintenance of commonly shared services at HUDCO Vishala Building. This has resulted in understatement of Current Assets, Loans and Advances and EPF Administration Fund by Rs 3.63 crore.	A.2.7 (i) As per the certificate provided by SBI in this regards, the amount shown in 'Interest Paid' was wrongly shown as 'Accrued Interest upto 31.03.2016', whereas the actual accrued interest upto 31.03.2016 was Rs.12.27 crore. The same shall be adjusted in the next financial year. (ii) The matter has been taken up with concerned authorities.
B. Income & Expenditure Account B.1 Income B.1.1 Other Income -Miscellaneous Receipts –Rs. 11.16 crore The above does not include interest income of Rs. 2.48 lakh (HBA Rs. 1,74,852, Computer Advance Rs. 60,667 and Conveyance Advance Rs. 12,264) recovered for the year 2015-16 in respect of RO (South) Delhi. This has resulted into understatement of Other Income -Miscellaneous Receipts by Rs. 2.48 lakh. B.2 Expenditure B.2.1 Significant Accounting policy No. 5 on depreciation states that "on fixed assets depreciation is provided on Straight Line Method at the rates specified in Companies Act, 2013". On review of fixed assets schedule it was seen that opening balance adjustment of land and building and other adjustment is taken as depreciation for the current year. Though As per the provision of AS-6 depreciation should have been calculated from the date of purchase and depreciation calculated upto 31.03.2015. (ii) Regional Offices (RO Gurugram, RO Faridabad, RO Meerut, RO Dehradun, RO Ahmedabad, RO Surat) have not charged depreciation on Fixed Assets in their accounts. In the absence of information of depreciation by ROs it is not clear as to how the depreciation was worked out in the Consolidated Accounts. EPFO has not provided the working of depreciation during audit stating that the same was available with the ROs/SROs (iii) As per accounting No 5.3 & 5.4 on depreciation "The lump-sum lease amount paid on lease hold land and building is amortised proportionately every year over the lease period of the holding". In the fixed assets schedule gross block value of leasehold land and leasehold building was shown as Rs. 33.73 crore and Rs.107.28 crore respectively. The details relating to leased assets such as period of lease and effective date of lease was not provided to audit. Thus, in the absence of information audit is unable to form any opinion on the depreciation/amortization charged on leasehold assets.	B B.1 B.1.1 The para has been noted. B.2 B.2.1, (ii) & (iii) The Consolidated Annual Accounts for the 2015-16 has been prepared in Common Format as well as in Legacy System and submitted to DG(A)CE, New Delhi for certification. Further, it is stated that Employees' Provident Fund Organisation has adopted Common Format of Accounts from the year 2015-16. Any change on this account shall be done in consultation of C&AG of India. Regarding the depreciation, the same has been charged as per Schedule 44 accounting policy 5 on depreciation of EPFO and shown the 'Accumulated depreciation at the beginning of the year' and 'Depreciation for the current year' separately in Schedule No. 24 (Fixed Assets) of Common Format of Accounts and the disclosure has given under Schedule No. 24 of Common Format of Accounts.

In view of the above audit is unable to form any opinion on the amount of depreciation of Rs. 21.03 crore charged to Income & Expenditure account.	
B.2.2 EPF Administration Fund B-Other Administrative Expenses Rs.515crore (i) The cost of amortization of investment during the current year amounting to Rs.109.54 crore (Employees Provident Fund: Rs. 9.25 crore, Employees' Pension Fund: Rs. 94.61 crore, Employees Deposit Linked Insurance Scheme: Rs.2.77 crore, EPF Staff Provident Fund: Rs.1.30 crore and EPF Staff Pension cum Gratuity Fund: Rs.1.61 crore) has not been charged to the Income & Expenditure Account. This has resulted in understatement of Expenditure by Rs.109.54 crore. (ii) The above includes fees/commission paid to custodian/portfolio handler during the current financial year 2015-16 of Rs. 3.31 crore. Out of Rs.3.31 paid as fee/commission to custodian, Rs.2.06 crore pertain to the year 2014-15. This should have been shown in the accounts as Prior Period expenses. This has resulted in overstatement of Other Administrative Expenses and understatement of Prior Period Expenses by Rs.2.06 crore.	B.2.2 B. (i) The amortisation costs figures are reflected (scheme account wise) in the respective Receipt and Payment Accounts that were provided to the Balance Sheet Section. (ii) This is the first year the Accrual Basis of accounting was implemented. The observation of Audit is noted and will be followed as per the observations of Audit to show it as prior period expenses.
C. Significant Accounting Policies (Schedule 44) C.1 (a) Significant Accounting Policy No.1 state that the financial statements are prepared on accrual basis otherwise stated, under the historical cost convention in accordance with applicable mandatory accounting standards and even relevant presentational requirements of common format of Accounting recommended by Govt. of India. However the accounting policy framed by EPFO on Investment is not in compliance to the provisions of Accounting Standard-13 As per the Accounting Standard 13 <i>Investments are to be classified as long term investments and current investments</i>. Current investments are to be valued at lower of cost or fair value on the other hand Long term investments are usually carried at cost. However, when there is a decline, other than temporary, in the value of a long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. EPFO had not classified its investment into current investment and long term investment and the investments have been valued at amortised value which is neither the market value nor the face value of the investment in contravention of Accounting Standard 13. C.1 (b) As on 31.03.2016, Rs.887.52 crore has been shown as amount under reconciliation in the various schedules of investment and as such EPFO is unable to classify this amount into respective securities it has purchased over the years.	C. C.1 & b) C&AG vide letter dated 14/07/2016 on the subject of accounting policy for investment in equity has conveyed that EPFO may review its accounting policy and make it consistent with the Accounting Standards issued by ICAI. CAG also suggested that in view of the peculiar and unique conditions of the working of EPFO, it may like to refer the matter to the Expert Committee of ICAI for their expert advice. Further, EPFO has sought the expert views of IIM Bangalore in the matter which are awaited. In view of the above the investments are valued at – i) The investments have been valued at cost price alongwith the amortisation cost for the year (amortisation of the premium/discount of the cost price over the face value) that are reflected in the Receipt & Payment Accounts provided to the Balance Sheet Section. ii) The details of the current investments such as CBLO, Liquid Mutual Fund (LMF) and other investments (long term) with their respective cost prices are reflected in the Receipt and Payments Accounts provided to the Balance Sheet section which is in compliance with Accounting Standard-13. The ETF investment is long term investment hence shown as Cost Price which is in accordance with Accounting Standard-13. Further, the investments balances are shown at Face Value in the Holding statements maintained in the Investment section.

In addition to this EPFO could not classify the amortised value of total investment shown in the Balance Sheet into the types of investment it has made. In view of the above audit is not able to form an opinion on the investment shown in the accounts.	
C.2 Significant Accounting Policy No. 6 pertaining to Building and Construction Fund and Significant Accounting Policy relating to Addition/deletion of any head is in nature of disclosure and needs to be shifted under Schedule of Contingent Liabilities & Notes on Accounts.	C.2 The Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.
C.3 Significant Accounting Policy No. 8.1 and 8.2 stating that the salary paid for the Month of March in April shall be treated as expenditure of April and the provision of interest on advances to employees is accounted on cash basis after recovery of Principal amount to full extent are not consistent with the accrual basis of accounting.	C.3 The Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.
C.4 Significant Accounting Policy No. 11.2 states that Leave encashment on retirement shall be treated as revenue expenditure of that year. This accounting policy is in contravention of Uniform format of Accounts and AS-15 which provides that the provision for the leave encashment on retirement should be made on the basis of actuarial valuation.	C.4 The Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.
D. Contingent Liabilities & Notes on Accounts (Schedule 45) D.1 Repayment of principal amount of investment of Rs. 25.00 crore, Rs. 50.20 lakh and Rs. 27.60 lakh made in Uttar Pradesh Financial Corporation, M/s PSIDC and Punjab Financial Corporation are in default since April 2004, 2012 & June 2014 respectively. Disclosure about the realisability of this amount along with interest has not been made in the Notes on Accounts.	D. D.1 The Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.

D.2 Payment of interest of Rs. 16.24 crore on investment from the various parties is in default as per details below. Disclosure about the realisability of these amounts has not been made in the Notes on Accounts.	<table><tr><th>S. N o.</th><th>Name of establishment</th><th>Default Period</th><th>Interest</th></tr><tr><td>1.</td><td>Uttar Pradesh Financial Corporation</td><td>Since 2004</td><td>920.12</td></tr><tr><td>2.</td><td>M/s. The Pradeshia Investment Corporation UP Ltd (UP PICUP)</td><td>Since 2003</td><td>59.71</td></tr><tr><td>3.</td><td>M/s Richard & Cruddas (RCL)</td><td>Since 2002</td><td>137.73</td></tr><tr><td>4.</td><td>M/s Bangalare Mahanagar Palika</td><td>Since 2004</td><td>201.06</td></tr><tr><td>5.</td><td>M/s. PSIDC</td><td>Since 2004</td><td>63.98</td></tr><tr><td>6.</td><td>HMT Machine Tools Ltd BIFR case</td><td>Since 1996</td><td>236.48</td></tr><tr><td>7.</td><td>Punjab Corporation Financial</td><td>Since 2014</td><td>3.21</td></tr><tr><td>8.</td><td>Andhra Pradesh Power finance Corporation Limited</td><td>Since 2015</td><td>2.13</td></tr><tr><td colspan="3">Total</td><td>1624.42</td></tr></table>	S. N o.	Name of establishment	Default Period	Interest	1.	Uttar Pradesh Financial Corporation	Since 2004	920.12	2.	M/s. The Pradeshia Investment Corporation UP Ltd (UP PICUP)	Since 2003	59.71	3.	M/s Richard & Cruddas (RCL)	Since 2002	137.73	4.	M/s Bangalare Mahanagar Palika	Since 2004	201.06	5.	M/s. PSIDC	Since 2004	63.98	6.	HMT Machine Tools Ltd BIFR case	Since 1996	236.48	7.	Punjab Corporation Financial	Since 2014	3.21	8.	Andhra Pradesh Power finance Corporation Limited	Since 2015	2.13	Total			1624.42	D.2 The Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.
S. N o.	Name of establishment	Default Period	Interest																																							
1.	Uttar Pradesh Financial Corporation	Since 2004	920.12																																							
2.	M/s. The Pradeshia Investment Corporation UP Ltd (UP PICUP)	Since 2003	59.71																																							
3.	M/s Richard & Cruddas (RCL)	Since 2002	137.73																																							
4.	M/s Bangalare Mahanagar Palika	Since 2004	201.06																																							
5.	M/s. PSIDC	Since 2004	63.98																																							
6.	HMT Machine Tools Ltd BIFR case	Since 1996	236.48																																							
7.	Punjab Corporation Financial	Since 2014	3.21																																							
8.	Andhra Pradesh Power finance Corporation Limited	Since 2015	2.13																																							
Total			1624.42																																							
D.3 Note on Account No. 6 should disclose the total number of inoperative accounts as on the last day of the year instead of during the year.		D.3 The Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.																																								
D.4 Note on Account No. 3.2 does not depict the amount assessed under realisable category but not taken into accounts.		D.4 The Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.																																								
D.5 The details of land not registered in the name of EPFO needs to be disclosed by way of Notes to Accounts.		D.5 The Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.																																								
E.	General	E																																								
E.1	Uniform format of Accounts	E.1																																								
On review of common format the following deficiencies were noticed in the adoption of common format.																																										
1. In the Balance Sheet consolidated figures of the heads of liabilities and		1 to 10 The Common Format of Accounts is under consideration of C&AG for approval.																																								

- assets are not shown. All heads are bifurcated into five schemes and the heads of Balance sheet are shown five times depicting the respective figure of the scheme.
- EPFO should have put consolidated figures of each head and each duly referenced to respective schedule. This schedule should have disclosed the respective figure of that head scheme wise e.g. in case of reserve and surplus, a consolidated figure of reserve and surplus pertaining to all schemes should have been shown on the face of the Balance Sheet. The head of reserve and surplus should have been broken up in to reserve and surplus of respective scheme in the schedule.
2. In the Income and Expenditure consolidated figures of the each heads of are not shown. All heads are bifurcated into five schemes and the heads of Income and Expenditure are shown five times depicting the respective figure of the scheme.
 3. Consolidated surplus/deficit during the year was not shown in consolidated Income & Expenditure account and respective column was left blank
 4. A consolidated Receipts & Payments Accounts have not been prepared.
 5. EPFO has maintained 2 sets of Receipt & Payment Accounts for EDLI scheme i.e one for Contribution and other for Administration. The two accounts needs to be clubbed and a consolidated Receipt & Payment Account for EDLI scheme should be prepared.
 6. EPFO has not prepared Receipt & Payment Account for EPF scheme.
 7. Current Assets (Schedule 28) did not have head for advances paid for Capital Accounts and TDS deducted on investment by bank and recoverable for Income Tax department. The same may be included.
 8. Fixed Assets (Schedule 24) The other Fixed Assets have not been specified in the footnote to Schedule and the intangible assets have not been shown separately.
 9. Schedule 34 & Schedule 36 The nomenclature may be changed from "Interest received/receivable on Public Account" to "Interest received/receivable on Public Account of Government of India"
 10. The accounts of the Staff Provident Fund should be maintained separately and should not be merged but annexed to the main accounts.
 - 10 In the Income & Expenditure account proper head for profit/loss on disposal of investment and reduction in the carrying amount or vice versa should be given

E.2 EPFO is operating Suspense accounts under the following heads:-
(Rs. in crore)

E.2 The records are being maintained at field offices and the same are being verified/audited by AGs of the respective States.

S.	Name of the Head	Amount classified under the head
No.	Sundry Credits	
1.	Suspense Account (Unclassified EPF) (Schedule 5)	58.02
2.	Suspense Accounts (Admn. Fund) (Schedule 15)	58.93
	Sundry Debits	
3.	Suspense Accounts (Unclassified EPF) (Schedule 19)	97.38
4.	Suspense Accounts (Admn. Fund) (Schedule 28)	24.11

Details of balances lying under the above heads were neither provided to audit nor were available with the EPFO headquarters. Further, for the treatment of suspense balance/accounts, policy has not been disclosed in Notes on Account as specified in Para 10.6 Para VII under chapter 10 of the Manual of Accounting Procedure Part I. However the details as specified in the manual provisions were not enclosed with the annual accounts.

| **E.3** In the accounts, an amount of Rs. 360275.59 crore has been depicted as subscribers balance in (Schedule- I) Employees provident Fund Accounts as on 31 March 2016. The individual subscriber's accounts at ROs are being maintained electronically. No separate broadsheets has been maintained at RO as well as at Hqrs office for reconciliation of the subscribers accounts with the total fund shown in the accounts. **E.4** As on June 2014, 3,65,814 subscribers accounts were indicating minus balances of Rs. 330.87 crore pertaining to eight ROs and SROs. As on 31.03.2016, minus balance was Rs. 193.46 crore in 2,39,739 subscribers accounts. Prudence demands that balances in subscribers' accounts should always be positive. This should be disclosed in the Accounts. **E.5** **Annual Valuation** As per paragraph 32 of Employees Pension Scheme, the Union Govt. is required to get annual valuation of Employees Pension Fund conducted by a valuer appointed by it. Valuation for the year 2015-16 has not been carried out which could have an impact on assets & liabilities. **E.6** Significant Accounting Policy No. 2 states that "All items in the store, stock and spares are valued at cost" whereas Accounting Standard 2 relating to Valuation of inventories states that Inventories should be valued at the lower of cost and net | | |
| **E.3** The entire ledger is maintained digitally. **E.4** As on 31.03.2016, the minus balance further reduced to Rs.193.46 crore in 2,39,739 accounts. The work of reconciliation of minus balances has been taken by EPFO and a comprehensive effort for investigating the reasons for minus balances has been initiated on all India level. All the Regional/Sub-Regional Offices have been directed to clear all the cases of negative balances by 28th February, 2017. For recovery of over paid amount from the errant officials or employers, Over Payment Review Committee has been strengthened for effective and prompt action. The accounts have been prepared in the legacy formats of accounts. However, the 'Draft of Common Format of Accounts' are under consideration for approval before C&AG. On receipt of the same from C&AG, necessary changes, if require shall be carried out in the Common Format of Accounts **E.5** The matter relating to appointment of actuary for the valuation of Employees' Pension Fund for the year 2015-16 and 2016-17 is under consideration of the Government. **E.6** The Annual Accounts for the year 2015/16 have also been prepared in Common Format of Accounts as prescribed by Central Government for autonomous bodies. Ministry of Labour & Employment has in-principle approved the Common Format. | | |

realisable value. Thus, accounting policy framed by EPFO is not in conformity with the Accounting Standard 2.	
E.7 Regional Offices and Sub Regional offices (RO Tambaran, SRO Nagercoil, R.O. (South) Delhi and SRO Jhillmil) have prepared the accounts on cash basis. For preparation of the consolidated accounts on accrual basis the accounts of ROs/SROs also need to be prepared on accrual basis	E.7 The field offices are preparing their Annual Accounts in existing legacy formats of accounts. Only Consolidated Annual Accounts for the year 2015-16 have been prepared in Uniform Common Formats on the basis of annual accounts received from the respective field offices as per requirement of Common Format.
E.8 Regional Offices (RO Gurugram, RO Faridabad, RO Surat) have not disclosed Significant Accounting Policies and Notes on Accounts	E.8 The field offices are preparing their Annual Accounts in existing legacy formats of accounts. Only Consolidated Annual Accounts for the year 2015-16 have been prepared in Uniform Common Formats on the basis of annual accounts received from the respective field offices as per requirement of Common Format.
E.9 Regional Offices (RO Gurugram, RO Faridabad, RO Kanpur, RO Tambaran, SRO Nagercoil, RO Ahmedabad, RO Surat and RO Thane) have not prepared the accounts in the Uniform Format of Accounts.	E.9 The field offices are preparing their Annual Accounts in existing legacy formats of accounts. Only Consolidated Annual Accounts for the year 2015-16 have been prepared in Uniform Common Formats on the basis of annual accounts received from the respective field offices as per requirement of Common Format.
E.10 RO Delhi (South)	E.10 DELHI (SOUTH)
(i) Regional Office (Delhi-South) EPFO has booked expenditure of Rs. 46,22,471 on computerization in Income and Expenditure Account for the year 2015-16. The expenditure on computerization includes expenditure of Rs. 34,19,491 on computer hardware and Rs. 50,490 on computer software which was of capital nature. This has resulted into overstatement of expenditure to the extent of Rs. 34,69,981 in Income & Expenditure Account and understatement of Admin Account (Revenue Surplus) on Liabilities side and Asset side of Balance Sheet.	(i) The budget head 'Computerisation' includes Computer Equipment, Peripherals, General Purchase and Repair & Maintenance (including AMC), Computerisation head is not divided into Capital Expenditure and Non-Capital Expenditure.
(ii) An amount of Rs. 5.89 crore was due from the bank as belated interest up to March 2016. This amount has neither been taken as income in the accounts nor disclosed in the Notes on Accounts by RO (South) Delhi.	(ii) It is submitted that the remarks has been marked in the Balance Sheet for the year 2015-16 that "a sum of Rs.5.89 crore was due from SBI Bank". In this regard, it is submitted that the recovered amount from the Bank will be booked under the head of "Interest on Belated Credit" in classified summary in the next financial year..
(iii) There were differences of Rs. 71.51 lakh between the figures of Balance Sheet and details of Budget Register furnished by the RO (Delhi-South) EPFO in the Bank commission & TT Charges head. The differences in the figures need to be reconciled.	(iii) It is informed that the amount shown in Budget Register and Income Expenditure return were not tallied due to some clerical error as Rs. 71,51,208/- was not reflected in the Budget Register. Now entry has been made in the Budget Register.
E.11 RO, Meerut.	E.11
RPFC, Meerut had prepared Receipt and Payments Account, Income and Expenditure Account and Balance Sheet for the year 2015-16 without any schedule.	The formats of Receipts & Payments Accounts, Income & Expenditure Accounts and Balance Sheet sent to the field offices are not containing the schedules separately. The schedules are detailed only when the consolidated annual accounts of the organisation are prepared at Headquarters office.

E.12 RO Dehradun (i) As per Fixed Assets Register the cost of land and building was Rs. 83.16 lakh and Rs. 81.17 lakh respectively. However, the value of land and building was shown separately in the Balance Sheet. (ii) The figures of previous year were not shown separately in the annual accounts.	E.12 (i) The value of 'Land & Building' has been shown collectively in the Assets side of the Balance Sheet, which is as per specified format. (ii) The same has shown correctly as per specified format.															
E.13 RO Kanpur (i) RPFC, Kanpur prepared the Receipts and Payments Account, Income and Expenditure Account and Balance Sheet without any Schedule, Ledgers and other detailed records.	E.13 The necessary records have been prepared and will be submitted to the Audit Party during their next visit.															
E.14 RO Thane Cheques remaining unpaid for more than six month amounting to Rs. 10.90 crore were deducted from the total amount of cheques issued instead of writing back the amount in the cash book which misrepresent the accounting figures mentioned in the Balance Sheet	E.14 This has been rectified.															
E.15 RO Mumbai (i) The bank reconciliation of Account No. 1 and Account No. 10 is pending since January 2012 and November 2011 respectively. (ii) Scrutiny of the bank reconciliation statements of RO Mumbai revealed that cheques amounting to Rs. 134.41 crore (as detailed below) have become time barred but the same has not been cancelled and written back in the accounts. <table border="1"><thead><tr><th>Account No.</th><th>No. of cheques time barred as on 31/3/2016</th><th>Amount of time barred cheques (Rs.)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Account No. 1 (up to December 2011)</td><td>12427</td><td>1,11,65,60,140</td></tr><tr><td>Account No. 2</td><td>60</td><td>14,78,159</td></tr><tr><td>Account No. 10 (up to October 2011)</td><td>NA</td><td>22,43,81,958</td></tr><tr><td>Account No. 21</td><td>19</td><td>17,07,358</td></tr></tbody></table> This has resulted in understatement of cash balance and liabilities by Rs. 134.41 crore. (iii) The total land & building of RO Mumbai is Rs. 14.14 crore whereas as per the Fixed Assets Register the land & Building is Rs. 8.59 crore. The difference of Rs. 5.55 crore needs to be reconciled.	Account No.	No. of cheques time barred as on 31/3/2016	Amount of time barred cheques (Rs.)	Account No. 1 (up to December 2011)	12427	1,11,65,60,140	Account No. 2	60	14,78,159	Account No. 10 (up to October 2011)	NA	22,43,81,958	Account No. 21	19	17,07,358	E.15 (i) The bank reconciliation shall be done in a time bound manner (ii) An exercise has been undertaken to reconcile the cash balance and liabilities.
Account No.	No. of cheques time barred as on 31/3/2016	Amount of time barred cheques (Rs.)														
Account No. 1 (up to December 2011)	12427	1,11,65,60,140														
Account No. 2	60	14,78,159														
Account No. 10 (up to October 2011)	NA	22,43,81,958														
Account No. 21	19	17,07,358														
	(iii) This has been rectified. (iv) A reconciliation exercise has been undertaken to rectify the differences in figures.															

(iv) The differences were noticed between the figures of the Balance Sheet of RO Mumbai in respect of Staff Provident Fund of Rs. 14.61 crore as per the SPF account summary statement. This difference needs to be reconciled.

(v) As per generally accepted accounting principles the cash book should not have negative balances but in RO Mumbai the balances of two bank accounts out of total five bank accounts were in negative which is contravention of accepted accounting principles.

Account no.	Closing cash book balances (Rs.)
Account No. 2	(-) 1,07,14,942
Account No. 21	(-) 61,97,880

(v) The minus balances exhibited in Accounts is actually Cash Book balance. Under 'New Fund Management System' (NFMS), the daily closing Bank balance in respect of A/cs is automatically transferred online to the Central Investment Accounts leaving a 'NIL' balance in the account. Due to this, the cheques issued by the field offices, which have not yet been presented for payment results into negative balance in the Cash Book of A/cs. In fact, a negative balance shows optimum utilization of the Fund as lead time between the issue of cheque and corresponding debit of the account is used by the Organisation without actually providing for Fund equal to it and the same Fund is invested during that period for enhancing the earnings of the subscribers. Moreover, cheques issued are debited immediately in the Cash Book whereas debit is given by Bank later. Thus, the minus balance in Cash Book is not a minus balance in Bank Account.

E16 Negative Balances in Accounts

(i) The following negative opening/closing balances were observed in Receipts and Payments Accounts of 2015-16 of RO Tarnan, as detailed below:

A/c No.	OB/CB	Amount
A/c No. 1	OB and CB	OB (-) 66,55,134.25 CB (-) 83,73,132.25
A/c No. 2	CB	(-) 78,87,544.90
A/c No. 10	OB	(-) 85,513.40
A/c No. 21	OB and CB	OB (-) 3,24,645.54 CB (-) 2,66,120.54
A/c No. 22	OB and CB	OB (-) 0.39 CB (-) 11,042.39

The above negative balances require reconciliation and rectification in Accounts.

(ii) The following negative opening/closing balances were observed in Receipts and Payments Accounts of 2015-16 in Sub Regional Office Nagercoil, as detailed below:

A/c No.	Opening balance	Closing Balance
A/c No. 1	-3,46,333	-5,07,144
A/c No. 2	---	-2,05,199
A/c No. 10	-65,11,322	-74,85,253
A/c No. 21	-75,278	-2,52,337

The above negative balances require reconciliation and rectification in Accounts.

E16

(i) The minus balances exhibited in Accounts is actually Cash Book balance. Under 'New Fund Management System' (NFMS), the daily closing Bank balance in respect of A/cs is automatically transferred online to the Central Investment Accounts leaving a 'NIL' balance in the account. Due to this, the cheques issued by the field offices, which have not yet been presented for payment results into negative balance in the Cash Book of A/cs. In fact, a negative balance shows optimum utilization of the Fund as lead time between the issue of cheque and corresponding debit of the account is used by the Organisation without actually providing for Fund equal to it and the same Fund is invested during that period for enhancing the earnings of the subscribers. Moreover, cheques issued are debited immediately in the Cash Book whereas debit is given by Bank later. Thus, the minus balance in Cash Book is not a minus balance in Bank Account.

(ii) The minus balances exhibited in Accounts is actually Cash Book balance. Under 'New Fund Management System' (NFMS), the daily closing Bank balance in respect of A/cs is automatically transferred online to the Central Investment Accounts leaving a 'NIL' balance in the account. Due to this, the cheques issued by the field offices, which have not yet been presented for payment results into negative balance in the Cash Book of A/cs. In fact, a negative balance shows optimum utilization of the Fund as lead time between the issue of cheque and corresponding debit of the account is used by the Organisation without actually providing for Fund equal to it and the same Fund is invested during that period for enhancing the earnings of the subscribers. Moreover, cheques issued are debited immediately in the Cash Book whereas debit is

(iii) Recoverable Advances from Staff exhibiting negative figures SRO, Nagercoil, negative balances were exhibited in Assets side of balance sheet towards recoverable advances from Staff, as shown below:						given by Bank later. Thus, the minus balance in Cash Book is not a minus balance in Bank Account. (iii) The rectification on this account shall be done on reconciliation of remaining balances in the accounts.	
Balance as on	Conveyance Advance	House Building Advance	Natural Calamity Advance	Computer Advance			
31.03.2016	-79,985.00	-6,90,772.00	-4800.00	-3,01,1726.00			
F. Grants-in-aid The Employees' Provident Fund Organization is mainly financed by receipts from the contributions. No grants-in-aid (Plan, Non-Plan & NER) were received by the organization from the Government of India during the year 2015-16. However, EPFO received Rs. 509.80 crore grants-in-aid during 2015-16 for reimbursement of excess amount disbursed by EPFO as minimum pension of Rs. 1000/- which was utilised.							
G. Management Letter Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Central Provident Fund Commissioner, EPFO through a Management Letter issued separately for remedial/corrective action.							
G. Deficiencies pointed out by CAG has been noted and corrective actions are being taken separately.							

Annexure II to the Audit Report

Separate Audit Report (Annexure) – Observations	Comments of the Organisation
1. Adequacy of internal audit system - Out of the total 130 units, internal audit of 130 units were planned and audit of only 123 units completed. - Proper follow up action was not taken to get the objections settled as 7639 internal audit paras were outstanding as on 31.3.2016.	- There has been an improvement in 2015-16 –the number of units audited in 2015-16 was 123 compared 120 units in 2014-15. The target could not be achieved on account of shortage of manpower in the Audit Wing. - During the year 2192 paras have been settled.
2. Adequacy of internal control System 76 external audit paras pertaining to period from 1996 97 to 2014-15 in respect of EPFO hqrs were outstanding as on 31/3/2016. - Sundry Credits (Schedule 5) includes cumulative balance of overpayments and irregular payments of Rs. 5.19 crore and Rs. 5.98 crore respectively as on 31st March 16. Amount of overpayment has increased by Rs 0.96 crore over a period of one year, which indicates a serious system lapse and lack of adequate internal control. - The physical verification of fixed assets except Land and Buildings, Plant & Machinery of EPFO Hqrs for the year 2015-16 had been conducted. - The physical verification of Fixed Assets and Inventories of ROs and SROs is not being conducted regularly. - Bank reconciliation was not done time bound manner in respect of ROs and SROs. - Annual valuation of Employees Pension Fund for the year 2015-16 has not been carried out. - The investments/securities have been valued at amortised value which is neither the market value nor the face value of the investment in contravention of Accounting Standard 13.	- The replies to 67 paras has been submitted to the office of DG(A)CE. - The compliance of the remaining 9 paras is being done. - Instructions had been issued from time to time to all the field offices for recovery of such payments. Addl. Central Provident Fund Commissioner headed Committee has been formed to recover over payments and irregular payments. - The physical verification is being done regularly. - The physical verification is being done regularly. - Bank reconciliation is being done in a time bound manner in ROs and SROs. - The matter relating to appointment of actuary for the valuation of Employees' Pension Fund for the year 2015-16 and 2016-17 is under consideration of the Government - The investments are valued at – i) The investments have been valued at cost price alongwith the amortisation cost for the year (amortisation of the premium/discount of the cost price over the face value) that are reflected in the Receipt & Payment Accounts provided to the Balance Sheet Section. ii) The details of the current investments such as CBLO, Liquid Mutual Fund (LMF) and other investments (long term) with their respective cost prices are reflected in the Receipt and Payments Accounts provided to the Balance Sheet section which is in compliance with Accounting Standard-13. - The ETF investment is long term investment hence shown as Cost Price which is in accordance with Accounting Standard-13.

• Non-conducting the actuarial valuation of retirement benefit in 2015-16.	Further, the investments balances are shown at Face Value in the Holding statements maintained in the Investment section. • The actuarial valuation is being conducted in an interval of some time (years).
3. System of physical verification of Assets • The physical verification of fixed assets except Land and Buildings, Plant & Machinery of EPFO Hqrs for the year 2015-16 had been conducted. • The physical verification of fixed assets of ROs and SROs is not being conducted regularly.	• The physical verification is being done regularly. • The physical verification is being done regularly.
4. System of physical verification of inventory • Physical verification in respect of books, publications and stationery and consumables has been conducted upto 2015-16 in respect of EPFO Hqrs. • The physical verification of inventories of ROs and SROs is not being conducted regularly.	• The physical verification is being done regularly. • The physical verification is being done regularly.
5. Regularity in payment of statutory dues • As per accounts, no payment over six month in respect of statutory dues was outstanding as on 31.3.2016.	• No Comments, being factual.

Annexure to Management Letter

(i) Time-barred cheques amounting to Rs. 33,219 have not been cancelled and amount credited to Accounts by RO Tambaran. This has resulted in Under Statement of Closing Bank Balance and Liability by Rs. 33,219.	(i) A sum of Rs.30,356/- has been re-credited to member's account on 11-05-2016 and a sum of Rs.2,863/- has been re-credited to member's account on 09-07-2016
(ii) A sum of Rs. 1.12 lakh has been shown as outstanding towards New Pension Scheme in the Liabilities side of Balance Sheet of SRO Nagercoil as on 31.03.2016. However the N.P.S contribution for 2015-16 and earlier period were remitted and as such there is no liability. This needs to be reconciled and rectified.	(ii) The rectification on this account shall be done on reconciliation of contributions towards National Pension System.

वर्ष 2015-2016 के समेकित वार्षिक लेखे लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सहित



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यालय
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस
नई दिल्ली-110 066

विषय - सूची

क्रम सं.	विषय	पृष्ठ
1.	आय और व्यय लेखा - कर्मचारी भविष्य निधि -----	99
2.	आय और व्यय विनियोजन लेखा - कर्मचारी भविष्य निधि -----	101
3.	तुलन पत्र - कर्मचारी भविष्य निधि -----	103
4.	अंशदान लेखा - कर्मचारी पेंशन निधि -----	121
5.	प्रशासन लेखा - कर्मचारी पेंशन निधि -----	123
6.	तुलन पत्र - कर्मचारी पेंशन निधि -----	125
7.	अंशदान लेखा - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि -----	131
8.	प्रशासन लेखा - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि -----	133
9.	तुलन पत्र - कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि -----	135
10.	प्रकटीकरण विवरणी -----	140
11.	समेकित वार्षिक लेखे (सामान्य प्रारूप) -----	146
12.	वार्षिक लेखों (सामान्य फार्मेट) के लिए प्रकटीकरण -----	182
13.	लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र -----	183
14.	लेखा परीक्षा रिपोर्ट -----	187
15.	प्रबन्धन पत्र -----	217

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के
आय और व्यय लेखे
तथा
तुलनपत्र

**कर्मचारी भविष्य
वर्ष 2015-2016 का
(कर्मचारी भविष्य)**

पिछला वर्ष	क्र.सं.	व्यय	राशि
1	2	3	4
रूपये			रूपये
पैसे			पैसे
8,19,25,00,100.14	1.	अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन	8,63,06,27,574.74
1,90,65,58,152.84	2.	भत्ते एवं मानदेय	1,97,21,25,777.60
19,56,79,434.06	3.	यात्रा भत्ता एवं अवकाश यात्रा रियायत	15,86,20,797.72
	4.	(क)पेंशन/परिवार पेंशन/मृत्यु सह	
2,62,75,97,601.39		सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी	2,93,31,44,411.60
0.00		(ख) पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि में अंतरित राशि	2,04,74,58,761.48
18,83,912.58	5.	स्टाफ भविष्य निधि, नि.स.बी.लाभ	21,19,477.14
	6.	(क) अन्य प्रभार (आवर्ती/	
4,35,69,20,543.92		अनावर्ती)	4,71,45,90,168.36
		(ख) कार्यालय भवन/	
14,68,00,131.86		स्टाफ क्वार्टरों का रखरखाव	14,98,05,789.21
5,57,14,148.27	7.	(क) अनुदान	55,13,777.18
0.00		(ख) सामूहिक बीमा बचत राशि की वापसी	0.00
17,48,36,54,025.06		कर्मचारी भविष्य निधि योजना पर किया गया कुल व्यय	20,61,40,06,535.03
	8.	<u>निम्नलिखित के प्रशासन पर व्यय :</u>	
0.00		(क) कर्मचारी पेंशन योजना	0.00
17,66,02,565.91		(ख) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना	20,82,22,288.24
0.00		(ग) अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य निक्षेप योजना	0.00
31,39,94,33,142.19	9.	व्यय से आय की अधिकता	28,26,28,09,461.92
49,05,96,89,733.16		जोड़	49,08,50,38,285.19

निधि संगठन
आय और व्यय लेखा
निधि योजना, 1952)

पिछला वर्ष	क्र.सं.	आय	अनु. सं.	राशि
5	6	7	8	9
रूपये	पैसे			रूपये
				पैसे
	1.	प्रशासकीय प्रभार, निरीक्षण प्रभार एवं शास्तिक नुकसानी		
36,81,50,54,342.28		से प्राप्ति	(I)	36,49,21,03,820.88
	2.	अधिशेष प्रशासनिक निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज		12,07,71,66,859.29
11,74,78,26,625.55				
	3.	पेंशन निधि एवं अन्य लेखों से प्राप्ति	(II)	35,21,00,000.00
26,91,79,718.87				
22,76,29,046.46	4.	विविध प्राप्तियां		16,36,67,605.02
0.00	5.	आय से व्यय की अधिकता		0.00
49,05,96,89,733.16		जोड़		49,08,50,38,285.19

कर्मचारी भविष्य
आय और व्यय

पिछला वर्ष		क्र.सं.	व्यय	राशि	
रूपये	पैसे			रूपये	पैसे
	0.00	1.	आय से व्यय की अधिकता		0.00
	0.00	2.	भवन निर्माण निधि के लिए प्रावधान		0.00
	0.00	3.	रखरखाव का प्रावधान (मरम्मत, पुनर्नवीकरण तथा प्रतिस्थापन) निधि		0.00
31,39,94,33,142.19		4.	तुलन पत्र में ले जाया गया शेष	28,26,28,09,461.92	
31,39,94,33,142.19			जोड़	28,26,28,09,461.92	

निधि संगठन
विनियोजन लेखा-(2015-2016)

पिछला वर्ष		क्र.सं.	आय	राशि	
रुपये	पैसे			रुपये	पैसे
31,39,94,33,142.19		1.	व्यय से आय की अधिकता	28,26,28,09,461.92	
	0.00	2.	तुलन पत्र में ले जाया गया शेष		0.00
31,39,94,33,142.19			जोड़	28,26,28,09,461.92	

पिछला वर्ष :		पाद टिप्पणी :	चाल वर्ष :	
		(i) लेखों को वास्तविक आधार पर समेकित किया गया है ।		
		(ii) पिछले वर्षों की अधिशेष प्रशासन निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज को चालू वर्ष में शामिल किया गया है ।		
रुपये	0.00 लाख	(iii) सरकार द्वारा देय कर्मचारी पेंशन योजना के प्रशासन पर किया गया व्यय	रुपये	0.00 लाख
रुपये	0.00 लाख	(iv) अतिरिक्त परिलब्धियां अनिवार्य जमा योजना के प्रशासन पर किया गया व्यय	रुपये	0.00 लाख
रुपये	0.00 लाख	(v) <u>नियोक्ताओं से देय किन्तु अप्राप्त अनुमानित बकाया राशि :</u>	रुपये	0.00 लाख
रुपये	21,900.23 लाख	(क) प्रशासकीय प्रभार (ख) निरीक्षण प्रभार (ग) प्रशासन लेखे पर शास्तिक नुकसानी }	रुपये	25,749.45 लाख

ह०/-
(मीनाक्षी गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(वी.पी. जोय)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

पिछला वर्ष		क्र.सं.	देयताएं	अनु. स.	राशि	
रूपये	पैसे				रूपये	पैसे
30,82,66,43,88,832.18		1.	कर्मचारी भविष्य निधि खाता	III	36,02,89,49,34,871.10	
3,55,31,39,44,807.18		2.	निष्क्रिय खाता	IV	4,08,65,13,81,748.73	
2,68,43,96,578.40		3.	विशेष आरक्षित निधि खाता	V	2,92,06,22,776.30	
		4.	<u>ब्याज खाता :</u>			
			(क) 31.03.2016 तक सदस्यों के खाते में जमा की जाने वाली राशि	VI	97,37,46,04,148.56	
28,43,26,37,214.46			(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त तथा अगले वर्ष सदस्यों के खाते में जमा की जाने वाली राशि	VI	3,53,97,79,09,030.60	
3,09,26,82,78,566.61		5.	<u>स्टाफ भविष्य निधि खाता :</u>			
8,85,35,27,535.80			क) स्टाफ भविष्य निधि खाता	VII	9,58,03,52,720.80	
94,44,50,172.52			ख) स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता	VIII	1,15,45,06,253.09	
22,69,67,74,430.83		6.	पेंशन सह ग्रेच्युटी खाता (स्टाफ)	IX	26,74,61,46,604.08	
2,70,07,98,358.13		7.	निवेश अस्थिर खाता	X	2,70,07,98,358.13	
1,13,21,208.46		8.	प्रतिभूति जमा		1,30,36,316.46	
38,13,57,05,17,704.57			जोड़		45,06,01,42,92,827.85	

निधि संगठन
तक का तुलन पत्र
निधि योजना, 1952)

पिछला वर्ष		क्र.सं.	परिसंपत्तियां	अनु. सं.	राशि
रुपये	पैसे				रुपये पैसे
		1.	<u>निवेश खाता :</u>		
37,87,29,92,76,240.33			क) कर्मचारी भविष्य निधि खाता	XV	44,81,43,79,37,671.00
11,44,90,63,887.17			ख) स्टाफ भविष्य निधि खाता	XVI	12,75,25,70,282.52
22,64,40,94,413.57			ग) पेंशन सह ग्रेज्युटी निधि	XVII	26,74,15,42,312.02
1,56,36,97,50,648.72			घ) प्रशासन निधि	XVIII	1,84,69,81,41,426.98
		2.	<u>भूमि एवं भवन :</u>		
4,48,53,40,582.21			क) अधिग्रहीत परिसंपत्तियां		4,50,01,47,757.18
5,63,44,12,615.50			ख) अदा की गई अग्रिम राशि		7,53,56,16,688.53
17,02,59,308.07		3.	वसूली योग्य अग्रिम राशि (स्टाफ)	XIX	15,07,91,879.24
		4.	विशेष आरक्षित निधि (वसूली योग्य)	XXIII	68,87,57,635.21
68,79,04,827.21		5.	सुरक्षित जमा (पार्टियों को दी गई अग्रिम राशि)		2,99,11,892.20
2,90,84,035.20		6.	मार्गस्थ राशि	XX	26,53,88,909.86
27,74,14,988.94		7.	नकद		51,369.79
48,469.79		8.	बैंक में नकद (भा.स्टे. बैंक. एवं भा.रि. बैंक दोनों में)	XXI	-13,59,03,22,083.94
-4,24,49,37,885.78		9.	विविध नामे	XXII	1,85,21,42,664.55
1,78,84,22,334.27					
39,86,59,01,34,465.20			जोड़		47,07,06,26,78,405.14

पिछला वर्ष		क्र.सं.	देयताएं	अनु. सं.	राशि
रूपये	पैसे				रूपये पैसे
38,13,57,05,17,704.57			पिछले पृष्ठ से लाया गया जोड़		45,06,01,42,92,827.85
8,87,25,41,897.04		9.	भवन निर्माण निधि	XI	8,87,25,41,897.04
	0.00	10.	भवन रखरखाव (मरम्मत, पुनर्नवीकरण एवं प्रतिस्थापन) निधि	XII	0.00
1,61,35,24,25,199.64		11.	राजस्व अधिशेष	XIII	1,89,56,72,84,761.19
18,30,371.02		12.	सामूहिक बीमा योजना (नई)		21,35,805.02
2,79,28,19,292.93		13.	विविध जमा	XIV	2,60,64,23,114.03
39,86,59,01,34,465.20			जोड़		47,07,06,26,78,405.14

निधि संगठन
तक का तुलन पत्र
निधि योजना, 1952)

पिछला वर्ष	क्र.सं.	परिसंपत्तियां	अनु. सं.	राशि
रूपये पैसे				रूपये पैसे
39,86,59,01,34,465.20		पिछले पृष्ठ से लाया गया जोड़		47,07,06,26,78,405.14

39,86,59,01,34,465.20	जोड़	47,07,06,26,78,405.14
-----------------------	------	-----------------------

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चालू वर्ष
	(i) लेखों को वास्तविक आधार पर समेकित किया गया है।	
	(ii) नियोक्ताओं से देय किन्तु अप्राप्त अनुमानित राशि :	
रु 1,39,514.37 लाख	(क) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान	रु. 1,68,245.35 लाख
रु. 1,40,442.90 लाख	(ख) अंशदान, प्रशासनिक प्रभार एवं निरीक्षण प्रभार पर शास्तिक नुकसानी	रु. 1,52,543.66 लाख
	(iii) कर्मचारी भविष्य निधि, स्टाफ भविष्य निधि एवं पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि को परिशोधन के बाद लागत मूल्य पर तुलन पत्र में दर्शाया गया है।	
	(iv) 8,87,25,41,897.04 रुपये की भवन निर्माण निधि में से 31.03.2016 तक अधिग्रहण की गई भूमि तथा भवन की लागत जिसमें भुगतान किया गया अग्रिम भी शामिल है, 12,03,57,64,445.71 रुपये है।	
	(v) भूमि एवं भवन को छोड़कर सभी अचल परिसंपत्तियों को राजस्व व्यय माना गया है तथा मैन्युअल के उपबंधों के अनुसार भूमि एवं भवन पर कोई मूल्यहास नहीं दिया गया है।	

ह०/-

(मीनाक्षी गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-

(वी.पी. जोय)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

2014-2015		2015-2016	
रूपये	पैसे	रूपये	पैसे
अनुसूची संख्या I		अनुसूची संख्या II	
आय के ब्यौरे :		पेंशन निधि और अन्य खातों से प्राप्त आय :	
35,78,72,06,841.75	1. प्रशासन प्रभार	35,02,30,29,789.24	
60,62,13,428.50	2. निरीक्षण प्रभार	1,07,68,55,844.70	
22,52,90,337.62	3. शास्तिक नुकसानी	21,81,66,869.15	
19,63,43,734.41	4. 7 क्यू ब्याज	17,40,51,317.79	
36,81,50,54,342.28	जोड़	36,49,21,03,820.88	
अनुसूची संख्या II		अन्य खातों से प्राप्तियों का ब्यौरा :	
0.00	1. कर्मचारी पेंशन योजना ए.ई.(सी.डी.) के प्रशासन के लिए पेंशन निधि से प्राप्त राशि	0.00	
26,91,79,718.87	2. अन्य खातों से	35,21,00,000.00	
26,91,79,718.87	जोड़	35,21,00,000.00	
26,91,79,718.87	1. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के प्रशासन खाते से	35,21,00,000.00	
0.00	2. अन्य खातों से	0.00	
26,91,79,718.87	जोड़	35,21,00,000.00	
घटाएं :		निबल जोड़	
0.00	1. अन्य खातों में अंतरित की गई राशि	0.00	
0.00	2. क्षेत्रीय कार्यालय के खाते और मुख्यालय के खाते के अनुसार खाता सं.2 से खाता सं.4 अथवा इसके गया अंतरण	0.00	
0.00		0.00	
26,91,79,718.87		35,21,00,000.00	

अनुसूची संख्या III

कर्मचारी भविष्य निधि लेखा :

26,76,46,23,95,215.51 पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष

30,82,66,43,88,832.18

जोड़ें:

1. प्राप्त अंशदान (इसमें प्रत्याहरण की वापसी राशि तथा अंतरित प्रतिभूतियां शामिल हैं) 6,00,81,01,33,481.55
2. अंतरित प्रतिभूतियों के द्वारा प्राप्त अंशदान (मुख्य कार्यालय के विपरीत) 1,21,13,22,672.96
3. सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज 2,46,76,94,38,312.93
4. अन्य प्राप्तियां 48,64,21,09,403.80
5. अंशदान पर काटा गया टी.डी.एस. 0.00

7,00,72,14,47,437.71

1,64,02,22,278.74

2,32,97,46,70,468.25

63,76,43,20,762.63

1,71,09,77,331.00

35,73,89,53,99,086.75

जोड़

40,83,47,60,27,110.51

घटाये :

1. निर्गामी सदस्यों को वर्ष के दौरान अंतिम निपटान के रूप में की गई अदायगी 2,36,04,88,49,105.33
2. सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर दिया गया प्रीमियम 21,82,66,800.00
3. वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण 51,18,78,71,904.00
4. निष्क्रिय खाता 1,45,73,86,43,794.24
5. छूट प्राप्त स्थापनाओं को वापस अंतरित की गई प्रतिभूतियों की विविध अदायगी राशि 58,03,73,78,651.00
6. टी.डी.एस.पर जमा अंशदान(आय कर) 0.00

2,36,92,22,54,452.85

16,69,75,111.00

63,22,29,35,560.00

1,11,60,63,49,709.55

67,09,06,15,287.01

1,57,19,62,119.00

4,91,23,10,10,254.57

जोड़

4,80,58,10,92,239.41

30,82,66,43,88,832.18

31 मार्च को शेष

36,02,89,49,34,871.10

अनुसूची संख्या IV

निष्क्रिय खाता :

2,74,48,54,03,529.94	पिछले तूलन-पत्र के अनुसार शेष	3,55,31,39,44,807.18
<u>जोड़ें :</u>		
1,45,73,86,43,794.24	1. वर्ष के दौरान अंतरित की गयी राशि	1,11,60,63,49,709.55
4,20,22,40,47,324.18	जोड़	4,66,92,02,94,516.73
64,91,01,02,517.00	घटायें : वर्ष के दौरान अदा की गयी राशि	58,26,89,12,768.00
<u>3,55,31,39,44,807.18</u>	31 मार्च को शेष	<u>4,08,65,13,81,748.73</u>

अनुसूची संख्या V

विशेष आरक्षित निधि :

2,46,84,12,598.07	पिछले तूलन-पत्र के अनुसार शेष	2,68,43,96,578.40
<u>जोड़ें :</u>		
0.00	1. नियोक्ता से वसूली गई राशि	0.00
21,59,86,102.33	2. विशेष आरक्षित निधि खाते पर ब्याज	23,62,26,898.90
<u>2,68,43,98,700.40</u>	जोड़	<u>2,92,06,23,477.30</u>
<u>घटायें :</u>		
2,122.00	1 विशेष आरक्षित निधि लेखे से अदा की गई राशि	701.00
0.00	2 मृत्यु राहत निधि में अंतरित की गई राशि	0.00
<u>2,122.00</u>	जोड़	<u>701.00</u>
<u>2,68,43,96,578.40</u>	31 मार्च को शेष	<u>2,92,06,22,776.30</u>

अनुसूची संख्या VI

<u>ब्याज खाता :</u>		
2,79,40,60,43,304.21	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	3,37,70,09,15,781.07
<u>घटायें :</u>		
2,46,76,94,38,312.93	1. सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	2,32,97,46,70,468.25
2,912.00	2. छूट प्राप्त स्थापनाओं को वापिस की गई राशि पर अदा किया गया ब्याज	0.00
3,79,75,83,546.82	3. विक्रताओं को अदा किया गया ब्याज	6,90,92,44,998.34
21,59,86,102.33	4. वि.आ.नि. खाते के ब्याज का समायोजन	23,62,26,898.90
0.00	5. अस्थिर खाते पर दिए गए ब्याज का समायोजन	0.00
19,03,95,215.67	6. बैंक द्वारा लगाया गया ओवर ड्राफ्ट ब्याज	20,61,69,267.02
2,50,97,34,06,089.75	जोड़	2,40,32,63,11,632.51
28,43,26,37,214.46	31.03.2016 तक अंशदाताओं के खाते में जमा किया जाने वाला लेखा शेष	97,37,46,04,148.56
<u>जोड़ें :</u>		
3,03,80,18,38,524.59	1 प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	3,48,39,38,93,604.51
0.00	2 बचत बैंक खातों पर ब्याज (केन्द्रीय)	0.00
38,58,089.87	3 बचत बैंक खातों पर ब्याज (क्षेत्रीय)	20,47,932.45
0.00	4 स्थापनाओं से प्राप्त प्रतिभूतियों पर ब्याज	19,80,435.00
1,175.00	5 ऋण पर सदस्यों से वसूल किया गया ब्याज	66,885.00
5,46,25,80,777.15	6 वर्ष के दौरान देरी से प्राप्त अंशदानों पर लगाई गई शास्तिक नुकसानी और 7क्यू ब्याज	5,57,99,20,173.64
0.00	7 प्रतिभूतियों के बेचने से हुई हानि की राशि	0.00
3,09,26,82,78,566.61	जोड़	3,53,97,79,09,030.60
3,37,70,09,15,781.07	31 मार्च को शेष	4,51,35,25,13,179.16

अनुसूची संख्या VII

क. स्टाफ भविष्य निधि लेखा :

8,18,52,53,157.93	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	8,81,47,18,935.93
जोड़ :		
2,60,46,36,956.00	1 अंशदान (इसमें प्रत्याहरण की वापसी शामिल है)	2,62,48,71,432.00
74,46,80,967.00	2 सदस्यों के खातों में जमा किया गया ब्याज	79,20,61,485.00
0.00	3 अन्य प्राप्तियां	0.00
11,53,45,71,080.93	जोड़	12,23,16,51,852.93

घटाये :

1,71,74,14,359.00	1 वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा की गई राशि	1,72,34,90,626.00
0.00	2 सदस्यों की जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम	0.00
38,62,27,717.00	3 वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	36,15,44,303.00
61,62,10,069.00	4 अन्य अदायगियां (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	62,39,84,634.00
2,71,98,52,145.00	जोड़	2,70,90,19,563.00
8,81,47,18,935.93	31 मार्च को शेष	9,52,26,32,289.93

ख. अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टाफ भविष्य निधि खाता :

4,26,05,964.87	1 अप्रैल, 2015 को शेष	3,88,08,599.87
61,62,10,069.00	जोड़ : क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि	62,39,84,634.00
65,88,16,033.87	जोड़	66,27,93,233.87
62,00,07,434.00	घटाये : अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	60,50,72,803.00
3,88,08,599.87	31 मार्च को शेष	5,77,20,430.87
8,85,35,27,535.80	कुल (क+ख)	9,58,03,52,720.80

अनुसूची संख्या VIII

स्टाफ भविष्य निधि ब्याज लेखा :

77,79,82,216.18		पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	94,44,50,172.52
	जोड़ें:		
92,10,83,088.86	1	प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज	1,01,12,29,891.46
35,481.00	2	बचत बैंक खाते पर ब्याज	37,949.00
<u>1,69,91,00,786.04</u>		<u>जोड़</u>	<u>1,95,57,18,012.98</u>
	घटाये :		
74,46,80,967.00	1	सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	79,20,61,485.00
99,69,646.52	2	विक्रेताओं को अदा किया गया ब्याज	91,50,274.89
<u>75,46,50,613.52</u>		<u>जोड़</u>	<u>80,12,11,759.89</u>
<u>94,44,50,172.52</u>		<u>31 मार्च को शेष</u>	<u>1,15,45,06,253.09</u>

अनुसूची संख्या IX

पेंशन सह उपदान खाता :

20,84,78,64,971.53		पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	22,69,67,74,430.83
	जोड़ें :		
22,735.00	1.	खाता संख्या 4 से अंतरित की गई राशि	2,06,81,40,163.11
0.00	2.	बचत बैंक खाते पर वसूल किया गया ब्याज	0.00
1,86,25,73,386.75	3.	वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया ब्याज	2,01,33,54,918.09
2,62,75,97,601.39	4.	क्षेत्रों द्वारा खाता संख्या 2 से दी गई राशि	2,93,31,44,411.60
<u>25,33,80,58,694.67</u>		<u>जोड़</u>	<u>29,71,14,13,923.63</u>
	घटायें :		
2,62,75,97,601.39	1	क्षेत्रों द्वारा अदा की गई राशि	2,93,31,44,411.60
1,36,86,662.45	2	वर्ष के दौरान विक्रेताओं को अदा किया गया ब्याज	3,21,22,907.95
<u>2,64,12,84,263.84</u>		<u>जोड़</u>	<u>2,96,52,67,319.55</u>
<u>22,69,67,74,430.83</u>		<u>31 मार्च को शेष</u>	<u>26,74,61,46,604.08</u>

अनुसूची संख्या X

निवेश अस्थिर खाता :

	क	वर्ष 2014-2015 तक छड़ाई गई प्रतिभूतियों पर	
2,70,07,98,358.13		लाभ	2,70,07,98,358.13
0.00	ख	छड़ाई गई प्रतिभूतियों पर लाभ	0.00
0.00	ग	अस्थिर खाते पर ब्याज	0.00
2,70,07,98,358.13		जोड़	2,70,07,98,358.13
0.00		घटाये : वर्ष के दौरान परिशोधित राशि	0.00
2,70,07,98,358.13		31 मार्च को शेष	2,70,07,98,358.13

अनुसूची संख्या XI

भवन निर्माण निधि :

8,87,25,41,897.04		पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	8,87,25,41,897.04
	जोड़ें :		
0.00	1	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	0.00
0.00	2	निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00
8,87,25,41,897.04		31 मार्च को शेष	8,87,25,41,897.04

नोट:

31.03.2016 तक भूमि और भवन अधिग्रहण हेतु अग्रिम सहित भुगतान किया गया मूल्य रूपये 12,03,57,64,445.71

अनुसूची संख्या XII

भवन का रख-रखाव (मरम्मत, पुनर्नवीकरण, प्रतिस्थापन) निधि :

0.00		पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	0.00
	जोड़ें:		
0.00	1	राजस्व अधिशेष से विनियोजित राशि	0.00
0.00	2	निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00
0.00		31 मार्च को शेष	0.00

अनुसूची संख्या XIII

राजस्व अधिशेष :

1,29,95,01,46,126.32 पिछले त्वन-पत्र के अनुसार शेष

1,61,35,24,25,199.64

घटायें :

- 89,83,798.44 1 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित की गई राशि
2 वर्ष के दौरान आय पर व्यय की अधिकता के कारण आय और व्यय विनियोजन खाते से अंतरित की गई राशि

5,73,82,196.00

0.00

0.00

89,83,798.44

जोड़

5,73,82,196.00

जोड़ें :

- 1,18,29,729.57 1 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित की गई राशि
2 वर्ष के दौरान व्यय पर आय की अधिकता के कारण आय और व्यय विनियोजन खाते से अंतरित की गई राशि

94,32,295.63

31,39,94,33,142.19

28,26,28,09,461.92

31,41,12,62,871.76

जोड़

28,27,22,41,757.55

1,61,35,24,25,199.64

31 मार्च को शेष

1,89,56,72,84,761.19

अनुसूची संख्या XIV

विविध जमा :

क. क्षेत्रीय :

71,60,71,085.30	क	(i) उचंत लेखा (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	58,02,65,204.03
49,03,23,096.45		(ii) उचंत लेखा (प्रशासन निधि)	58,93,43,134.24
0.00	ख	दोषपूर्ण प्राप्तियां	0.00
5,93,74,974.22	ग	अनियमित अदायगियां	5,97,82,573.22
4,23,49,598.49	घ	अधिक अदायगियां	5,18,58,289.17
0.00	इ	ए.ई.सी.डी. (डी.ए.) खाता	0.00
0.00	च	क.नि.स. बीमा खाते को देय राशि	0.00
3,13,08,123.50	छ	नई पेंशन योजना	2,62,16,607.50

ख. केन्द्रीय :

0.00	क	क.भ.नि. निवेश खाते में अधिक जमा की गई राशि	0.00
0.00	ख	स्टाफ भ.नि निवेश खाते में अधिक जमा की गई राशि	0.00
0.00	ग	पेंशन सह उपदान निवेश खाते में अधिक जमा की गई राशि	0.00
	घ	खाता संख्या 1 से खाता संख्या 5 में प्राप्त राशि जिसे क्षेत्रों द्वारा जोड़ा नहीं गया	0.00
	इ	खाता सं. 1 में जमा की गई परन्तु खाता सं. 5 के नाम में नहीं डाली गई राशि	12,13,13,339.00
12,13,13,339.00			
1,29,90,64,761.09	च	खाता सं. 5 में अधिक जमा की गई राशि	1,14,45,90,753.99
3,21,84,534.88	छ	खाता सं. 8 में अधिक जमा की गई राशि	3,22,23,432.88
8,29,780.00	ज	खाता सं. 9 में अधिक जमा की गई राशि	8,29,780.00
0.00	झ	अशक्तता योजना हेतु सरकार से लिया गया अग्रिम	0.00
<u>2,79,28,19,292.93</u>		<u>जोड़</u>	<u>2,60,64,23,114.03</u>

अनुसूची संख्या XV

कर्मचारी भविष्य निधि निवेश खाता :

क. केंद्रीय रूप से खरीदी गई प्रतिभूतियां (लागत मूल्य) :

32,19,85,47,41,396.74	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	37,64,98,93,72,025.71
जोड़ें		
7,08,92,24,07,703.00	1 केंद्रीय रूप से निवेश की गई राशि (लागत मूल्य)	8,80,55,45,74,805.42
0.00	2 वर्ष के दौरान प्रतिभूतियां खरीदने पर हुआ लाभ	0.00
<u>39,28,77,71,49,099.74</u>	<u>जोड़</u>	<u>46,45,54,39,46,831.13</u>
घटाएं		
0.00	1 वर्ष के दौरान प्रतिभूतियां बेचने पर हुई हानि	0.00
1,63,78,77,77,074.03	2 वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियों का मूल्य	1,88,05,61,35,653.49
<u>1,63,78,77,77,074.03</u>	<u>जोड़</u>	<u>1,88,05,61,35,653.49</u>
<u>37,64,98,93,72,025.71</u>	<u>31 मार्च को शेष (क)</u>	<u>44,57,48,78,11,177.64</u>

ख. क्षेत्रों द्वारा अंतरित की गई प्रतिभूतियां :

21,09,85,81,541.66	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष (स्वीकृत मूल्य)	22,30,99,04,214.62
जोड़ें		
1,21,13,22,672.96	1. प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	1,64,02,22,278.74
0.00	2. अन्य समायोजन	0.00
<u>22,30,99,04,214.62</u>	<u>जोड़</u>	<u>23,95,01,26,493.36</u>
0.00	घटाएं 1. स्थापनाओं को वापस की गई प्रतिभूतियां	0.00
0.00	2. अन्य समायोजन	0.00
<u>22,30,99,04,214.62</u>	<u>31 मार्च को शेष (ख)</u>	<u>23,95,01,26,493.36</u>
<u>37,87,29,92,76,240.33</u>	<u>जोड़ (क) + (ख)</u>	<u>44,81,43,79,37,671.00</u>

अनुसूची संख्या XVI

स्टाफ भविष्य निधि का निवेश खाता :

10,29,13,51,091.75	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	11,44,90,63,887.17
1,48,77,83,395.42	जोड़ें : केंद्रीय रूप से निवेश की गई राशि (क्रय मूल्य)	1,98,33,62,888.26
<u>11,77,91,34,487.17</u>	<u>जोड़</u>	<u>13,43,24,26,775.43</u>
33,00,70,600.00	घटाएं : वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियों का मूल्य	67,98,56,492.91
<u>11,44,90,63,887.17</u>	<u>31 मार्च को शेष</u>	<u>12,75,25,70,282.52</u>

अनुसूची संख्या XVII

पेंशन सह उपदान निधि निवेश खाता (स्टाफ) :

20,81,79,00,629.27	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	22,64,40,94,413.57
2,22,37,03,584.30	जोड़ें : केंद्रीय रूप से निवेश की गई राशि (क्रय मूल्य)	5,07,81,69,783.45
<u>23,04,16,04,213.57</u>	<u>जोड़</u>	<u>27,72,22,64,197.02</u>
39,75,09,800.00	घटाएं : वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियों का मूल्य	98,07,21,885.00
<u>22,64,40,94,413.57</u>	<u>31 मार्च को शेष</u>	<u>26,74,15,42,312.02</u>

2014-2015
रुपये पैसे

2015-2016
रुपये पैसे

अनुसूची संख्या XVIII

प्रशासन निधि का निवेश खाता :

1,27,70,19,24,023.17	पिछले तृलन-पत्र के अनुसार शेष	1,56,36,97,50,648.72
28,66,78,26,625.55	जोड़ें : निवेशित राशि	28,32,83,90,778.26
1,56,36,97,50,648.72	जोड़	1,84,69,81,41,426.98
0.00	घटाएं : वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियां	0.00
1,56,36,97,50,648.72	31 मार्च को शेष	1,84,69,81,41,426.98

अनुसूची संख्या XIX

31-03-2016 को वसूली योग्य अग्रिम (स्टाफ) :

2,49,25,209.50	क वाहन अग्रिम	2,07,10,213.34
5,51,60,318.26	ख मकान निर्माण अग्रिम	3,90,49,687.59
2,76,003.10	ग पंखा अग्रिम	91,503.10
5,284.75	घ गर्म कपड़ा अग्रिम	39,034.75
2,30,68,753.30	इ त्यौहार अग्रिम	2,52,70,735.30
12,78,434.00	च प्राकृतिक आपदा अग्रिम	17,60,046.00
1,91,74,057.34	छ वेतन /दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता	2,17,56,443.34
1,216.75	ज खाद्यान अग्रिम	1,216.75
2,84,765.00	झ स्टाफ सहकारी कैंटीन /स्टोर अग्रिम	16,54,864.00
4,49,72,633.85	ण कंप्यूटर अग्रिम	3,62,54,323.85
0.00	ट असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना	0.00
11,12,632.22	ठ विविध अदायगियां	42,03,811.22
17,02,59,308.07	जोड़	15,07,91,879.24

अनुसूची संख्या XX

अभिवहन में पड़ी राशि :

5,18,03,111.28	क क.भ.नि.लेखा संख्या 4	5,18,03,114.18
21,33,43,378.41	ख क.भ.नि.लेखा संख्या 5	20,06,61,170.43
1,22,68,499.25	ग स्टाफ भ.नि. लेखा सं.8	1,29,24,625.25
0.00	घ पेंशन सह:उपदान लेखा संख्या 9	0.00
0.00	इ मुख्यालय लेखा सं.4 ए	0.00
0.00	च क.भ.नि.निवेश खाता	0.00
0.00	छ स्टाफ भ.नि. निवेश खाता	0.00
0.00	ज पेंशन सह:उपदान निधि निवेश खाता	0.00
27,74,14,988.94	जोड़	26,53,88,909.86

अनुसूची संख्या XXI

31-03-2016 को रोकड़ बही शेष

(क) भारतीय स्टेट बैंक :			
-6,87,28,05,588.45	क	क.भ.नि.लेखा सं. 1	-9,97,19,24,319.62
1,56,42,08,382.36	ख	क.भ.नि.लेखा सं. 2	-18,82,69,892.77
34,04,68,699.93	ग	क.भ.नि.लेखा सं. 4	-18,91,80,650.96
-48,60,75,913.72	घ	क.भ.नि.लेखा सं. 5	-3,66,52,32,333.42
33,23,161.00	ङ	क.भ.नि.लेखा सं. 8	59,60,267.29
1.00	च	क.भ.नि.लेखा सं. 9	6,150.77
4,13,01,350.93	छ	मुख्यालय	-3,17,87,254.44
98,61,767.62	ज	नाटर्स	-29,15,593.00
25,33,00,558.37	झ	क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण	31,73,34,187.37
<u>-5,14,64,17,580.96</u>		<u>जोड़ (क)</u>	<u>-13,72,60,09,438.78</u>
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक :			
80,98,88,066.96	क	क.भ.नि. निवेश खाता	12,82,82,901.66
3,86,14,717.47	ख	स्टाफ भ.नि. निवेश खाता	25,09,417.40
5,29,76,910.75	ग	पेंशन सह-उपदान निवेश खाता	48,95,035.78
<u>90,14,79,695.18</u>		<u>जोड़ (ख)</u>	<u>13,56,87,354.84</u>
<u>-4,24,49,37,885.78</u>		<u>जोड़ (क) + (ख)</u>	<u>-13,59,03,22,083.94</u>

अनुसूची संख्या XXII

विविध नामे :

क. उचंत खाता (अवर्गीकृत) :

86,30,92,577.41	(i) उचंत खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	97,37,81,960.09
18,59,03,427.54	(ii) उचंत खाता (प्रशासन निधि)	24,11,32,494.56
5,93,74,974.22	ख. अनियमित अदायगियां	5,97,82,573.22
4,23,49,598.49	ग. अधिक अदायगियां	5,18,58,289.17

घ. खाता संख्या 5, 8 एवं 9 में गलती से नामे की गई राशि

40,80,96,451.70	क खाता संख्या 1 से खाता संख्या 5 में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिक दिखाई गई अंतरित राशि और विलोमतः	40,80,96,451.70
6,01,52,001.55	ख खाता संख्या 5 में बैंक द्वारा अतिरिक्त नामे की गई राशि	6,01,47,137.55
14,88,36,169.39	ग खाता सं 5 से नामे की गई परंतु खाता सं.1 में जमा नहीं हुई राशि एवं विलोमतः	3,67,26,624.29
2,04,38,794.97	घ खाता सं.8 से खाता सं.2 में एवं विलोमतः क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अधिक दिखाई गई अंतरित राशि और विलोमतः	2,04,38,794.97
1,78,339.00	ड खाता सं.8 में गलती से नामे की गई राशि	1,78,339.00
0.00	च खाता सं. 9 में गलती से नामे की गई राशि	0.00
1,78,84,22,334.27	जोड़	1,85,21,42,664.55

अनुसूची संख्या. XXIII

विशेष आरक्षित निधि (वसुलनीय) :

68,51,45,596.21	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	68,79,04,827.21
27,60,536.00	जोड़ वर्ष के दौरान सदस्यों को दी गई राशि	8,88,847.00
68,79,06,132.21	जोड़	68,87,93,674.21
1,305.00	घटाएं नियोक्ताओं से प्राप्त राशि	36,039.00
68,79,04,827.21	31 मार्च को शेष	68,87,57,635.21

**कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के
प्राप्ति और अदायगी लेखे
तथा तुलन पत्र**

कर्मचारी पेंशन
वर्ष 2015-2016 का प्राप्ति और
(अंशदान)

पिछला वर्ष		क्र. सं.	प्राप्तियां	राशि	
रुपये	पैसे.			रुपये	पैसे.
20,83,72,05,57,596.23		1.	01-04-2015 को आदि शेष	23,91,77,43,31,756.78	
2,19,51,70,26,881.26		2.	(i) नियोक्ता का अंशदान	2,90,26,87,51,118.48	
	0.00		(ii) सरकार का अंशदान 2015-2016		0.00
			(iii) वर्ष 2014-2015* तक सरकार के अंशदान का बकाया	32,80,20,00,000.00	
22,99,80,00,000.00		3.	लोक लेखे में बकाया पर ब्याज	72,66,86,00,000.00	
64,19,58,00,000.00					
	27,86,110.20	4.	बचत बैंक खाते पर ब्याज	28,83,199.73	
1,26,77,43,90,023.43		5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज	1,46,35,68,39,242.50	
2,12,13,29,505.58		6.	शास्तिक नुकसानी	2,22,82,99,923.22	
		7.	<u>अन्य प्राप्तियां</u>		
85,24,40,220.40			(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या 10	77,51,49,382.79	
	0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा संख्या 11		0.00
25,20,18,23,30,337.10			जोड़	29,36,87,68,54,623.50	

* . 03.08.2015 को 1000.00 रु न्यूनतम पेंशन की प्रतिपूर्ति के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त 2,50,00,00,000.00 रु की राशि इसमें शामिल है

योजना-1995
अदायगी लेखा
लेखा)

पिछला वर्ष		क्र. सं.	अदायगियां	राशि	
रूपये.	पैसे.			रूपये.	पैसे
		1.	<u>सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यो/लाभ प्राप्तकर्ताओं को अदा की गयी राशि :</u>		
			(क) कर्मचारियों के भाग की ब्याज सहित राशि		0.00
53,75,29,99,206.68	0.00		(ख) प्रत्याहरण /सेवा निवृत्ति लाभ	52,80,49,06,855.73	
13,12,51,060.00			(ग) जीवन बीमा लाभ	1,63,70,362.00	
72,12,53,79,177.07			(घ) पेंशन	82,63,03,76,053.74	
		2.	पेंशन वितरण हेतु कमीशन के रूप में अदा की गई राशि	62,09,48,238.25	
		3.	पेंशन निधि प्रशासनिक व्यय के रूप अदा की गई राशि		0.00
	0.00				
		4.	छूट प्रदान करने पर अंतरित की गई प्रतिभूतियों की राशि		0.00
	0.00				
		5.	प्रतिभूतियों की खरीद पर उपार्जित ब्याज के रूप में अदा की गयी राशि	3,33,88,45,057.65	
1,67,43,37,868.07					
		6.	<u>अन्य भुगतान :</u>		
4,46,81,936.11			(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या 10	3,15,58,140.40	
18,86,92,629.86			(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा संख्या 11	18,91,48,035.19	
23,91,77,43,31,756.78		7.	31-03-2016 को अंतः शेष	27,97,24,47,01,880.54	
25,20,18,23,30,337.10			जोड़	29,36,87,68,54,623.50	

ह०/-

(मीनाक्षी गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-

(वी.पी. जोय)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी पेंशन
वर्ष 2015-2016 की प्राप्ति और
(प्रशासन)

पिछला वर्ष		क्र. सं.	प्राप्तियां	राशि	
रूपये	पैसे			रूपये	पैसे.
		1.	प्रशासनिक खर्च के लिए सरकार से वर्ष 2015-2016 के लिए प्राप्त राशि		0.00
	0.00				
		2.	प्रशासनिक व्यय हेतु, पेंशन निधि से प्राप्त राशि		0.00
	0.00				
		3.	कर्मचारी भ.नि.प्रशासन लेखा से प्राप्त राशि, जिसे आगे ले गया		0.00
	0.00				
0.00			जोड़	0.00	

योजना-1995
अदायगी लेखा
लेखा)

पिछला वर्ष		क्र. सं.	अदायगियां	राशि	
रूपये	पैसे.			रूपये	पैसे.
		1.	कर्मचारी भविष्य निधि प्रशासन लेखे से खर्च की गई राशि के पश्चात 01.04.2015 को आगे लाई गयी शेष राशि		0.00
	0.00				
		2.	<u>प्रशासन पर व्यय</u>		
			(i) <u>राजस्व व्यय :</u>		
0.00			(क) वेतन	0.00	
0.00			(ख) भत्ते और मानदेय	0.00	
0.00			(ग) यात्रा भत्ता	0.00	
0.00			(घ) पेंशन उपदान (स्टाफ)	0.00	
0.00			(ङ) स्टाफ भ.नि., निक्षेप सहबद्ध बीमा लाभ	0.00	
0.00			(च) अन्य प्रभार	0.00	
0.00			(छ) अनुदान	0.00	
0.00			(ज) कार्यालय भवन की मरम्मत एवं रखरखाव प्रभार	0.00	
<u>0.00</u>			<u>जोड़</u>	<u>0.00</u>	0.00
			(ii) <u>पूँजीगत व्यय :</u>		
0.00			निर्माण कार्य (कार्यालय भवन इत्यादि)		0.00
0.00			<u>जोड़</u>		0.00

ह०/-
(मीनाक्षी गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(वी.पी. जोय)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी पेंशन
31 मार्च 2016

पिछले वर्ष 31 मार्च तक का शेष		क्र.सं.	देयताएं	अनुसूची संख्या	राशि	
रुपये	पैसे.				रुपये	पैसे.
23,91,77,43,31,756.78		1.	कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान लेखा		27,97,24,47,01,880.54	
	0.00	2.	कर्मचारी पेंशन निधि प्रशासन लेखा क.भ.नि.के प्रशासन लेखे से व्यय की गई राशि			0.00
	0.00	3.	निवेश अस्थिर खाता			0.00
93,65,65,749.53		4.	विविध जमा	1	95,51,59,001.70	
23,92,71,08,97,506.31			जोड़		27,98,19,98,60,882.24	

योजना-1995
तक का तुलन पत्र

पिछले वर्ष 31 मार्च तक का शेष		क्र.सं.	परिसम्पत्तियां	अनुसूची संख्या	राशि	
रूपये	पैसे.				रूपये	पैसे
8,00,38,99,20,241.86		1.	कर्मचारी पेंशन निधि अंशदान निवेश लोक लेखों में जमा रखी गई राशि	II	9,03,36,05,20,241.86	
15,96,94,30,04,649.47		2.	प्रतिभूतियों में निवेश	III	19,00,25,35,11,466.56	
		3.	कर्मचारी पेंशन निधि प्रशासन लेखा			
	0.00	(क)	केंद्र सरकार से वसूल की जाने वाली राशि			0.00
	0.00	(ख)	पेंशन निधि से वसूली योग्य राशि			0.00
-6,41,52,68,187.58		4.	रोकड़ बही शेष अंशदान लेखा	IV	-7,16,00,05,207.33	
21,52,59,146.68		5.	अभिवहन राशि		21,52,00,427.68	
1,57,79,81,655.88		6.	विविध नामे	V	1,53,06,33,953.47	
23,92,71,08,97,506.31			जोड़		27,98,19,98,60,882.24	

पिछला वर्ष	पाद टिप्पणी	चाल वर्ष
79,763.70 लाख रुपये	1. 31.03.2016 तक छूट प्राप्त और अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से पेंशन अंशदान का बकाया	93,026.55 लाख रुपये
3,228.93 लाख रुपये	2. 31.03.2016 तक सरकार से पेंशन अंशदान का बकाया	4,651.93 लाख रुपये
0.00 लाख रुपये	3. 31.03.2016 तक पेंशन निधि से पेंशन प्रशासनिक लागत बकाया	0.00 लाख रुपये
69,873.44 लाख रुपये	4. 31-03-2016 तक कर्मचारी पेंशन योजना अंशदान पर शास्तिक नुकसानी	80,654.06 लाख रुपये
	5. परिशोधन के पश्चात् लागत मूल्य पर तुलनपत्र में प्रतिभूति में निवेश को दर्शाया गया है	
	6. वास्तविक आधार पर लेखों को समेकित किया गया है।	

ह०/-
(मीनाक्षी गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-
(वी.पी. जोय)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

2014-2015
रूपये पैसे

2015-2016
रूपये पैसे

अनुसूची संख्या I

विविध जमा :

32,04,35,070.69	1. लेखा संख्या 10
61,61,30,678.84	2. लेखा संख्या 11
0.00	3. क.पै.यो निवेश लेखे में अधिक जमा

93,65,65,749.53

31 मार्च को शेष :

33,90,28,322.86
61,61,30,678.84
0.00

95,51,59,001.70

अनुसूची संख्या II

लोक लेखे में रखी गई राशि :

7,13,19,61,20,241.86 पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष

जोड़ें :

0.00	(i) लोक लेखे में जमा की गई राशि
22,99,80,00,000.00	(ii) 2014-15 तक सरकार के भाग का बकाया
0.00	(iii) सरकार के भाग का अंशदान 2015-16
64,19,58,00,000.00	(iv) लोक लेखे पर ब्याज

8,00,38,99,20,241.86

31 मार्च को शेष :

8,00,38,99,20,241.86

0.00
30,30,20,00,000.00
0.00
72,66,86,00,000.00

9,03,36,05,20,241.86

अनुसूची संख्या III

प्रतिभूतियों में निवेश :

क. केन्द्रीयकृत रूप से खरीदी गई प्रतिभूतियां (लागत मूल्य) :

13,73,08,38,81,679.53	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार बकाया	15,96,94,30,04,649.47
जोड़े :		
3,03,60,13,88,301.97	1. केन्द्रीयकृत रूप से निवेशित राशि (लागत मूल्य)	4,28,30,56,76,757.53
0.00	2. खरीदी गई प्रतिभूतियों पर लाभ	0.00
<u>3,03,60,13,88,301.97</u>	जोड़	<u>4,28,30,56,76,757.53</u>
घटायें :		
0.00	1. प्रतिभूतियों की बिक्री पर हानि	0.00
79,74,22,65,332.03	2. वर्ष के दौरान छुड़ाई गई प्रतिभूतियां	1,24,99,51,69,940.44
<u>79,74,22,65,332.03</u>	जोड़	<u>1,24,99,51,69,940.44</u>
<u>15,96,94,30,04,649.47</u>	31 मार्च को शेष (क) :	<u>19,00,25,35,11,466.56</u>

ख. क्षेत्रों द्वारा अंतरित प्रतिभूतियां :

0.00	पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष (स्वीकृत मूल्य)	0.00
जोड़ें :		
0.00	1. प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	0.00
0.00	2. अन्य समायोजन	0.00
<u>0.00</u>	जोड़	<u>0.00</u>
घटायें :		
0.00	स्थापनाओं को वापिस की गई प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	0.00
<u>0.00</u>	31 मार्च को शेष (ख) :	<u>0.00</u>
<u>15,96,94,30,04,649.47</u>	जोड़ (क+ख)	<u>19,00,25,35,11,466.56</u>

अनुसूची संख्या IV

रोकड बही शेष :

-2,16,53,78,619.36	1. लेखा संख्या 10	-2,57,07,62,100.58
-4,45,64,67,178.19	2. लेखा संख्या 11	-4,66,82,03,000.79
20,65,77,609.97	3. भा.स्टे.बैं. मुंबई के पास बकाया राशि	7,89,59,894.04
<u>-6,41,52,68,187.58</u>	31 मार्च को शेष :	<u>-7,16,00,05,207.33</u>

अनुसूची संख्या V

विविध नामे :

1,24,43,08,063.42	1. लेखा संख्या 10	1,19,65,96,392.01
6,95,34,895.98	2. लेखा संख्या 11	6,95,28,578.98
20,17,63,057.60	3. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता संख्या 10 से 11 तथा उसके विलोमतः अंतरण के पश्चात् अधिक राशि	20,17,63,057.60
6,23,75,638.88	4. खाता संख्या 11 में घटाई गई राशि परंतु खाता संख्या 10 में तथा विलोमतः जमा न कराई गई राशि	6,27,45,924.88
<u>1,57,79,81,655.88</u>	31 मार्च को शेष :	<u>1,53,06,33,953.47</u>

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976
के प्राप्ति और अदायगी लेखे
तथा तुलन पत्र

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा
वर्ष 2015-2016 का प्राप्ति और
(अंशदान)

पिछला वर्ष	क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि
रूपये पैसे			रूपये पैसे
1,37,39,25,50,794.98	1.	01-04-2015 को आदि शेष	1,57,32,27,29,237.63
9,36,11,57,287.49	2.	(i) नियोक्ताओं का अंशदान	12,31,91,97,467.22
0.00		(ii) सरकार का अंशदान	0.00
0.00		(iii) सरकार के अंशदान का बकाया	0.00
5,88,45,00,000.00	3.	लोक लेखा में निवेश पर ब्याज	6,38,47,00,000.00
6,41,69,40,409.14	4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज	7,71,20,21,342.57
1,01,02,512.85	5.	बचत बैंक खातों पर ब्याज	1,72,886.70
13,83,05,966.56	6.	शास्तिक नुकसानी	14,04,76,069.60
	7.	<u>अन्य प्राप्तियां :</u>	
1,35,54,905.00		लेखा संख्या 21	1,94,96,985.70
0.00		लेखा संख्या 25	0.00
1,59,21,71,11,876.02		जोड़	1,83,89,87,93,989.42

योजना-1976
अदायगी लेखा
लेखा)

पिछला वर्ष	क्र.सं.	अदायगियां	राशि
रूपये पैसे			रूपये पैसे
1,77,85,01,845.59	1.	बीमा लाभ	2,53,34,27,270.76
	2.	छूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को वापिस की गई राशि	0.00
10,17,00,096.57	3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि	16,94,96,192.45
1,41,72,532.13	4.	<u>अन्य अदायगियां :</u>	
8,164.10		लेखा संख्या 21	29,87,822.14
1,57,32,27,29,237.63		लेखा संख्या 25	8,193.91
	5.	31-03-2016 को अंत शेष	1,81,19,28,74,510.16
1,59,21,71,11,876.02		जोड़	1,83,89,87,93,989.42

ह०/-

(मीनाक्षी गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-

(वी.पी. जोय)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

**कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा
वर्ष 2015-2016 का प्राप्ति और
(प्रशासन)**

पिछला वर्ष		क्र.सं.	प्राप्तियां	राशि	
रुपये	पैसे			रुपये	पैसे
19,53,04,69,593.19		1.	1-04-2015 को आदि शेष	21,38,08,30,275.16	
		2.	वर्ष के दौरान नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासकीय प्रभार	1,06,93,95,202.53	
30,03,41,245.22					
86,47,570.27		3.	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	1,77,92,684.85	
90,86,525.25		4.	शास्तिक नुकसानी	85,86,612.54	
		5.	2014-2015 के लिए निधि प्रशासन की लागत के रूप में सरकार से प्राप्त राशि		0.00
0.00					
		6.	क) प्रशासन लेखे से निवेश पर प्राप्त ब्याज	1,58,23,82,799.00	
1,71,07,87,356.10			ख) बचत बैंक खाते पर ब्याज	2,34,062.05	
3,23,349.01			ग) अग्रिम पर ब्याज	0.00	
0.00					
		7.	अन्य प्राप्तियां :		
24,721.00			लेखा संख्या 22	41.93	
0.00			लेखा संख्या 24	0.00	
21,55,96,80,360.04			जोड़	24,05,92,21,678.06	

योजना-1976
अदायगी लेखा
लेखा)

पिछला वर्ष		क्र.सं.	अदायगियां	राशि	
रूपये	पैसे			रूपये	पैसे
Rs.	P.	1.	प्रशासनिक अदायगी :	रूपये	पैसे
8,27,52,526.26		(a)	राजस्व व्यय :		
1,92,58,163.16			1. वेतन	8,71,78,056.31	
19,76,559.94			2. भत्ते एवं मानदेय	1,99,20,462.40	
2,65,41,389.91			3. यात्रा भत्ता एवं अवकाश यात्रा रियायत	16,02,230.28	
			4. पेंशन/ उपदान (स्टाफ)	2,96,27,721.33	
0.00			5. स्टाफ भविष्य निधि नि.स.बी. लाभ	2,06,81,401.63	
19,029.42			6. अन्य प्रभार (आवर्ती एवं अनावर्ती)	21,408.86	
4,40,09,298.44			7. अनुदान	4,76,22,122.92	
5,62,769.17			8. कार्यालय भवनों आदि की मरम्मत एवं रखरखाव	55,694.72	
14,82,829.61			जोड़	15,13,189.79	
17,66,02,565.91				20,82,22,288.24	
		(b)	पूँजीगत व्यय :		
			कार्यालय भवन / स्टाफ क्वार्टरों आदि की मरम्मत		
21,53,206.57					7,02,961.00
		2.	अन्य अदायगियां :		
94,312.40			लेखा संख्या 22		1,14,926.00
0.00			लेखा संख्या 24		3,693.21
21,38,08,30,275.16		3.	31-03-2016 को अंत शेष		23,85,01,77,809.61
21,55,96,80,360.04			जोड़		24,05,92,21,678.06

ह०/-

(मीनाक्षी गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-

(वी.पी. जोय)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

31 मार्च को पिछले वर्ष का शेष		क्र.सं.	देयताएं	अनु.सं	राशि
रुपये	पैसे			रुपये	पैसे
1,57,32,27,29,237.63		1.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा	1,81,19,28,74,510.16	
21,38,08,30,275.16		2.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि प्रशासन लेखा	23,85,01,77,809.61	
19,78,21,947.49		3.	विविध जमा	19,77,70,108.04	
1,78,90,13,81,460.28			जोड़	2,05,24,08,22,427.81	

बीमा योजना-1976
तक का तुलन पत्र

31 मार्च को पिछले वर्ष का शेष		क्र.सं.	परिसम्पत्तियां	अनु.सं	राशि	
रूपये	पैसे				रूपये	पैसे
		1. निवेश लेखा :				
		a) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा :				
81,99,73,09,875.47		(i) प्रतिभूतियों में निवेश		II	99,65,08,70,653.10	
75,11,39,14,794.14		(ii) लोक लेखा में निवेश		III	81,49,86,14,794.14	
		b) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा प्रशासन निधि लेखा :				
21,42,70,38,309.19		(i) सावधि जमा में निवेश राशि		IV	23,75,15,71,108.19	
-6,77,55,772.48		(ii) क.भ.नि. प्रशासन लेखे से देय राशि		V	7,54,18,978.28	
17,09,26,569.70		2. रोकड़ शेष		VI	95,70,689.36	
11,61,26,724.87		3. मार्गस्थ राशि		VII	11,34,60,824.18	
14,38,20,959.39		4. विविध नामे		VIII	14,13,15,380.56	
1,78,90,13,81,460.28		जोड़			2,05,24,08,22,427.81	

पिछला वर्ष

रु. 5,421.26 लाख

रु. 274.56 लाख

रु. 5,841.70-लाख

पाद टिप्पणी

- 31.03.2016 को नियोक्ताओं द्वारा देय क.नि.सं.बी. अंशदान
- 31.03.2016 को नियोक्ताओं द्वारा देय क.नि.सं.बी. प्रशासनिक प्रभार तथा निरीक्षण प्रभार
- 31.03.2016 को क.नि.सं.बी. अंशदान, प्रशासन तथा निरीक्षण प्रभार पर देय शास्तिक नुकसानी
- परिशोधन के पश्चात् प्रतिभूतियों में निवेश को लागत मूल्य के आधार पर तुलनपत्र में दर्शाया गया है
- वास्तविक आधार पर लेखों को समेकित किया गया है

चालू वर्ष

रु. 8,745.33 लाख

रु. 384.98 लाख

रु. 6,846.11 लाख

ह०/-

(मीनाक्षी गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-

(वी.पी. जोय)

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूची संख्या I

विविध जमा :

3,57,06,833.63	1.	लेखा संख्या 21 में अधिक जमा	3,81,50,852.83
9,66,58,322.21	2.	लेखा संख्या 25 में अधिक जमा	9,60,91,369.21
13,44,061.55	3.	भा.रि.बैं. लेखे में अधिक जमा	13,44,061.55
1,36,37,909.02	4.	लेखा संख्या 22 में अधिक जमा	1,38,07,951.06
5,04,74,821.08	5.	लेखा संख्या 24 में अधिक जमा	4,83,75,873.39
0.00	6.	क.नि.स.बी. निवेश लेखे में अधिक जमा	0.00
<u>19,78,21,947.49</u>		31 मार्च को शेष	<u>19,77,70,108.04</u>

अनुसूची संख्या II

क. प्रतिभूतियों में निवेश :

67,76,40,88,502.88		पिछले तूलनपत्र के अनुसार शेष	81,99,73,09,875.47
17,47,16,35,372.59	जोड़े :	केन्द्रीय रूप से निवेशित राशि (लागत मूल्य)	23,67,34,40,742.63
<u>85,23,57,23,875.47</u>		जोड़	<u>1,05,67,07,50,618.10</u>
3,23,84,14,000.00	घटायें :	वर्ष के दौरान छड़ाई गई प्रतिभूतियां	6,01,98,79,965.00
<u>81,99,73,09,875.47</u>		शेष	<u>99,65,08,70,653.10</u>
0.00	ख. क्षेत्रों द्वारा अंतरित प्रतिभूतियां :	पिछले तूलनपत्र के अनुसार शेष (स्वीकृत मूल्य)	0.00
0.00	जोड़ें :		0.00
0.00	1.	प्राप्त प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	0.00
0.00	2.	अन्य समायोजन	0.00
<u>0.00</u>		जोड़	<u>0.00</u>
0.00	घटायें :	स्थापनाओं को वापिस की गई प्रतिभूतियां (स्वीकृत मूल्य)	0.00
<u>0.00</u>		शेष 'ख'	<u>0.00</u>
<u>81,99,73,09,875.47</u>		31 मार्च को शेष ('क'+ 'ख')	<u>99,65,08,70,653.10</u>

अनुसूची संख्या III

लोक लेखे में जमा की गई राशि:

69,22,94,14,794.14		पिछले तूलनपत्र के अनुसार शेष	75,11,39,14,794.14
0.00	1.	वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	0.00
0.00	2.	सरकार का अंशदान	0.00
0.00	3.	सरकार के भाग का बकाया	0.00
5,88,45,00,000.00	4.	लोक लेखे में शेष पर ब्याज	6,38,47,00,000.00
<u>75,11,39,14,794.14</u>		31 मार्च को शेष	<u>81,49,86,14,794.14</u>

अनुसूची संख्या IV

निवेश की गई राशि :

19,66,42,50,953.09	पिछले तलनपत्र के अनुसार शेष	21,42,70,38,309.19
जोड़ें:		
5,20,00,000.00	1. वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	74,21,50,000.00
1,71,07,87,356.10	2. वर्ष के दौरान एस.डी.ए. पर ब्याज	1,58,23,82,799.00
<u>21,42,70,38,309.19</u>	जोड़	<u>23,75,15,71,108.19</u>
घटायें :		
0.00	वर्ष के दौरान छड़ाई गई राशि	0.00
<u>21,42,70,38,309.19</u>	31 मार्च को शेष	<u>23,75,15,71,108.19</u>

अनुसूची संख्या V

क.भ.नि. प्रशासन लेखों में देय राशि :

क. लेखा संख्या 24 में लेन-देन :

-15,81,79,718.87	पिछले तलनपत्र के अनुसार शेष	-6,77,55,772.48
जोड़ें :		
26,91,79,718.87	वर्ष के दौरान	35,21,00,000.00
घटायें :		
0.00	वापिस प्राप्त राशि	0.00
<u>11,10,00,000.00</u>	31 मार्च को शेष	<u>28,43,44,227.52</u>

ख. लेखा संख्या 22 में लेन-देन :

-17,87,55,772.48	क.भ.नि. लेखा संख्या 2 (प्रशा. व्यय अंश) में अंतरित राशि	-20,89,25,249.24
<u>-6,77,55,772.48</u>	31 मार्च को शेष (क+ख)	<u>7,54,18,978.28</u>

अनुसूची संख्या VI

रोकड़ बही शेष :

-14,49,65,558.40	1. लेखा संख्या 21	-10,72,41,124.12
1,53,83,956.58	2. लेखा संख्या 25	1,24,16,707.43
-12,23,933.76	3. लेखा संख्या 22	-10,92,350.15
27,74,472.41	4. लेखा संख्या 24	30,48,488.00
29,89,57,632.87	5. भा.स्टैं.बैं. में राशि	10,24,38,968.20
<u>17,09,26,569.70</u>	31 मार्च को शेष	<u>95,70,689.36</u>

अनुसूची संख्या VII

मार्गस्थ राशि :

9,95,95,527.65	1. लेखा संख्या 21 से 25 में	9,74,96,579.96
5,32,224.15	2. बैंक लेखे से लेखा संख्या 25 में	5,32,224.15
1,59,98,973.07	3. लेखा संख्या 22 से 24 में	1,54,32,020.07
<u>11,61,26,724.87</u>	31 मार्च को शेष	<u>11,34,60,824.18</u>

अनुसूची संख्या VIII

विविध नामे :

7,54,90,668.91	1. लेखा संख्या 21	7,31,12,708.24
1,65,96,388.50	2. लेखा संख्या 25	1,65,96,337.50
1,03,60,966.48	3. लेखा संख्या 22	1,02,33,399.32
1,18,32,348.32	4. लेखा संख्या 24	1,18,32,348.32
1,66,08,121.04	5. लेखा संख्या 22 से 24 एवं लेखा संख्या 24 से 22 में अंतरण के रूप में क्षे.का.द्वारा बताई गई अधिकता	1,66,08,121.04
1,29,32,466.14	6. लेखा संख्या 21 से 25 एवं लेखा संख्या 25 से 21 में अंतरण के रूप में क्षे.का. द्वारा बताई गई अधिकता	1,29,32,466.14
<u>14,38,20,959.39</u>	31 मार्च को शेष	<u>14,13,15,380.56</u>

प्रकटीकरण विवरणी

I. सामान्य लेखा प्रारूप अपनाना

वित्त मंत्रालय ने 2001 में सामान्य लेखा प्रारूप निर्धारित किया था जिसका केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा अपने लेखों को तैयार करते समय अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था। लेखा के प्रारूप का उद्देश्य केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लेखों में पारदर्शिता एवं एकरूपता लाना था। हालांकि, क.भ.नि.सं. ने अब तक लेखों के सामान्य प्रारूप को नहीं अपनाया है। यही नहीं, लेखों को संभूति आधार पर बनाया जाना चाहिए जबकि वर्तमान में लेखों को रोकड़ आधार पर बनाया जा रहा है जिसके कारण क.भ.नि.सं. के बड़ी संख्या में लेन-देन लेखों के क्षेत्र से बाहर रहते हैं जैसे चल परिसंपत्तियों को (भूमि एवं भवन को छोड़कर) दर्शाया नहीं जाता। समेकित वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में लेखों के सामान्य प्रारूप को न अपनाए जाने को बार-बार उठाया जाता है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य लेखा प्रारूप के आधार पर लेखों का एक मसौदा प्रारूप तैयार किया गया है। क.भ.नि.सं. द्वारा की जा रही गतिविधियों के अनुसार कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इसी प्रकार, क.भ.नि.सं. द्वारा वर्तमान रोकड़ आधारित लेखा प्रणाली के स्थान पर संभूति लेखा प्रणाली अपनाने के लिए अपनाई जाने वाली मसौदा लेखा नीतियां भी तैयार कर ली गई हैं। प्रारूप एवं नीतियों का वित्त, निवेश एवं लेखा समिति तथा के.न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है। तत्पश्चात् लेखों के प्रारूप को भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक से परामर्श के बाद श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

II. ब्याज लेखा :

क.भ.नि.सं. ने अभिदाताओं को प्रतिवर्ष ब्याज क्रेडिट करने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है। वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखों को 1 अप्रैल, 2015 को अद्यतन किया गया। 31 मार्च, 2016 को तकनीकी गड़बड़ियों के कारण 2,46,228 खाते अद्यतन होने के लिए लंबित थे।

III. विविध क्रेडिट :

क.भ.नि.सं. में वित्तीय वर्ष 2013-14 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई। 31 मार्च, 2013 को 01.01.2014 को अथवा उसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से कटौती की गई एनपीएस राशि 31 मार्च, 2013 को 32.52 करोड़ थी जोकि 31 मार्च, 2014 को घटकर 15.29 करोड़ रह गई, 31 मार्च, 2015 को रु. 3.13 करोड़ रह गई जो कि बाद में घटकर 31 मार्च, 2016 को और कम होकर 2.62 करोड़ रह गई। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में परिसंभावित की जानी है।

IV. वार्षिक मूल्यांकन

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 के अनुसार, कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन 31 मार्च, 2015 को एक मूल्यांकक द्वारा वार्षिक रूप से कर दिया गया है। रिपोर्ट केन्द्र सरकार के विचारार्थ प्रेषित की गई है।

V. टी.डी.एस. का रिफंड

वर्ष 1997-1998 से 2005-2006 के दौरान टी.डी.एस. के रूप में 8.37 करोड़ की राशि गलती से कटौती की गई और आयकर विभाग में जमा कराई गई। मामले को अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के साथ उठाया गया है।

VI. भूमि एवं भवन:

लेखों के सामान्य प्रारूप अंगीकार किए जाने पर, भूमि एवं भवन पर किए गए व्यय को भी संबंधित लेखांकन मानक के अनुसार माना जाएगा।

VII. निष्क्रिय खातों की संख्या:

31 मार्च, 2016 को 40,865.14 करोड़ रु. की राशि को "निष्क्रिय खातों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार के खातों की संख्या 9,29,89,648 है।

VIII. संपूर्ण निवेशित राशि की वसूली:

क.भ.नि.सं. को अभी तालिका में दी गए निम्नलिखित स्थापनाओं के संबंध में निवेश की संपूर्ण मूल राशि तथा उस पर ब्याज का निर्धारण करना है। क.भ.नि.सं. द्वारा की गई कार्रवाई को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

क्र. सं.	स्थापना का नाम	चूक की अवधि	मूल एवं ब्याज (रु. लाखों में)	क.भ.नि.सं. द्वारा की गई कार्रवाई
1.	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	2004 से	4155.75	उ.प्र.वि.नि. चूक की राशि के भुगतान से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, उ.प्र. (लखनऊ पीठ) के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा। उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई है।
2.	मैसर्स प्रदेशीय निवेश निगम उ.प्र.लि. (यू.पी.पी.आई.सी.यू.पी.)	2003 से	307.72	ब्याज की वसूली के लिए, माननीय उच्च न्यायालय, उ.प्र., इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की गई है।
3.	मैसर्स रिचर्ड एवं कूडस (आरसीएल)	2002 से	338.79	ब्याज की वसूली के लिए रिट याचिका दायर की जा रही है।
4.	मैसर्स बंगलौर महानगर पालिका	2004 से	130.64	जारी कर्ता से परिपक्वता राशि देर से प्राप्त होने के कारण भारतीय स्टेट बैंक से ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
5.	मैसर्स पीएसआईडीसी	2004 से	6.69	पीएसआईडीसी से चूक की राशि वसूल करने के लिए दावा दायर किया गया है।
6.	एचएमटी मशीन टूल्स लि. बीआईएफआर मामला	1996 से	185.83	एचएमटी ने सिटी सिविल कोर्ट, बंगलौर में दायर वसूली कार्यवाही पर स्टे लगाने के लिए बी.आई. एफआर के समक्ष आवेदन किया है।
	कुल		5125.42	

IX. निवेश के आंकड़ों के बीच अंतर

तुलनपत्र में दर्शाए गए होल्डिंग में तथा निवेश भाग की होल्डिंग में अंतर का कारण ये है कि तुलनापत्र में ऋण परिशोधन के बाद होल्डिंग्स को लागत मूल्य पर दर्शाया गया है, वहीं निवेश भाग में इसे अंकित मूल्य पर रखा गया है। अतः ऋण परिशोधन के पश्चात् लागत मूल्य तथा अंकित मूल्य का अंतर, दिए गए प्रीमियम / लिए गए डिस्काउंट की सीमा पर निर्भर करता है तथा उस सीमा तक इसका ऋण परिशोधन कर दिया गया है। चूंकि प्रतिभूतियां नियमित रूप से खरीदी जाती हैं, ऋण परिशोधन की गणना एक अतिसक्रिय एवं निरंतर प्रक्रिया है तथा इसकी कंप्यूटिंग हेतु एक समर्पित सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है।

X. स्टाफ पेंशन-सह-ग्रेच्युटि निधि:

कर्मचारी भविष्य निधि (स्टाफ एवं सेवा शर्तें) विनियम, 1962 के साथ पठित क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5-डी में दिए गए उपबंध के अनुसार केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र सरकार के समकक्ष वेतनमान लेने वाले कर्मचारियों के समान पेंशन-सह-ग्रेच्युटि लाभों के पात्र हैं। सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 यथोचित परिवर्तनों सहित क.भ.नि.सं. के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. को उनके कर्मचारियों के प्रति पेंशन और ग्रेच्युटी भुगतान के दायित्वों का पर्याप्त रूप से निवारण करने में सक्षम बनाने के लिए दिनांक 01 अप्रैल, 1965 से कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि का सृजन किया गया था। निधि का पोषण स्थापनाओं पर लगाए गए अतिरिक्त प्रशासनिक प्रभार से होता है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने दिनांक 23.02.2006 को हुई उनकी 174वीं बैठक में अंशदान को मासिक हस्तांतरण द्वारा दिनांक 23.02.2006 से पहले हस्तांतरण कुल परिलब्धियों के 12.4% से बढ़ाकर कुल परिलब्धियों के 21% करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. ने उपर्युक्त बैठक में पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि की बीमांकक द्वारा द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन करने की भी सिफारिश की।

बीमांकक ने नवम्बर, 2015 में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुल अनुमानित लाभ भार (पी.बी.ओ.) नीचे सारणीबद्ध है:

(रूपये करोड़ों में)

(i)	पेंशन	9809.39
(ii)	ग्रेच्यूटी	750.27
(iii)	कुल देयताएं (i) + (ii)	10559.66
(iv)	31.03.2015को प्राप्त बकाया	2269.68
(v)	घाटा (iii) – (iv)	8289.98

बीमांकक की रिपोर्ट केंद्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा स्वीकार की गई और, उसके पश्चात् प्रशासनिक प्रभार की अतिरिक्त राशि निधि की आवश्यकता की पूर्ती हेतु कर्मचारी पेंशन सह-ग्रेच्यूटी निधि में हस्तांतरित की जा रही है। रु. 204.75 करोड़ की राशि कर्मचारी पेंशन सह-ग्रेच्यूटी निधि में हस्तांतरित की जा चुकी है।

IX. अनियमित भुगतान, अधिक भुगतान और ऋणात्मक शेष

दिनांक 31.03.16 को, क्रमशः रु 5.98 करोड़ और रु. 5.19 करोड़ "अनियमित भुगतान" और "अधिक भुगतान" शीर्ष में अंतर्शेष थे। वर्ष 2015-16 में रु. 0.05 करोड़ की राशि अनियमित भुगतान के संबंध में और रु. 1.39 करोड़ अधिक भुगतान के मामलों में वसूल की गई। अधिक भुगतान या अनियमित भुगतान के जानकारी होने पर नुकसान की भरपाई उस नुकसान के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों से की जाती है। इन भुगतानों को समुचित रूप से लेखाबद्ध किया जाता है तथा गठित की गई अधिक भुगतान समीक्षा जिसके अध्यक्ष क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त होते हैं, द्वारा मॉनीटरिंग की जाती है। फील्ड कार्यालयों द्वारा सिविल/अपराधिक मुकदमें ऐसे मामलों में संलिप्त संगठन के कर्मचारियों एवं बाह्य व्यक्तियों पर दायर किए गए हैं। आंतरिक लेखा दलों को उचित निदेश दिए गए हैं कि फील्ड कार्यालयों के ऑडिट के दौरान अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान के मामलों की जांच करें।

फरवरी, 2014 को फील्ड कार्यालयों से संबंधित 11,13,903 के अंशधारक खाते 1,013.29 करोड़ ऋणात्मक शेष था जो वसूली के बाद जून, 2014 में यह घटकर 3,65,814 खाते तथा

330.87 करोड़ रह गया था। 31.03.2016 को और घटकर यह 2,39,739 खाते तथा 193.96 करोड़ रह गया।

क.भ.नि.सं. द्वारा ऋणात्मक शेष के समाधान का कार्य आरंभ किया गया है। ऋणात्मक शेष के कारणों की जांच के लिए अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक प्रयास आरंभ किए गए हैं। यह पाया गया कि ऋणात्मक शेष का कारण अधिकांशतः लेखा त्रुटिया / सॉफ्टवेयर त्रुटियां थीं। यद्यपि कुछेक मामलों में यह अधिक भुगतान के कारण था। अधिक भुगतान समिति को ऐसे ऋणात्मक शेष के कारणों की पहचान करने का कार्य सौंपा गया है। यदि ऋणात्मक शेष किसी कर्मचारी की अनदेखी के कारण है तो समिति संबंधित कार्मिक से वास्तविक राशि की वसूली की सिफारिश करती है।

ह०/-
(मीनाक्षी गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार एवं
मुख्य लेखा अधिकारी

ह०/-
(वी.पी. जोय)
केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त

**वर्ष 2015-2016 के लिए
समेकित वार्षिक लेखे
(सामान्य प्रारूप)**

**कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मुख्यालय
नई दिल्ली**

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2016 तक का समेकित तुलन पत्र			
			राशि- रुपये
पूंजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. अंशदान निधि- सदस्यों के खाते			
सदस्यों के सक्रिय खाते	1	3,602,755,919,659.11	3,082,664,388,832.18
सदस्यों के निष्क्रिय खाते	2	408,651,381,748.73	355,313,944,807.18
आरक्षित एवं अधिशेष			
विशेष आरक्षित निधि	3	2,920,622,776.30	2,684,396,578.40
न्याज खाता- क.भ.नि. अंशदान निधि	4	209,426,287,218.58	337,700,915,781.07
निवेश अस्थिरता खाता		2,700,798,358.13	2,700,798,358.13
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	5	357,439,682,024.45	9,597,055,260.27
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		4,583,894,691,785.30	3,790,661,499,617.23
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.यो. अंशदान निधि	6	2,894,642,301,542.46	2,391,774,331,756.78
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	7	8,194,124,103.07	7,558,411,547.08
उप जोड़ - पेंशन निधि		2,902,836,425,645.53	2,399,332,743,303.86
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि	8	183,822,247,814.35	157,322,729,237.63
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट	9	272,136,928.70	307,984,296.78
उप जोड़ - क.नि.स.बी. अंशदान निधि		184,094,384,743.05	157,630,713,534.41
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. -प्रशासन निधि	10	189,393,535,485.33	161,352,425,199.64
आरक्षित एवं अधिशेष			
स्टाफ भविष्य निधि - न्याज खाता	11	1,478,355,239.14	944,450,172.52
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि			
भवन निर्माण निधि	12	8,872,541,897.04	8,872,541,897.04
स्टाफ भविष्य निधि लेखा	13	9,580,352,720.80	8,853,527,535.80
स्टाफ पेंशन सह: उपदान लेखा	14	27,445,167,053.81	22,696,774,430.83
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	15	1,245,096,766.52	636,982,445.87
उप जोड़- क.भ.नि. प्रशासन निधि		238,015,049,162.64	203,356,701,681.70
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि	16	23,848,515,191.52	21,380,830,275.16
वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान	17	63,276,174.60	133,092,436.34
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		23,911,791,366.12	21,513,922,711.50
कुल जोड़		7,932,752,342,702.64	6,572,495,580,848.70

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2016 तक का समेकित तुलन पत्र			
			राशि- रुपये
	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिसम्पत्तियां			
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. अंशदान निधि - निवेश	18	4,481,437,937,671.00	3,787,299,276,240.33
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	19	102,456,754,114.30	3,362,223,376.90
उप जोड़ - क.भ.नि. अंशदान निधि		4,583,894,691,785.30	3,790,661,499,617.23
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.यो. अंशदान निधि - निवेश	20	2,803,614,031,708.42	2,397,332,924,891.33
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	21	99,222,393,937.11	1,999,818,412.53
उप जोड़ - पेंशन निधि		2,902,836,425,645.53	2,399,332,743,303.86
कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि - निवेश	22	181,149,485,447.24	157,111,224,669.61
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	23	2,944,899,295.81	519,488,864.80
उप जोड़ - क.नि.स.बी.अंशदान निधि		184,094,384,743.05	157,630,713,534.41
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
अचल परिसंपत्तियां	24	4,289,806,421.01	4,485,340,582.21
पूँजी कार्य प्रगति में - भवन एवं भूमि हेतु दिया गया अग्रिम		7,535,616,688.53	5,634,412,615.50
क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश	25	184,698,141,426.98	156,369,750,648.72
स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	26	12,752,570,282.52	11,449,063,887.17
पेंशन - सह - ग्रेजुटी निधि- निवेश	27	26,741,542,312.02	22,644,094,413.57
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	28	1,997,372,031.58	2,774,039,534.53
उप जोड़ - क.भ.नि. प्रशासन निधि		238,015,049,162.64	203,356,701,681.70
कर्मचारी निक्षेप सहवृद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि - निवेश	29	23,751,571,108.19	21,427,038,309.19
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम इत्यादि	30	160,220,257.93	86,884,402.31
उप जोड़ - क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		23,911,791,366.12	21,513,922,711.50
कुल जोड़		7,932,752,342,702.64	6,572,495,580,848.70

ह०/-
(मीनाक्षी गुप्ता)
द्वितीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०/-
(वी.पी.जोषी)
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूचियां देयताएं		
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		
अनुसूची संख्या 1	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के सक्रिय खाते		
प्रारंभिक शेष		
जोड़ :	3,082,664,388,832.18	2,676,462,395,215.51
1. प्राप्त अंशदान (ऋण/प्रत्याहरण की वापसी और अंतरित प्रतिभूतियां)	700,721,447,437.71	600,810,133,481.55
2. प्रतिभूतियों के अंतरण से प्राप्त अंशदान (मुख्यालय कान्द्रा.)	1,640,222,278.74	1,211,322,672.96
3. सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	232,974,670,468.25	246,769,438,312.93
4. वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	0.00	0.00
5. अन्य प्राप्तियां	63,764,320,762.64	48,642,109,403.80
जोड़	4,081,765,049,779.52	3,573,895,399,086.75
घटाएँ :		
1. छोड़कर जाने वाले सदस्यों को अंतिम निपटान पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	236,922,254,452.85	236,048,849,105.33
2. सदस्यों के जीवन बीमा पॉलिसी पर अदा प्रीमिया	166,975,111.00	218,266,800.00
3. सदस्यों को वर्ष के दौरान भुगतान किया गया प्रत्याहरण/ऋण	63,222,935,560.00	51,187,871,904.00
4. वर्ष के दौरान निष्क्रिय खाते से अंतरित	111,606,349,709.55	145,738,643,794.24
5. प्रतिभूतियों की विविध भुगतान राशि बूट प्राप्त स्थापनाओं में वापिस अंतरित	67,090,615,287.01	58,037,378,651.00
जोड़	479,009,130,120.41	491,231,010,254.57
31 मार्च को शेष	3,602,755,919,659.11	3,082,664,388,832.18
अनुसूची संख्या 2		
क.भ.नि. अंशदान निधि - सदस्यों के निष्क्रिय खाते		
प्रारंभिक शेष		
जोड़ :	355,313,944,807.18	274,485,403,529.94
1. वर्ष के दौरान सक्रिय खाते से अंतरित राशि	111,606,349,709.55	145,738,643,794.24
2. सदस्यों के खाते में जमा ब्याज	0.00	0.00
जोड़	466,920,294,516.73	420,224,047,324.18
घटाएँ :		
1. वर्ष के दौरान सक्रिय सदस्यों के खाते में अंतरित राशि	0.00	0.00
2. निपटान पर सदस्यों पर वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	58,268,912,768.00	64,910,102,517.00
जोड़	58,268,912,768.00	64,910,102,517.00
31 मार्च को शेष	408,651,381,748.73	355,313,944,807.18
अनुसूची संख्या -3		
विशेष आरक्षित निधि :		
पिछले तुलनपत्र के अनुसार शेष		
जोड़ :	2,684,396,578.40	2,468,412,598.07
1. नियोक्ताओं से वसूल की गई राशि	0.00	0.00
2. एस.आर.एफ. खाते पर ब्याज	236,226,898.90	215,986,102.33
जोड़	2,920,623,477.30	2,684,398,700.40
घटाएँ :		
1. विशेष आरक्षित निधि से भुगतान की गई राशि	701.00	2,122.00
2. मृत्यु राहत कोष में अंतरित राशि	0.00	0.00
जोड़	701.00	2,122.00
31 मार्च को शेष	2,920,622,776.30	2,684,396,578.40
अनुसूची संख्या - 4		
ब्याज खाता-क.भ.नि. अंशदान निधि		
प्रारंभिक शेष		
जोड़ :	337,700,915,781.07	279,406,043,304.21
1. क.भ.नि. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते में अग्रणीत व्यय से अधिक आय	-128,274,628,562.49	58,294,872,476.86
31 मार्च को शेष	209,426,287,218.58	337,700,915,781.07

अनुसूची संख्या - 5 (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
I - वर्तमान देयताएं			
1	टीडीएस देय -दावा निपटान पर कटौती	139,015,212.00	-
2	विविध क्रेडिट :		
	अ. क्षेत्रीय :		
क	उत्तम खाता (अवर्गीकृत) (क.भ.नि.)	580,265,204.03	716,071,085.30
ख	अनियमित भुगतान	59,782,573.22	59,374,974.22
ग	अधिक भुगतान	51,858,289.17	42,349,598.49
	ब. केन्द्रीय :		
क	खाता संख्या 1 में जमा राशि (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय) परंतु खाता संख्या 5 में नाम नहीं हुई (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	121,313,339.00	121,313,339.00
ख	खाता संख्या 5 में अतिरिक्त जमा (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	1,144,590,753.99	1,299,064,761.09
ग	क.भ.नि. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
3	रोकड़ बही में शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	9,971,924,319.62	6,872,805,588.45
	खाता संख्या 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	3,665,232,333.42	486,075,913.72
		0.00	0.00
4	अन्य		
	जोड़	15,733,982,024.45	9,597,055,260.27
II - प्रावधान			
a	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय व्याज का प्रावधान	341,705,700,000.00	0.00
b	पिछले वर्षों के लिए वित्तीय के लिए सदस्यों के भविष्य निधि खाते पर देय व्याज का प्रावधान	0.00	0.00
	जोड़	341,705,700,000.00	0.00
	31 मार्च को शेष	357,439,682,024.45	9,597,055,260.27
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
अनुसूची संख्या 6			
क.प.यो. अंशदान निधि			
	प्रारम्भिक शेष	2,391,774,331,756.78	2,083,720,557,596.23
जोड़े :	क.प.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते में अग्रणीत व्यय से अधिक आय	502,867,969,785.68	308,053,774,160.55
	31 मार्च को शेष	2,894,642,301,542.46	2,391,774,331,756.78
अनुसूची संख्या 7 - (वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान)			
	विविध क्रेडिट :		
1.	खाता संख्या 10 (क.प.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	339,028,322.86	320,435,070.69
2.	खाता संख्या 11 (क.प.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	616,130,678.84	616,130,678.84
3.	क.प.यो. निवेश खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
	रोकड़ बही में शेष		
4.	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 10 (क.प.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	2,570,762,100.58	2,165,378,619.36
	खाता संख्या 11 (क.प.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	4,668,203,000.79	4,456,467,178.19
		0.00	0.00
5.	अन्य		
	31 मार्च को शेष	8,194,124,103.07	7,558,411,547.08
कर्मचारी निवेश सहायक बीमा योजना, 1976			
अनुसूची संख्या 8			
क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि			
	प्रारम्भिक शेष	157,322,729,237.63	137,392,550,794.98
जोड़े :	क.नि.स.बी.यो. अंशदान निधि की आय एवं व्यय खाते से अग्रणीत व्यय से अधिक आय	26,499,518,576.72	19,930,178,442.65
	31 मार्च को शेष	183,822,247,814.35	157,322,729,237.63
अनुसूची संख्या 9- वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान			
विविध क्रेडिट :			
1.	खाता संख्या 21 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	38,150,852.83	35,706,833.63
2.	खाता संख्या 25 में अतिरिक्त जमा (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	96,091,369.21	96,658,322.21
3.	भारतीय रिजर्व बैंक खाते में अतिरिक्त जमा	1,344,061.55	1,344,061.55
4	क.नि.स.बी.यो. खाते में अतिरिक्त जमा	0.00	0.00
5	क.नि.स.बी.यो. प्रशासनिक खाते में देय राशि	29,309,520.99	29,309,520.99
6	रोकड़ बही में शेष		
	भारतीय स्टेट बैंक (ओवर ड्राफ्ट)		
	खाता संख्या 21 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-क्षेत्रीय)	107,241,124.12	144,965,558.40
	खाता संख्या 25 (क.नि.स.बी.यो. अंशदान खाता-केन्द्रीय)	0.00	0.00
	भारतीय स्टेट बैंक में शेष	0.00	0.00
7	अन्य		
	31 मार्च को शेष	272,136,928.70	307,984,296.78

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952- प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या 10		
क.भ.नि.- प्रशासन निधि		
प्रारम्भिक शेष		
जोड़:	161,352,425,199.64	129,950,146,126.32
1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि		
2. वर्ष के दौरान आय पर व्यय की अधिकता के कारण क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से अंतरित की गई राशि	9,432,295.63	11,829,729.57
3. अन्य	28,089,060,187.02	31,399,433,142.19
	0.00	0.00
घटाएँ	189,450,917,682.29	161,361,408,998.08
1. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समायोजित राशि		
2. वर्ष के दौरान आय पर व्यय की अधिकता के कारण क.भ.नि. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से अंतरित की गई राशि	57,382,196.96	8,983,798.44
3. अन्य	0.00	0.00
	0.00	0.00
	57,382,196.96	8,983,798.44
31 मार्च को शेष	189,393,535,485.33	161,352,425,199.64
अनुसूची संख्या 11		
स्टाफ भविष्य निधि ब्याज खाता		
प्रारम्भिक शेष		
जोड़:	944,450,172.52	777,982,216.18
1. प्रतिभूतियों के निवेश पर वसूल किया गया ब्याज		
2. निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	1,011,229,891.46	921,083,088.86
3. निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	323,848,986.05	0.00
4. बचत खाता पर ब्याज	0.00	0.00
	37,949.00	35,481.00
घटाएँ	2,279,566,999.03	1,699,100,786.04
1. सदस्यों के खाते में जमा किया गया ब्याज	792,061,485.00	744,680,967.00
2. निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित ब्याज	9,150,274.89	9,969,646.52
	801,211,759.89	754,650,613.52
31 मार्च को शेष	1,478,355,239.14	944,450,172.52
अनुसूची संख्या 12		
भवन निर्माण निधि:		
प्रारम्भिक शेष		
जोड़:	8,872,541,897.04	8,872,541,897.04
1. वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
2. निधि में जमा किया गया ब्याज	0.00	0.00
	0.00	0.00
31 मार्च को शेष	8,872,541,897.04	8,872,541,897.04
अनुसूची संख्या 13		
क. स्टफ भविष्य निधि:		
प्रारम्भिक शेष		
जोड़:	8,814,718,935.93	8,185,253,157.93
1. अंशदान (प्रत्याहरण की वापसी सहित)		
2. सदस्य के खाते में जमा किया गया ब्याज	2,624,871,432.00	2,604,636,956.00
3. अन्य प्राप्तियाँ	792,061,485.00	744,680,967.00
	0.00	0.00
घटाएँ:	12,231,651,852.93	11,534,571,080.93
1. वर्ष के दौरान निर्गामी सदस्यों को अंतिम निपटान के रूप में अदा की गई राशि		
2. सदस्यों के जीवन बीमा पोलिसियों पर प्रीमियम की अदायगी	1,723,490,626.00	1,717,414,359.00
3. वर्ष के दौरान सदस्यों को दिया गया ऋण	0.00	0.00
4. अन्य अदायगियाँ (अन्य क्षेत्रों को अंतरण)	361,544,303.00	386,227,717.00
	623,984,634.00	616,210,069.00
जोड़	2,709,019,563.00	2,719,852,145.00
31 मार्च को शेष	9,522,632,289.93	8,814,718,935.93
ख. अन्य क्षेत्रों से अंतरित स्टफ भविष्य निधि खाता :		
प्रारम्भिक शेष		
जोड़: क्षेत्रों को अंतरित की गई राशि	38,808,599.87	42,605,964.87
	623,984,634.00	616,210,069.00
जोड़	662,793,233.87	658,816,033.87
घटाएँ: अन्य क्षेत्रों से प्राप्त राशि	605,072,803.00	620,007,434.00
31 मार्च को शेष	57,720,430.87	38,808,599.87
जोड़ (क+ख)	9,580,352,720.80	8,853,527,535.80

अनुसूची संख्या. 14		
स्टाफ पेंशन सह-रेच्युटी निधि		
प्रारंभिक शेष	22,696,774,430.83	20,847,864,971.53
जोड़ें:		
1. खाता सं.4 से अंतरित राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - केंद्रीय)	2,068,140,163.11	22,735.00
2. बचत खाता पर वसूल किया गया व्याज	0.00	0.00
3. वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों पर वसूल किया गया व्याज	2,013,354,918.09	1,862,573,386.75
4. निवेश पर उपार्जित परत अर्देय व्याज	699,020,449.73	0.00
5. निवेश पर देय परत अप्राप्य व्याज	0.00	0.00
6. क्षेत्रों द्वारा खाता सं.2 से दी गई राशि (क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार खाता - क्षेत्रीय)	2,933,144,411.60	2,627,597,601.39
जोड़	30,410,434,373.36	25,338,058,694.67
घटाएँ:		
1. क्षेत्रों द्वारा किए गए भुगतान	2,933,144,411.60	2,627,597,601.39
2. वर्ष के दौरान निवेश की खरीद पर विक्रेताओं को अदा किया गया अर्जित व्याज	32,122,907.95	13,686,662.45
जोड़	2,965,267,319.55	2,641,284,263.84
31 मार्च को शेष	27,445,167,053.81	22,696,774,430.83
अनुसूची संख्या. 15 - वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान		
I - वर्तमान दायित्व		
1. नई पेंशन योजना का देय अंशदान	26,216,607.50	31,308,123.50
2. देय एन.पी.एस. बोर्ड के हिस्से के लिए प्रावधान	26,216,607.50	0.00
3. रिफंडेबल प्रतिभूति जमा	13,036,316.46	11,321,208.46
4. ग्रुप बीमा योजना (नया)	2,135,805.02	1,830,371.02
5. विविध जमा:		
क. क्षेत्रीय:		
क. उच्चत खाता (प्रशासन निधि)	589,343,134.24	490,323,096.45
ख. केंद्रीय:		
क. खाता सं.8 को किए गए अतिरिक्त जमा (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	32,223,432.88	32,184,534.88
ख. खाता सं.9 को किए गए अतिरिक्त जमा (स्टाफ पेंशन-सह-रेच्युटी खाता)	829,780.00	829,780.00
ग. अशक्तता योजना के लिए सरकार से अग्रिम	0.00	0.00
घ. क.भ.नि. अंशदान खाता के लिए देय राशि	69,185,331.56	69,185,331.56
6. रोकड़ बही शेष		
भारतीय स्टेट बैंक : (ओवर ड्राफ्ट)		
क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-क्षेत्रीय)	188,269,892.77	0.00
क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	189,180,650.96	0.00
खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	0.00	0.00
खाता सं. 9 (स्टाफ पेंशन-सह-रेच्युटी खाता)	0.00	0.00
मुख्यालय	31,787,254.44	0.00
पीडीयूएनएसएस	2,915,593.00	0.00
क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	0.00	0.00
7. खाता सं. 24 से प्राप्त जोड़ अतिरिक्त प्रशासनिक लागत से समानुपातिक(1%) (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	73,756,360.19	0.00
8. अन्य	0.00	0.00
जोड़	1,245,096,766.52	636,982,445.87
II - प्रावधान		
क. खाता सं. 9 को अंतरणीय राशि के लिए प्रावधान (स्टाफ पेंशन-सह-रेच्युटी खाता)	0.00	0.00
ख. देय किराया, दर एवं कर के लिए प्रावधान	0.00	0.00
ग. अन्य देय व्यय	0.00	0.00
जोड़	0.00	0.00
31 मार्च को शेष	1,245,096,766.52	636,982,445.87
क.नि.स.बी. योजना, 1976 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 16		
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि		
प्रारंभिक शेष	21,380,830,275.16	19,530,469,593.19
जोड़ें:		
1. क.नि.स.बी. प्रशासन निधि के आय एवं व्यय खाते से व्यय पर आय की अधिकता को अग्रणीत की गई राशि	2,467,684,916.36	1,850,360,681.97
31 मार्च को शेष	23,848,515,191.52	21,380,830,275.16

अनसूची संख्या 17-वर्तमान देयताएं		
क.	विविध जमा:	
1	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय) में अधिक जमा	1,38,07,951.06 1,36,37,909.02
2	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय) में अधिक जमा	4,83,75,873.39 5,04,74,821.08
ख.	खाता सं. 4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय) को अंतरणीय जोड़ प्रशासनिक लागत से समानपातिक (1%)	0 6,77,55,772.48
ग.	रोकड़ बही शेष: (ओवर ड्राफ्ट)	
	खाता सं. 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -क्षेत्रीय)	1092350.15 1223933.76
	खाता सं. 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता -केंद्रीय)	0 0
घ.	अन्य	0.00 0.00
	31 मार्च को शेष	6,32,76,174.60 13,30,92,436.34
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952		
अनसूची संख्या 18		
	कर्मचारी भविष्य निधि- निवेश	44,81,43,79,37,671.00 37,87,29,92,76,240.33
अनसूची संख्या 19 (चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम)		
I - चालू परिसंपत्तियां		
1	मांगस्थ राशि :	
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	20,06,61,170.43 21,33,43,378.41
2	रोकड़ बही शेष	
	भारतीय स्टेट बैंक :	
	खाता सं. 1 (क.भ.नि. अंशदान खाता - क्षेत्रीय)	0.00 0.00
	खाता सं. 5 (क.भ.नि. अंशदान खाता - केंद्रीय)	0.00 0.00
	भारतीय रिजर्व बैंक :	
	क.भ.नि. निवेश खाता	12,82,82,901.66 80,98,88,066.96
3	प्राप्य क.भ.नि. निवेश पर ब्याज	
	निवेश पर उपाजित परत अदेय ब्याज	97,25,61,13,952.89 0.00
	निवेश पर देय परत अप्राप्य ब्याज	38,86,92,392.56 0.00
	एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	2,13,46,67,693.97 0.00
4	विविध नामें:	
क	उचित खाता (अवगौकृत)	
	उचित खाता (अवगौकृत) (क.भ.नि.)	97,37,81,960.09 86,30,92,577.41
ख	अनियमित भगतान	5,97,82,573.22 5,93,74,974.22
ग	अधिक भगतान	5,18,58,289.17 4,23,49,598.49
घ	खाता सं. 5, 8 एवं 9 में त्रुटिपूर्ण नामें :	
i	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 5 से खाता सं.1 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में हिसाब दी गई अतिरिक्त राशि	40,80,96,451.70 40,80,96,451.70
ii	बैंक द्वारा खाता सं.5 में किया गया अधिक नामें	6,01,47,137.55 6,01,52,001.55
iii	खाता 5 को डेबिट की गई खाता सं.1 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	3,67,26,624.29 14,88,36,169.39
5	क.भ.नि. प्रशासन खाते से प्राप्य राशि	6,91,85,331.56 6,91,85,331.56
6	अन्य	0.00 0.00
	जोड़	1,01,76,79,96,479.09 2,67,43,18,549.69
II - ऋण एवं अशिम		
	विशेष रिजर्व निधि (वसूलनीय) :	
	पिछले तलन पत्र के अनुसार शेष	68,79,04,827.21 68,51,45,596.21
जोड़:	वर्ष के दौरान सदस्यों को भगतान की गई राशि	8,88,847.00 27,60,536.00
घटाए:	नियोक्ताओं से प्राप्त की गई राशि	36,039.00 1,305.00
	जोड़	68,87,57,635.21 68,79,04,827.21
	31 मार्च को शेष	1,02,45,67,54,114.30 3,36,22,23,376.90
कर्मचारी पेंशन योजना 1995		
अनसूची संख्या 20		
	कर्मचारी पेंशन योजना- निवेश	28,03,61,40,31,708.42 23,97,33,29,24,891.33

अनुसूची संख्या. 21 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
क	रोकड़ बही शेष:	
1.	खाता सं. 10 (क.पै.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	0.00
2.	खाता सं. 11 (क.पै.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	0.00
3.	भारतीय स्टेट बैंक मुंबई के पास शेष	78,959,894.04
ख	विविध नामें:	206,577,609.97
1.	खाता सं. 10 (क.पै.यो. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	1,196,596,392.01
2.	खाता सं. 11 (क.पै.यो. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	69,528,578.98
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 10 से खाता सं.11 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में हिसाब दी गई अतिरिक्त राशि	201,763,057.60
4.	खाता 11 को डेबिट की गई खाता सं.10 में जमा नहीं की गई राशि तथा इसके विपरीत	62,745,924.88
ग	प्रेषण में मार्गस्थ राशि	215,200,427.68
घ	प्राप्य क.पै.यो. निवेश निधि पर व्याज	
	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय व्याज	47,948,754,469.26
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य व्याज	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपाजित व्याज	2,929,545,192.66
	लोक लेखा पर प्राप्य व्याज	0.00
ङ	केंद्र सरकार से प्राप्त पेंशन बंधान	46,519,300,000.00
च	अन्य	0.00
	31 मार्च को शेष	99,222,393,937.11
		1,999,818,412.53
कर्मचारी निक्षेप सत्यद्वी बीमा योजना, 1976		
अनुसूची संख्या. 22		
	क.नि.स.बी. अंशदान निधि - निवेश	181,149,485,447.24
		157,111,224,669.61
अनुसूची संख्या. 23 - चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम		
क	रोकड़ बही शेष:	
1.	खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	0.00
2.	अंशदान खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	12,416,707.43
3.	भारतीय स्टेट बैंक के पास शेष	102,438,968.20
ख	प्रेषण में मार्गस्थ राशि:	
1.	अंशदान खाता सं. 21 से 25	97,496,579.96
2.	बैंक से अंशदान खाता सं. 25	532,224.15
ग	विविध नामें:	
1.	अंशदान खाता सं. 21 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -क्षेत्रीय)	73,112,708.24
2.	अंशदान खाता सं. 25 (क.नि.स.बी. अंशदान खाता -केन्द्रीय)	16,596,337.50
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 21 से खाता सं.25 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में हिसाब दी गई अतिरिक्त राशि	12,932,466.14
घ	प्राप्य क.नि.स.बी. निवेश निधि पर व्याज	
	निवेश पर उपाजित परंतु अदेय व्याज	2,608,250,540.88
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्य व्याज	0.00
	एफ.डी.आर. पर उपाजित व्याज	21,122,763.31
	लोक लेखा पर प्राप्य व्याज	0.00
च	अन्य	0.00
	31 मार्च को शेष	2,944,899,295.81
		519,488,864.80
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 - प्रशासन निधि		
अनुसूची संख्या. 24		
	अचल संपत्तियां	4,289,806,421.01
		4,485,340,582.21
अनुसूची संख्या. 25		
	क.भ.नि. प्रशासन निधि - निवेश	
	विशेष जमा खाता	182,598,141,426.98
	एफ.डी.आर.	2,100,000,000.00
	31 मार्च को शेष	184,698,141,426.98
		156,369,750,648.72
अनुसूची संख्या. 26		
	क.भ.नि. स्टाफ भविष्य निधि - निवेश	12,752,570,282.52
		11,449,063,887.17
अनुसूची संख्या. 27		
	क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह-रोच्यटी निधि - निवेश	26,741,542,312.02
		22,644,094,413.57

अनसूची संख्या, 28 - चाल परिसंपत्तियां, कृण एवं अग्रिम		
1 इनवेंटरी	0.00	0.00
2 मार्गस्थ राशि :		
क क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	5,18,03,114.18	5,18,03,111.28
ख खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	1,29,24,625.25	1,22,68,499.25
जोड़	6,47,27,739.43	6,40,71,610.53
3 रोकड़ बही शेष		
(क) भारतीय स्टेट बैंक :		
क क.भ.नि.खाता सं.2 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	1,56,42,08,382.36
ख क.भ.नि.खाता सं.4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)	0.00	34,04,68,699.93
ग खाता सं.8 (स्टाफ भविष्य निधि खाता)	59,60,267.29	33,23,161.00
घ खाता सं.9 (स्टाफ पेंशन-सह-येच्युटी खाता)	6,150.77	1.00
ङ मर्यादालय	0.00	4,13,01,350.93
च पीडीयूनएसएस	0.00	98,61,767.62
छ क.भ.नि.अपीलीय प्राधिकरण	31,73,34,187.37	25,33,00,558.37
जोड़	32,33,00,605.43	2,21,24,63,921.21
(ख) भारतीय रिजर्व बैंक :		
क स्टॉक भविष्य निधि निवेश खाता	25,09,417.40	3,86,14,717.47
ख स्टॉक पेंशन सह-येच्युटी निवेश खाता	48,95,035.78	5,29,76,910.75
जोड़	74,04,453.18	9,15,91,628.22
(ग) अग्रदाय लेखा	51,369.79	48,469.79
4 विविध नामे:		
उच्चत खाता (अवगीकृत)		
क उच्चत खाता (प्रशासन निधि)	24,11,32,494.56	18,59,03,427.54
5 खाता नं. 8 एवं 9 को वृद्धिपूर्ण नामे:		
क क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा खाता 2 से खाता सं.8 तथा इसके विपरीत अंतरण के रूप में हिसाब दी गई अतिरिक्त राशि	2,04,38,794.97	2,04,38,794.97
ख अंशदान खाता सं.8 को किए गए वृद्धिपूर्ण नामे (स्टाफ भ.नि. खाता)	1,78,339.00	1,78,339.00
ग अंशदान खाता सं.9 को किए गए वृद्धिपूर्ण नामे (स्टाफ पेंशन सह-येच्युटी खाता)	0.00	0.00
जोड़	2,06,17,133.97	2,06,17,133.97
6 वसूलनीय अग्रिम		
क वाहन अग्रिम	2,07,10,213.34	2,49,25,209.50
ख गृह निर्माण अग्रिम	3,90,49,687.59	5,51,60,318.26
ग पछा अग्रिम	91,503.10	2,76,003.10
घ गरम कपड़ा अग्रिम	39,034.75	5,284.75
ङ त्योहार अग्रिम	2,52,70,735.30	2,30,68,753.30
च प्राकृतिक विपदा अग्रिम	17,60,046.00	12,78,434.00
छ वेतन का अग्रिम	39,14,542.00	36,26,930.00
ज डी.ए./टी.ए. अग्रिम	1,78,41,901.34	1,55,47,127.34
झ अनाज अग्रिम	1,216.75	1,216.75
ञ स्टाफ सहकारी कैन्टीन/स्टोर हेतु अग्रिम	16,54,864.00	2,84,765.00
ट कंप्यूटर अग्रिम	3,62,54,323.85	4,49,72,633.85
ठ असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना	0.00	0.00
ड विविध भुगतान	42,03,811.22	11,12,632.22
जोड़	15,07,91,879.24	17,02,59,308.07
7 पूर्व भुगतान (प्रीपेड) व्यय	0.00	0.00
8 प्राप्य क.भ.नि. प्रशासन निधि निवेश पर ब्याज		
विशेष जमा खाता पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	0.00	0.00
विशेष जमा खाता पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
एफ.डी.आर. पर उपाजित ब्याज	13,65,65,028.00	
9 प्राप्य स्टाफ भविष्य निधि निवेश पर ब्याज		
निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	32,38,48,986.05	0.00
निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
10 प्राप्य पेंशन सह-येच्युटी निधि में निवेश पर ब्याज		
निवेश पर उपाजित परंतु अदेय ब्याज	69,90,20,449.73	0.00
निवेश पर देय परंतु अप्राप्य ब्याज	0.00	0.00
11 खाता सं. 24 से प्राप्य जोड़ प्रशासनिक लागत से समानुपातिक (1%)	0.00	0.00
(क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार खाता-केंद्रीय)		
12 सुरक्षा जमा पाटियों को (अग्रिम)	2,99,11,892.20	2,90,84,035.20
13 अन्य	0.00	0.00
31 मार्च को शेष	1,99,73,72,031.58	2,77,40,39,534.53

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976-प्रशासन निधि		
अनसची संख्या-29		
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि-निवेश		
विशेष जमा खाते	23,75,15,71,108.19	21,42,70,38,309.19
अनसची संख्या-30 -वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण एवं अशिम		
क	रोकड़ बही शेष :	
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	0.00 0.00
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	30,48,488.00 27,74,472.41
ख	मार्गस्थ प्रेषण :	
1.	लेखा संख्या 22 से 24	1,54,32,020.07 1,59,98,973.07
ग	विविध नामे :	
1.	लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-क्षेत्रीय)	1,02,33,399.32 1,03,60,966.48
2.	लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासन प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	1,18,32,348.32 1,18,32,348.32
3.	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लेखा संख्या 22 से 24 तथा विलोमतः में अंतरण के रूप में अतिरिक्त लेखाबद्ध	1,66,08,121.04 1,66,08,121.04
घ	क.नि.स.बी. प्रशासन निधि निवेश पर प्राप्त योग्य ब्याज	
	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय ब्याज	0.00 0.00
	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त ब्याज	0.00 0.00
ड	क.नि.स.बी. अशदान लेखों से प्राप्त योग्य राशि	2,93,09,520.99 2,93,09,520.99
	जोड़ प्रशासनिक लागत का समानुपातिक अतिरिक्त अंतरण (1% भाग)	7,37,56,360.19 0.00
च	लेखा संख्या-4 (क.भ.नि. प्रशासनिक प्रभार लेखा-केन्द्रीय)	
छ	अन्य	0.00 0.00
	31 मार्च को शेष	16,02,20,257.93 8,68,84,402.31

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन			
31-03-2016 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय एवं व्यय लेखा			
राशि-रुपए			
आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.प्र.नि. - अंशदान निधि			
वर्ष के दौरान व्याज से आय	31	448,177,482,896.38	303,805,697,789.46
वर्ष के दौरान अन्य आय	32	5,579,920,173.64	5,462,580,777.15
जोड़ आय- क.प्र.नि. अंशदान निधि (क)		453,757,383,070.02	309,268,278,566.61
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.पें.नि. - अंशदान निधि			
पेंशन अंशदान से आय	33	369,590,051,118.48	242,515,028,881.26
वर्ष के दौरान व्याज से आय	34	269,908,622,104.15	190,972,978,133.63
अन्य आय	35	3,003,449,306.01	2,973,769,725.98
जोड़ आय- पेंशन निधि (ख)		642,500,122,528.64	436,461,772,740.87
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
निश्चयनाओं के अंशदान से आय		12,318,197,467.22	9,361,157,287.49
वर्ष के दौरान व्याज से आय	36	16,726,267,533.46	12,311,542,921.99
अन्य आय	37	159,973,055.30	151,860,871.58
जोड़ आय-क.नि.स.बी. अंशदान निधि(ग)		29,205,438,055.98	21,824,561,081.04
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.प्र.नि. - प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, वार्षिक नुकसानी एवं 7 क्यू व्याज से आय	38	36,492,103,820.88	36,815,054,342.28
वर्ष के दौरान व्याज से आय	39	12,265,799,638.00	11,831,139,831.96
लेखा संख्या-24 से प्राप्ति (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा केन्द्रीय) वर्तमान वर्ष के लिए क.प्र.नि.सं. के जोड़ प्रशासनिक खर्च (प्राप्ति योग्य) एवं पिछले वर्षों के बकाया की प्राप्ति का समानुपातिक अंश (1%)		278,343,639.81	269,179,718.87
अन्य आय-विभिन्न प्राप्ति		111,599,854.31	144,315,840.05
जोड़ आय-क.प्र.नि. प्रशासन निधि(घ)		49,147,846,953.00	49,059,689,733.16
कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी. प्रशासन निधि			
वर्ष के दौरान अंशदान, वार्षिक नुकसानी एवं 7 क्यू व्याज से आय	40	1,095,774,499.92	318,075,340.74
वर्ष के दौरान व्याज से आय	41	1,582,616,861.05	1,711,110,705.11
अन्य आय-लेखा संख्या 22 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा क्षेत्रीय)		41.93	24,721.00
अन्य आय-लेखा संख्या 24 (क.नि.स.बी. प्रशासनिक प्रभार लेखा केन्द्रीय)		-	-
जोड़ आय-क.नि.स.बी. प्रशासन निधि (ङ)		2,678,391,402.90	2,029,210,766.85

राशि रुपये			
व्यय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - अंशदान निधि			
सदस्यों को ब्याज भुगतान	42	574,680,370,468.25	246,769,438,312.93
प्रतिभूतियों की बरीब हेतु बिक्रेताओं को ब्याज भुगतान		6,909,244,998.34	3,797,583,546.82
विशेष आरक्षित निधि पर उपाजित ब्याज		236,226,898.90	215,986,102.33
मोबरडाप्ट हेतु बैंकों को ब्याज भुगतान		208,169,267.02	190,395,215.67
विविध-जमानों पर ब्याज की छूट प्राप्त न्यायों को वापसी		-	2,912.00
जोड़ व्यय-क.भ.नि. अंशदान निधि (क-1)		582,032,011,632.51	250,973,406,089.75
I-अधिक आय(क) अधिक व्यय (क-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		(128,274,628,562.49)	58,294,872,476.86
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995			
क.प.नि. - अंशदान निधि			
जाने जाने सदस्यों/आधारियों को भुगतान की गयी राशि	43	135,451,653,271.47	126,009,629,443.75
पेंशन के संवितरण हेतु बैंकों को कमीशन		620,948,238.25	490,656,702.53
निवेशों(प्रतिभूतियों) पर उपाजित ब्याज का भुगतान		3,338,845,057.65	1,674,337,868.07
अन्य व्यय			
लेखा सं-10 (क.प.नि. लेखा सं- शेरीय)		31,558,140.40	44,881,936.11
लेखा सं-11 (क.प.नि. लेखा सं- कैदीय)		189,148,035.19	188,692,629.86
जोड़ व्यय-पेंशन निधि (ख-1)		139,632,152,742.96	128,407,998,580.32
II-अधिक आय(ख) अधिक व्यय (ख-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		502,867,969,785.68	308,053,774,160.55
कर्मचारी निक्षेप सहचक्र बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.अंशदान निधि			
बीमा लाभ भुगतान		2,533,427,270.76	1,778,501,845.59
निवेशों(प्रतिभूतियों) पर उपाजित ब्याज का भुगतान		169,496,192.45	101,700,096.57
अन्य भुगतान			
लेखा सं-21 (क.नि.स.बी. लेखा सं- शेरीय)		2,987,822.14	14,172,532.13
लेखा सं-25 (क.नि.स.बी. लेखा सं- कैदीय)		8,193.91	8,164.10
जोड़ व्यय-क.नि.स.बी.अंशदान निधि (ग-1)		2,705,919,479.26	1,894,382,636.39
III-अधिक आय(ग) अधिक व्यय (ग-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		26,499,518,576.72	19,930,178,442.65
कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952			
क.भ.नि. - प्रशासन निधि(क.भ.नि.सं.क. का 100% व्यय)			
क-स्थापना व्यय			
अधिकारियों एवं स्टाफ का वेतन तथा बोनस		8,717,805,631.05	8,275,252,626.40
भत्ते तथा मानदेय		1,992,046,240.00	1,925,816,316.00
अनुदान-कल्याण निधि आदि		5,569,471.90	58,276,917.44
स्टाफ पेंशन सह रेट्यूटि निधि में अंशदान		5,030,912,296.04	2,654,138,991.30
स्टाफ भ.नि., डी.एल.आई. लाभ		2,140,886.00	1,902,942.00
टी.ए. तथा एल.टी.सी		160,223,028.00	197,655,994.00
जोड़ क		15,908,697,552.99	13,111,043,787.14
ख-अन्य प्रशासनिक व्यय			
विद्युत पर खर्च		245,363,153.00	224,952,675.00
डाक पर खर्च		92,538,816.00	91,493,042.00
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		129,446,676.50	134,850,662.50
किराया, दर तथा कर		282,802,784.00	184,465,834.00
वाहन चालन एवं रखरखाव पर खर्च		20,321,353.77	17,571,650.00
दूरभाष, इंटरनेट तथा संचार प्रसार		47,201,246.64	42,735,783.00
बीमा खर्च		-	-
जल प्रसार		13,628,936.00	15,651,735.00
आकस्मिकताओं से स्टाफ को भुगतान		373,008,516.14	336,680,989.00
विज्ञापन एवं प्रचार		70,876,072.80	30,547,639.00
ए.एम.सी-कम्प्यूटर, सर्वर, बिजली उपकरण तथा अन्य कार्यालय उपकरण		714,283,859.80	362,401,886.86
यात्रा खर्च		37,512,559.00	27,545,610.00
अन्य प्रसार(आवर्ती/अनावर्ती)		2,735,428,350.63	2,832,032,556.00
कार्यालय भवन/स्टाफ क्वार्टर का रख रखाव		151,318,979.00	148,282,961.47
अचल संपत्ति का निवल ह्रास		210,341,302.41	-
भयन निमोण निधि के लिए प्रावधान		-	-
न.प.यो.मे बोर्ड के अंशदान हेतु प्रावधान		28,216,807.50	-
जोड़ ख		5,150,089,212.99	4,549,212,803.83
जोड़ व्यय-क.भ.नि.प्रशासन निधि(घ-1)		21,058,786,765.98	17,660,256,590.97
IV-अधिक आय(घ) अधिक व्यय (घ-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		28,089,060,187.02	31,399,433,142.19

कर्मचारी विसेप सहबन्ध बीमा योजना, 1976			
क.नि.स.बी.प्रशासन निधि			
क.भ.नि.सं. के जोड़ प्रशासनिक खर्च में समानुपातिक अंश (1%)		210,587,887.33	178,755,772.48
अन्य भुगतान:			
लेखा सं-22		114,928.00	94,312.40
लेखा सं-24		3,893.21	-
जोड़ व्यय क.नि.स.बी.प्रशासन निधि (इ-1)		210,708,486.54	178,850,084.88
V- अधिक आय(इ) अधिक व्यय (इ-1) तुलन पत्र में ले जाया गया		2,467,684,916.36	1,850,360,681.97
क.भ.नि.संगठन की जोड़ आय (I + II + III + IV + V)			

ह०/-
(मीनाक्षी गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी

ह०/-
(वी.पी.जोय)
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

समेकित आय एवं व्यय लेखा			
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क.भ.नि. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 31			
वर्ष के दौरान व्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त व्याज	348,393,893,604.51	303,801,838,524.59
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय व्याज	97,256,113,952.89	0.00
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त व्याज	388,692,392.56	0.00
4	एफडीआर पर उपार्जित व्याज	2,134,667,693.97	0.00
5	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर व्याज	2,047,932.45	3,858,089.87
6	स्थापनाओं से प्रतिभूतियों पर प्राप्त व्याज	1,980,435.00	0.00
7	ऋणों पर अंशदाताओं/मदम्यों से प्राप्त व्याज	66,885.00	1,175.00
8	पूर्व वर्षों के लिए व्याज हेतु अतिरिक्त उपबंध- वापिस लिखा गया	0.00	0.00
जोड़		448,177,462,896.38	303,805,697,789.46
अनुसूची संख्या. 32			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	2,682,597,111.12	2,697,649,450.77
2	वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू व्याज	2,897,323,062.52	2,764,931,326.38
3	अन्य प्राप्तियां	0.00	0.00
जोड़		5,579,920,173.64	5,462,580,777.15
क.पं.यो. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 33			
पेंशन अंशदान से आय			
1	नियोक्ताओं से प्राप्त पेंशन अंशदान	290,268,751,118.48	219,517,026,881.26
2	केन्द्र सरकार से प्राप्त पेंशन अंशदान	32,802,000,000.00	22,998,000,000.00
3	केन्द्र सरकार से प्राप्ति योग्य पेंशन अंशदान	46,519,300,000.00	0.00
जोड़		369,590,051,118.48	242,515,026,881.26
अनुसूची संख्या. 34			
वर्ष के दौरान व्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त व्याज	146,356,839,242.50	126,774,390,023.43
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय व्याज	47,948,754,469.26	0.00
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त व्याज	0.00	0.00
4	एफडीआर पर उपार्जित व्याज	2,929,545,192.66	
5	लोक लेखे पर प्राप्त व्याज	72,668,600,000.00	64,195,800,000.00
6	लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य व्याज	0.00	0.00
7	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर व्याज	2,883,199.73	2,786,110.20
जोड़		269,906,622,104.15	190,972,976,133.63
अनुसूची संख्या. 35			
वर्ष के दौरान अन्य आय			
1	वर्ष के दौरान वसूली गई शास्तिक नुकसानी	1,274,845,391.50	1,141,592,025.92
2	वर्ष के दौरान वसूला गया 7क्यू व्याज	953,454,531.72	979,737,479.66
3	अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-10	775,149,382.79	852,440,220.40
4	अन्य प्राप्तियां- क्षेत्रीय अंशदान लेखा संख्या-11	0.00	0.00
जोड़		3,003,449,306.01	2,973,769,725.98
क.नि.स.बी. अंशदान निधि			
अनुसूची संख्या. 36			
वर्ष के दौरान व्याज से आय			
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त व्याज	7,712,021,342.57	6,416,940,409.14
2	निवेश पर उपार्जित परंतु अदेय व्याज	2,608,250,540.88	0.00
3	निवेश पर देय परंतु अप्राप्त व्याज	0.00	0.00
4	एफडीआर पर उपार्जित व्याज	21,122,763.31	
5	लोक लेखे पर प्राप्त व्याज	6,384,700,000.00	5,884,500,000.00
6	लोक लेखे पर प्राप्ति योग्य व्याज	0.00	0.00
7	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर व्याज	172,886.70	10,102,512.85
जोड़		16,726,267,533.46	12,311,542,921.99

अनुसूची सं- 37		
वर्ष के दौरान प्राप्त अन्य आय		
1	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	
2	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 वकू ब्याज	79,132,781.19
3	लेखा संख्या 21 में अन्य प्राप्तियां	61,343,288.41
4	लेखा संख्या 25 में अन्य प्राप्तियां	19,496,985.70
		0.00
	जोड़	159,973,055.30
		151,860,871.56
क.भ.नि.प्रशासन निधि		
अनुसूची सं- 38		
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों, शास्तिक नुकसानी एवं 7वकू ब्याज से हुई आय		
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.भ.नि.प्रशासनिक प्रभार	
2	वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय	35,023,029,789.24
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	1,076,855,844.70
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 वकू ब्याज	218,166,869.15
		174,051,317.79
	जोड़	36,492,103,820.88
		36,815,054,342.28
अनुसूची सं- 39		
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय		
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	12,077,166,859.29
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00
4	सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज	0.00
5	क्षेत्रीय बचत बैंक खाते पर ब्याज	136,565,028.00
		52,067,750.71
	जोड़	83,313,206.41
घटाएँ:	भवन निर्माण निधि पर क्रेडिट किया गया ब्याज	12,265,799,638.00
		0.00
	जोड़	12,265,799,638.00
		11,831,139,831.96
क.नि.स.बी.यो.प्रशासन निधि		
अनुसूची सं- 40		
वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों, शास्तिक नुकसानी एवं 7वकू ब्याज से हुई आय		
1	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.प्रशासन प्रभार	
2	वर्ष के दौरान प्राप्त क.नि.स.बी.यो.निरीक्षण प्रभार	1,069,395,202.53
3	वर्ष के दौरान एकत्रित शास्तिक नुकसानी	17,792,684.85
4	वर्ष के दौरान एकत्रित 7 वकू ब्याज	4,557,350.00
		4,029,262.54
	जोड़	1,095,774,499.92
		318,075,340.74
अनुसूची सं- 41		
वर्ष के दौरान ब्याज से प्राप्त आय		
1	वर्ष के दौरान निवेश पर प्राप्त ब्याज	
2	अर्जित ब्याज परंतु निवेश पर देय नहीं	1,582,382,799.00
3	देय ब्याज परंतु निवेश पर प्राप्त नहीं	0.00
4	बचत बैंक खाते पर ब्याज	0.00
		234,062.05
	जोड़	323,349.01
		1,582,616,861.05
		1,711,110,705.11
क.भ.नि.अंशदान निधि		
अनुसूची सं- 42		
सदस्यों को ब्याज का भुगतान		
1	वर्ष के दौरान सदस्यों के भविष्य निधि खातों पर क्रेडिट ब्याज (निष्क्रिय खातों सहित)	232,974,670,468.25
2	वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए सदस्यों के भ.नि. खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	341,705,700,000.00
3	पूर्व के वर्षों के लिए सदस्यों के भ.नि.खातों पर देय ब्याज का प्रावधान	0.00
	जोड़	574,680,370,468.25
		246,769,438,312.93

	क.पे.यो. अशदान निधि		
	अनसची सं- 43		
	सदस्यता छोड़ने वाले सदस्यों/लाभार्थियों को भुगतान की गई राशि		
1	प्रत्याहरण/भेवानिवृत्ति लाभ	52,804,906,855.73	53,752,999,206.68
2	जीवन बीमा लाभ	16,370,362.00	131,251,060.00
3	पेंशन	82,630,376,053.74	72,125,379,177.07
	जोड़	135,451,653,271.47	126,009,629,443.75

अनुसूची संख्या 24											
अचल परिसंपत्तियां											
क्र.सं.	अचल परिसंपत्तियां	सकल ब्लॉक				मूल्यहास				(राशि रुपयों में)	
		वर्ष के आरंभ में लागत/मूल्यंकन	वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों में वृद्धि	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यंकन (ए)	वर्ष के आरंभ में जमा मूल्यहास	चालू वर्ष के लिए मूल्यहास	वर्ष के दौरान कम हुई अचल परिसंपत्तियों में कटौती	वर्ष के अंत में जमा मूल्यहास (बी)	चालू वर्ष के अंत में (ए-बी)	शुद्ध ब्लॉक पिछले वर्ष के अंत में	
1	भूमि										
	क की होल्ड भूमि	62,16,73,005.53	2,58,04,535.00	64,74,77,540.53						64,74,77,540.53	62,16,73,005.53
	ख लीज होल्ड भूमि	33,73,10,720.50		33,73,10,720.50	2,37,30,868.00	1,68,767.00		2,38,99,635.00	31,34,11,085.50	33,73,10,720.50	
2	भवन										
	क भवन-कार्यालय	1,59,52,00,267.47	3,17,04,247.00	1,62,69,04,514.47	22,93,01,574.37	1,19,59,282.73		24,12,60,857.10	1,38,56,43,657.37	1,59,52,00,267.47	
	ख लीज होल्ड भवन-कार्यालय	85,03,81,187.92		85,03,81,187.92	10,37,41,996.80	17,00,455.00		10,54,42,451.80	74,49,38,736.12	85,03,81,187.92	
	ग भवन-आवासीय	71,17,05,698.90	1,27,87,284.00	72,44,92,982.90	15,35,24,366.70	38,44,656.62		15,73,69,023.32	56,71,23,959.58	71,17,05,698.90	
	घ लीज होल्ड भवन-आवासीय	22,24,66,700.00		22,24,66,700.00	4,73,22,119.00	19,93,154.00		4,93,15,273.00	17,31,51,427.00	22,24,66,700.00	
3	संवय मशीनरी एवं उपकरण	457.00	38,54,566.00	36,55,017.00		2,50,424.38		2,50,424.38	34,04,592.62	457.00	
4	वाहन एवं मोटर कार	96.00	47,18,060.00	47,18,156.00	2,280.12	5,43,614.26		5,45,904.38	41,72,251.62	96.00	
5	फर्नीचर एवं फिक्स्चर	6,49,93,532.00	1,83,55,094.00	8,33,58,626.00	7,02,684.05	13,76,572.95		20,78,257.50	8,12,80,368.41	6,49,93,532.00	
6	कार्यालय उपकरण	7,04,388.00	74,05,249.00	81,09,637.00	3,01,273.39	10,78,453.19		13,79,725.56	67,29,910.42	7,04,388.00	
7	कंप्यूटर/पेरिफरल	32,24,657.00	38,27,00,241.00	38,59,24,898.00	3,65,956.00	5,19,85,536.07		5,23,51,492.07	33,35,73,405.93	32,24,657.00	
8	इंस्ट्रुमेंटल इंस्ट्रुमेंशन	14,45,678.00	61,93,761.00	76,39,439.00	6,38,000.61	10,62,586.40		17,00,587.01	59,38,851.99	14,45,678.00	
9	पुस्तकालय की पुस्तकें	37,412.00	4,36,471.00	4,73,883.00		998.00		998.00	4,72,885.00	37,412.00	
10	टयूबवेल एवं जल आपूर्ति	159.00	2,38,962.00	2,39,121.00		43,501.90		43,501.90	1,95,619.10	159.00	
11	अन्य अचल परिसंपत्तियां	1,97,80,379.00	27,14,214.00	2,24,94,593.00		2,02,463.17		2,02,463.17	2,22,92,129.83	1,97,80,379.00	
कुल		4,42,89,24,338.32	49,67,22,678.00	4,92,56,47,016.32	55,96,31,129.64	7,62,09,465.67		63,58,40,595.31	4,28,98,06,421.01	4,42,89,24,338.32	
जॉईन्ट- 9,11,14,077.10 प्रति एवं अन्य सरकारी											

नोट:-
 जोड़:- 9,11,14,077.10 भूमि एवं भवन आदिशेष समायोजन - अंतर को मूल्य हास माना जा रहा है।
 जोड़:- 5,54,88,924.79 भूमि एवं भवन - क्षेत्रीय कार्यालय, बादा द्वारा आदिशेष समायोजन - मुलतः पत्र में पहले ही पिछले वर्ष के समायोजन के रूप में समायोजित किया जा चुका है।
 घटाव:- 9,01,86,758.00 भूमि एवं भवन के अलावा परिसंपत्तियों का आदिशेष - मूल्यहास के लिए समायोजित (चालू वर्ष का राजस्व)
 पिछले वर्ष का आदिशेष 4,48,53,40,582.21

चालू वर्ष के राजस्वों के लिए शुद्ध मूल्यहास

वर्ष के लिए मूल्यहास
 नोट:- भूमि एवं भवन आदिशेष अंतर - पूर्व के वर्षों में अन्य परिसंपत्तियों को गतली से भूमि एवं भवन के रूप में दिखाया गया है-मूल्यहास के साथ समायोजित करके इसे पुनर् दिया गया है
 घटाव:- परिसंपत्तियों का मूल्य (भूमि एवं भवन के अलावा) वर्ष के दौरान अधिक दिखाया गया है-इसे सौगरी में राजस्व व्यय के रूप में माना गया है।
 घटाव:- परिसंपत्तियों के लिए माना गया आदिशेष (भूमि एवं भवन के अलावा) - मूल्यहास के विरुद्ध समायोजित किया जाना है।
 वर्ष के लिए शुद्ध मूल्य हास जिसे आय एवं व्यय लेख में दर्शाया गया है।

63,58,40,595.31
 9,11,14,077.10
 42,64,26,612.00
 9,01,86,758.00
 21,03,41,302.41

अनुसूची सं. 18		अति शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	कुट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य					परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ-सी.टी.डी.	9,77,75,38,42,640.00	9,60,08,87,79,996.93	1,29,61,30,59,452.61	23,36,10,000.00	2,28,85,000.00	9,25,28,040.67		11,06,82,26,97,640.00
2	सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	11,15,95,95,24,454.76	11,15,65,30,95,487.80	2,42,98,31,32,088.36	-	1,10,96,94,07,265.49	-		12,27,83,27,48,599.60
3	निजी प्रतिभूतियाँ	2,55,87,11,56,200.00	2,55,73,51,35,154.56	78,80,14,50,000.00	-	29,28,15,00,800.00	-		3,26,89,66,55,400.00
4	राज्य विकास कर्ण-एस.डी.एल.	7,79,73,36,30,658.00	7,81,70,12,05,066.70	3,59,97,92,06,634.49	7,54,10,000.00	18,87,78,81,656.00	-		11,18,99,49,88,700.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ-एस.टी.डी.	1,36,61,35,04,478.64	1,38,25,98,83,651.46	2,60,61,17,031.00	17,90,60,108.00	9,90,92,03,333.00	-		1,29,84,13,61,253.30
6	विशेष उमा योजना-एस.डी.एस.	5,28,45,36,13,822.83	5,28,45,36,13,822.83	-	-	-	-		5,29,21,50,83,779.24
7	लेक लेखा	-	-	-	-	-	-		43,11,88,60,040.63
8	ई.टी.एफ.	-	-	43,11,88,60,040.63	-	19,09,52,77,599.00	-		-
9	एल.एस.एफ.	-	-	19,09,52,77,599.00	-	-	-		8,50,00,00,000.00
10	एफ.डी.आर.	4,05,00,00,000.00	4,05,00,00,000.00	4,45,00,00,000.00	-	-	-		-
11	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	3,35,85,63,060.05	-	-	-	-		-
जोड़		37,98,63,50,72,252.23	37,87,29,92,76,240.33	8,80,64,71,02,846.09	1,24,94,50,064.41	1,88,05,61,35,653.49	9,25,28,040.67	44,81,43,79,37,671.00	44,91,02,23,95,412.67

अनुसूची सं. 20		अति शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	कुट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य					परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ-सी.टी.डी.	5,37,95,97,23,700.00	5,32,10,73,25,385.90	63,63,28,35,219.79	-	-	94,60,75,257.70		6,01,24,73,23,700.00
2	सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	5,01,67,29,74,837.22	5,01,69,09,80,381.62	1,20,98,24,56,774.56	-	58,45,53,76,800.00	-		5,41,47,68,63,049.30
3	निजी प्रतिभूतियाँ	1,29,35,48,22,000.00	1,29,34,15,20,880.55	35,63,00,00,000.00	-	35,93,85,39,108.44	-		1,52,51,68,22,000.00
4	राज्य विकास कर्ण-एस.डी.एल.	3,36,68,36,05,200.00	3,37,53,10,08,723.82	1,77,94,07,89,107.86	-	11,09,88,21,000.00	-		5,02,48,42,58,500.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ-एस.टी.डी.	65,25,20,00,000.00	65,55,46,28,700.76	74,50,83,039.00	-	10,30,80,00,000.00	-		55,68,10,00,000.00
6	विशेष उमा योजना-एस.डी.एस.	14,00,52,28,022.64	14,00,52,28,022.64	-	-	-	-		14,00,52,28,022.64
7	लेक लेखा	8,00,38,99,20,241.86	8,00,38,99,20,241.86	1,02,97,06,00,000.00	-	-	-		9,03,36,05,20,241.86
8	ई.टी.एफ.	-	-	21,12,78,48,137.74	-	-	-		21,12,78,48,737.74
9	एल.एस.एफ.	-	-	9,19,44,33,032.00	-	9,19,44,33,032.00	-		-
10	एफ.डी.आर.	11,53,00,00,000.00	11,53,00,00,000.00	-	-	-	-		11,53,00,00,000.00
11	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	5,18,23,12,754.18	-	-	-	-		-
जोड़		23,96,84,84,74,001.72	23,97,33,29,24,891.33	5,32,22,38,45,910.95	-	1,24,99,51,69,940.44	94,60,75,257.70	28,03,61,40,31,708.42	28,03,42,98,84,251.54

अनुसूची सं. 22		अति शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	कुट रद्द होने के पश्चात् प्राप्त प्रतिभूतियाँ (स्वीकृत मूल्य)	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चाहू मूल्य	
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य					परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य
1	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ-सी.टी.डी.	25,01,02,42,000.00	24,65,80,44,931.74	3,51,03,34,232.50	-	4,67,21,50,000.00	2,77,26,978.62		28,51,30,32,000.00
2	सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	27,75,59,24,000.00	27,74,77,30,487.90	7,00,01,11,819.45	-	18,60,00,000.00	-		30,01,93,94,000.00
3	निजी प्रतिभूतियाँ	6,40,19,51,000.00	6,39,88,13,423.07	2,03,00,00,000.00	-	23,58,15,000.00	-		8,24,59,51,000.00
4	राज्य विकास कर्ण-एस.डी.एल.	19,69,49,61,800.00	19,76,91,07,958.97	8,84,57,23,162.31	-	28,10,00,000.00	-		28,24,15,52,800.00
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ-एस.टी.डी.	3,22,80,00,000.00	3,25,88,30,140.05	43,70,26,270.00	-	-	-		3,37,70,00,000.00
6	विशेष उमा योजना-एस.डी.एस.	2,49,76,309.05	2,49,76,309.05	-	-	-	-		2,49,76,309.05
7	लेक लेखा	75,11,39,14,794.14	75,11,39,14,794.14	6,38,47,00,000.00	-	-	-		81,49,86,14,794.14
8	ई.टी.एफ.	-	-	1,16,99,93,187.99	-	-	-		1,16,98,93,187.99
9	एल.एस.एफ.	-	-	70,80,78,049.00	-	64,49,14,965.00	-		6,31,64,084.00
10	एफ.डी.आर.	11,00,00,000.00	11,00,00,000.00	-	-	-	-		11,00,00,000.00
11	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	2,98,06,626.69	-	-	-	-		-
जोड़		1,57,33,98,69,903.19	1,57,11,12,24,669.61	30,08,58,67,721.25	-	6,01,96,79,965.00	2,77,26,978.62	1,81,14,94,85,447.24	1,81,26,35,78,175.18

अनुसूची सं 26									
क.म.नि.स्टाफ भविष्य निधि-निवेश									
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य		
		अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य				परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ-सी.टी.जी.	3,64,93,61,100.00	3,60,98,07,022.12	29,04,89,368.33	100.00	1,30,28,702.57		3,93,95,61,000.00	
2	सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	3,39,03,92,000.00	3,39,64,73,893.78	67,24,09,298.47	50,15,97,000.00	-		3,54,57,45,000.00	
3	निजी प्रतिभूतियाँ	70,40,64,000.00	70,36,36,853.42	16,00,00,000.00	3,30,00,000.00	-		83,10,64,000.00	
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	2,54,77,70,000.00	2,56,09,93,451.55	68,74,07,310.95	7,24,50,000.00	-		3,16,09,20,000.00	
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ-एस.टी.जी.	23,60,00,000.00	23,84,99,099.92	3,55,71,935.00	2,50,00,000.00	-		24,60,00,000.00	
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	83,33,20,534.92	83,33,20,534.92	-	-	-		83,33,20,534.92	
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-		-	
8	ई.टी.एफ.	-	-	9,75,95,542.08	-	-		9,75,95,542.08	
9	एल.एम.एफ.	-	-	5,29,18,136.00	4,78,09,392.91	-		51,08,743.08	
10	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	10,63,33,031.46	-	-	-		-	
जोड़		11,36,09,07,634.92	11,44,90,63,887.17	1,99,63,91,590.83	67,98,56,492.91	1,30,28,702.57	12,75,25,70,282.52	12,65,93,14,820.09	

अनुसूची सं 27									
क.म.नि.स्टाफ पेंशन सह गैर्युटिलिटी-निवेश									
क्र.सं.	निवेश का प्रकार	आदि शेष		वर्ष के दौरान निवेशित राशि	वर्ष के दौरान छुड़ाई गयी प्रतिभूतियों का मूल्य	परिशोधन का मूल्य	चालू मूल्य		
		अंकित मूल्य	परिशोधित मूल्य				परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य	
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ-सी.टी.जी.	6,73,88,61,200.00	6,66,95,48,039.74	77,03,62,259.99	-	1,60,93,521.58		7,52,98,61,200.00	
2	सावजनिक क्षेत्र के उपक्रम-पी.एस.यू.	6,93,34,57,000.00	6,93,37,38,688.86	1,53,18,81,240.84	83,15,87,000.00	-		7,61,53,90,000.00	
3	निजी प्रतिभूतियाँ	2,36,78,10,000.00	2,36,65,66,119.13	36,00,00,000.00	30,00,000.00	-		2,72,48,10,000.00	
4	राज्य विकास ऋण-एस.डी.एल.	5,08,06,40,000.00	5,09,48,63,727.73	2,00,82,08,061.50	1,37,00,000.00	-		7,07,13,30,000.00	
5	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ-एस.टी.जी.	45,80,00,000.00	46,32,24,887.44	12,70,42,625.00	9,00,00,000.00	-		49,30,00,000.00	
6	विशेष जमा योजना-एस.डी.एस.	91,79,27,326.87	91,79,27,326.87	-	-	-		91,79,27,326.87	
7	लोक लेखा	-	-	-	-	-		-	
8	ई.टी.एफ.	-	-	25,43,34,232.70	-	-		25,43,34,232.70	
9	एल.एम.एफ.	-	-	4,24,34,885.00	4,24,34,885.00	-		-	
10	समाशोधन के अंतर्गत राशि	-	19,82,25,623.80	-	-	-		-	
जोड़		22,49,66,95,526.87	22,64,40,94,413.57	5,09,42,63,305.03	98,07,21,885.00	1,60,93,521.58	26,74,15,42,312.02	26,60,66,52,759.57	

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995-अंशदान लेखा
वर्ष 2015-2016 के लिए प्राप्त तथा अदायगी लेखा

पिछला वर्ष		प्राप्तियां		राशि		पिछला वर्ष		अदायगियां		राशि	
रुपये	क्र.सं.	क्र.सं.	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
20,83,72,05,57,596.23	1.	01-04-2015 को आदि शेष		23,91,77,43,31,756.78	1.	जाने वाले सदस्यों/लाभ प्राप्तकर्ताओं को दी गयी राशि					
2,19,51,70,26,881.26	2.	(i) नियोजताओं का अंशदान		2,90,26,87,51,118.48		(क) नियोजता के भाग की ब्याज सहित राशि					
0.00		(ii) सरकार का अंशदान 2015-2016		0.00	0.00						0.00
		(iii) वर्ष 2015-16 तक सरकार के अंशदान का बकाया		32,80,20,00,000.00	53,75,29,99,206.68	(ख) प्रत्याहरण/सेवानिवृत्ति लाभ					52,80,49,06,855.73
22,99,80,00,000.00	3.	लोक लेखा में शेष पर ब्याज		72,66,86,00,000.00	13,12,51,060.00	(ग) जीवन बीमा लाभ					1,63,70,362.00
64,19,58,00,000.00	4.	बचत बैंक खातों पर ब्याज		28,83,199.73	72,12,53,79,177.07	(घ) पेंशन					82,63,03,76,053.74
27,86,110.20	5.	प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज		1,47,29,16,59,970.42	49,06,56,702.53	पेंशन के भुगतान के लिए कमीशन के रूप में दी गयी राशि					62,09,48,238.25
1,26,77,43,90,023.43	6.	शास्तिक नुकसानी		2,22,82,99,923.22	0.00	पेंशन निधि में दी गयी राशि					0.00
2,12,13,29,505.58	7.	अन्य प्राप्तियां		77,51,49,382.79	0.00	प्रशासकीय व्यय					0.00
85,24,40,220.40		(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10		0.00	0.00	छूट देने पर अंतरित की गयी प्रतिभूतियों की राशि					0.00
0.00		(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11		0.00	0.00	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के रूप में अदा की गई राशि					3,33,88,45,057.65
					1,67,43,37,868.07	अन्य भुगतान					
					4,46,81,936.11	(क) क्षेत्रीय अंशदान लेखा सं. 10					3,15,58,140.40
					18,86,92,629.86	(ख) केंद्रीय अंशदान लेखा सं. 11					18,91,48,035.19
					23,91,77,43,31,756.78	31-03-2016 को अंत शेष					27,98,17,95,22,608.46
25,20,18,23,30,337.10		जोड़		29,37,81,16,75,351.42	25,20,18,23,30,337.10	जोड़					29,37,81,16,75,351.42

ह०/-

(मीनाक्षी गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

ह०/-

(टी.पी.जोषी)
केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976
वर्ष 2015-2016 के लिए प्राप्तियां तथा अदायगियां
(अंशदान लेख)

पिछला वर्ष रुपये	क्र.सं.	प्राप्तियां		राशि		पिछला वर्ष रुपये	क्र.सं.	अदायगियां		राशि रुपये
		रुपये	पैसे	रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	
1,37,39,25,50,794.98	1.	01-04-2015 को आदि शेष		1,57,32,27,29,237.63		1,77,85,01,845.59	1.	बीमा लाभ		2,53,34,27,270.76
9,36,11,57,287.49	2.	नियोक्ताओं का अंशदान		12,31,91,97,467.22			2.	फूट प्रदान करने पर नियोक्ताओं को		
5,88,45,00,000.00	3.	लोक लेखा में निवेश पर ब्याज		6,38,47,00,000.00		0.00		वापिस की गई राशि		0.00
6,41,69,40,409.14	4.	प्रतिभूतियों में निवेश पर ब्याज		7,73,86,53,852.17			3.	प्रतिभूतियों की खरीद पर अर्जित ब्याज के		
1,01,02,512.85	5.	बचत बैंक खातों पर ब्याज		1,72,886.70		10,17,00,096.57		रुप में अदा की गई राशि		16,94,96,192.45
13,83,05,966.56	6.	शेयरों पर ब्याज		14,04,76,069.60			4.	अन्य अदायगियां		
1,35,54,905.00	7.	शेयरों पर ब्याज		1,94,96,985.70		1,41,72,532.13		लेखा संख्या 21		29,87,822.14
0.00		अन्य प्राप्तियां				8,164.10		लेखा संख्या 25		8,193.91
		लेखा संख्या 21				1,57,32,27,29,237.63	5.	31-03-2016 को अंत शेष		1,81,21,95,07,019.76
		लेखा संख्या 25								
1,59,21,71,11,876.02		जोड़		1,83,92,54,26,499.02		1,59,21,71,11,876.02		जोड़		1,83,92,54,26,499.02

हो/-
(मीनाक्षी गुप्ता)
वित्तीय सहायक एवं मुख्य लेखाधिकारी

हो/-
(वी.पी.जोषी)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976
वर्ष 2015-2016 का प्राप्ति और अदायगी लेखा
(प्रशासन लेखा)

पिछला वर्ष		प्राप्तियां		राशि		पिछला वर्ष		क्र.सं.		अदायगियां		राशि	
रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे			रुपये	पैसे	रुपये	पैसे
19,53,04,69,593.19		1.	1-04-2015 को आदि शेष	21,38,08,30,275.16		17,87,55,772.48		1	क.भ.नि.सं. पर 1% समानुपातिक व्यय			21,05,87,867.33	
30,03,41,245.22		2.	नियोक्ताओं से प्राप्त प्रशासकीय प्रभार	1,06,93,95,202.53				2	अन्य अदायगियां :				
86,47,570.27		3	प्रशासकीय प्रभार	1,77,92,684.85		94,312.40			लेखा संख्या 22			1,14,926.00	
90,86,525.25		4	प्राप्त निरीक्षण प्रभार	85,86,612.54		0			लेखा संख्या 24			3,693.21	
1,71,07,87,356.10		5	निवेश पर प्राप्त व्याज	1,58,23,82,799.00		21,38,08,30,275.16		3	31-03-2016 को अंत शेष			23,84,85,15,191.52	
3,23,349.01		6	बचत बैंक खाते पर व्याज	2,34,062.05									
24,721.00		7.	अन्य प्राप्तियां :	41.93									
0.00			लेखा संख्या 22	0.00									
			लेखा संख्या 24										
21,55,96,80,360.04			जोड़	24,05,92,21,678.06		21,55,96,80,360.04			जोड़			24,05,92,21,678.06	

हो/-
(मीनाक्षी गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी

हो/-
(वी.पी.जोषी)
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

अनुसूची जो 2015-16 की अवधि के लिए खातों का भाग होगी

अनुसूची 44 : महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखा पद्धति

वित्तीय विवरणी प्रोदभवन के आधार पर तैयार की जाती है जब तक कि अन्यथा भारत सरकार द्वारा सिफारिश की गई लेखांकन हेतु आम प्रारूप की संबंधित प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं और लागू अनिवार्य लेखा मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत न कहा जाए।

2. सूची मूल्यांकन

स्टोर, स्टॉक और अतिरिक्त सभी मर्दों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है।

3. निवेश

3.1 भविष्य निधि के परिचालन के संदर्भ में इक्विटी और संबंधित साधन में निवेश करने के लिए निर्णय, जबकि उद्देश्य निवेश पर लाभ को अधिकतम करना है, लेखा नीतियों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि-

- i) जिस सीमा तक संभव हो इक्विटी और संबंधित साधन में निवेश करने के बावजूद घोषित ब्याज दर लंबे समय तक निर्बाध रहे।
- ii) जिस सीमा तक संभव हो इक्विटी में निवेश की गई पूंजी संरक्षित रहे।
- iii) जहां तक संभव हो इक्विटी और संबंधित साधन में निवेश से अर्जित लाभ के वितरण में होने वाले भारी परिवर्तन से बचना।

3.2 उपर्युक्त आधार पर, इक्विटी और संबंधित निवेशों हेतु निम्नलिखित लेखा नीतियां प्रस्तावित हैं:

क. लाभ/हानि की गणना:

1. इक्विटी में परिसंपत्ति निवेश का मूल्यन बाजार के आधार पर चिह्नित (एम.टी.एम.) के अनुसार होगा।

2. प्रथम वर्ष का आय स्टाक शून्य होगा।
3. खरीद की गणना खरीद+दलाली की लागत और खरीद पर अन्य प्रत्यक्ष लागत के आधार पर होगी।
4. इक्विटी और संबंधित साधनों से संबंधित निवेश के अन्तर्स्टॉक का मूल्यन बाजार मूल्य बाजार के आधार पर चिह्नित किए जाने के आधार पर होगा (मार्क टू मार्केट आधार पर)।
5. पिछले वर्ष का अंतर्स्टॉक आगामी वर्ष का आय स्टाक होगा।
6. लाभांश को प्रोदभवन के आधार आय के रूप माना जाएगा। अन्य शब्दों में, किसी भी इक्विटी जिस पर निवेश किया गया है पर 31 मार्च तक घोषित लाभांश को वर्ष की आय के रूप में माना जाएगा।
7. वर्ष के दौरान आयस्टॉक का मूल्य+खरीद में से अन्तर्स्टॉक+प्राप्त लाभांश+विक्रय मूल्य (यदि कोई विक्रय है तो) को घटाकर आने वाला अन्तर इक्विटी और संबंधित निवेशों में प्रतिवर्ष होने वाला लाभ और हानि होगा।

ख. इक्विटी आय स्थिरीकरण रिजर्व का सृजन

1. अनुमानित है कि अगले 7-10 वर्षों में इक्विटी की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर 12% होगी हालांकि यह लक्ष्य लंबी अवधि में प्राप्त हो सकता है। इसमें साल दर साल उतार चढ़ावे हो सकता है।
2. उपयुक्त प्रतिलाभ की दर घोषित करने हेतु इक्विटी में निवेश से हुए लाभ के कुछ भाग को क.भ.नि. योजना के पैरा 60 के अंतर्गत वर्ष हेतु डिसट्रिब्यूटेबल लाभ के रूप में घोषित किया जाए। लाभ के बकाया भाग को रिजर्व में स्थानान्तरित किया जाए, जिसे इक्विटी आय स्थिरीकरण रिजर्व (ई.आई.एस.आर.) कहा जाएगा।
3. इक्विटी में निवेश से लाभ औसत जी-सेक दर हेतु बेंच मार्क औसत जी-सेक दर की गणना हेतु पिछले वर्ष के प्रत्येक माह के अंतिम दिन दस वर्ष के जी-सेक की चालू श्रृंखला की औसत समापन मूल्य को माना जाएगा। यदि पिछले वर्ष में एक से अधिक चालू श्रृंखला हैं तो वह श्रृंखला महीनों के लिए मानी जाएगी जिसमें वह चालू थी। प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में क.भ.नि.सं. उनके वेबसाइट पर औसत जी-सेक की गणना करेगा और कार्य के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएगा।

4. इक्विटी और संबंधित साधन से लाभ निम्नप्रकार से वितरित किया जाएगा।

प्रतिशत (निवेश के मूल्य पर लाभ)	वितरणीय लाभ प्रतिशत में	
5. 15% तक औसत से अधिक जी.-सेक दर	200 बीपी औसत से अधिक जी.-सेक दर	ए
16% से 20% तक	15% से अधिक लाभ का ए+ 40%	बी
21% से 30% तक	21% से अधिक लाभ का बी+ 50%	सी
30% से अधिक	31% से अधिक लाभ का सी+ 60%	

जैसा कि ऊपर पैरा 4 में गणना की गई है वितरणीय लाभ से बढ़कर इक्विटी और अन्य साधन में निवेश से प्राप्त अतिरिक्त लाभ ई.एस.आई.आर. में हस्तांतरित किया जाएगा।

6. नियत आय परिसंपत्तियों से अतिरिक्त लाभ को उसी प्रकार इआईएसआर में क्रेडिट किया जाएगा जैसे कि उस वर्ष के लिए निर्धारित ब्याज दर के आधार पर व्यक्तिगत लाभार्थी को देय ब्याज।
7. इक्विटी आय स्थिरीकरण रिजर्व में ए.यू.एम. का अधिकतम 10% रहेगा।
8. यदि ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व ए.यू.एम. का 10% से अधिक हो जाता है तो, इस लेखे में और क्रेडिट नहीं होगा एवं कोई अन्य राशि जो अन्यथा रिजर्व में क्रेडिट योग्य होती, लाभ वितरण हेतु उपलब्ध होगी।
- ग. ईआईएसआर में निधि का प्रयोग:
1. इआईएसआर का प्रयोग क.भ.नि.सं. द्वारा वर्ष दर वर्ष घोषित ब्याज दर को अनुकूल करने के लिए किया जा सकता है।
 2. यदि शेयरों एवं संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश से लाभ "औसत जी सेक्शन दर" एवं औसत जी सेक्शन दर से 200 बेसिस प्वाइंट ऊपर हो तो ब्याज स्थिरीकरण रिजर्व से वितरण एवं वर्ष की ब्याज दर घोषित करने करने के लिए आहरण नहीं किया जाएगा।

3. यदि शेयरों एवं संबंधित इन्स्ट्रुमेंट्स से वर्ष विशेष के लिए लाभ "औसत जी सेक्शन दर" से कम होता है तो, बोर्ड वर्ष के लिए ब्याज दर की घोषणा के लिए स्व विवेक से रिजर्व से आहरण का निर्णय ले सकता है।
4. यदि वर्ष के दौरान इक्विटी से आय औसत जी सेक्शन दर से कम होती है एवं ईआईएसआर में कोई शेष नहीं है, केवल गणना की गई वास्तविक आय को वितरित किया जाएगा।
5. यदि किसी वर्ष के दौरान इक्विटी में निवेश में घाटा होता है एवं ईआईएसआर में शेष नहीं है, इक्विटी में निवेश के घाटे को अन्य परिसंपत्तियों में निवेश से आय में जोड़ा जाएगा तथा फलस्वरूप आय को उस वर्ष विशेष के लिए ब्याज के रूप में वितरित किया जाएगा।
4. नियत परिसंपत्तियां
 - 4.1 वर्ष 2015-16 तक भूमि एवं भवन एक साथ दर्शाए जाते थे, परंतु नए फार्मेट में 2015-16 से भूमि को पृथक रूप से दर्शाया जा रहा है। भूमि को लीज भूमि एवं फ्री होल्ड भूमि के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है।
 - 4.2 सभी मदों पर व्यय, जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए सेवाएं प्रदान करने में प्रयोग में लाया जाता है, पर परिसंपत्ति के रूप में विचार किया जाता है एवं उस परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास को वर्ष के दौरान किया गया खर्च माना जाता है।
 - 4.3 रूपए. 5000/- से कम लागत की सभी परिसंपत्तियों को पूंजीकरण के वर्ष में पूरी तरह दर्शाया गया है।
 - 4.4 अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत कहा गया है।
 - 4.5 भूमि, भवन के अतिरिक्त सभी अचल परिसंपत्तियां जो 01.04.2015 (लेखांकन के नकद आधार से प्रोद्भवन आधार पर जाने की तिथि) से पहले अर्जित की गई हैं का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति मद के नाममात्र मूल्य पर किया जाता है।

स्पष्टीकरण

वर्तमान में भूमि, भवन को ही केवल अचल परिसंपत्ति माना जाता है परंतु नई प्रणाली में सभी मदों, जो अचल परिसंपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, को अचल परिसंपत्ति माना जाएगा और तदनुसार मूल्यह्रास शुल्क लिया जाएगा। 01.04.2015 से पहले खरीदी गई और संबंधित वर्ष में व्यय के रूप में बुक की गई सभी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन रूपए 1/- प्रति परिसंपत्ति और लेखांकन के लिए प्रारंभिक परिसंपत्ति के रूप में किया जाएगा। यह, भारत सरकार के समर्थन

से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा गठित सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी), जो संघ और राज्यों में प्रोद्घवन आधार पर लेखांकन की ओर पलायन पर कार्य कर रहा है, द्वारा जारी भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई.जी.एफ.आर.एस.) के दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया है।

5. मूल्यहास

- 5.1 अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 (संशोधित) में निर्दिष्ट दरों से किया गया है।
- 5.2 पूंजीकरण के वर्ष के दौरान अचल संपत्ति जिसे 180 दिन से ज्यादा उपयोग किया गया है पर पूरी दर से मूल्यहास दिया गया और यदि 180 दिन तक उपयोग किया गया है तो आधी दर से दिया गया।
- 5.3 पट्टाधृत भवनों जैसे भवन जिनका सरकारी एजेंसियों से अधिग्रहण किया गया या पट्टे के वर्ष की निर्धारित संख्या के लिए एकमुश्त भुगतान किया गया, पर मूल्यहास पट्टा अवधि के संदर्भ में सीधी कटौती प्रणाली पर प्रदान किया गया।
- 5.4 पट्टाधृत भूमि पर अदा की गई एकमुश्त पट्टा राशि जोत की पट्टा अवधि पर प्रतिवर्ष उसी अनुपात में परिशोधित की गई।

(संदर्भ लेखा मानक-10)

स्पष्टीकरण: मूल्यहास की गणना करने के लिए संलग्न कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग "सी" के अनुसार मूल्यहास दर चार्ट का अनुसरण करने की आवश्यकता है।

6. भवन एवं निर्माण निधि

- 6.1 कार्यालय बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर इत्यादि के निर्माण के लिए भवन निर्माण निधि हेतु प्रावधान ।
- 6.2 निर्माण निधि का उपबंध किए जाने की आवश्यकता है। यह निर्णय केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा लिया गया है।
- 6.3 वर्ष 2015-16 तक के लिए रूपए 887.25 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, इसके पश्चात् कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा वही राशि चल रही है।

- 6.4 निर्माण कार्य पर खर्च वर्ष दर वर्ष आधार पर उपलब्ध कराए गए पूंजीगत बजट से किया जाता है।
7. **सरकारी अनुदान /सब्सिडी**
कर्मचारी पेंशन योजना में देय सरकारी अनुदान अंशदान को उपार्जन आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
8. **कर्मचारी देय:**
8.1 माह अप्रैल में भुगतान किए गए माह मार्च के वेतन को अप्रैल का खर्च माना जाएगा। वित्तीय वर्ष के मार्च में कोई वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष में बारह माह के वेतन का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
8.2 कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज के प्रावधान को मूल राशि की पूर्ण वसूली के पश्चात् रोकड़ आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।
9. **लीज**
9.1 लीज शर्तों के संदर्भ में लीज किराए खर्च किए जाते हैं।
9.2 किराए के भवनों के लिए वर्ष के अंत में देय किराए की उपार्जन आधार पर लेखाबद्ध किया जाएगा तथा इस सीमा तक प्रावधान किया जाएगा।
10. **ब्याज से आय**
10.1 वर्ष से संबंधित निवेश पर ब्याज से आय की उस वर्ष की आय माना जाएगा।
10.2 चूंकि वास्तविक राशि प्राप्त नहीं हुई है, इसे "ब्याज संचित परंतु अप्राप्त" लेखा शीर्ष के अंतर्गत आनुपातिक रूप में दर्शाया जाएगा।
10.3 निवेशों पर संचित और उपार्जित अप्राप्त ब्याज 2015-16 से संचित आधार (accrual basis) पर गिने जाते हैं।
11. **सेवानिवृत्ति लाभ**
11.1 क.भ.नि.सं. पेंशन-सह-ग्रेच्युटि के लिए पृथक निधि का रखरखाव करता है क.भ.नि.सं. की इस मद से संबंधित मदों को बीमांकक आधार पर वर्ष के अंत में लेखाबद्ध किया जाता है। बीमांकक मूल्यांकन के चलते निधि में जोड़ अथवा घटाव को क.भ.नि.सं. की आय अथवा व्यय, जैसा भी मामला हो के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है, पिछले लेखाकरण पद्धति-15 के मानकों के अनुसार कर्मचारियों के लाभों को बीमांकक मूल्यांकन एवं उपबंधों के अनुसार लेखाबद्ध किया जाना चाहिए।

सेवानिवृत्ति लाभ लागत को उसी अवधि के लिए लेखाबद्ध किया जाना चाहिए जिसमें सेवा की गई है।

11.2 छुट्टी नकदीकरण को संबंधित वर्ष का राजस्व व्यय माना जाना चाहिए।

12. राजस्व पहचान

नियोक्ता को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से यदि कोई वसूली होती है तो इसे राजस्व को रोकड़ आधार पर लिखा जाता है। क.भ.नि. एवं प्र.उ. अधि. 1952 की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण, धारा 14वीं के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत लगाए गए ब्याज का प्रकटीकरण लेखा टिप्पणियों में किया जाता है।

13. किसी शीर्ष को जोड़ना/ हटाना

किसी आवश्यकता, जो नीति निर्णय अथवा सांविधिक जरूरत के कारण हो, यदि लेखे के नए शीर्ष को जोड़ने/हटाने की आवश्यकता हो तो इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किया जाना चाहिए जो वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, क.भ.नि.सं. हो।

अनुसूची 45 : आकस्मिक दायित्व एवं लेखों पर नोट्स :

1. आकस्मिक दायित्व

क्र.सं.	आकस्मिक दायित्व	चालू वर्ष (रु)	पिछले वर्ष (रु)
1.1	वे एनटाइटी जिन्हें ऋण नहीं माना गया है के विरुद्ध किए गए दावे		
(क)	सेवाकर	19,95,67,16,649.00	10,78,70,91,720.00
(ख)	स्त्रोत पर कर कटौती	13,90,15,212.00	0.00

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

पूंजी खाते पर कार्यान्वित किए जाने वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य तथा रु 30,751.97 लाख का प्रावधान नहीं है। पिछले वर्ष रु. -----

3. टिप्पणियां:

- धारा 7ए के अंतर्गत अवसूलनीय श्रेणी (कोर्ट स्टे, समापन तथा बीआईएफआर मामले) 14-बी के अंतर्गत नुकसानी तथा 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की राशि को योजनावार दिखाया गया है।

(रु. लाख में)

क्र. सं.	योजना का नाम	चालू वर्ष- 7ए के अंतर्गत संचयी राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं अवसूलनीय श्रेणी के अंतर्गत 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)		पिछला वर्ष- 7ए के अंतर्गत संचयी राशि, 14 बी के अंतर्गत नुकसानी एवं अवसूलनीय श्रेणी के अंतर्गत 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज (रु लाख में)	
		बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज	बकाया	दांडिक नुकसानी/ ब्याज
1.	कर्मचारी भविष्य निधि	168245.35	152543.66	139514.37	130647.06

2.	क.भ.नि. प्रशा. निधि	14774.24	10975.21	12104.39	9795.84
3.	कर्मचारी पेंशन योजना	93026.55	80654.06	79763.70	69873.44
4.	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना (ई.डी.एल.आई.)	8745.33	6638.06	5421.26	5653.63
5.	ई.डी.एल.आई. प्रशा. निधि	384.98	208.05	274.56	188.07
कुल		285176.45	251019.04	237081.28	216158.04

(स्त्रोत एम.आई.एस.)

2. 7ए के अंतर्गत अवसूलनीय श्रेणी राशि, 14-बी के अंतर्गत नुकसानी एवं 7क्यू के अंतर्गत निर्धारित ब्याज तथा नियोक्ताओं को जारी मांग/ वसूली नोटिस के माध्यम से वसूली, सभी के संबंध में राजस्व नकद आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है।
3. वसूली की अनिश्चितता के कारण तथा कार्यवाही पूर्ण होने से पहले वसूली की सटीक राशि की मात्रा का पता न चल पाने के कारण, राजस्व की पहचान को लेखांकन मानक-9 में राजस्व पहचान के संबंध में स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, वास्तविक अंशदान राशि की प्राप्ति होने पर इसे क.भ.नि. सदस्य खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए और देय के आधार पर नहीं।
4. कर्मचारी पेंशन निधि का अंतिम बीमांकन मूल्यांकन 31.03.2015 को किया गया था और रिपोर्ट किए गए प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं:-
 - i. क.पें.यो. के लिए कुछ समय से वेतन सीमा में बढ़ोतरी नहीं की गई है, मंहगाई के कारण लाभों का क्षरण हो जाता है, परंतु वेतन सीमा में बढ़ोतरी के प्रभाव पर विचार करते हुए जिसका योजना की वित्तीय सेहत पर प्रभाव पड़े, मंहगाई का ध्यान रखने के लिए कुछ वैकल्पिक उपायों पर विचार किया जाना चाहिए। क.पें.यो. के

लिए वेतन सीमा में कोई भी बढ़ोतरी निधि पर प्रभाव को देखते हुए की जानी चाहिए। हमारे विचार में वेतन सीमा में यदि कोई भी वृद्धि की जाती है तो योजना में संशोधन की आवश्यकता होगी जिससे कि वेतन सीमा के विभिन्न स्तरों पर सेवा क्रेडिट दिया जा सके।

- ii. पेंशन भुगतान पर महंगाई से कोई सुरक्षा नहीं है, इस पर भी विचार किए जाने की आवश्यकता है, परंतु इससे योजना के वित्त पर भार पड़ेगा। मूल्यांकन अधिशेष की स्थिति में एक प्रावधान है जिस पर भविष्य में विचार किया जा सकता है।
- iii. योजना के उचित मूल्यांकन हेतु सभी प्रकार के लाभार्थियों के पूर्ण डाटा के एकीकरण के लिए एक अभियान चलाया गया। चालू वर्ष में डाटा को एकत्र करने के लिए एक प्रयास किया गया और हमें पेंशनभोक्ताओं तथा लाभार्थी पेंशनभोक्ताओं का 100% डाटा तथा सक्रिय सदस्यों का 58% डाटा प्राप्त हो गया है जो कि पूर्ववर्ती डाटा प्रावधान की तुलना में काफी बड़ा है। सदस्यों की अन्य श्रेणियों तथा सक्रिय सदस्यों के लिए शेष डाटा को भी एकत्र किया जाना चाहिए।
- iv. क.भ.नि.सं. में सांख्यिकी प्रकोष्ठ बनाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए जिससे कि योजना विशेष के संबंध में मृत्युदर, घर्षण तथा वेतन बढ़ोतरी में वृद्धि को भी सृजित किया जाना चाहिए।
- v. कैशफ्लो पर विचार करते हुए उचित परिसंपत्ति दायित्व मिलान तथा धन का निवेश होने से समुचित निवेश तथा निधि की आय में सहायता मिलेगी। निवेश विभाग उच्च आय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लाभ विभाग के साथ मिलकर कार्य करे। यह तभी संभव हो सकता है, जब कैशफ्लो अनुमान के लिए आवश्यक डाटा उपलब्ध हो।
- vi. पेंशन एक दीर्घावधि की देयता है तथा रियायत दर एवं आय दर आर्थिक अवयवों के अनुसार होती है। ऐसा संभव नहीं होता कि इतने लंबे समय तक आर्थिक अवयव स्थिर रियायत एवं आय दर पर विचार करने से वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में देयता आधारित परिदृश्य का पता चल सकेगा। चूंकि योजना लगातार चल रही है तथा लाभ एवं अंशदान परिभाषित है, बीमांकक पैरामीटरों में किसी अंतर को वार्षिक

मूल्यांकन में पुननिर्धारित किया जा सकता है जिसमें कि वर्ष-दर वर्ष योजना का परिप्रेक्ष्य मिल सके।

- vii. संवेदी विश्लेषण की सिफारिश तभी की जा सकती है जब ऐसा करने के लिए डाटा उपलब्ध हो, फिलहाल वर्तमान में उपलब्ध डाटा एवं मूल्यांकन के उद्देश्य के अनुसार विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
- viii. 5026.86 करोड़ रूपए के अधिशेष से भुगतान में पेंशन पर 5% की एक बार राहत संभव है, हम जानते हैं कि 1000/- रु. की न्यूनतम पेंशन के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी, चूंकि डाटा 15 मार्च तक का है तथा राहत प्रत्याशित है, इसलिए एक बार दी जाने वाली राहत के मूल्य पर विचार करने के बाद भी 100 करोड़ रूपए का अधिशेष रहेगा, यह अधिशेष, हमें लगता है कि आवश्यक है क्योंकि निधि की कुल देयता अधिक है।
- ix. भविष्य में कोई भी राहत तभी दी जाएगी जबकि भविष्य में कोई अधिशेष हो।
- x. मूल्यांकन परिणाम :

कुल देयता वर्गीकरण	रूपए करोड़ में
(क) सभी लाभों का वर्तमान मूल्य	5,25,315.42
(ख) अंशदान का वर्तमान मूल्य	2,91,810.45
(ग) सभी लाभों का कुल वर्तमान मूल्य (ग)=(क)-(ख)	2,33,504.98
31-03-2015 को संग्रह (घ)	2,38,531.84
कुल देयता {(ग)-(घ)}	(-) 5,026.86

इस संबंध में, सूचित किया जाता है कि मूल्यांकन परिणामों में बीमांकक ने कुल देयता का कुल परिणाम 5026.86 करोड़ रूपए माईनस में दर्शाया है, क्योंकि यह क.भ.नि.सं. की देयता है किन्तु आंकड़ा "अधिशेष" में है।

5. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (ई.डी.एल.आई.) निधि का बीमांकक मूल्यांकन अंतिम बार 01.09.2014 वर्ष के लिए किया गया तथा इसकी विस्तृत निष्कर्ष रिपोर्ट निम्नलिखित है:

वर्तमान लाभों सहित क.नि.स.बी.यो. में शोध-क्षमता की कोई तत्काल समस्या नहीं है, योजना का आधार मजबूत है तथा वर्तमान दस्ता (cohort) में लाभ संधारित कर सकती है।

- योजना की संधारिता का प्रमुख कारण 13,711 करोड़ रु. की वर्तमान संग्रह राशि की उपलब्धता है।
- योजना के वार्षिक मूल्यांकन की सिफारिश की जाती है।
- यह भी सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में योजना में कोई भी संशोधन औपचारिक मूल्यांकन के बाद ही किया जाए।
- योजना का मॉरटैलिटी अनुभव कुछ समय बाद बदल जाएगा, तथा यह सुझाव दिया जा सकता है कि योजना के लिए एक अनुभव मॉरटैलिटी टेबल बनाया जाए।

6. निष्क्रिय खाते: किसी ऐसे सदस्य से संबंधित संग्रह जो कि नौकरी छोड़ चुका है अथवा जिसकी मृत्यु हो चुकी है, किंतु पैरा 69 अथवा 70 के अंतर्गत प्रत्याहरण अथवा अंतरण का कोई आवेदन, जैसा भी मामला हो, भुगतान की देय तिथि से 36 माह के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है (यदि नौकरी छोड़ने का कारण त्यागपत्र है तो नौकरी छोड़ने की तिथि से 60 दिन के भीतर भविष्य निधि देय होता है। हालांकि 60 दिन की प्रतीक्षा अवधि ऐसे मामले में लागू नहीं होती जब कर्मचारी ने विदेश जाने के लिए त्यागपत्र दिया हो अथवा महिला कर्मचारी ने विवाद कर लिया हो) भविष्य निधि ऐसे मामलों में तत्काल दिया जाता है जब नौकरी छोड़ने का कारण सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्थायी अशक्तता तथा मृत्यु हो अथवा किसी व्यक्ति को प्रेषित राशि अगर वापस आ जाए तथा देय तिथि से 36 माह के भीतर दोबारा उसका दावा न किया जाए तो ऐसी राशि को निष्क्रिय खाते में अंतरित कर दिया जाता है। वर्ष 2015-16 के लिए निष्क्रिय खातों की संख्या 9,29,89,648 है।

वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखों (सामान्य फार्मेट) के लिए प्रकटीकरण

1. तुलनपत्र की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की स्थिति में निम्नलिखित भिन्नताओं के संबंध में प्रकटीकरण किया जाता है:-

क.भ.नि. एवं क.पै.यो. प्रशासनिक लेखा		
	क.भ.नि. लेखा	क.भ.नि. प्रशा.
परिसंपत्तियां	(-) 6.91 करोड़	(+) 6.91 करोड़
देयताएं	(+) 6.91 करोड़	(-) 6.91 करोड़
क.नि.स.बीमा एवं क.नि.स.बी. प्रशासनिक लेखा		
	क.नि.स.बी. लेखा	क.नि.स.बी.प्रशा. लेखा
परिसंपत्तियां	(-) 2.93 करोड़	(+) 2.93 करोड़
देयताएं	(+) 2.93 करोड़	(-) 2.93 करोड़

इसी प्रकार की भिन्नताएं पूर्व वर्ष के तुलनपत्र में भी देखी गई थी तथा भिन्नताएं काफी समय से चली आ रही हो सकती हैं चूंकि आंकड़ों को सामान्य फार्मेट में विभाजित किया गया है तथा यह अब स्पष्ट हो गया है। भिन्नता संतुलित करने के लिए संबंधित लेखों में देय एवं प्राप्ति योग्य दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा

परीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट - टिप्पणियां	संगठन की अभ्युक्तियां
हमने 31 मार्च, 2016 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (क.भ.नि.सं.) के संलग्न तुलनपत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (6) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के (दायित्व, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अंतर्गत आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखों की लेखा परीक्षा कर ली है। इन वित्तीय विवरणियों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्य कार्यालय, 40 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का.), नाटर्स तथा क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण के लेखे शामिल हैं। इन लेखों में से मुख्य कार्यालय एवं 12 क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा की गई थी तथा टिप्पणियों को इस रिपोर्ट में उचित प्रकार से शामिल किया गया है। ये वित्तीय विवरणियां क.भ.नि.सं. के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। इन वित्तीय विवरणियों पर अपने लेखा परीक्षा के आधार पर, अभिमत व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी है।	1. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
2. इस पृथक लेखा परीक्षा में केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखा प्रक्रियाओं के साथ समानरूपता, लेखा मानक और प्रकटीकरण के मानदंड आदि से संबंधित लेखा निरूपण पर ही नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियां निहित हैं। विधि अनुपालन, नियम व विनियम (औचित्य और नियमितता) और दक्षता एवं कार्यपालन पहलुओं आदि के संबंध में वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो उन्हें निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।	2. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।
3. भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार हमने लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि लेखा परीक्षा इस प्रकार योजना बनाकर की जाए जिससे कि वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण न होने के संबंध में उचित आश्वासन मिल सके। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणियों में परीक्षण आधार पर प्रकटित राशियों को समर्थित करने वाले प्रमाणों को परखना शामिल है। वित्तीय विवरणियों के कुल	3. तथ्यपूर्ण होने के कारण, कोई टिप्पणी नहीं।

प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन के अलावा, प्रबंधकों द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों तथा लेखाकरण सिद्धान्तों का निर्धारण भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित है। हमारा मानना है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे अभिमत का यथोचित आधार बनेगी।

4. लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

(i) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 की टिप्पणी संख्या ए.1.2 (ii), ए.1.2 (iii), बी.2.1 (ii), बी.2.1 (iii) में उल्लिखित को छोड़कर हमने सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं

(ii) समेकित तुलनपत्र और आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, उन्हें वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक समान फॉर्मेट में आने वाले पैराग्राफ की टिप्पणियों के अधीन तैयार किया गया है। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों ने निर्धारित कॉमन फॉर्मेट में अपने लेखों को तैयार नहीं किया है।

(iii) क.भ.नि.सं. की लेखा बहियाँ एवं अन्य संगत अभिलेखों की जांच के बाद हमारा यह विचार है कि क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (5) के अनुसार वांछित रूप में ही क.भ.नि.सं. द्वारा, लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 की टिप्पणी सी-1 एवं ई-1 में वर्णित को छोड़कर, लेखा बहियों एवं अन्य संबंधित रिकॉर्डों का रख-रखाव किया जा रहा है।

आगामी पैराग्राफ एवं लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट-1 एवं 11 में की गई टिप्पणियों के संदर्भ में, हम सूचित करते हैं कि तुलनपत्र आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा जिन्हें इस रिपोर्ट में परखा गया है लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप है।

iv) निम्नलिखित पर हम अपना मत बनाने में असमर्थ हैं।

• क.भ.नि. अंशदान निधि पर व्याज की देयता, चूंकि 31.03.2016 तक क.भ.नि.सं.

4. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 5ए (5) के साथ पठित क.भ.नि.यो., 1952 के पैरा 55 के अंतर्गत उपलब्ध फॉर्मेट के अनुसार लेखों को तैयार किया गया।

वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक लेखों को भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वायत्त संस्थानों के लिए निर्धारित लेखों के कॉमन फॉर्मेट में ही बनाया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कॉमन फॉर्मेट को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है। परंतु सीएजी ने "ड्राफ्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स" में कुछ टिप्पणियों की है। "कॉमन फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स" को तदनुसार संशोधित करके सी एण्ड जी.ए. को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। सीएजी से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् लेखों को तदनुसार तैयार किया जाएगा।

- ने 2.46 लाख क.भ.नि. अंशधारकों के खातों को अद्यतन नहीं किया था एवं इन खातों के संबंध में क.भ.नि.सं. ने अपनी देयताओं का निर्धारण नहीं किया था।
(संदर्भ- टिप्पणी संख्या - ए 1.1)
- स्टॉफ पैशन सह ग्रेचयुटी लेखा के लिए निश्चित देयता एवं इससे संबंधित निवेश में रु. 70.37 करोड़ का अंतर
(संदर्भ- टिप्पणी संख्या - ए 1.2 (i))
 - तुलनपत्र में स्टाफ भविष्य निधि लेखा निवेश रु. 1275.26 करोड़ दर्शाया गया है। क.भ.नि.सं. ने इस निवेश के समर्थन में सहायक दस्तावेज लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए हैं। (संदर्भ- टिप्पणी संख्या - ए 1.2 (ii))
 - 31.03.2016 तक भवन निर्माण निधि के लिए निश्चित रु. 887.25 करोड़ की देयता को दर्शाया जाना। इस निधि के संबंध में निवेश की जांच नहीं की जा सकी है क्योंकि क.भ.नि.सं. ने इस निवेश के समर्थन में विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं (संदर्भ- टिप्पणी संख्या - ए 1.2 (iii))
 - रु. 21.03 करोड़ की मूल्यहास की राशि की गणना लेखा मानक 6 के मूल्यहास संबंधी उपबंधों के अनुसार नहीं की गई है एवं बहुत से क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने लेखों में अंचल संपत्तियों पर मूल्यहास नहीं लगाया है तथा लीज्ड परिसंपत्तियों के संबंध में विवरण जैसे कि लीज की अवधि एवं लीज की प्रणाली तिथि लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई है (संदर्भ- टिप्पणी संख्या - बी 2.1)
 - रु. 887.52 करोड़ की राशि को निवेश की विभिन्न अनुसूचितियों में समायोजन की अधीन राशि के रूप में दर्शाया गया है अतः क.भ.नि.सं. इस राशि को संबंधित प्रतिभूतियों में वर्गीकृत करने में असमर्थ रहा है तथा तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल निवेश का परिशोधित वर्गीकृत नहीं कर पाया है। (संदर्भ- टिप्पणी संख्या-सी.1.बी)

हमारे विचार तथा हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना के अनुसार एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण, ऊपर बताई गई हमारी टिप्पणियों तथा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के परिशिष्ट । एवं ।। के संदर्भ में एवं ऊपर लिखित महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में, लेखाकरण नीतियों एवं लेखों पर नोट के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियां भारत में सामान्यतः मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सत्य एवं उचित परिदृश्य प्रस्तुत करती हैं-

- ए. जहां तक तुलनपत्र का संबंध है, यह कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 31 मार्च, 2016 तक के क्रियाकलापों को दर्शाता है ।
 बी. जहां तक आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है, यह उस तिथि को समाप्त वर्ष से संबंधित है ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से / के लिए
 हस्ताक्षर/-
 महानिदेशक लेखा परीक्षा
 केन्द्रीय व्यय

स्थान : नई दिल्ली
 दिनांक : 15-06-2017

लेखापरीक्षा का परिशिष्ट-1

आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि :

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट - टिप्पणियां	संगठन की अभियुक्तियां
ए बैलेंस सीट	
ए.1 देयताएं	
ए 1.1 ब्याज खाता - क.भ.नि. अंशदान निधि (अनुसूची-4) रु. 20942.63 करोड़ 31 मार्च, 2016 तक 2.46 लाख क.भ.नि. अंशदाताओं के खाते अद्यतन किए जाने शेष थे। इन पर ब्याज की गणना नहीं की गई है तथा इन खातों पर देयता का निर्धारण क.भ.नि.सं. द्वारा नहीं किया गया है। उपर्युक्त के आलोक में लेखापरीक्षा ब्याज देयता के सही होने के संबंध में अपना मत देने में असमर्थ है।	ए 1.1 क.भ.नि.सं. ने अपने अंशधारकों के खाते में वार्षिक आधार पर ब्याज जमा खाते करने के लिए सॉफ्टवेयर का विकास किया है। वर्ष 2014-15 के लिए वार्षिक खाते 1 अप्रैल, 2015 को अद्यतन किए गए थे। 31 मार्च, 2016 तक केवल 2,46,228 खाते अद्यतन किए जाने हेतु शेष थे जिसका कारण सिस्टम में कुछ तकनीकी खामियां होना था।
निर्धारित/ अक्षय(एन्डोमेंट) निधि ए.1.2 भवन निर्माण निधि (अनुसूची-12) रु. 887.25 करोड़ स्टाफ भविष्य निधि (अनुसूची-13) रु. 958.03 करोड़ स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटी लेखा- (अनुसूची-14) रु. 2744.52 करोड़ i) क.भ.नि.सं. में रु. 2744.52 करोड़ की राशि को स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटी के लिए निश्चित किया था। परंतु तुलनपत्र की तारीख को संबंधित निवेश रु. 2674.15 करोड़ दर्शाया गया है (अनुसूची-27) जिसमें 70.37 करोड़ का अंतर है। इसका समाधान किया जाना अपेक्षित है।	i) स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि बीमांकिक मूल्यांकन से संबंधित कार्य जुलाई, 2014 में मैसर्स के.ए. पंडित परामर्शदाता एवं बीमांकिक को सौंपा गया था। बीमांकिक ने अपनी रिपोर्ट नवंबर, 2015 में सौंपी जिसे 24.11.15 को हुई के.न्या.बोर्ड की 209वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया। बोर्ड ने आदिशेष राशि को स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि लेखा संख्या 09 में अंतरित करने हेतु रिपोर्ट को स्वीकार

(ii) क.भ.नि.सं. ने स्टाफ भविष्य निधि के अंतर्गत 958.03 करोड़ रुपये की निधि निश्चित की थी तथा इस निधि के संबंध में 1275.26 करोड़ रुपये की राशि को निवेश के रूप में तुलनपत्र में दर्शाया गया है। क.भ.नि.सं. ने इस निवेश के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। (iii) 31.03.2016 तक क.भ.नि.सं. में भवन एवं निर्माण निधि के रूप में 887.25 करोड़ रु. की राशि देयता के रूप में निश्चित की थी इसके संबंध में किए गए निवेश की जांच नहीं की जा सकी क्योंकि क.भ.नि.सं. ने इस निवेश के समर्थन में विवरण/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं।	किया। तदनुसार 2015-16 में 206.81 करोड़ रु. की राशि को पेंशन ग्रेच्युटी निधि में अंतरित किया गया तथा 2016-17 में 1500 करोड़ रुपये की राशि को अंतरित करने का बजट प्रावधान किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से भी संपूर्ण घाटा राशि को विशेष जमा एवं लेखों से क.भ.नि. स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि अंतरित करने का अनुरोध किया गया है। बोर्ड के निर्णय के अनुसार द्विवार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। ii) देयताएं परिसंपत्तियों से कम हैं क्योंकि निवेश पर कमाया जाने वाला ब्याज सदस्य खातों, स्टाफ सदस्यों को सांविधिक दर से क्रेडिट किए जाने वाले ब्याज से अधिक है। iii) भवन निर्माण निधि प्रोफोर्मा लेखा है तथा इस लेख में दिखाई जाने वाली राशि अधिशेष राजस्व से किया गया केवल उपबंध है तथा भवन निर्माण निधि के लिए अलग से राशि नहीं रखी जाती है।
अतः, लेखापरीक्षा इस निधि की यथार्थता पर कोई भी राय बनाने में असमर्थ है। (iv) वर्ष 2015-16 के लिए बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया गया था। परंतु, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष 2014-15 में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर 206.81 करोड़ रुपये की राशि कर्मचारी पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि में	(iv) बीमांकिक मूल्यांकन कुछ समय (वर्षों) के अंतराल पर किया जाता है। परंतु, हम किए गए नवीनतम बीमांकिक मूल्यांकन और उसकी प्राप्त

हस्तांतरित की गई थी और 1500 करोड़ रुपये वर्ष 2016-17 के दौरान हस्तांतरण करने हेतु रखे गए। 2015-16 में बीमांकिक मूल्यांकन न किए जाने के संबंध में और 2014-15 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के संबंध में प्रावधान में कमी के तथ्य का लेखों पर नोट में खुलासा किया जाना चाहिए था।	रिपोर्ट का खुलासा लेखों पर नोट में कर सकते हैं।
ए. 1.3 चालू देयताएं एवं प्रावधान (अनुसूची 15) - 124.51 करोड़ रुपये i) उपर्युक्त में क.भ.नि.सं., मुख्यालय द्वारा 2015-16 (29/2/016) के दौरान खरीदे गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के मूल्य हेतु देयताएं शामिल नहीं हैं चूंकि 13.89 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं एवं प्रावधानों में कमी हुई और क.भ.नि. प्रशासन निधि को 13.89 करोड़ रुपये अधिक बताया गया है। ii) उपर्युक्त में उप क्षेत्रीय कार्यालय, लक्ष्मीनगर के संबंध में 63.58 लाख रुपये की राशि के देय व्यय परंतु भुगतान नहीं किया गया हेतु देयताओं में शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप मौजूदा देयताओं एवं प्रावधानों और व्यय में 63.58 लाख रूप की कमी आई है। क.भ.नि.सं. को उनकी सभी इकाइयों में एकुएल अकाउंटिंग का पालन करना चाहिए।	ए 1.3 i) एवं (ii) फील्ड कार्यालय अपने वार्षिक लेखे अंकाउंटों के मौजूदा लिगेसी प्रारूपों में तैयार कर रहे हैं। केवल वर्ष 2015-16 हेतु समेकित वार्षिक लेखों को सामान्य प्रारूप में सामान्य प्रारूप की आवश्यकता के अनुसार संबंधित फील्ड कार्यालयों से प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर तैयार किया गया है।
ए. 2 परिसंपत्तियां ए 2.1 क.भ.नि. अंशदान निधि- निवेश (अनुसूची 18) - 448143.79 करोड़ रुपये क.भ.नि. - एफडीआर निवेश (अनुसूची 18) - 850 करोड़ रुपये (i) क.भ.नि.सं. ने तुलनपत्र में 31.03.2016 तक 850 करोड़ रुपये की	ए.2 ए 2.1 (i) अंतर का मिलान किया जा रहा है।

क.भ.नि. राशि का एफडीआर में निवेश दर्शाया है जबकि दिए गए विवरण के अनुसार 31.03.2016 तक एफडीआर में 1160 करोड़ रुपये की क.भ.नि. राशि का निवेश किया गया था। 310 करोड़ रुपये के अंतर का मिलान किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) अनुसूची 18 में दिए गए विवरण के अनुसार 31.03.2016 तक निवेश के परिशोधित मूल्य का अंतः मूल्य 448104.72 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि अनुसूची के साथ-साथ तुलनपत्र में यह 448143.79 करोड़ रुपये दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 39.07 करोड़ रुपये का अंतर है। इसके मिलान किए जाने की आवश्यकता है।

(ii) अनुसूची 18 के आदिशेष कॉलम में दर्शाए आंकड़े 2014-15 हेतु परिशोधित रिपोर्ट में आए योजना खाता-वार, श्रेणी-वार निवेश आंकड़े हैं। परिशोधित मूल्य के प्रभाव को तुलनपत्र डाटा जिसका मिलान किया जा रहा है, में दर्शाई पिछली अवधियों हेतु और 2015-16 हेतु संशोधित परिशोधित रिपोर्ट के अनुसार संशोधित किया जाना है।

ए 2.2 चालू परिसंपत्तियां, ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 19) - 10245.67 करोड़ रुपये क.भ.नि. - एफडीआर पर अर्जित ब्याज -213.47 करोड़ रुपये क.भ.नि.सं. ने 31.02.2016 तक क.भ.नि. के एफडीआर पर 213.47 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज दर्शाया है जबकि लेखा परीक्षा को दिए गए विवरण के अनुसार क.भ.नि. का एफडीआर पर अर्जित ब्याज 351.62 करोड़ रुपये था। 138.15 करोड़ रुपये के अंतर का मिलान किए जाने की आवश्यकता है।	ए 2.2 अंतर का मिलान किया जा रहा है।
ए 2.3 कर्मचारी पेंशन निधि - निवेश (अनुसूची 20) - 280361.40 करोड़ रुपये क.पें.यो. - एफडीआर निवेश (अनुसूची 20) - 1153 करोड़ रुपये (i) क.भ.नि.सं. ने तुलनपत्र में 31.03.2016 तक 1153 करोड़ रुपये की क.पें.यो. राशि एफडीआर में निवेशित दर्शाई है जबकि दिए गए विवरण के अनुसार 31.03.2016 तक एफडीआर में क.पें.यो. का निवेश 843 करोड़ रुपये था। 310 करोड़ रुपये का मिलान किए जाने की आवश्यकता है। (ii) अनुसूची 20 में दिए गए विवरण के अनुसार 31.03.2016 तक निवेश के परिशोधित मूल्य का अंतः मूल्य 280361.54 करोड़ रुपये आंका गया है जबकि अनुसूची के साथ-साथ तुलनपत्र में यह 280361.40 करोड़ रुपये दर्शाया गया है जिसके परिणामस्वरूप 0.14 करोड़ रुपये का अंतर है। इसका स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।	ए 2.3 (i) अंतर का मिलान किया जा रहा है। (ii) अनुसूची 20 के आदिशेष कॉलम में दर्शाए आंकड़े 2014-15 हेतु परिशोधित रिपोर्ट में आए योजना खाता-वार, श्रेणी-वार निवेश आंकड़े हैं। परिशोधित मूल्य के प्रभाव को तुलनपत्र डाटा जिसका मिलान किया जा रहा है, में दर्शाई पिछली अवधियों हेतु और 2015-16 हेतु संशोधित परिशोधित रिपोर्ट के अनुसार संशोधित किया जाना है।

ए 2.4 क.पै.यो. - चालू परिसंपत्तियां ऋण एवं अग्रिम (अनुसूची 21) - ए 2.4
9922.24 करोड़ रुपये

उपर्युक्त को शामिल नहीं किया गया है।

(i) पेंशनभोगियों को 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन देने के लिए क.भ.नि.सं. द्वारा बितरित अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 31.03.2016 को 259.80 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई जो क.भ.नि.सं. खाते में 02.04.2016 को जमा की गई। इसके परिणामस्वरूप 259.80 करोड़ रुपये की चालू परिसंपत्तियों में कमी हुई।

(ii) 31.03.2016 तक क.पै.यो. - 1995 के अंतर्गत पेंशनभोगियों को 1000/- रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान करने हेतु क.भ.नि.सं. द्वारा वितरित राशि के लिए भारत सरकार द्वारा देय 816.32 करोड़ रुपये की राशि। इसके परिणामस्वरूप 816.32 करोड़ रुपये की चालू परिसंपत्तियों में कमी हुई।

(iii) 31.03.2016 तक सार्वजनिक खाते में बकाया पर 36.58 करोड़ रुपये प्राप्य व्याज होने के परिणामस्वरूप 36.58 करोड़ रुपये की चालू परिसंपत्तियों और क.पै.यो. अंशदान निधि में कमी हुई है।

(iv) संबंधित पक्षों द्वारा 1997-98 से 2005-06 के दौरान निवेश पर काटा गया और आयकर विभाग में जमा किया गया 8.37 करोड़ रुपये का टीडीएस और अभी तक वसूल नहीं किया गया। यह लेखे में नहीं लिया गया था। इसे सही करने की आवश्यकता है।

(i) 259.80 की राशि 02.04.2016 को क.भ.नि.सं. खाते में जमा की गई थी। राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में नहीं दर्शाई गई चूंकि यह क.भ.नि.सं. खाते में वित्तीय वर्ष 2016-17 में जमा की गई थी।

(ii) 31.03.2016 तक भारत सरकार से 816.32 करोड़ रुपये और 4,651.93 करोड़ रुपये क्रमशः 1000/- प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन और क.पै.यो. - 1995 (सार्वजनिक लेखा) हेतु अनुदान सहायता के अंतर्गत प्राप्य था।

(iii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (सार्वजनिक लेखा) के अंतर्गत भारत सरकार से 36.58 करोड़ रुपये कम व्याज प्राप्त किया था जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में समायोजित किया जाएगा। लेखों को अकाउंटों के लिगेसी प्रारूप में तैयार किया गया है।

(iv) मामला अध्यक्ष, सी बी डी टी के समक्ष रखा गया है।

(v) क.पै.यो.- एफडीआर पर उपार्जित ब्याज - 292.95 करोड़ रुपये क.भ.नि.सं. ने 31.03.2016 तक क.पै.यो. के एफडीआर पर 292.95 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज दर्शाया है जबकि दिए गए विवरण के अनुसार यह 154.81 करोड़ रुपये था। 138.14 करोड़ रुपये के अंतर का मिलान किए जाने की आवश्यकता है।	(v) अंतर का मिलान किया जा रहा है।
ए 2.5 अंचल परिसंपत्तियां (अनुसूची 24) - 428.98 करोड़ रुपये क.भ.नि.सं. द्वारा अपनी फील्ड इकाइयों में एकुएल अकाउंटिंग का अनुसरण नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न पूंजी व्यय का पूंजीकरण नहीं हुआ है। विवरण निम्नप्रकार से है: (i) 7823.05 लाख (क.भ.नि.सं. मुख्यालय, 7595.15 लाख रुपये (कंप्यूटरीकरण पर 6881.12 लाख रुपये शामिल है), 12.32 लाख रुपये क्षेत्र.का. गुरुग्राम, 15.53 लाख रुपये क्षेत्र.का., फरीदाबाद, 56.74 लाख रुपये क्षेत्र.का. मेरठ, 6.71 लाख रुपये उ.क्षेत्र.का. आगरा, 36.94 लाख रुपये उ.क्षेत्र.का., नोएडा 15.80 लाख रुपये क्षेत्र.का., अहमदाबाद), 83.86 लाख क्षेत्र.का., (दक्षिण) दिल्ली} जो लेखों में राजस्व व्यय के रूप में दर्ज किया गया है, उपर्युक्त में शामिल नहीं है। जिसके परिणामस्वरूप 7823.05 लाख रुपये की अंचल परिसंपत्तियों एवं क.भ.नि. प्रशासन निधि में कमी हुई। (ii) क्षेत्र.का., सूरत एवं क्षेत्र.का., देहरादून ने लेखों में केवल भूमि एवं भवन को अंचल परिसंपत्तियों के रूप में दर्शाया था। अन्य अंचल परिसंपत्तियां जैसे फर्नीचर और फिक्चर्स, कार्यालय उपकरण और कंप्यूटर को आय एवं व्यय खाते में प्रभारित किया था जिसके परिणामस्वरूप अंचल परिसंपत्तियां और क.भ.नि. - प्रशासन निधि में कमी हुई। राशि को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। (iii) उपर्युक्त में क्षेत्र.का., फरीदाबाद की दो स्टाफ कार और क्षेत्र.का., गुरुग्राम की	ए 2.5 (i), (ii), (iii), (iv) एवं (v) फील्ड कार्यालय उनके वार्षिक लेखों को मौजूदा अकाउंटिंग प्रारूपों में तैयार कर रहे हैं। केवल वर्ष 2015-16 हेतु समेकित वार्षिक लेखों को सामान्य प्रारूप में सामान्य प्रारूप की आवश्यकता के अनुसार संबंधित फील्ड कार्यालयों से प्राप्त वार्षिक लेखों के आधार पर तैयार किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त लेखों के सामान्य प्रारूप स्वीकृति हेतु नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के विचाराधीन हैं।

एक स्टाफ कार शामिल नहीं है। राशि को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।

(iv) उपर्युक्त में 9,16,747 रुपये के कंप्यूटर हार्डवेयर और 48,738 रुपये के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की खरीद जिसे क्षेत्र. का., गुरुग्राम द्वारा कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत राजस्व रूप में लेखों में दर्शाया है शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप 9.65 लाख रुपये की व्यय में वृद्धि और अंचल परिसंपत्तियों में कमी हुई ।

(v) क्षेत्र. का., फरीदाबाद द्वारा कंप्यूटर की खरीद पर 4.10 लाख रुपये की राशि को कंप्यूटरीकरण (16.04 लाख रुपये) के अंतर्गत राजस्व व्यय के रूप में लेखों में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप 4.10 लाख रुपये की व्यय में वृद्धि और अंचल परिसंपत्तियों में कमी हुई ।

क.भ.नि.सं. को अपनी सभी इकाइयों में एकुएल अकाउंटिंग का पालन करना चाहिए।

ए. 2.6 क.भ.नि. प्रशासन निधि निवेश (अनुसूची 25) - 18469.81 करोड़ रुपये जैसा कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के भुगतान और लेखा कार्यालय द्वारा बताया गया 31.03.2016 तक विशेष जमा के अंतर्गत क.भ.नि. लेखा संख्या 4 (केन्द्रीय प्रशासन निधि) का निवेश 18267.44 करोड़ रुपये था परंतु यह तुलनपत्र के क.भ.नि. लेखा संख्या 4 (केन्द्रीय प्रशासन निधि) में 18259.81 करोड़ रुपये दर्शाया गया है। अतः, 31.03.2016 को अंतः शेष में 7.63 करोड़ रुपये का अंतर है। चूंकि यह अंतर वर्ष 1989 से 1998 तक से संबंधित है इसका कोई भी दस्तावेज भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध नहीं है। जबतक 7.63 करोड़ रुपये के अंतर पर निर्णय लिया जाता है तब तक इस पर एक नोट लेखों पर नोट में शामिल किया जाए।	ए. 2.6 मामला भारतीय रिजर्व बैंक, जहां एसडीए का रख-रखाव होता है, के साथ उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1989 से 24.07.1998 तक की अंतर की अवधि हेतु लेखा विवरणी उपलब्ध कराने में अक्षमता जाहिर की है चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।
ए 2.7 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम (अनुसूची 28) -199.74 करोड़ रुपये (i) क.भ.नि. प्रशासन निधि पर ब्याज - 13.66 करोड़ रुपये क.भ.नि.सं. ने 13.03.2016 को क.भ.नि. निधि प्रशासन के एफडीआर पर 13.66 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज दर्शाया है जबकि दी गई जानकारी के अनुसार यह 12.27 करोड़ रुपये था। 1.39 करोड़ रुपये के अंतर के मिलान किए जाने की आवश्यकता है। (ii) उपर्युक्त के अंतर्गत हुडको विशाला भवन में सामान्य रूप से ली जाने वाली सेवाएं जैसे मासिक बिजली, जल प्रभार तथा रखरखाव हेतु जुलाई, 2011 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए सी.बी.ई.सी. तथा सी.बी.डी.टी. (सी.बी.ई.सी.: 1.74 करोड़ रुपये तथा सी.बी.डी.टी.: 1.89 करोड़ रुपये) से प्राप्त 3.63 करोड़ रुपये की राशि शामिल नहीं है। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिम तथा क.भ.नि. प्रशासकीय निधि में 3.63 करोड़ रुपये कम दर्शाए गए।	ए. 2.7 (i) इस संबंध में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के अनुसार दिए गए ब्याज में दर्शाई गई राशि गलती से 31.03.2016 तक अर्जित ब्याज के रूप में दर्शाई गई जबकि 31.03.2016 तक वास्तविक तौर पर अर्जित ब्याज 12.27 करोड़ रुपये था। इसे अगले वित्तीय वर्ष में शामिल किया जाए। (ii) इस मामले पर संबंधित प्राधिकारियों के साथ बात की गई है।

बी. आय एवं व्यय लेखा बी.1 आय बी.1.1 अन्य आय - विविध प्राप्तियाँ - 11.16 करोड़ रुपये उपर्युक्त में क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) दिल्ली से संबंधित वर्ष 2015-16 के लिए वसूली गई 2.48 लाख रुपये की ब्याज आय शामिल नहीं है (आवास निर्माण भत्ता 1, 74, 852, कंप्यूटर अग्रिम 60, 667 रुपये तथा वाहन अग्रिम 12,264 रुपये) इसके परिणामस्वरूप अन्य आय- विविध प्राप्तियों में 2.48 लाख रुपये कम दर्शाए गए हैं।	बी. बी.1 बी.1.1 पैरा को नोट कर लिया गया है।
बी.2 व्यय बी.2.1 मूल्यहास पर महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 5 के अनुसार "अचल परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सीधी कटौती प्रणाली पर कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्दिष्ट दरों से किया गया है।" अचल परिसंपत्ति अनुसूची की समीक्षा करने पर देखा गया कि भूमि एवं भवन तथा अन्य समायोजन के आदिशेष समायोजन को चालू वर्ष के मूल्यहास के रूप में लिया गया। हालांकि ए.एस.-6 के प्रावधान के अनुसार मूल्यहास की गणना खरीद की तिथि से की जानी चाहिये तथा 31.3.2015 तक मूल्यहास की गणना की जानी चाहिए। (ii) क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेत्रीय कार्यालय, गुरुग्राम, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद, क्षेत्रीय कार्यालय, सूरत) ने अपने लेखों में अचल परिसंपत्तियों में मूल्यहास नहीं लगाया है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मूल्यहास की सूचना के अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि समेकित लेखों में मूल्यहास की गणना कैसे की गई। क.भ.नि.सं. ने यह कहकर लेखा परीक्षा के दौरान मूल्यहास की गणना उपलब्ध नहीं कराई कि यह क्षेत्रीय कार्यालयों/उ.क्षे.का. के पास उपलब्ध है।	बी.2. बी.2.1(ii) एवं (iii) वर्ष 2015-16 के लिए समेकित वार्षिक लेखों को सामान्य प्रारूप के साथ-साथ लीगेसी प्रणाली में भी बनाया गया है तथा प्रमाणन के लिए महानिदेशक (लेखा) सी.ई., नई दिल्ली को भेजा गया है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि क.भ.नि.सं. ने वर्ष 2015-16 के लिए लेखों के सामान्य प्रारूप को अपनाया है। लेखों में किसी भी परिवर्तन को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श के बाद ही किया जाएगा। मूल्यहास के संबंध में, सूचित किया जाता है कि इसे क.भ.नि.सं. के मूल्यहास पर लेखा नीति 5 की अनुसूची 44 के अनुसार लगाया गया है तथा इसे 'वर्ष के आरंभ में संचित मूल्य हास' तथा 'चालू वर्ष के लिए मूल्य हास के रूप में लेखों के सामान्य प्रारूप में अनुसूची

(iii) मूल्यहास पर लेखानीति संख्या 5.3 एवं 5.4 के अनुसार "लीज होल्ड भूमि एवं भवन पर किए गए एकमुश्त लीज भुगतान की राशि को होल्डिंग की लीज अवधि के दौरान प्रतिवर्ष अनुपातिक रूप से परिशोधित किया जाता है।" अचल संपत्ति अनुसूची में लीज होल्ड भूमि एवं लीज होल्ड भवन के कुल ब्लॉक मूल्य को क्रमशः 33.73 करोड़ रुपये तथा 107.28 करोड़ रुपये दिखाया गया है। लीज पर दी गई परिसंपत्तियों से संबंधित विवरण जैसे लीज की अवधि तथा लीज शुरू होने की तिथि को लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः, सूचना के अभाव में लेखा परीक्षा, लीज होल्ड परिसंपत्तियों पर दिए गए मूल्यहास/परिशोधन पर कोई राय देने में असमर्थ है। उपर्युक्त के आलोक में, आय एवं व्यय लेखे में दर्शाई गई 21.03 करोड़ रुपये की मूल्यहास राशि पर लेखा परीक्षा कोई भी राय देने में असमर्थ है।	संख्या 24 (अचल परिसंपत्तियां) में अलग से दर्शाया गया है तथा लेखों के सामान्य प्रारूप में अनुसूची संख्या 24 के अंतर्गत प्रकटीकरण दिया गया है।
बी.2.2 क.भ.नि. प्रशासकीय निधि बी- अन्य प्रशासकीय व्यय 515 करोड़ रुपये (i) चालू वर्ष के दौरान निवेश के परिशोधन मूल्य से संबंधित 109.54 करोड़ रुपये की राशि (क.भ.नि.: 9.25 करोड़ रुपये, कर्मचारी पेंशन निधि: 94.61 करोड़ रुपये, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना: 2.77 करोड़ रुपये, कर्मचारी स्टाफ भविष्य निधि: 1.30 करोड़ रुपये तथा कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ पेंशन सह ग्रेच्युटी निधि: 1.61 करोड़ रुपये) को आय एवं व्यय लेखे में नहीं लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यय में 109.54 करोड़ रुपये कम दर्शाए गए।	बी.2.2 बी. (i) परिशोधन मूल्य के आंकड़ों को (योजना लेखावार) संबंधित प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में दर्शाया गया जिन्हें तुलन पत्र अनुभाग को उपलब्ध कराया गया।

(ii) उपर्युक्त के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान संरक्षक/पोर्टफोलियो हैंडलर को दी गई 3.31 करोड़ रुपये की फीस/कमीशन शामिल है। संरक्षक को दी गई 3.31 करोड़ रुपये की फीस में से, 2.06 करोड़ रुपये वर्ष 2014-15 से संबंधित है। इसे लेखों में पूर्व अवधि में किए गए व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप अन्य प्रशासकीय व्यय तथा पूर्व अवधि के व्यय में 2.06 करोड़ रुपये में दर्शाए गए।	(ii) यह पहला वर्ष है जबकि लेखों के प्रोद्भवन(एकुअल) आधार को लागू किया गया। लेखा परीक्षा की टिप्पणी को नोट कर लिया गया है तथा जिसके अनुसार इसे पूर्व अवधि के व्यय के रूप में दर्शाया जाएगा।
सी. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची 44) सी.1(ए) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 1 के अनुसार वित्तीय विवरणी प्रोद्भवन के आधार पर तैयार की जाती है जब तक कि अन्यथा भारत सरकार द्वारा सिफारिश की गई लेखांकन हेतु आम प्रारूप की संबंधित प्रस्तुतिकरण आवश्यकताओं और लागू अनिवार्य लेखा मानकों के अनुसार ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत न कहा जाए। हालांकि क.भ.नि.सं. द्वारा निदेश पर बनाई गई लेखा नीति लेखा मानक-13 के उपबंधों के अनुपालन के अनुसार नहीं है। लेखा मानक-13 के अनुसार निवेश को दीर्घ अवधि निवेश तथा चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। चालू निवेश को न्यूनतम मूल्य अथवा उचित मूल्य तथा दीर्घ अवधि के निवेश को सामान्य तौर पर मूल्य आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। हालांकि अवनति (डिक्लाईन) होने की स्थिति में, अस्थाई के अलावा, दीर्घ अवधि के निवेश के मूल्य में, अवनति (डिक्लाईन) की पहचान के लिए कैरिंग राशि में कमी की जाती है। क.भ.नि.सं. ने अपने निवेश को चालू निवेश तथा दीर्घ अवधि के निवेश के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है तथा निवेश को परिशोधित मूल्य पर मूल्यांकित किया गया है जोकि न तो बाजार मूल्य है न ही अंकित मूल्य है तथा लेखा मानक 13 का	सी. सी.1(ए) एवं (बी) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपने पत्र दिनांक 14.7.2016 में इक्विटी में निवेश के लिए लेखा नीति के विषय के संबंध में सूचितिकया कि क.भ.नि.सं. अपनी लेखा नीति की समीक्षा कर सकता है तथा इसे आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार बना सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने यह भी सुझाव दिया कि क.भ.नि.सं. की विशेष कार्य स्थितियों को देखते हुए, इस मामले को विशेष राय हेतु आई.सी.ए.आई. की विशेषज्ञ समिति को भेजा जा सकता है। साथ, क.भ.नि.सं. ने इस मामले पर आई.आई.एम., बंगलौर की विशेष राय भी मांगी है जोकि प्रतीक्षित है। उपर्युक्त के आलोक में निवेश को निम्न रूप से मूल्यांकित किया गया-

उल्लंघन है। सी.1 (बी) 31.3.2016 को, निवेश की विभिन्न अनुसूचियों में समेकन के अंतर्गत 887.52 करोड़ रुपये की राशि दर्शाई गई तथा क.भ.नि.सं. इस राशि को पिछले वर्षों के दौरान खरीदी गई प्रतिभूतियों में वर्गीकृत करने में असमर्थ है। इसके साथ ही, क.भ.नि.सं. तुलन पत्र में कुल निवेश के परिशोधित मूल्य को किए गए निवेश के प्रकारों में वर्गीकृत नहीं कर पाया। उपर्युक्त के आलोक में, लेखा परीक्षा, लेखों में दर्शाए गए निवेश पर कोई राय देने में समर्थ नहीं है।	i) निवेश को लागत मूल्य तथा वर्ष के लिए परिशोधित मूल्य (अंकित मूल्य पर लागत मूल्य के प्रीमियम/रियायत का परिशोधन) पर मूल्यांकित किया गया जिसे तुलनपत्र अनुभाग को उपलब्ध कराए गए प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में दर्शाया गया। ii) चालू निवेश जैसे सी.बी.एल.ओ., लिक्विड म्यूचुअल फंड (एल.एम.एफ) तथा अन्य निवेश (दीर्घ अवधि) के विवरण को उनके संबंधित लागत मूल्य के साथ तुलन पत्र अनुभाग को उपलब्ध कराए गए प्राप्ति एवं व्यय लेखों में दर्शाया गया है जो कि लेखा मानक-13 के अनुपालन के अनुसार है। ई.टी.एफ. निवेश दीर्घ अवधि का निवेश है इसलिए इसे लागत मूल्य के रूप में दर्शाया गया है जो कि लेखा मानक-13 के अनुपालन के अनुसार है। साथ ही, निवेश अनुभाग में रखी गई होल्डिंग विवरणियों में निवेश शेष को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।
सी.2 भवन एवं निर्माण निधि से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 6 तथा किसी भी शीर्ष में जोड़/घटाव से संबंधित महत्वपूर्ण लेखा नीति प्रकटीकरण की प्रकृति की है तथा इसे आकस्मिक देयताओं एवं लेखों पर नोट की अनुसूची के अंतर्गत दर्शाए जाने की आवश्यकता है।	सी.2 लेखों का सामान्य प्रारूप अनुमोदन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ है।
सी.3 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 8.1 एवं 8.2 जिसमें यह कहा गया कि मार्च माह का वेतन जिसे अप्रैल में दिया गया, को अप्रैल के व्यय के रूप में	सी.3 लेखों का सामान्य प्रारूप अनुमोदन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ है।

देखा जाए तथा कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज के प्रावधान को मूल राशि की पूरी वसूली के बाद रोकड़ आधार पर लेखांकित किया जाए, यह लेखांकन के संचयी आधार के अनुसार नहीं है।	सी.4 लेखों का सामान्य प्रारूप अनुमोदन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ है।
सी.4 महत्वपूर्ण लेखा नीति संख्या 11.2 जिसमें कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण को उसी वर्ष के राजस्व व्यय के रूप में देखा जाए। यह लेखांकन नीति लेखों के एकरूप प्रारूप तथा ए.एस.-15 के विरुद्ध है जिसमें यह कहा गया है कि सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण के प्रावधान को बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया जाए।	डी. डी.1 लेखों का सामान्य प्रारूप अनुमोदन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ है।
डी. आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर नोट (अनुसूची 45) डी.1 उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, मैसर्स पी.एस.आई.डी.सी. तथा पंजाब वित्तीय निगम में क्रमशः 25.00 करोड़ रुपये, 50.20 लाख रुपये तथा 27.60 लाख रुपये के निवेश की मूल राशि का पुर्नभुगतान क्रमशः अप्रैल, 2004, 2012 एवं जून, 2014 से चूक में है। लेखों पर नोट में इस राशि की ब्याज सहित वसूली के बारे में नहीं बताया गया।	

डी.2 विभिन्न पार्टियों से निवेश पर 16.24 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान निम्न विवरण के अनुसार चूक में है। लेखों पर नोट में इस राशि की वसूली के बारे में नहीं बताया गया।

क्र.सं.	स्थापना का नाम	चूक की अवधि	ब्याज
1.	उत्तर प्रदेश विस्तीय निगम	2004 से	920.12
2.	मैसर्स दि. प्रदेशिया निवेश निगम यू.पी. लि.(यू.पी. पी.आई.सी.यू.पी.)	2003 से	59.71
3.	मैसर्स रिचर्ड एंड कूडस (आर.सी.एल.)	2002 से	137.73
4.	मैसर्स बंगलारे महानगर पालिका	2004 से	201.06
5.	मैसर्स पी.एस.आई.डी.सी	2004 से	63.98
6.	एच.एम.टी. मशीन टूल लि. बी.आई.एफ.आर. मामला	1996 से	236.48
7.	पंजाब विस्तीय निगम	2014 से	3.21
8.	आंध्र प्रदेश पावर फाईनैस निगम लि.	2015 से	2.13
कुल			1624.42

डी.3 लेखा संख्या 6 पर नोट में वर्ष के दौरान के स्थान पर वर्ष के अंतिम दिन निष्क्रिय खातों की कुल संख्या को दर्शाया जाना चाहिए था।

डी.4 लेखा संख्या 3.2 पर नोट में वसूली योग्य श्रेणी के अंतर्गत निर्धारित राशि को नहीं दर्शाया गया किंतु इसे लेखों में लिया नहीं गया।

डी.5 क.भ.नि.सं. के नाम पर पंजीकृत नहीं की गई भूमि के विवरण को लेखों पर नोट द्वारा दर्शाया जाना चाहिए।

ई. सामान्य

ई.1 लेखों का सामान्य प्रारूप

डी.2 लेखों का सामान्य प्रारूप अनुमोदन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ है।

डी.3 लेखों का सामान्य प्रारूप अनुमोदन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ है।

डी.4 लेखों का सामान्य प्रारूप अनुमोदन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ है।

डी.5 लेखों का सामान्य प्रारूप अनुमोदन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ है।

ई.
ई.1

सामान्य प्रारूप की समीक्षा करने पर सामान्य प्रारूप को अपनाने पर निम्नलिखित कमियां पाई गई।

1. तुलन पत्र में देयताओं एवं परिसंपत्तियों के शीर्षों में समेकित आंकड़े नहीं दर्शाए गए। सभी शीर्षों को पांचों योजनाओं में विभाजित किया गया तथा तुलन पत्र के शीर्षों को पांच बार दर्शाया गया है जिसमें योजना से संबंधित आंकड़ों को इंगित किया गया है।

क.भ.नि.सं. को प्रत्येक शीर्ष के समेकित आंकड़े रखने चाहिए थे और प्रत्येक विधिवत संदर्भित आंकड़ों को संबंधित अनुसूची में रखना चाहिए था। इस अनुसूची में उस शीर्ष योजना के संबंधित आंकड़े योजना के अनुरूप प्रदर्शित होने चाहिए यथा आरक्षित और अधिशेष के मामले में, तुलन-पत्र में सभी योजनाओं से संबंधित आरक्षित और अधिशेष का एक समेकित आंकड़ा दर्शाया जाना चाहिए। अनुसूची में आरक्षित और अधिशेष को संबंधित योजना के आरक्षित और अधिशेष शीर्ष में विभक्त किया जाना चाहिए था।

2. आय और व्यय में प्रत्येक शीर्ष के समेकित आंकड़ों को नहीं दर्शाया गया है। सभी शीर्षों को पांचों योजनाओं में विभाजित कर दिया गया है और आय और व्यय के शीर्ष को योजनाओं के संबंधित आंकड़ों में पांच बार दिखाया गया है।

3. वर्ष के दौरान समेकित अधिशेष / कमी को समेकित आय एवं व्यय खाते में नहीं दिखाया गया था और संबंधित कॉलम को खाली छोड़ दिया गया था।

4. समेकित प्रारियां एवं भुगतान खाता तैयार नहीं किया गया है।

5. क.भ.नि.सं. में क.नि.स.बी. योजना के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखे

1 से 10 लेखों का सामान्य प्रारूप अनुमोदन हेतु नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विचारार्थ है।

के दो सेट रखे जाते हैं अर्थात् एक सेट अंशदान के लिए और दूसरा प्रशासन के लिए। इन दोनों लेखों को मिलाकर एक करने आवश्यकता है और क.नि.स.बी. योजना के लिए एक ही समेकित प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार किया जाना चाहिए।

6. क.भ.नि.सं. ने क.भ.नि. योजना के लिए प्राप्ति और भुगतान खाता तैयार नहीं किया है।

7. चालू परिसम्पत्तियां (अनुसूची 28) में पूंजी खाता के लिए अग्रिम भुगतान और बैंक द्वारा किए गए निवेश पर टीडीएस की कटौती तथा आयकर विभाग द्वारा वसूली का कोई शीर्ष नहीं है। इसे शामिल किया जा सकता है।

8. अचल परिसम्पत्ति (अनुसूची 24) - अन्य अचल परिसम्पत्ति को अनुसूची के फुटनोट में निर्दिष्ट नहीं किया गया है और चल परिसम्पत्तियों को अलग से नहीं दिखाया गया है।

9. अनुसूची 34 और अनुसूची 36 - "लोक खाता पर प्राप्त/प्राप्य ब्याज" के नामकरण को "भारत सरकार की लोक खाता पर प्राप्त/प्राप्य ब्याज" से बदला जा सकता है।

10. स्टाफ भविष्य निधि के लेखों को अलग से रखा जाना चाहिए और इसका विलय नहीं किया जाना चाहिए बल्कि मुख्य खाता के साथ इसे संलग्न किया जाना चाहिए।

10 निवेश के निपटान पर लाभ/हानि तथा वहन राशि में कमी अथवा इसके ठीक विपरीत के लिए समुचित आय एवं व्यय खाते शीर्ष दिए जाने चाहिए।

ई 2 क.भ.नि.सं. निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत उचित खाते का परिचालन करता है।

(रु. करोड़ों में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत राशि
	विविध जमा	
1.	उचित खाता (अवर्गीकृत क.भ.नि.) (अनुसूची 5)	58.02
2.	उचित खाते (प्रशा. निधि)(अनुसूची 15)	58.93
	विविध नामे	
3.	उचित खाता (अवर्गीकृत क.भ.नि.)(अनुसूची 19)	97.38
4.	उचित खाते (प्रशा. निधि)(अनुसूची 28)	24.11

उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत पड़े शेष का विवरण ना तो ऑडिट को उपलब्ध कराया गया और न ही क.भ.नि.सं., मुख्यालय के पास यह उपलब्ध था। इसके अलावा, उचित संतुलन / खातों के निराकरण के लिए, खाता प्रक्रिया संहिता भाग-1 के अध्याय 10 के अंतर्गत VII के पैरा 10.6 में उल्लिखित टिप्पणी में किसी नीति का प्रकटीकरण नहीं किया गया है। तथापि मैनुअल प्रावधानों में निर्दिष्ट विवरण वार्षिक खातों से नहीं जुड़ा था।

ई.3 लेखों में, 360275.59 करोड़ रुपये की राशि को 31 मार्च 2016 को कर्मचारी भविष्य निधि खाता (अनुसूची- 1) में अंशदाताओं के खाते में बकाया के रूप में दर्शाया गया है। अंशदाताओं के व्यक्तिगत खातों को क्षेत्रीय कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक रूप से रखे जाते हैं। अंशदाताओं के खातों के समाशोधन हेतु

ई 2 दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालयों के स्तर पर बनाए जाते हैं और इसका संबंधित राज्यों के महाखाता कारों द्वारा सत्यापन /खाता परीक्षण किया जाता है।

ई.3 पूरा खाता बही डिजिटल रूप में तैयार किया जाता है।

क्षेत्र 0 का अथवा मुख्यालय के स्तर पर अलग से किसी प्रकार का कोई ब्रॉडशीट्स नहीं तैयार किया जाता है	ई.4 जून 2014 के अनुरूप, 3,65,814 अंशदाताओं के खातों में कुल 330.87 करोड़ रुपये के ऋणात्मक शेष राशि का संकेत मिला जो कुल आठ क्षेत्रों का तथा 3 क्षेत्रों का से संबंधित थी। 31.03.2016 को, 2,39,739 अंशदाताओं के खातों में 193.46 करोड़ की ऋणात्मक शेष राशि थी। यह सावधानी रखी जानी चाहिए कि अंशदाताओं के खातों में शेष राशि हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। इसे खाते में बताया जाना चाहिए।	ई.4 31.03.2016 के अनुसार, 2,39,739 खातों में ऋणात्मक शेष राशि घटकर 1,93.46 करोड़ रुपये हो गई। क.भ.नि.सं. द्वारा ऋणात्मक शेष राशि के समाशोधन का कार्य किया गया है तथा ऋणात्मक शेष के कारणों की जांच के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक व्यापक प्रयास शुरू किया गया है। सभी क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों को 28 फरवरी 2017 तक ऋणात्मक शेष राशि के सभी मामलों को समाप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। भ्रष्ट कर्मचारियों या नियोक्ताओं से अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के लिए, अधिक भुगतान की समीक्षा समिति को प्रभावी और शीघ्र कार्रवाई के लिए मजबूत किया गया है। खातों के खाता तैयार करने के लीगेसी प्रारूप में तैयार किया गया है। हालांकि, 'खातों के आम स्वरूप का मसौदा' नियंत्रक एवं महाखाता परीक्षक के समक्ष स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं। नियंत्रक एवं महाखाता परीक्षक से इसकी प्राप्ति होने पर, आवश्यक परिवर्तन, अगर आवश्यकता हो तो, के अनुरूप खातों के आम प्रारूप में किया जाएगा।
ई.5 वार्षिक मूल्यांकन कर्मचारी पेंशन योजना के पैराग्राफ 32 के अनुरूप, संघ सरकार के लिए आवश्यक है कि वे उनके द्वारा नियुक्त मूल्यांकन के जरिए कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन करवाए। साल 2015-16 के लिए मूल्यांकन नहीं किया गया है जिसका परिसंपत्तियों और देयताओं पर प्रभाव पड़ सकता है।		ई.5 साल 2015-16 और 2016-17 हेतु कर्मचारी पेंशन निधि के मूल्यांकन के लिए बीमांकन की नियुक्ति से संबंधित मामले सरकार के विचाराधीन हैं।

ई.6 सार्थक लेखांकन नीति संख्या 2 कहता है कि " स्टोर, स्टॉक और पुर्जों के सभी मद खरीद मूल्य पर मूल्यवान हैं" जबकि खाता मानकों के मूल्यांकन के संबंध में खाता मानक 2 में कहा गया है, जबकि कि वस्तु सूची लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के निचले मूल्य पर होना चाहिए । इस प्रकार, क.भ.नि.सं. द्वारा तैयार की गयी लेखांकन नीति लेखांकन मानक 2 के अनुरूप नहीं है।	ई 6 केंद्र सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों के लिए वर्ष 2015-16 के लिए तैयार किए जाने वाले वार्षिक लेखों को भी लेखों के लिए निर्धारित सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सिद्धांततः सामान्य प्रारूप को मंजूरी दे दी है।
ई.7 क्षेत्रीय कार्यालयों और उप क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का. ताम्बरम, उ.क्षे.का. नागरकोइल, क्षे.का. (दक्षिण) दिल्ली और उ.क्षे.का. झिलमिल) ने नकद आधार पर खाता तैयार किया है। एक्सेल आधार पर समेकित लेख तैयार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों और उप क्षेत्रीय कार्यालयों को भी एक्सेल आधार पर लेख तैयार करने की जरूरत है।	ई 7 क्षेत्रीय कार्यालय अपने वार्षिक लेख मौजूदा लीगेसी प्रारूप में तैयार कर रहे हैं। केवल साल 2015-16 के लिए समेकित वार्षिक खाता सामान्य प्रारूप की आवश्यकता के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वार्षिक खातों के आधार पर सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया है।
ई.8 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का. गुडगांव, क्षे.का. फरीदाबाद, क्षे.का. सूरत) ने महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और खातों पर टिप्पणियों का खुलासा नहीं किया है।	ई 8 क्षेत्रीय कार्यालय अपने वार्षिक लेख मौजूदा लीगेसी प्रारूप में तैयार कर रहे हैं। केवल साल 2015-16 के लिए समेकित वार्षिक खाता सामान्य प्रारूप की आवश्यकता के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वार्षिक खातों के आधार पर सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया है।
ई.9 क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षे.का. गुडगांव, क्षे.का. फरीदाबाद, क्षे.का. कानपूर, क्षे.का. ताम्बरम, उ.क्षे.का. नागरकोइल, क्षे.का. अहमदाबाद, क्षे.का. सूरत और क्षे.का. थाणे) ने खाता तैयार करने के सामान्य प्रारूप में लेख तैयार नहीं किए हैं।	ई 9 क्षेत्रीय कार्यालय अपने वार्षिक लेख मौजूदा लीगेसी प्रारूप में तैयार कर रहे हैं। केवल साल 2015-16 के लिए समेकित वार्षिक खाता सामान्य प्रारूप की आवश्यकता के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वार्षिक खातों के आधार पर सामान्य प्रारूप में तैयार किया गया है।

ई .10 क्षे.का. दिल्ली (दक्षिण) (i) क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली-दक्षिण) क.भ.नि.सं ने. साल 2015-16 के लिए आय और व्यय खाता में कंप्यूटरीकरण पर 46,22,471 रु. का व्यय दर्शाया है। कंप्यूटरीकरण पर होने वाले खर्च में कंप्यूटर हार्डवेयर पर 34,19,491 रु. और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर 50,490 रु. का खर्च दर्शाया है जो कि पूंजीगत प्रकृति का था। इसके परिणामस्वरूप आय एवं व्यय खाता में रु. 34,69,981 के व्यय की अधिशेष दिखाया गया है एवं तुलन-पत्र के पूंजी एवं देयता पक्ष में प्रशासनिक खाता (राजस्व अधिशेष) में कमी दर्शाई गई है। (ii) मार्च 2016 तक रुपये 5.89 करोड़ की राशि देरी से जमा पर ब्याज के रूप में बैंक से वसूलना शेष है। क्षे.का. (दक्षिण) दिल्ली द्वारा इस राशि को खाता तैयार करने में न तो आय में लिया गया है और न ही इसे लेखों पर टिप्पणी में व्यक्त किया गया है। (iii) क्षे.का. (दिल्ली-दक्षिण) क.भ.नि.सं. द्वारा प्रस्तुत तुलन-पत्र तथा बजट रजिस्टर के विवरण में बैंक कमीशन और टीटी शुल्क के शीर्ष में आंकड़ों में 71.51 लाख रुपये का अंतर था। आंकड़ों में इस अंतर का मिलान करने की जरूरत है।	ई .10 दिल्ली (दक्षिण) (i) 'कंप्यूटरीकरण के बजट शीर्ष में कंप्यूटर उपकरण, बाह्य उपकरणों, सामान्य खरीद और मरम्मत एवं रखरखाव (एएमसी सहित) भी शामिल है, कंप्यूटरीकरण शीर्ष को पूंजीगत व्यय और गैर-पूंजीगत व्यय में विभक्त नहीं किया गया है। (ii) प्रस्तुत है कि इस टिप्पणी को 2015-16 के लिए बैलेंस शीट में चिह्नित किया गया है कि "5.89 करोड़ रुपये की राशि एसबीआई बैंक से वसूली हेतु शेष थी। इस संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक से वसूल की गई राशि "विलम्बित जमा पर ब्याज" के शीर्ष में अगले वित्तीय वर्ष के वर्गीकृत सारांश में दर्शाई जाएगी। .. (iii) यह सूचित किया जाता है कि राशि बजट रजिस्टर और आय व्यय रिटर्न में दिखाए गए आंकड़े मेल नहीं खा रहे थे क्योंकि इसमें कुछ लिपिकीय त्रुटि थी जिससे रु. 71,51,208 / - की राशि बजट रजिस्टर में दर्शाई नहीं गई थी। अब इसे बजट रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया है।
---	--

ई .11 क्षे.का., मेरठ। क्षे.भ.नि.आ., मेरठ ने किसी भी अनुसूची के बिना ही साल 2015-16 के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र तैयार किया था।	ई .11 क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित प्राप्तियां एवं भुगतान खाता , आय एवं व्यय खाता तथा तुलन-पत्र के प्रारूपों में अलग से कोई अनुसूची संलग्न नहीं है। अनुसूचियां ब्यौरेवार तभी दी जाती हैं जब संगठन के समेकित वार्षिक लेखे मुख्यालय में तैयार किए जाते हैं।
ई .12 क्षे.का., देहरादून (I) अचल परिसंपत्ति रजिस्टर के अनुसार भूमि और भवन की लागत क्रमश 83.16 लाख रु. और 81.17 लाख रु. थी। हालांकि, भूमि और भवन के मूल्य बैलेंस शीट में अलग से नहीं दिखाए गये थे। (II) पिछले वर्ष के आंकड़े वार्षिक खातों में अलग से नहीं दिखाए गये थे।	ई .12 (i) 'भूमि और भवन' का मूल्य तुलन-पत्र के परिसंपत्तियां पक्ष में सम्मिलित रूप से दर्शाया गया है, जो कि निर्दिष्ट प्रारूप के अनुरूप है। (ii) निर्दिष्ट प्रारूप के अनुरूप इसे सही रूप से दर्शाया गया है।
ई .13 क्षे.का., कानपुर (i) क्षे.भ.नि.आ., कानपुर ने किसी भी अनुसूची, बही खाते और अन्य विस्तृत रिकॉर्ड के बिना प्राप्तियां और भुगतान खाता , आय और व्यय खाता तथा तुलन-पत्र तैयार किया है।	ई .13 आवश्यक अभिलेख तैयार किया गया है और खाता परीक्षा पार्टी के अगले दौरा कार्यक्रम के दौरान इसे प्रस्तुत किया जाएगा।
ई .14 क्षे.का., ठाणे छह माह से अधिक की अवधि से भुगतान न किए गए रु. 10.90 करोड़ के चैक की राशि को रोकड बही में पुनः वापस लिखने के बदले जारी चैकों की कुल राशि में से घटा दिया गया था जो कि तुलन-पत्र में दर्शाए गए लेखांकन आंकड़ों का गलत ढंग से प्रस्तुतिकरण है।	ई .14 इसे सुधार लिया गया है।

ई .15 क्षे.का., मुंबई

(i) खाता संख्या 1 और खाता संख्या 10 का बैंक समाशोधन क्रमशः माह जनवरी 2012 और नवंबर 2011 से संबंधित है।

(ii) क्षे.का. मुंबई के बैंक समाशोधन विवरण की जांच से पता चला कि रुपये 134.41 करोड़ की राशि के चेक (नीचे विवरण के अनुसार) समय-वर्जित हो गए हैं, लेकिन इसे रद्द नहीं किया गया है और न ही खातों में वापस लिखा गया है।

खाता सं.	31/3/2016 को समय-वर्जित हो गए चेकों की संख्या	समय-वर्जित राशि (रु.)	चैकों की संख्या
खाता संख्या 1 (दिसंबर 2011 तक)	12,427	1,11,65,60,140	
खाता संख्या 2	60	14,78,159	
खाता सं 10 (अक्टूबर 2011 तक)	NA	22,43,81,958	
खाता संख्या 21	19	17,07,358	

इसके परिणामस्वरूप 134.41 करोड़ रुपये की नकद शेष और देयताओं को नहीं दर्शाया गया है।

(iii) क्षे.का. मुंबई का कुल भूमि एवं भवन 14.14 करोड़ रुपये का है, जबकि अचल संपत्ति रजिस्टर के अनुसार भूमि एवं भवन 8.59 करोड़ का है। 15.55 करोड़ रुपये के अंतर को समाशोधित करने की आवश्यकता है।

(iv) क्षे.का. मुंबई के तुलन-पत्र के आंकड़ों में स्टाफ भविष्य निधि के संबंध में एस.पी.एफ. खाता सारांश विवरण के आंकड़ों में 14.61 करोड़ रु. का अंतर पाया गया है। इस अंतर को समाशोधित करने की आवश्यकता है।

ई .15

(i) बैंक समाशोधन एक समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।

(ii) नकद शेष और देनदारियों को समायोजित करने का प्रयास किया गया है।

(iii) सुधार कर दिया गया है।

(iv) आंकड़ों में अंतर को सुधारने के लिए समाशोधन की कार्रवाई की गई है।

(v) आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार रोकड़ बही में ऋणात्मक शेष राशि नहीं होना चाहिए लेकिन क्षे.का. मुंबई में कुल पांच बैंक खातों में से दो बैंक खातों में ऋणात्मक शेष राशि है जो कि स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों का उल्लंघन है।

खाता क्रमांक	समापन रोकड़ बही में शेष राशि (रु।)
खाता संख्या 2	(-) 1,07,14,942
खाता .21	(-) 61,97,880

(v) खातों में प्रदर्शित ऋण शेष राशि वास्तव में नकद पुस्तक शेष है। 'नई निधि प्रबंधन सिस्टम' (NFMMS) के तहत, खाताओं से संबंधित दैनिक इतिशेष स्वचालित रूप से ऑनलाइन केन्द्रीय निवेश खातों में स्थानांतरित हो जाता है और इन खातों में 'शून्य' इतिशेष रहता है। इस के कारण, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी चेक जिन्हें अभी तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है की वजह से रोकड़ बही में ऋणात्मक शेष राशि है। वस्तुतः ऋणात्मक शेष निधि का इष्टतम उपयोग दर्शाता है चूंकि चेक जारी करने तथा लेखा के तदनु रूप जमा के बीच उपयुक्त समय संगठन द्वारा इसके समान निधि उपलब्ध किए बगैर प्रयोग होता है तथा वही निधि, अंशदाता की आय में वृद्धि हेतु उस अवधि के दौरान, निवेशित होती है। हालांकि जारी किए गए चेक तत्काल कैश बुक में नामे दर्शाए जाते हैं जहां कि बाद में बैंक द्वारा डेबिट किया जाता है। इस प्रकार रोकड़ बही में ऋणात्मक शेष बैंक खाते में ऋणात्मक शेष नहीं है।

ई 16

(i) लेखों में दर्शाए गए ऋणात्मक शेष वास्तविक रूप से रोकड़ बही के शेष है। नई

ई 16 खातों में ऋणात्मक शेष

(i) वर्ष 2015-16 के लिए क्षे.का. तांवरम के प्राप्ति एवं भुगतान खातों में निम्नलिखित रूप से ऋणात्मक आदि / अंत शेष पाए गए थे जिसके विवरण निम्न प्रकार है:

खाता संख्या	आदि शेष/ अंत शेष	Amount
खाता संख्या 1	आदि शेष एवं अंत शेष	आ.शे. (-) 66,55,134.25 अं.शे. (-) 83,73,132.25
खाता संख्या 2	अंत शेष	(-) 78,87,544.90
खाता संख्या 10	आदि शेष	(-) 85,513.40
खाता संख्या 21	आदि शेष एवं अंत शेष	आ.शे. (-) 3,24,645.54 अं.शे. (-) 2,66,120.54
खाता संख्या 22	आदि शेष एवं अंत शेष	आ.शे. (-) 0.39 अं.शे. (-) 11,042.39

उपर्युक्त ऋणात्मक शेषों के लिए खातों में समाशोधन एवं सुधार करना अपेक्षित है।

(ii) वर्ष 2015-16 उ.क्षे.का., नागरकोइल के प्राप्ति एवं भुगतान खातों में निम्नलिखित रूप से ऋणात्मक आदि / अंत शेष पाए गए थे जिसके विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

खाता संख्या	आदि शेष	अंत शेष
खाता संख्या 1	-3,46,333	-5,07,144
खाता संख्या 2	---	-2,05,199
खाता संख्या 10	-65,11,322	-74,85,253

निधि प्रबंधन प्रणाली (एन.एफ.एम.एस.) के अंतर्गत खातों से संबंधित दैनिक अंत बैंक शेष खाते में ऋणात्मक शेष को छोड़ते हुए केंद्रीय निवेश खाते को स्वचालित रूप से ऑनलाइन अंतरित हो जाते हैं। इसके कारण, फील्ड कार्यालयों के द्वारा जारी किए गए चेक, जिन्हें अभी भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, खातों के रोकड बही में ऋणात्मक शेष के रूप में परिणामित होते हैं। वस्तुतः ऋणात्मक शेष निधि का इष्टतम उपयोग दर्शाता है चूंकि चेक जारी करने तथा लेखा के तदनु रूप जमा के बीच उपयुक्त समय संगठन द्वारा इसके समान निधि उपलब्ध किए बगैर प्रयोग होता है तथा वही निधि, अंशदाता की आय में वृद्धि हेतु उस अवधि के दौरान, निवेशित होती है। हालांकि जारी किए गए चेक तत्काल कैश बुक में नामे दर्शाए जाते हैं जहां कि बाद में बैंक द्वारा डेबिट किया जाता है। इस प्रकार रोकड बही में ऋणात्मक शेष बैंक खाते में ऋणात्मक शेष नहीं है।

(ii) लेखों में दर्शाए गए ऋणात्मक शेष वास्तविक रूप से रोकड बही के शेष है। नई निधि प्रबंधन प्रणाली (एन.एफ.एम.एस.) के अंतर्गत खातों से संबंधित दैनिक अंत बैंक शेष खाते में ऋणात्मक शेष को छोड़ते हुए केंद्रीय निवेश खाते को स्वचालित रूप से ऑनलाइन अंतरित हो जाते हैं। इसके कारण, फील्ड कार्यालयों के द्वारा जारी किए गए चेक, जिन्हें अभी भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, खातों

खाता संख्या 21	-75,278	-2,52,337
----------------	---------	-----------

उपर्युक्त ऋणात्मक शेषों के लिए खातों में समाशोधन एवं सुधार करना अपेक्षित है।

(iii) ऋणात्मक आंकड़े दर्शाने वाले स्टाफ से वसूलीय अग्रिम :

उ.क्षे.का., नागरकोइल के आंकड़ों में तुलनपत्र में स्टाफ से वसूलीय अग्रिम की ओर परिसंपत्तियों के पक्ष में ऋणात्मक शेष दर्शाए गए हैं जिसके विवरण निम्न प्रकार हैं:

को शेष	वाहन अग्रिम	गृह निर्माण अग्रिम	प्राकृतिक आपदा अग्रिम	कंप्यूटर अग्रिम
31.03.2016	79,985.00	-6,90,772.00	-4800.00	-
				3,01,1726.00

एफ. सहायक अनुदान

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वित्त पोषण मुख्यतः अंशदान से प्राप्तियों से होता है । वर्ष 2015-2016 के दौरान भारत सरकार से संगठन के लिए कोई सहायक अनुदान (योजना, गैर योजना एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र) प्राप्त नहीं हुआ था । तथापि न्यूनतम पेंशन के रूप में क.भ.नि.सं. के द्वारा वितरित रु. 1000/- अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु वर्ष 2015-2016 के दौरान 509.80 करोड़ रूपयों का सहायक अनुदान क.भ.नि.सं. को प्राप्त हुए हैं जिसका प्रयोग कर लिया गया है।

के रोकड़ बही में ऋणात्मक शेष के रूप में परिणामित होते हैं। वस्तुतः ऋणात्मक शेष निधि का इष्टतम उपयोग दर्शाता है चूंकि चेक जारी करने तथा लेखा के तदनुसार जमा के बीच उपयुक्त समय संगठन द्वारा इसके समान निधि उपलब्ध किए बगैर प्रयोग होता है तथा वही निधि, अंशदाता की आय में वृद्धि हेतु उस अवधि के दौरान, निवेशित होती है। हालांकि जारी किए गए चेक तत्काल कैश बुक में नामे दर्शाए जाते हैं जहां कि बाद में बैंक द्वारा डेबिट किया जाता है। इस प्रकार रोकड़ बही में ऋणात्मक शेष बैंक खाते में ऋणात्मक शेष नहीं है।

(iii) लेखों में शेष राशि का समाशोधन करने पर इस लेखे का संशोधन किया जाएगा।

एफ. तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं ।

जी प्रबंधन पत्र	जी. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पाई गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं की गई कमियों को सुधारक / निवारक कार्रवाई हेतु अलग से जारी प्रबंधन पत्र के द्वारा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ध्यान में लाया गया है।
	जी. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पाई गई कमियों को नोट कर लिया गया है तथा निवारक कार्रवाई की जा रही है।

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का परिशिष्ट II

पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का (परिशिष्ट) - टिप्पणियां	संगठन की अभ्युक्तियां
1. आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र की पर्याप्तता - कुल 130 इकाइयों में से 130 इकाइयों के आंतरिक लेखापरीक्षण की योजना बनाई गई पर केवल 123 इकाइयों की लेखापरीक्षा पूरी की गई है। - आपत्तियों का निपटान करने के लिए उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि दिनांक 31.03.2016 तक 7639 आंतरिक ऑडिट पैरा लंबित थे।	- वर्ष 2015-16 में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 2014-15 में 120 इकाइयों की तुलना में वर्ष 2015-16 में 123 इकाइयों की लेखा परीक्षा की गई थी। लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ में स्टाफ एवं अधिकारियों की कमी के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। - वर्ष के दौरान 2192 पैरा का निपटारा किया गया।
2. आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय के संबंध में दिनांक 31.3.2016 तक वर्ष 1996-97 से 2014-15 अवधि से संबंधित 76 बाह्य लेखापरीक्षा पैरा लंबित थे। - विविध नमूने (अनुसूची 5) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2016 तक क्रमशः रु. 5.19 करोड़ तथा रु. 5.98 करोड़ के अधिक भुगतान एवं अनियमित भुगतान का संचयी शेष समाविष्ट है। एक वर्ष की अवधि में अधिक भुगतानों की राशि 0.96 करोड़ तक बढ़ गई है जो प्रणाली की गंभीर चूक तथा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण	67 पैरा के उत्तर महानिदेशक (ए) सीई कार्यालय को प्रस्तुत किए गए हैं। शेष 9 पैरा का अनुपालन किया जा रहा है। - ऐसे भुगतानों की वसूली के लिए सभी फील्ड कार्यालयों को समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए थे। अधिक भुगतान तथा अनियमित भुगतान की वसूली करने के लिए अपर के.भ.नि.आ. की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है।

की कमी को इंगित करती है। - वर्ष 2015-16 के लिए क.भ.नि.सं., मुख्यालय के भूमि एवं भवन, प्लांट एवं मशीनरी को छोड़कर अंचल परिसंपत्तियों, का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। - क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों का अंचल परिसंपत्तियों तथा समान सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। - क्षे.का. तथा उ.क्षे.का. के संबंध में बैंक समाशोधन कार्य समय बद्ध तरीके से नहीं किया गया है। - वर्ष 2015-16 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि का वार्षिक मूल्यांकन कार्य क्रियान्वित नहीं किया। - निवेश /प्रतिभूतियों को परिशोधित मूल्य पर आंके गए हैं जो लेखांकन मानक 13 के उल्लंघन में न तो बाजार मूल्य है और ना ही निवेश का अंकित मूल्य है।	- प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है। - प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है। - क्षे.का. तथा उ.क्षे.का. में बैंक समाशोधन समय बद्ध तरीके से किया जा रहा है। - वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि का मूल्यांकन करने के लिए बीमांकिक की नियुक्ति करने से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है। - निवेश को निम्न रूप से मूल्यांकित किया गया- (i) निवेश को लागत मूल्य तथा वर्ष के लिए परिशोधित मूल्य (अंकित मूल्य पर लागत मूल्य के प्रीमियम/रियायत का परिशोधन) पर मूल्यांकित किया गया जिसे तुलनपत्र अनुभाग को उपलब्ध कराए गए प्राप्ति एवं भुगतान लेखों में दर्शाया गया। (ii) चालू निवेश जैसे सी.बी.एल.ओ., लिक्विड म्यूचुअल फंड (एल.एम.एफ) तथा अन्य निवेश (दीर्घ अवधि) के विवरण को उनके संबंधित लागत मूल्य के साथ तुलन पत्र अनुभाग को उपलब्ध कराए गए प्राप्ति
---	---

• वर्ष 2015-16 में सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया गया।	एवं व्यय लेखों में दर्शाया गया है जो कि लेखा मानक-13 के अनुपालन के अनुसार है। ई.टी.एफ. निवेश दीर्घ अवधि का निवेश है इसलिए इसे लागत मूल्य के रूप में दर्शाया गया है जो कि लेखा मानक-13 के अनुपालन के अनुसार है। साथ ही, निवेश अनुभाग में रखी गई होल्डिंग विवरणियों में निवेश शेष को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है। • कुछ समय (वर्ष) के अंतराल में बीमांकिक मूल्यांकन किया जा रहा है।
3. परिसंपत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था। • वर्ष 2015-16 के लिए क.भ.नि.सं., मुख्यालय के भूमि एवं भवन, प्लॉट एवं मशीनरी को छोड़कर अंचल परिसंपत्तियों, का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया था। • क्षेत्रीय कार्यालयों तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों का अंचल परिसंपत्तियों तथा समान सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है।	• प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है। • प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है।

4. समान सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की व्याख्या • क.भ.नि.सं. मुख्यालय के संबंध में वर्ष 2015-16 तक पुस्तकों, प्रकाशनों तथा लेखन सामग्री एवं कंज्यूमेबल्स का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। • क्षेत्रीय कार्यालयों एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय की समान सूची के प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से आयोजित नहीं किया जा रहा है।	• प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है। • प्रत्यक्ष सत्यापन नियमित रूप से किया जा रहा है।
5. सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता • लेखों के अनुसार 31.03.2016 तक सांविधिक देयों के संबंध में पिछले 6 महीनों से कोई भुगतान बकाया नहीं है।	• तथ्यों पर आधारित होने के कारण कोई टिप्पणी नहीं।

प्रबंध पत्र का परिशिष्ट

i) क्षेत्रीय कार्यालय ताम्बरम द्वारा समय वर्जित चेकों की राशि रु 33,219/- को रद्द नहीं किया गया तथा खातों में राशि जमा किया गया है। इससे अंत बैंक शेष कम दर्शाया गया तथा रु. 33,219 देयता में परिणामित हुआ।	i) दिनांक 11.05.2016 को रु. 30,356/- की राशि सदस्य के खाते में पुनः जमा किया गया है तथा दिनांक 09.07.2016 को भी रु. 2,863/- की राशि सदस्य के खाते में पुनः जमा किया गया है।
ii) दिनांक 31.03.2016 तक उ.क्षे.का. नागरकोइल के तुलनपत्र के देयता पक्ष में नई पेंशन योजना में रु. 1.12 लाख राशि बकाया के रूप में दर्शाया गया है। तथापि वर्ष 2015-16 तथा उससे पहले की अवधि के लिए एनपीएस अंशदान प्रेषित किए गए थे तथा इस तरह की देयता नहीं है। इसे समाशोधित तथा सुधार करने की आवश्यकता है।	ii) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की ओर अंशदान समाशोधन करने पर इस खाते का सशोधन किया जाएगा।